लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : चार रुपये

Price: Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 29, सोमवार, 3 अप्रैल, 1978/13 चैत्र, 1900 (शक)

No. 29, Monday, April 3, 1978, Chaitra 13, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1—22
तारांकित प्रश्न संख्या 554, 556, 557, 559, 561, 562, 563, 565 और 566	Starred Questions Nos. 554, 556, 557, 559, 561, 562, 563, 565 and 566	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 3	Short Notice Question No. 3	22—24
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	25-172
तारांकित प्रश्न संख्या 555, 558, 560, 564. और 567 से 573	Starred Questions Nos. 555, 558, 560, 564 and 567 to 573	
अतारांकित प्रश्न संख्या 5214 से 5241 5243 से 5302, 5304 से 5305, 5307 से 5335, 5337 से 5360 और 5362 से 5413	Unstarred Questions Nos. 5214 to 5241, 5243 to 5302, 5304 to 5305, 5307 to 5335, 5337 to 5360 and 5362 to 5413	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	172
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	172
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance	172—179
दण्डकारण्य और बंगला देश से पश्चिम बंगाल में भारी संख्या में शरणार्थियों के आने का समाचार—	Reported influx of refugees from Dandakaranya and Bangladesh into West Bengal	
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	172
श्री सिकन्दर बख्त	Shri Sikandar Bakht	172
श्री मुकुन्द मण्डल	Shri Mukunda Mandal	175
श्री राज कृष्ण डान	Shri Raj Kirshna Dawn	176
श्री रामसेवक हजारी	Shri Ram Sewak Hazari	177
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	178

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJEBT	पृष्ठ PAGES
लोक लेखा समिति— 67वां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee Sixty-seventh Report	179
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति— पहला प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Committee on Public Undertakings First Report and Minutes	180
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters Under Rule 377	180—182
(1) कलकत्ता में सरकारी गोदामों में चाय के भारी स्टाक जमा हो जाने का समाचार	(i) Reported Accumulation of huge stock of tea in Government godowns at Calcutta	
श्री एस० के० शारदा	Shri S. K. Sarda	180
(2) नमक के लोनले जाने के लिए गुजरात में वैगनों की कमी का समाचार	(ii) Reported shortage of wagon in Gujarat for transport of salt	
प्रो० आर० के० अमीन	Prof. R. K. Amin	180
(3) भारतीय भू-सर्वेक्षण के महानिदेशक की पदावनति का कथित समाचार	(iii) Reported reversion of the Director General of the Geological Survey of India	
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	181
(4) रेड क्रास सोसाइटी का कार्यकरण	(iv) Working of the Red Cross Society	182
श्री बलदेव सिंह जसरोटिया	Shri Baldev Singh Jasrotia	
(5) आसनसोल की तारा कोयला खान में हुई दुर्घटना के कारण 5 खनिकों की मृत्यु का समाचार	(v) Reported death of 5 mines due to accident in Tara Colliery, Asansol.	182
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	
अनुदानों की मांगें, 1978-79	Demands for Grants, 1978-79	182-189
नौवहन और परिवहन मंत्रालय	Ministry of Shipping and Transport	& 192
श्री कुसुम कृष्णमूर्ति	Shri Kusuma Krishna Murthy	183
श्री गोविन्द मुण्डा	Shri Govinda Mundar	184
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayatheva	184
डा० वसंत कुमार पंडित	Dr. Vasant Kumar Pandit	185
श्री बी० रच्चैया	Shri B. Rachaiah	186
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhty Balbir Singh	187
श्री दुर्गाचन्द	Shri Durga Chand	187
श्री द्रोणम राजू सत्यनारायण	Shri Dronam Raju Satyanarayana	188
श्री चांद राम	Shri Chand Ram	192
वर्ष 1978-79 के लिए आयात-निर्यात नीति के बारे वक्तव्य	Statement Re. Import-Export Policy 1978-79	189—191
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	189

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर में अग्निकांड के बारे वक्तव्य	Statement Re. Fire in Doordarshan Studios in Srinagar	196
श्री लालकृष्ण अडवानी	Shri L. K. Advani	196
अनुदानों की मांगें, 1978-79	Demands for Grants 1978-79, contd.	197—203
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information and Broadcasting	
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्	Shri K. P. Unnikrishnan	197
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	199
श्री गिरधर गोमांगों	Shri Giridhar Gomango	201
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	201
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	202
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	203

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 3 अप्रैल, 1978/13 चैत्र, 1900 (शक)

Monday, April 3, 1978/Chaitra 13, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष, महोदय : मैं सभा को, श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल, जो इस सभा के एक भूतपूर्व सदस्य थे, के दु:खद निधन के बारे में सभा को सूचित करता हूं । श्री कासलीवाल पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य थे । उससे पहले वह 1946—49 में राजस्थान विधान परिषद् के सदस्य थे । वह 1962-64 में राज्य सभा के सदस्य भी रहे ।

श्री कासलीवाल ने अपना जीवन एक वकील के रूप में शुरू किया और राजस्थान के स्थानीय निकायों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए। एक संसद् सदस्य के रूप में उन्होंने सक्रिय रूप से कार्य किया और विदेशी मामलों में विशेष रुचि ली ।

हम इनके निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं ।

तत्पश्चात दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रगट करने के लिए सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे ।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गन्ने की पेराई हेतु रियायतें

*554. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल**
श्री ओम प्रकाश त्यागी } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 फरवरी, 1978 को दिए गए चीनी नीति संबंधी वक्तव्य के संदर्भ में, गन्ने की 30 अप्रैल, 1978 के बाद भी पेराई करते रहने के लिए चीनी कारखानों को प्रोत्साहन देने हेतु रियायतें देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) इस संबंध में सरकार का क्या रियायतें देने का विचार है ;

(ग) इन रियायतों से गन्ना उत्पादकों को उनके पास पड़े समूचे गन्ने का निपटान करने में कहां तक सहायता मिलेगी ; और

(घ) इस वर्ष उत्पादित समूचे गन्ने का मिठास वाली वस्तुओं के निर्माताओं द्वारा समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार 30-4-1978 से आगे गन्ने की पिराई जारी रखने के लिए चीनी फैक्ट्रियों को उत्पादन शुल्क में रिबेट की अनुमति देने संबंधी योजना पर सक्रियता से विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

(घ) गन्ने के अब तक के रिकार्ड उत्पादन और इसके उपयोग की आवश्यकता को देखते हुए, सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं जिन्हें सभा के पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है ।

चीनी फैक्ट्रियां लगभग 1976-77 मौसम के स्तर पर गन्ने के मूल्यों का भुगतान जारी रख सकें, इसके लिए सरकार ने निम्नलिखित पग उठाए हैं :—

(i) खुली बिक्री की चीनी पर उत्पादन शुल्क 16-11-1977 से 45% मूल्यानुसार घटाकर $27\frac{1}{2}\%$ मूल्यानुसार कर दिया गया था ।

(ii) लेवी चीनी का अखिल भारतीय भारित औसत मूल्य 1-3-1978 से बढ़ाकर 187.50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था।

(iii) बढ़े उत्पादन के कारण भारी स्टाक के बोझ से उद्योग को राहत देने के लिए चालू वर्ष के दौरान 6.5 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात करने का निर्णय किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अधीन वास्तव में यह मात्रा भारत का कोटा भी है।

(iv) अतिरिक्त उत्पादन का ध्यान रखने के लिए ऋण सुविधाएं बढ़ा दी जाएंगी।

इसके अलावा, सरकार फैक्ट्रियों को 30-4-1978 से आगे पेराई करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उत्पादन शुल्क में रिबेट देने के मामले पर सक्रियता से विचार कर रही है ताकि उद्योग द्वारा गन्ने का अधिक से अधिक उठान किया जा सके।

क्योंकि उन क्षेत्रों, जहां पर परम्परागत ढंग से गन्ने से गुड़ खण्डसारी बनाई जाती हैं, में भी गन्ने का अत्यधिक उत्पादन हुआ है, इसलिए गन्ना उत्पादक को राहत देने के लिए इसका समुचित उपयोग करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

(i) गुड़ के निर्यात पर से सभी प्रतिबन्ध हटा लिए गये हैं ।

(ii) गुड़ तथा खण्डसारी दोनों के निर्माण/व्यापार के लिए बैंक ऋणों के मार्जिन को कम कर दिया गया है।

(iii) सरकारी एजेंसियाँ मण्डी भाव के ऊपर प्रीमियम देकर गुड़ की सक्रियता से खरीदारी कर रही हैं ।

(iv) कुछ राज्य सरकारों ने गन्ने पर क्रय-कर में कमी कर दी है ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : एक महीने की अवधि बीत जाने के बाद भी वही वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया है जो 27 फरवरी को सभा पटल पर रखा गया था। इसमें कोई नई बात नहीं है। मेरे विचार में सरकार गन्ना उत्पादकों के लिये पैदा की गई समस्याओं के प्रति अधिक चिन्तित नहीं है। गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन देने में सरकार और कितना समय लेगी? क्या यह अप्रैल के समाप्त होने से पूर्व या अप्रैल के बाद घोषित किया जायेगा? यदि निर्णय शीघ्र लिया जाता है, तो गन्ना उत्पादकों को यह मालूम हो सकेगा कि उनका गन्ना कब बिक पायेगा। किन-किन राज्यों ने खरीद कर कम किया है और कितना-कितना कम किया है? क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्य सरकारों को खरीद कर कम करने की सलाह दी है ताकि गन्ना उत्पादकों को अपने माल की बेहतर कीमत मिल सके?

श्री भानु प्रताप सिंह : प्रोत्साहन योजना इस महीने के समाप्त होने से पूर्व या इससे पहले ही घोषित कर दी जायेगी ताकि बिना पिराई के गन्ना रहने की कोई सम्भावना न हो क्योंकि सरकार ने अपनी नीति घोषित नहीं की है। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा खरीद कर कम करने का सम्बन्ध है, हमने उन्हें इसे कुछ हद तक कम करने की सलाह दी है और कुछ राज्यों ने हमारा अनुरोध मान लिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास उन राज्यों के बारे में कोई जानकारी है जिन्होंने खरीद कर में कमी की है?

श्री भानु प्रताप सिंह : उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश ने खरीद कर में कमी की है।

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : May I know what will be the production of sugar from sugarcane if incentive is given and what it will be if no incentive is given? How much sugarcane will remain in the field and whether government propose to pay compensation to farmer for the sugarcane which will be carried over because remaining sugarcane will go on until next year and will be crushed next year? The recovery of this cane will deteriorate and its weight will also be less. Whether you also propose to pay compensation to farmer for the total loss in recovery of sugarcane and if so, what it will be?

Whether keeping in view the stock of sugar due to its heavy production last year you propose to decontrol it or not?

SHRI BHANU PRATAP SINGH : It is difficult to estimate correctly how much excess production of sugar there will be. But our estimate is that giving of incentives will result in more production of sugar by four lakh tonnes. So far as the question of paying compensation for the carry over sugarcane is concerned. It has not yet been considered, and there is no need to do so. We are fully confident that stock of sugarcane will exhaust and we will see that mills are closed only after it is exhausted or rains start. These are the two aspects.

SHRI O.P. TYAGI : When government was aware of heavy production of sugarcane and its position in international market, why government did not take timely steps to save the farmer? May I know whether government is aware

that mill-owners are purchasing sugarcane from farmers in Uttar Pradesh @ Rs. 5—7 per quintal against the fixed price of Rs. 12—13 per quintal? Secondly payment of sugarcane price is not being made. There is already arrears of Rs. 20—22 crores against the mill owners. Whether government will ensure payment of this arrear to farmers? May I know whether you will set up a committee to enquire whether the farmers have been paid the fixed price or not and if not, whether any action will be taken against them? May I also know whether you have taken any final decision in regard to decontrol of sugar?

SHRI BHANU PRATAP SINGH : When it is talked about Rs. 12·50 or Rs. 13, khandsari is always confused with it. I have repeatedly stated that Vacuum Pan Factories are purchasing sugarcane at fixed price and are making payment thereof. If any instance about non-purchase of cane at fixed price is given, action will be taken against the factory concerned.

Khandsari should not be confused with it. There is no fixed price for it except in three states. It is not Rs. 12—13 even these states. It is between Rs. 8 and Rs. 9 and it is the responsibility of State Government to enforce it and not of Central Government.

SHRI O.P. TYAGI : Whether the farmers, who supplied cane, will get their payment by the end of the season and what action government propose to take to recover the arrears of Rs. 20—22 crores?

SHRI BHANU PRATAP SINGH : Payment of sugarcane will be made immediately after the season is over and I can give an assurance that the arrears of one or two percent in previous years will not be repeated this year.

श्री एस० आर० दामाणी : इस तथ्य को कि चीनी का कैरी फारवर्ड स्टाक काफी अधिक होगा और बैंक में काफी धन ब्लाक हो जायेगा, ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को भी कि क्या चीनी उत्पादक पर्याप्त मात्रा में गन्ना खरीद सकेंगे भी कि नहीं क्योंकि उनका धन ऋण तथा चीनी स्टाक में लगी होगी को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी सरकारी खाते पर चीनी का सुरक्षित भण्डार बनाने का विचार कर रहे हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चीनी के कुछ निर्यात की अनुमति देगी ताकि देश विदेशों में अपने ग्राहकों को चीनी की कुछ सप्लाई कर सके?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह उत्तर देना कठिन है कि अगले वर्ष क्या होगा। जब ऐसी स्थिति होगी तो हम देखेंगे।

मध्य प्रदेश में प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिए हल

*556. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में प्रायः सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बनाई गई योजना से सन्तुष्ट है;

(ख) यदि नहीं तो छठी पंचवर्षीय योजना के लिए हाल में बनाई गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सह) : (क), व (ख), (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

मध्य प्रदेश में सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 जिलों के निम्नलिखित 42 खंड आते हैं :

जिले	खंडों के नाम
1. झबुआ	अलीराजपुर, भाबरा, झाबुस, जोहाट, काठीवाड़ा, मेघ-नगर, ऐटलाबाद, राघा, रानापुर, सेंधवा, थंडला, उदीगढ़ ।
2. धार .	कुक्शी, बाघ, दाही, निसारपुर, गंधवानी, मनवार, बाकनेर, उमरबंद ।
3. बेतुल	आमला, प्रभातपाटन, घोडा-डोंगरी, पुतलाई, भीमपुर, चिचोली, शाहपुर, बेतुल ।
4. सिद्धी	मझौली, कुशमी, देवसर, वैधान, सिद्धी, रामपुर, चितरंगी, सिहावल ।
5. खारगोन	ठीकरी, राजपुर, बरवानी, पाटी ।
6. शाहदोल . .	ब्यौहारी, जयसिंह नगर ।

कार्यक्रम के उद्देश्य ये हैं :

(1) सूखे के प्रभाव की प्रचंडता को कम करना ;

(2) लोगों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों, की आय को स्थिर करना; और

(3) पारिस्थितिक संतुलन को पुनःस्थापित करना ।

मध्य प्रदेश के लिए मूल पांचवीं योजना अवधि हेतु 24.80 करोड़ रुपये के कार्यक्रम परिव्यय की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा, पूर्णतया केन्द्रीय अनुदान के रूप में 212.79 लाख रुपये का परिव्यय मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए सुलभ किया गया था। वर्ष 1977-78 के लिए परिव्यय 6.42 करोड़ रुपये है। वर्ष 1978-79 के लिए अनंतिम परिव्यय 11.31 करोड़ रुपये है। जनवरी, 1978 के अंत तक पांचवीं योजना के दौरान 12.88 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

दिसम्बर, 1977 के अंत तक पाँचवीं योजना के दौरान भौतिक उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

(1) सृजित सिंचाई संभाव्यता : 18,675 हैक्टेयर,

(2) भू संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र : 19053 हैक्टेयर,

(3) वनरोपण : 4884 हैक्टेयर,

(4) चरागाह विकास : 2237 हैक्टेयर,

(5) फार्म वन-विद्या : 567 हैक्टेयर,

(6) फसल प्रदर्शनों की संख्या : 253;

(7) वितरित किए गए दुधारु पशुओं की संख्या : 304, और

(8) सृजित रोजगार के श्रमदिनों की संख्या : 120 लाख ।

इस तरह कुल मिलाकर कार्यक्रम का कार्यान्वियन संतोषजनक रहा है ।

उत्पादी कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्ण रोजगार सुलभ करने के उद्देश्य के अनुसरण में अगली योजना के दौरान अधिकाधिक बल तुरन्त रोजगार पैदा करने वाली अलग-अलग लाभकारी योजनाओं पर होगा ताकि समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाया जा सके। मध्य प्रदेश में सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए 42 खंडों में से 25 खंडों का गहन विकास वर्ष 1978-79 के दौरान शुरू किए जाने की आशा है। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक खंड के लिए परिव्यय 5.00 लाख रुपये होगा जिसमें से भारत सरकार 4.00 लाख रुपये और राज्य सरकार 1.00 लाख रुपये प्रदान करेगी। ये परिव्यय क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त ऐसे चुने कार्यक्रमों को तीव्र करने के लिए उपयोग में लाए जाएंगे जो अतिरिक्त रोजगार पैदा कर सकते हैं और छोटे तथा सीमान्त किसानों, बटाईदारों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि के लोगों के पता लगाये गए लक्ष्य ग्रुपों के आय स्तर को बढ़ा सकते हैं।

SHRI SUKHENDRA SINGH : The problem of drought affected area is not only of Madhya Pradesh alone, but it relates to the entire country. Every year one or the other area is affected by drought and the Central or State Government concerned spends heavy amount in providing relief. May I know whether this question will be considered at national level? If not, whether Government considers it proper to look into this problem at national level?

SHRI BHANU PRATAP SINGH : It has been considered at national level and as a result thereof we are introducing drought prone area development scheme and are spending heavily on them. So the question of considering this problem afresh does not arise.

SHRI SUKHENDRA SINGH : I come from an area which is affected by drought every year. Whether there is any definite irrigation scheme or lift irrigation scheme or a setting up tubewells in this area? Whether you have got any scheme for the Sixth Five Year Plan? You have not given any reply to it. It is national problem. Government spends crores of rupees every year. Whether

you do not feel it necessary to have any definite irrigation scheme or lift irrigation scheme or a scheme for setting up tubewells there?

SHRI BHANU PRATAP SINGH : The target for spending Rs. 24 crores was for 5 years. Out of which one year has been left out. These figures are meant upto December only of the fourth year. Still two months are there. Generally, it so happens that amount is spent first and its accounting is done during the last two months. Hence expenditure is shown somewhat less. But actually the funds provided in the year 1977-78 have been fully spent. Besides, irrigation programme was taken up with special care. About two third of this fund of Rs. 24 crores was meant for irrigation only and it has been used properly because an amount of Rs. 11 crores 32 lakhs out of Rs. 13 crores and 46 lakhs has been utilised by the end of December itself. So, special attention has been paid towards irrigation. We are trying to solve more and more problems. I am prepared to admit that the pace and integrity with which the work should have been done are not upto the mark. There is scope for improvement in it and we are trying our best to improve it.

SHRI RAM SEWAK HAZARI : India is an agricultural country and this problem is not of a particular state but every year one or the other area is affected by drought. I want to know whether the hon. minister intends to make any plan in the coming 2—3 years so as to solve the problem of irrigation?

SHRI BHANU PRATAP SINGH : According to our estimate 17 million acres of land will be irrigated in the coming five years. Our enthusiasm in this respect can be imagined by the fact that during last 25 years only 23—24 million hectare of land was irrigated when we intend to irrigate 17 million hectare during five years.

SHRI YAGYA DUTT SHARMA : Whether hon. Minister will call a meeting of the Agriculture and Irrigation Ministers with a view to make arrangement for irrigation in drought prone areas and will formulate a plan to irrigate a fixed area of land every year? Whether house will be informed after fixing the targets?

SHRI BHANU PRATAP SINGH : Question is only about M.P. but if asked to do so, house will be informed accordingly.

श्री द्वारिकादास पटेल : क्या सरकार छठी योजना में भी डी० पी० ए० पी० योजना को चालू रखेगी ? क्या इस योजना में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : एक ही प्रकार के कई कार्यक्रमों को एक कार्यक्रम में मिला दिये जाने का विचार है और लगभग 2000 ब्लाकों में गहन कार्य हाथ में लिया जाएगा जिससे वहां सबको रोजगार दिया जा सके ।

DEMOLITIONS IN DELHI

*557. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether unauthorised constructions in Khureji and Palam, etc. colonies in trans-Yamuna area have been forcibly demolished on 3rd March, by C.R.P. and other Police squads; and

(b) if so, the number of Jhonpris demolished so far and where and how the persons uprooted from there have been settled?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR) : (a) The Municipal Corporation of Delhi have reported that demolition action at six sites in Shastri Nagar near Khureji was taken on 3rd March, 1978.

(b) No jhonpris were demolished. The demolition action was taken in respect of the unauthorised constructions under the Delhi Municipal Corporation Act. No alternative accommodation is provided in such cases.

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : I want to know the total number of houses demolished in Shashtri Nagar where there six houses were demolished? The number of buldozers and C.R.P. constables used for this demolition? Whether previous sanction was taken for this? If not, why these houses were allowed to be constructed.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) : Out of these 6 houses 4 were under construction and on the other two place material was lying. So all the 6 houses are considered to be under construction.

No hut was demolished. C.R.P. was not at all involved in it, only the municipal staff did this.

On Patparganj Road, where bricks etc. were lying, show cause notice was served on 27-12-77. After not getting any reply to that a demolition notice was served on 2-1-78 and when that also remained unanswered demolition order was passed on 10-1-78 and it was demolished when no answer was received upto 3rd March.

In Shastri Nagar one mason and a helper were working. There were two rooms and a kitchen. In Patparganj only a shed was demolished.

They were served show cause notice on 13-12-77, and when no answer was received a demolition notice was served on 19-12-77. It also remained unanswered. Then a demolition order was given and too was without any response. The demolition was done on 3rd March. This is the detail of all the six houses.

At first place a shed was demolished, on the second two rooms and a kitchen at Gali No. 3 Aram Bagh, Shastri Nagar a Kitchen and a store was demolished,

at the fourth place one room, at the fifth only boundary was demolished. At the place in Sarojini Park walls for two rooms were demolished.

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Who were living under the shed which was demolished and where did they went after demolition?

SHRI SIKANDAR BAKHT : I do not have any information about that.

SHRI RAM KANWAR BERWA : I want to know whether the demolition was done due to some personal vendeta?

SHRI SIKANDAR BAKHT : All these six houses were unauthorised construction.

SHRI RAM BILAS PASWAN : What is the difference in the demolition done during emergency and the demolition being done at present. The previous government rehabilitated thousands of people in trans Jamuna Area without giving them any facility. Whether government have any plan to settle those thousands of people who spend their nights on the pavements and platforms

SHRI SIKANDAR BAKHT : During emergency most of the demolitions were illegal where all these construction were unauthorised. So far as the question of rehabilitating the squatters is concerned we have made a crash programme for Delhi, under which 40,000 houses will be constructed.

साहित्यिक चोरी

*559. **डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि देश में ऐसे संगठित गिरोह हैं जो अनधिकृत तरीके से प्रसिद्ध विदेशी प्रकाशनों को छाप कर और उन्हें बेचकर साहित्यिक चोरी करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि यह समस्या कितनी बड़ी है ; और

(ग) इस बुराई को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा. प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में अश्लील साहित्य विदेशों से लाकर महानगरों में फुटपाथों और कुछ दुकानों पर बिकता है ? क्या सरकार इस साहित्य की बिक्री रोकने के लिए कोई कदम उठाएगी क्योंकि इसका हमारे युवा छात्रों के मन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? क्या सरकार इस सस्ते विदेशी साहित्य की बिक्री रोकने और साथ ही अच्छा साहित्य सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए कोई तरीका खोजेगी ?

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र : सरकार को पुस्तकों के चोरी छिपे लाए जाने और छापने की जानकारी है उसके लिए वह भारतीय प्रकाशक संघ का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु वर्तमान 1957 के अधिनियम के अन्तर्गत के स्वत्वाधिकारी ही दीवानी या दाण्डिक कदम उठा सकता है। सरकार सीधे कुछ नहीं कर सकती। सदस्य महोदय ने प्रश्न के क्षेत्र से बाहर

जाकर प्रश्न किया है। जहां तक सस्ते किस्म के साहित्य की बिक्री का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मैं जांच कर सकता हूँ। इससे अधिक इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता।

डा० मुरली मनोहर जोशी : प्रश्न के पहले भाग को मंत्री महोदय ने मूल प्रश्न के क्षेत्राधिकार से बाहर बताया और कहा है कि इस सम्बन्ध में जांच की जाएगी। दूसरे भाग का सम्बन्ध पाठकों को विदेशी साहित्य सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने का कोई प्रबन्ध करने से है। आजकल वह बड़े महंगे दाम पर मिलता है। क्या सरकार के सामने प्रथम श्रेणी का विदेशी साहित्य उपलब्ध कराने की कोई योजना है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न प्रश्न है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : तस्कर विभाग बड़ी मात्रा में आयात होने वाले विदेशी साहित्य की जांच पड़ताल करना है। फिर अनेकों सांस्कृतिक करारों आदि के अन्तर्गत अच्छी पुस्तकें मंगाई जाती हैं और छापी जाती हैं। अनेकों सोवियत संघ, अमरीका आदि की पुस्तकें इस प्रकार के करारों के अन्तर्गत यहां छपती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज ब्यूरो के द्वारा भी सस्ते मूल्य की पुस्तकें छापी जाती हैं। और बड़ी संख्या में छात्र उनका उपयोग करते हैं।

श्री के० मायाशेवर : अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रत्येक देश में पुस्तकों की चोरी से छापना एक अपराध ही नहीं है वरन् यह एक समाज विरोधी कार्य भी है। अतः ऐसे समाज विरोधी साहित्य को पुलिस जब्त करे। क्या मंत्री महोदय ने पुलिस के द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई की है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : स्वत्वाधिकार कानून के अन्तर्गत स्वत्वाधिकार प्राप्त व्यक्ति कार्रवाई कर सकता है। ऐसी दाण्डिक प्रक्रिया चलाने पर ही पुलिस उस सामग्री को जब्त और आवश्यक समझे तो उसे नष्ट करने के लिए कदम उठा सकती है।

राज्य अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्डों को समाप्त करने की मांग

***561. श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मांग की गई है कि राज्य अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्डों को समाप्त किया जाना चाहिये जिससे विश्वविद्यालय बाहरी एजेंसियों के हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ग) इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सरकार को राज्य अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्डों को जहां कहीं भी वे स्थापित किए गए हैं, भंग करने की किसी भी मांग की जानकारी नहीं है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : कितने राज्यों में अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड हैं? उनके क्या कृत्य हैं? क्या ये विश्वविद्यालयों के लिये उपयोगी हैं?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : केवल बिहार में ही एक अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड मई, 1976 में स्थापित किया गया है? इसके मुख्य कृत्य हैं; राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास करना, उनके शोध और विभिन्न परीक्षाओं के स्तर को उठाना आदि । कुछ अन्य राज्यों में ऐसे बोर्ड नहीं हैं। वहां पर कुछ सूचना समन्वय समितियां हैं। उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र में उपकुलपतियों का संयुक्त बोर्ड है, जो विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध को देखता है लेकिन इसका कोई सांविधिक अधिकार नहीं । इसी तरह केरल में उपकुलपतियों की एक परामर्शदात्री समिति है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के उपकुलपति भी कभी भी आपसी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। चार दक्षिणी राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के उपकुलपति भी इसी प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करते हैं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या बिहार के विधायकों ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड को वापस बुलाने की मांग की गई है ताकि वे विश्वविद्यालयों के कामों में हस्तक्षेप न कर सकें और उन पर अनुचित प्रभाव न डाल सकें और यदि हां तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह अधिनियम आपात्-स्थिति में जारी किया गया था । इसकी कुछ आलोचना भी हुई है। बिहार के अधिकारियों से पता चला है कि मामला उनके विचाराधीन है ।

SHRI UGRA SEN : The Governors of the States, particularly in U.P., have been made Chancellors. Many of them have no interest in education....

अध्यक्ष महोदय : इस बात का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

सिन्ध के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता

*562 **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री भारत पाक युद्ध के दौरान सिन्ध के शरणार्थियों के बारे में दिनांक 27 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 943 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के युद्ध के दौरान सिन्ध से आने वाले 5785 शरणार्थियों में से केवल 988 को अभी तक भारतीय नागरिकता प्रदान करने के क्या कारण हैं;

(ख) इन शरणार्थियों को अब तक दी गई पुनर्वास सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 943 के उत्तर में शरणार्थियों को उल्लिखित पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने का निर्धारित मानक क्या है और यह मानक न्यूनतम जीवन-यापन परिस्थितियों से किस प्रकार तुलनीय है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर): (क) भारतीय नागरिकता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आवेदकों को भारतीय नागरिकता दिए जाने के लिए सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेटों को प्रार्थना पत्र भेजने

2—179LSS/78

होते हैं और जिन्होंने नागरिकता के लिए अपने आवेदन दिए थे उन पर विचार किया गया था।

(ख) 1965 के भारत-पाक संघर्ष के कारण जो व्यवस्थापित व्यक्ति सिन्ध से राजस्थान में आ गए थे उन्हें 6,04,395/– रुपये तक ग्रामीण ऋण और 56,500/– रुपये तक व्यवसाय ऋण दिए गए थे।

(ग) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

इन शरणार्थियों के लिए पुनर्वास सुविधाओं के निर्धारित पैमाने इस प्रकार हैं :—

I. **की खरीद के लिए**	
(i) औजार .	200/– रुपये
(ii) बीज और उर्वरक	175/– रुपये
(iii) बैल	800/– रुपये
II. **सहायक व्यवसाय**	
(मुर्गी पालन/बैलगाड़ी और/अथवा एक दुधारु पशु के लिए)	300/– रुपये
III. **लघु व्यापार ऋण**	
(i) फेरीवाले	200/– रुपये
(ii) दस्तकार . . .	300/– रुपये
IV. **उच्च व्यवसाय ऋण**	
(i) चाय के स्टाल वालों के लिए	1000/– रुपये
(ii) व्यापारी/दुकानदार .	5000/– रुपये
V. **व्यवसाय ऋण**	5000/– रुपये
VI. **मकान निर्माण**	
(i) कच्चा मकान . .	2000/– रुपये
(ii) पक्का मकान ! . .	6000/– रुपये

VII. **भरण-पोषण**—राजस्थान में सभी विस्थापित व्यक्ति कृषक परिवारों के लिए 210/- रुपये से 525 रुपये तक। गैर-कृषक परिवारों के लिए 90/- रुपये से 225/- रुपये तक।

ये वही दरें हैं जो भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए अन्य विस्थापित व्यक्तियों या 1965 के भारत-पाक संघर्ष के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों, जिन्हें जम्मू और काश्मीर में बसाया गया है, अथवा बर्मा और श्रीलंका से आए प्रत्यावासियों के लिए स्वीकार्य हैं। यह दरें उस समय की न्यूनतम जीवन यापन संबंधी अवस्था के बारे में सरकार द्वारा उचित रूप से विचार करने के पश्चात् निश्चित की गई थीं।

SHRI VIJAI KUMAR MALHOTRA : In 1965, 5785 had come. There is e question of their going back after 13 years. Out of them 988 have been granted

Indian citizenship. How many of these refugees applied for citizenship and how many of them were not granted citizenship and the reasons therefor?

WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAHKHT) : 988 have been granted citizenship and 118 applicants therefor are being processed.

अध्यक्ष महोदय : कितने लोगों ने आवेदन-पत्र दिये और कितने आवेदन नामंजूर किये गये ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह जानकारी अभी हमारे पास नहीं है।

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : If persons who could not go back to Pakistan, stayed in India for 13 years and made many sacrifices in India-Pak conflict will be granted Indian citizenship and given the facilities of loans etc.

SHRI SIKANDAR BAKHT : Anybody who ask for help will be povided help. Nobody has been denied the loan assistance or financial assistance. We have given 75 bighas of land per family. And thus 86197 bighas of land has been given.

SHRI JAGDISH CHANDRA MATHUR : Couldn't Government rehabilitate these refugees with the help of the money that they spent in connection with the stay of these refugees in the camps? There was a scheme for calling up city named Chhachhi at Bhinmal in Lahore district. Has that scheme been given due consideration? Efforts are being made to recover the assistance provided to the teachers in the beginning. The Rajasthan Government have recommended to the Central Government for not effecting such recoveries till these refugees are permanently rehabilitated. These refugees include doctors, engineers and other qualified persons, but they cannot be provided with employment in our country, because they have not been granted citizenship. Will Government consider providing employment to these qualified persons?

SHRI SIKANDAR BAKHT : The Hon'ble Member has mixed up various categories of refugees. No refugee belonging to the category referred to in the question is staying in the camps.

निराश्रित व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन

*563. **श्री यादवेन्द्र दत्त**
डा० रामजी सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के निराश्रित व्यक्तियों, विधवाओं और अनाथों को वृद्धावस्था पेंशन देने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN): (a) No, sir.

(b) Does not arise.

(c) A number of State Governments are already operating schemes for old age pension. Varying assistance is provided by different State Governments.

श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या सरकार अखिल भारतीय स्तर पर इन निराश्रित व्यक्तियों, अनाथों और विधवाओं को वृदावस्था पेंशन या वित्तीय सहायता देने की कोई योजना बना रही है ? कौन-कौन से राज्य किन किन आधारों पर ये पेंशन दे रहे हैं ?

SHRI DHANNA SINGH GULSHAN : This subject relates to the states. State Governments are already giving such assistance. Centre can only give them suggestions Besides states. some institutional so give much assistance.

श्री यादवेन्द्र दत्त : इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

SHRI DHANNA SINGH GULSHAN : It is not a Central subject. It is a State subject.

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : यह केन्द्रीय सरकार की नहीं, राज्यों की जिम्मेदारी है ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र: प्रश्न वृद्ध जनों के बारे में है लेकिन माननीय सदस्य ने अनाथों का जिक्र भी किया है । अनाथों की देखभाल राज्य सरकारें कर रही हैं । केन्द्रीय सरकार की विभिन्न राज्यों के बारे में योजनायें हैं और हम सहायता के लिये कोटा निर्धारित करते हैं । निराश्रित महिलाओं को सहायता देने का प्रावधान भी है । यह भी केन्द्रीय सहायता से होता है । लेकिन प्रश्न वृद्धावस्था पेंशन के बारे मे है जिसके लिये केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है । यह आम तौर पर राज्य सरकारें ही करती हैं ।

DR. RAMJI SINGH : In view of the fact that the Directive Principles of State Policy in our Constitution provide for old age pension for destitutes and the Janta Party manifesto also contains an indication to this effect and 7 or 8 states are already providing some assistance to such people, will the Central Government formulate a scheme for giving some grants to the State Government and implement it in all the States?

DR. PRATAP CHANDER CHUNDER : It is not correct that 7 or 8 States are providing assistance. According to our list, at least 14 States and 4 Union territories provide such assistance. If our financial position improved, we will fulfil the constitutional provision as well.

श्री हितेन्द्र देसाई : चूंकि कुछ एक सरकारें वृद्धावस्था पेंशन योजना पर अमल कर रही है तो क्या केन्द्रीय सरकार भी ऐसी योजना अपनायेगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : राज्य सरकारें पहले ही यह सहायता दे रही हैं । यदि केन्द्रीय सरकार भी ऐसी सहायता देगी तो इसके लिये अधिक धन की आवश्यकता होगी ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : क्या सरकार संसद सदस्यों की पेन्शन वन्द करके इन वृद्ध लोगों को पेंशन देने पर विचार करेगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यदि माननीय सदस्य चाहें तो यह हो सकता है ।

SHRI CHATURBHUJ : The Rajasthan Government is giving some assistance to the blind, disabled and other helpless persons. How much grant is being given by the Central Government to the State Governments under this scheme?

DR. PRATAP CHANDER CHUNDER : I have already stated that this is for improving economic condition only.

श्री ओ० पी० अरुणाचलम् : तमिलनाडु सरकार इस योजना को पिछले 10 वर्षों से लागू कर रही है । लेकिन पर्याप्त वित्तीय संशोधन न होने के कारण हम इस योजना को आशाओं के अनुसार लागू नहीं कर सकते । क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना को लागू करने के लिये राज्य सरकारों को पर्याप्त राशि स्वीकार करेगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : तमिलनाडु सरकार 65 वर्ष के गरीब को 20 रुपये प्रति मास तथा 60 रुपये प्रति मास शारीरिक व मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति को दे रही है ।

अध्यक्ष महोदय : ये कह रहे हैं कि क्या आप उन्हें सहायता दे रहे हैं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यदि समाज कल्याण बोर्ड को अधिक राशि दी जाये तो इस पर विचार हो सकता है ।

भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की बैठक

565. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की हाल की बैठक में क्या निर्णय लिये गये ; और

(ख) उन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया है ।

विवरण

(क) तथा (ख) 4 फरवरी, 1978 को केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री एच० एम० पटेल की अध्यक्षता में भारतीय वन्य प्राणी मण्डल का, जो देश में वन्य प्राणी संरक्षण के लिये शीर्ष परामर्शदायी संस्था है, 13वां अधिवेशन हुआ । अन्य बातों के अतिरिक्त, मण्डल की मुख्य सिफारिशें ये थी कि प्राकृति संरक्षण से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति तथा इसके क्रियान्वयन के

लिये एक नीति तैयार की जानी चाहिए। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिये एक सार्थक योजना के अनुसार देश में भूमि उपयोग से सम्बन्धित एक व्यापक नीति तैयार करने के लिये एक केन्द्रीय भूमि उपयोग आयोग की स्थापना के लिये कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) शीघ्र कदम उठाए। मण्डल ने वर्ष 1978-79 में जीव-जन्तुओं तथा पेड़-पौधों के निर्यात की नीति के सम्बन्ध में भी सिफारिशें की हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग हो और अत्याधिक उपयोग न हो।

28 मार्च, 1978 को सदस्यों को तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिये बैठक का कार्यवृत परिचालित किया गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा भी अब अपेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी।

श्री के० रामर्मूति : यह विवरण अधूरा है। मेरा प्रश्न यह था कि वन्य जीव बोर्ड की हाल की बैठक में क्या निर्णय लिये गये तथा इन्हें लागू करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं। मैंने वन्य जीवों तथा बोर्ड के निर्णय के बारे में प्रश्न किया था। बोर्ड की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह भी थी कि इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति बनायी तथा लागू की जाये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं।

श्री के० रामर्मूति : बोर्ड ने यह भी कहा है कि कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय को सेन्ट्रल लैंड यूज़ आयोग का गठन करना चाहिये जो देश के प्राकृतिक साधनों के बारे में योजना तैयार करे। भाग (ख) में यह भी कहा गया है कि कार्यवाही वृतान्त सब सदस्यों को भेज दिया गया है। मुझे यह पता नहीं है कि कार्यवाही वृत्तान्त की प्रतियां किस-किस सदस्य को भेजी गयीं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस सम्बन्ध में प्रश्न (क) तथा (ख) के उत्तर देखने से प्रतीत होगा कि राज्य सरकारों को अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिये बैठक का कार्यवृत परिचालित किया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा भी अब अपेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही की जायेगी।

श्री के० रामर्मूति : मंत्री महोदय मान गये हैं कि बोर्ड की सिफारिशें संरक्षण सम्बन्धी एक राष्ट्रीय नीति के अनुरूप थीं। भविष्य में इस प्रकार की नीति बनायी जायेगी। मेरा प्रश्न यह था कि बोर्ड के निर्णय क्या थे? इस प्रकार के कोई भी निर्णय नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : वे ही केवलमात्र निर्णय थे।

श्री के० रामर्मूति : इस सम्बन्ध में एक सामान्य नीति है जिसे लागू करने के लिये राज्य सरकारों को कहा गया है। मेरा अनुपूरक प्रश्न यह भी है कि 1978-79 के दौरान फौना और फलौरा के निर्यात के सम्बन्ध में क्या नीति है ताकि इन संसाधनों का वैज्ञानिक रूप से उपयोग किया जा सके। पिछले सप्ताह सरकार ने बंदरों का निर्यात बंद कर दिया है। क्या यह बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार हुआ है? निर्यात बंद करने के क्या कारण हैं?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं इसे समझ नहीं सका।

अध्यक्ष महोदय : बंदरों के निर्यात पर क्यों पाबंदी लगायी गयी।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इसके भी कई कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार किया गया ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : उन्होंने तो सामान्य सिफारिशें की थीं। इसके कई और कारण भी हैं। इस पर विचार हुआ और निर्णय किया गया कि इनके निर्यात पर पाबंदी लगायी जाये।

अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता

*566. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जनजातियों में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशतता बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में कितने स्कूल और कालेज चला रही है ;

(घ) वहां के स्कूलों और कालेजों में कुल कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं ; और

(ङ) अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बच्चों को शिक्षित कराने के लिए सरकार का विचार क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) तथा (घ) स्कूलों तथा कालेजों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों की वर्ष 1972-73 की कुल संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है। वे देश भर की संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं।

(ङ) पांचवीं योजना अवधि से संकेन्द्रित जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग उप-योजनाएं तैयार करने की नई प्रणाली के अन्तर्गत सम्पूर्ण जनजातीय विकास परियोजनाओं को तैयार करना आरम्भ किया गया है। इन परियोजनाओं के कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ, प्रशासन को सुदृढ़ बनाने, प्रोत्साहन, मध्याह्न भोजन, पाठ्य पुस्तकों तथा स्टेशनरी की निःशुल्क सप्लाई, छात्रावास की सुविधाएं, आश्रम स्कूल, छात्रवृत्तियां और अनौपचारिक शिक्षा की दिशा में विशेष प्रयत्नों की योजनाएं सम्मिलित हैं।

विवरण—1

सामान्य जनसंख्या तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बीच साक्षरता की दर, 1971 जनगणना

(0–4 आयु-वर्ग को छोड़कर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सभी समुदाय			अनुसूचित जनजाति		
	सभी व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	सभी व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)
भारत	29.45	39.45	18.69	*11.30	17.63	4.85
राज्य						
आंध्र प्रदेश	24.57	33.18	15.75	5.34	8.47	2.13
असम	28.15	36.68	18.63	20.67	29.78	11.19
बिहार	19.94	30.64	8.72	11.64	18.45	4.85
गुजरात	35.79	46.11	24.75	14.12	21.83	6.15
हरियाणा	26.89	37.29	14.89	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	31.96	43.19	20.23	15.89	26.25	5.53
जम्मू व काश्मीर	18.58	26.75	9.28	—	—	—
केरल	60.42	66.62	54.31	25.72	32.01	19.40
मध्य प्रदेश	22.14	32.70	10.92	7.62	13.05	2.18
महाराष्ट्र	39.18	51.04	26.43	11.74	19.06	4.21
मणिपुर	32.91	46.04	19.53	28.71	38.64	18.87
मेघालय	29.49	34.12	24.56	26.45	30.11	22.79
मैसूर (कर्नाटक)	31.52	41.62	20.97	14.85	21.71	7.67

1	2	3	4	5	6	7
नागालैंड	27.40	35.02	18.65	24.01	30.17	17.68
उड़ीसा	26.18	38.29	13.92	9.46	16.38	2.58
पंजाब	33.67	40.38	25.90	—	—	—
राजस्थान	19.07	28.74	8.46	6.42	12.03	0.49
सिक्किम	17.74	25.37	8.90	—	—	—
तमिल नाडु	39.46	51.78	26.86	9.02	13.34	4.48
त्रिपुरा	30.98	40.20	21.19	15.03	23.07	6.04
उत्तर प्रदेश	21.70	31.50	10.55	14.59	22.51	5.58
पश्चिम बंगाल	33.20	42.81	22.42	8.92	14.49	3.09
संघ शासित क्षेत्र						
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	43.59	51.64	31.11	*17.85	24.14	11.17
अरुणाचल प्रदेश	11.29	17.82	3.71	5.20	8.72	1.70
चण्डीगढ़	61.56	66.97	54.35	—	—	—
दादरा तथा नागर हवेली	14.97	22.15	7.84	8.90	15.30	2.59
दिल्ली	56.61	63.71	47.75	—	—	—
गोवा, दमन व दीव	44.75	54.31	35.09	12.73	20.33	5.08
लकादीव, मिनीकाय तथा अमीनदीव द्वीपसमूह	43.66	56.48	30.56	41.37	54.06	28.94
मिजोरम	53.79	60.49	46.71	53.49	60.24	46.88
पांडिचेरी	46.02	57.29	34.62	—	—	—

*नोट:—भारत तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों के आंकड़ों में उन द्वीप समूहों के जरावास और सेटाइनलिस जनजातियां शामिल नहीं हैं। इन जनजातियों के लोगों से सम्पर्क नहीं किया जा सका। अतः 1971 जनगणना में इनमें संबंधित कोई सूचना एकत्र नहीं की जा सकी।

विवरण—2

संस्थाओं की किस्म के अनुसार अनुसूचित जनजाति के दाखिल छात्रों की संख्या, 1972-73

क्रम संख्या	संस्था की किस्म	दाखिले की संख्या		
		लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5
1.	पूर्व प्राथमिक विद्यालय	8,915	8,762	17,677
2.	प्राथमिक/जूनियर बेसिक विद्यालय	18,79,021	8,37,857	27,16,878
3.	मिडिल/सीनियर बेसिक विद्यालय	5,77,591	2,44,546	8,22,137
4.	उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	2,71,030	82,169	3,53,199
5.	व्यावसायिक विद्यालय	4,607	1,965	6,550
6.	विशेष शिक्षा विद्यालय	586	66	652
7.	अन्य शैक्षिक विद्यालय	33,171	10,532	43,703
8.	कुल (विद्यालय)	27,74,921	11,85,875	39,60,796
9.	सामान्य शिक्षा के कालेज	35,355	7,010	42,365
10.	व्यावसायिक तथा अन्य शिक्षा के कालेज	9,889	2,023	11,912
11.	विश्वविद्यालय (इत्यादि)	1,038	270	1,308
12.	कुल (कालेज तथा विश्वविद्यालय)	46,282	9,303	55,585
	कुल जोड़	28,21,203	11,95,178	40,16,381

श्री कंवर लाल गुप्त : प्रश्न के भाग (ग) के अनुसार मैं जानना चाहता था कि इन क्षेत्रों में कितने स्कूल तथा कालेज हैं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह विषय राज्य सरकार का है। सूचना एकत्र नहीं हो सकी। माननीय सदस्य चाहें तो मैं एकत्र करके सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह एक गम्भीर मामला है। यदि मंत्री महोदय सूचना एकत्र नहीं कर सकते तो मैं नहीं जानता कि क्या कहूं।

इन्होंने 1972–73 के आंकड़े दिये हैं। मैंने वर्तमान आंकड़े मांगे थे। पिछले आंकड़ों का क्या लाभ है। इन क्षत्रों में कोई कालेज नहीं है। यह वर्ग बहुत ही अपेक्षित है। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं क्यों उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : ये कह रहे हैं कि सूचना एकत्र करके सभा पटल पर रख दी जाएगी। आप अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री कंवर लाल गुप्त : देश भर में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की जनसंख्या 6 करोड़ है। विवरण में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 30 वर्षों के दौरान इन जातियों के लिए क्या कुछ किया गया। क्या अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी जायगी या केन्द्रीय सरकार स्वयं इस बारे में पहल करेगी। उनके लिये विशेष कोचिंग की सुविधाएं भी होनी चाहिए ताकि इनकी नियुक्ति आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० में हो सके।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : हम इन जातियों के हितों के बारे में जागरूक हैं। यह ठीक है कि प्रतिशत बहुत कम है। इसी कारण हम विशेष समेकित आदिवासी विकास परियोजना चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ संस्थाओं में विशेष कोचिंग की जाती है। इन विद्यार्थियों का स्तर ऊंचा करने के लिए हम उचित विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने पूछा है कि क्या आप नि:शुल्क शिक्षा देने जा रहे हैं?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : कुछ स्थानों पर कुछ अवस्थाओं तक नि:शुल्क है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने एम० ई० फाईनल तक पूछा है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : सामान्य नि:शुल्क शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन इन जातियों के विद्यार्थियो को विशेष वजीफे दिये जाते हैं जिसके लिये विशेष नियम बनाये गये हैं। लेकिन माननीय सदस्य चाहें तो मैं सूचना उपलब्ध कर दूंगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय इस प्रश्न की गम्भीरता को समझते हैं। अंडमान के आदिवासी बाइसिकल भी नहीं पहचान सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार केरल में साक्षरता 5 प्रतिशत, आंध्र में 25 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 7 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 11 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल में 8 प्रतिशत है। अतः स्थिति बहुत खराब है। अत: चालू वर्ष में अनुसूचित जातियों के लोगों की उचित शिक्षा के लिए आप कौन से उपाय कर रहे हैं। क्या उस कार्य हेतु संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जायेगी?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले गृह मंत्री जी देखते हैं। गृह मंत्री जी ने शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और हाल ही में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में लोगों की शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए एक दल वहां भेजा है। कुछ रचनात्मक उपाय अवश्य किये जाएंगे। एक उपाय एकीकृत जनजाति विकास परियोजना है। दोनों मंत्रालय इस योजना में सुधार के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : समिति के बारे में क्या विचार है? क्या जनजातियों की शिक्षा के लिए संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जायेगी?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह आवश्यक नहीं क्योंकि हमें स्थिति का पूरा पता है और हम कदम उठा रहे हैं।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

अ० सू० प्र० 3. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट सर्कस, नई दिल्ली, के निकट शापिंग काम्पलैक्स के निर्माण में गम्भीर अनियमितताएं और अवैधताएं पाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कतिपय अनियमितताएं सरकार के नोटिस में लायी गई हैं जो विचाराधीन हैं। अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) (i) परामर्श के अवार्ड के लिए कोई टेण्डर आमन्त्रित नहीं किए गए थे।

(ii) ठेके के अवार्ड के पीछे बेईमानी की भावना निहित थी; तथा

(iii) बृहत् योजना और दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री जी द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार सन्दर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सरकार के 2 करोड़ रुपये व्यर्थ गये जिसमें से काफी पैसा कई व्यक्तियों की जेब में चला गया? संजय गांधी की मारुति के ठेकेदार प्रधान घोष एण्ड एसोसियेट्स इस मामले से सम्बद्ध हैं।

अन्य व्यक्ति इस घपले में ये हैं श्रीमती विद्या बहन शाह, नई दिल्ली नगरपालिका की तत्कालीन प्रधान, श्री वी० एस० एलावड़ी, आपात काल में सदस्य सचिव न० दि० नगर पालिका, श्री वासुदेव, मुख्य वास्तुविद्, श्री वी० पी० चेतल, वित्तीय सलाहकार, श्री एम० पी० सचदेव, मुख्य इंजीनियर, इलैक्ट्रीकल और श्री एस० एस० गोयल।

मंत्री जी ने कहा है कि परामर्श के एवार्ड के लिए टेण्डर नहीं मंगाये गये। लेकिन अन्य बहुत से लाभकारी मामलों जैसे वातानुकूलन, सिविल निर्माण कार्यों, पानी सप्लाई, आदि के लिए भी टेण्डर नहीं मांगे गये। विशिष्टियों में परिवर्तन किया गया और प्रायोजना की रिपोर्ट कार्य आरम्भ करने से पूर्व तैयार नहीं की गई।

निर्माण और आवास मंत्रालय में कई अधिकारी जो आपातकाल में इस मामले में सक्रिय सहयोगी थे, अब मामले को दबाने और उसे कमजोर बनाने में लगे हुए हैं। क्षेत्रीय विकास समिति और मास्टर प्लान के अनुसार इसे हरित क्षेत्र होना चाहिये था और भूमि के नीचे 1400 कारों के ठहरने की व्यवस्था होनी थी क्योंकि वहां इसके लिए जगह अपर्याप्त है। केनारा बैंक पर अग्रिम ऋण देने के लिए जोर दिया गया। आपातकाल के बाद उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया है। अब सारी बात दिल्ली प्रशासन पर आ गई। श्री नवीन चावला और श्री हीरा सिंह के कारण प्रशासन ने उसे मंजूर कर दिया। नगर कला आयोग की मंजूरी भी नहीं ली गई। अब जनपथ के दुकानदार वहां नहीं जा रहे क्योंकि हरएक दुकान का किराया रु० 1500/ है। दुर्विनियोग के बहुत से मामले हैं। इससे यातायात की भी काफी समस्याएं पैदा हुई हैं।

इस कार्य की जांच कब शुरू हुई है। क्या सरकार को रिपोर्ट मिल गई है यदि हां तो कब और कितने सम्बद्ध अधिकारियों को निलम्बित किया गया है? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

श्री सिकन्दर बख्त: पहले जांच जून 1977 में श्री युसुफजई द्वारा शुरू की गई थी। बाद में अक्तूबर, 1977 में यह काम श्री डी० के० दास, सभापति, नगर कला प्राधिकरण को स्थानान्तरित कर दिया गया। श्री दास ने कई निष्कर्ष निकाले हैं। उन्होंने बताया है कि टैण्डरों के मांगने और मैसर्स प्रधान घोष एण्ड एसोसियेट्स को, जो बाद में पता लगा कि मारुति लि० से सम्बन्धित थे, काम सौंपने में बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। उन्हें बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि मेरा पक्का विश्वास है कि वास्तव में यह प्रधान घोष एण्ड एसोयिसियेट्स की ही परियोजना थी जिसे अब नई दिल्ली नगरपालिका ने 2 करोड़ की लागत से ज्यों त्यों करके बनाया है।

दिल्ली नगर कला आयोग ने जनवरी, 1977 में पूछे जाने पर बताया कि नगरपालिका ने काम पहले ही शुरू कर दिया था। अतः उन्होंने जांच पड़ताल करने को व्यर्थ समझा।

नामों के बारे में इतना ही कहना है कि श्री संजय गांधी के नाम को छोड़कर शेष सभी नाम दास समिति की रिपोर्ट में आये हैं। श्री संजय गांधी का नाम इतना ही आया है कि ठेकेदार मारुति लि० से सम्बद्ध थे।

भूमि के प्रयोग के लिए बहुत देर बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुमति हेतु आवेदन किया गया था लेकिन उन्होंने अनुमति के बारे में कुछ नहीं बताया।

श्री ज्योतिर्मय बसु: उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गये थे और सिद्ध हो चुके हैं? उन्हें निलम्बित क्यों नहीं किया गया? इस परियोजना में 2 करोड़ का घपला है, जिसका लाभ श्री संजय गांधी और प्रधान घोष एण्ड एसोसियेट्स को मिलने की योजना थी।

श्री सिकन्दर बख्त : दिल्ली प्रशासन ने विचार व्यक्त किया है कि दंड विधि के अधीन और जांच जरूरी है। ताकि पता चले कि समिति ने किन परिस्थितियों में कार्य किया। इस बारे में दिल्ली प्रशासन ने गृह मंत्रालय को 15/16 फरवरी, 1978 को एक पत्र लिखा हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसे कितने अधिकारी इस समय रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं जो आपातकाल में उसी मंत्रालय में थे?

श्री सिकन्दर बख्त: खेद है कि मैं अभी सारे विवरण नहीं दे सकता। मुझे सूचना चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह धोखाधड़ी और दुर्विनियोग का स्पष्ट मामला है । सम्बन्धित व्यक्ति ने कहा है कि उसमें बेईमानी की भावना निहित थी। आप अधिकारियों को सीधे ही निलम्बित क्यों नहीं करते। क्या सी० बी० आई० को तत्काल जांच के लिए मामला सौंपा जायेगा ताकि साक्ष्य बर्बाद न किया जा सके? आप गृह मंत्रालय या दिल्ली प्रशासन आदि द्वारा मामले के अध्ययन की बात क्यों कर रहे हैं?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं इन दोनों का उत्तर पहले दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह श्री बसु के प्रश्न के उत्तर में जवाब दे चुके हैं। उन्होंने मामला विचाराधीन बताया है।

SHRI VIJAI KUMAR MALHOTRA : There is no doubt as is seen from the report that lot of misappropriation has taken place. It is a scandal. The involved persons are going scot free :

अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न है।

श्री कंवर लाल गुप्त : एक वर्ष हो गया और कोई कार्यवाही नहीं की गई।

SHRI VIJAI KUMAR MALHOTRA : This impression is gaining ground that the involved persons are being saved as action is being delayed against the persons condemned by the Shah Commission. Cases should be registered against those who are involved. The same persons are sitting in the Home Ministry and in case of further enquiry they will try to weaken the case.

SHRI SIKANDAR BAKHT : Evidence is required for prosecution. It is wrong to think that wrong doers are being shielded. We will take the next step after collecting good deal of evidence.

श्री कंवर लाल गुप्त : उन अधिकारियों को निलम्बित किया जाए। वे गृह मंत्रालय में पहुंच वाले हैं तभी कार्यवाही नहीं हो रही।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अधीन पत्र

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) वाटर एण्ड पावर डेवलपमेंट कन्सल्टेंसी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वाटर एण्ड पावर डेवलपमेंट कन्सल्टेंसी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी०** 1981/78]।

श्री सिकन्दर बख्त: यदि हस्तक्षेप न हो तो मैं बता दूं कि नगरपालिका के सभी सम्बन्धित अधिकारी अब पहले वाली स्थिति में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह काफी नहीं।

व्यवधान

श्री कंवर लाल गुप्त: कुछ अधिकारी तो पदोन्नत किए गए हैं और उनकी स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो गई है। आप उन्हें निलम्बित क्यों नहीं करते?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने सभा की भावना को समझ लिया है और मुझे विश्वास है कि वह उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त: वह सभा को आश्वासन दें।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये।

****श्री कंवर लाल गुप्त**
****श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री सिकन्दर बख्त

}: इन अधिकारियों को निलम्बित करने का काम दिल्ली प्रशासन का है। मैं सदस्यों की भावना प्रशासन तक पहुंचा दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विषय : दिल्ली दुग्ध योजना के भंडारों का सत्यापन

555. **श्री शिव नारायण सरसूनिया**: क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद में दिये गए आश्वासन के आधार पर दिल्ली दुग्ध योजना के भंडारों का विशेष वास्तविक सत्यापन करने के लिए वर्ष 1970-71 में अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया गया था;

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।
Not recorded.

(ख) यदि हां, तो उनका प्रतिवेदन क्या था;

(ग) क्या उन्होंने भंडारों और उनके लेखे के रख-रखाव में कोई गम्भीर अनियमितताएं पाई थीं;

(घ) यदि हां, तो वे अनियमितताएं क्या थीं; और

(ङ) क्या इसके लिये किसी पर जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; यदि हां, तो कौनसा व्यक्ति जिम्मेदार पाया गया और उसके/उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) तक : समिति द्वारा दो प्रकार की असमानताएं बताईं, जो निम्न प्रकार थी :—

(1) विभिन्न भंडारों के बही खातों की मात्रा के अनुसार दिखाई गई शेष मात्रा में और यथार्थ तथा वास्तविक जांच करने पर मौजूदा उपलब्ध मात्रा में पाई गई असमानता; और

(2) सामान्य वही खाते और भंडार के कीमत वाले बहीखाते में दिखाए गए मूल्य में असमानता।

(ङ) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(च) इस समय प्रश्न ही नहीं होता।

टिड्डियों का खतरा

553. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि और सिंचाइ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 फरवरी 1978 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित "भारत को टिड्डी दल के आक्रमण का भारी खतरा" (विग लोकस्ट थ्रेट टू इण्डिया) शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस खतरे का सामना करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :(क) जी हां।

(ख) हार्न आफ अफ्रीका, सऊदी अरब तथा नार्थ येमन में टिड्डी दलों के जमा होने से पैदा होने वाली स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं। अथवा करने का प्रस्ताव है :—

(1) भारत सरकार के टिड्डी दल चेतावनी संगठन को जो टिड्डियों के नियन्त्रण के लिए जिम्मेवार है, सावधान कर दिया गया है। इस संगठन के द्वारा की गई तैयारियों की स्थिति की वनस्पति रक्षण निदेशालय के मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

(2) मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी टिड्डी संगठन की तैयारियों की स्थिति का पुनः अवलोकन करने तथा टिड्डी दलों के खतरे का सामना करने के लिए सभी प्रबन्धों में तीव्रता लाने के लिए देश के अनुसूचित मरु टिड्डी क्षेत्रों का शीघ्र ही दौरा करेंगे।

(3) यदि इस प्रकार का खतरा पैदा होता है तो उसका सामना करने के लिए ऐसे प्रबन्ध कर दिए गए हैं जिनसे कि कृषि मन्त्रालय का कृषि विमानन स्कंध भू-एककों के साथ प्रभावी सहयोग कर सके।

(4) उन पड़ोसी देशों से जिनके इस प्रकार के खतरे से प्रभावित होने की आशंका है, सहयोग मांगा जा रहा है ताकि स्थिति का दृढ़ता से सामना किया जा सके और एक दूसरे को नवीनतम हालातों से अवगत कराया जा सके।

(5) सम्बन्धित सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों में पैदा होने वाले टिड्डियों के बच्चों की समस्या पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु खाद्य तथा कृषि संगठन से अनुरोध किया गया है ताकि अन्य क्षेत्रों में उनके फैलाव को रोका जा सके।

(6) इन देशों में स्थित भारतीय मिशनों/दूतावासों के साथ भी संबंध स्थापित करके यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे कारगर ढंग से कार्यवाही करने तथा हमें पूर्णरूपेण सूचित रखने के लिए संबंधित सरकारों के साथ यह मामला उठाएं।

(7) सूचना तथा प्रबोधन प्रणाली में तीव्रता लाई जा रही है।

(8) सम्बन्धित राज्य सरकारों को सावधान कर दिया गया है।

स्कूलों में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना

*560. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया है कि देश में स्कूलों में मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) क्या शिक्षा मंत्रालय ने यह प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा. प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) से (ख) भारतीय विश्वविद्यालय संघ के 53वें वार्षिक सम्मेलन, जो जनवरी, 1978 में राजकोट में हुआ था, के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श के दौरान प्रधानमंत्री ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि शिक्षा के माध्यम से रूप में मातृभाषा को अपनाने की प्रक्रिया पांच वर्ष में पूरी हो जानी चाहिए। सम्मेलन के अन्त में कुलपतियों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि

अवर-स्नातक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 350-क के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य और राज्य के प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का यह प्रयास होगा कि भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। अन्यथा, अधिकांश छात्रों के लिए क्षेत्रीय भाषा ही मातृभाषा होगी। कुल मिलाकर, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्कूल स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाएं पहले से ही शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रचलित हैं। 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प में भी इस तथ्य को नोट किया गया था। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और मुख्य मंत्रियों के 1961 के सम्मेलन द्वारा विकसित त्रिभाषा सूत्र में भी यह व्यवस्था की गई थी कि मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा को कक्षा एक से पढ़ाया जाए।

दण्डकारण्य में सड़क संचार

564. **श्री गणनाथ प्रधान:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना में सड़क संचार का विकास करने और उड़ीसा के कोरापुट जिले में मल्कानगिरि से पाड़िया बरास्ता सिखपाली, पाड़िया से मोटो बरास्ता गोरखपाली, पाड़िया से कालीमेला, कालीमेला से मोटो बरास्ता मानम्कन्दा तक नई सड़कों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) दण्डकारण्य परियोजना द्वारा मल्कानगिरि से सिखपाली पर मल्कानगिरि पाड़िया सड़क का पक्की सड़क के रूप में विकास किया गया है। सिखपाली से पाड़िया तक सम्पर्क सड़क के नमूने के अनुसार सुधार किया गया है और पाड़िया से मोटो बरास्ता गोरखपाली और कालीमेला से मोटो बरास्ता मानेम्कन्दा सड़कों का भी सम्पर्क सड़कों के नमूनों के अनुसार निर्माण किया गया है। पाड़िया से कालीमेला तक जल बद्ध 'मेकाडेम रोड' का, पक्के पुलों तथा पुलियों सहित विकास किया गया है। इन सभी सड़कों की देखभाल दण्डकारण्य परियोजना द्वारा की जा रही है।

चूंकि ये सड़कें बना दी गई हैं और इनकी देखभाल की जा रही है अतः इनके निर्माण के बारे में किसी प्रकार के व्यय के अनुमान का प्रश्न ही नहीं उठता।

केसीन का आयात

*567. **श्री चरू लाल हेमराज जैन:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन डेरी कारपोरेशन को केसीन का आयात करने की अनुमति दी गई है/दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि देश में कैसीन का कुटीर उद्योग में छोटे किसानों द्वारा उत्पादन किया जाता है;

(ग) क्या देश में स्वदेशी केसीन की कोई कमी है;

(घ) यदि नहीं, तो केसीन का आयात करने और छोटे किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा कर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बरबाद करने की क्या आवश्यकता है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि केसीन के देश में ही उपलब्ध होने के कारण विगत 25 वर्षों से अधिक की अवधि से भारत में केसीन का आयात नहीं किया गया है; और

(च) क्या इंडिया डेरी कारपोरेशन को अब केसीन का आयात करने से रोकने का सरकार का विचार है?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। 1977-78 की आयात व्यापार नियन्त्रण नीति के अनुसार "वास्तविक उपभोक्ताओं" की आवश्यकता की पूर्ति हेतु केसीन के आयात के लिए भारतीय डेरी निगम को कैनालाइजिंग एजेंसी बना दिया गया है।

(ख) केसीन का कुटीर उद्योग में, और बड़े डेरी संयन्त्रों में भी, उत्पादन किया जाता है।

(ग) सरकार को किसी कमी के बारे में जानकारी नहीं है।

(घ) 1977-78 में भारतीय डेरी निगम "वास्तविक उपभोक्ताओं" द्वारा निवेदित निर्दिष्ट विशिष्टताओं वाले केसीन का आयात कर रहा था।

(ङ) जी नहीं, "वास्तविक उपभोक्ताओं" द्वारा साधित खाद्यों के निर्माण के लिए एक उपादान के तौर पर केसीन का आयात किया जा रहा था।

(च) सरकार ने भारतीय डेरी निगम को केसीन के आयात के लिए आगे कोई कार्यवाही न करने का परामर्श दिया है।

दिल्ली में भूमि के मूल्यों में वृद्धि

*568. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में हाल ही में भूमि के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्राइवेट पार्टियों द्वारा इस समय बेचे जा रहे राजधानी की विभिन्न कालोनियों में रिहायशी प्लाटों के मूल्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भूमि के अधिक मूल्यों का कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिक मूल्यों पर प्लाटों का बेचा जाना है;

(घ) गत पांच वर्षों में प्रत्येक कालोनी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बेचे गये प्लाटों/फ्लैटों के मूल्य क्या हैं; और

(ङ) दिल्ली में भूमि के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) प्राइवेट पार्टियों द्वारा बेची जा रही भूमि की कीमत में 1975-76 और 1977-78 के दौरान वृद्धि हुई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी के संबंध में 1977 और 1978 के मध्य भूमि की कीमत में सामान्यतया कोई वृद्धि नहीं हुई जैसे कि भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण से पता चलता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2002/78।**]

(ख) प्राइवेट पार्टियों द्वारा बिक्री के संबंध म एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा है।

(ग) जी. नहीं।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी में सामान्यतया कीमत में वृद्धि नहीं हुई है। सरकार राजधानी में भूमि की कीमत पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठी रही है :—

(i) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत रिहायशी प्लाटों के मामले में उदारतापूर्वक छूट देना ताकि अधिक से अधिक मकान बना सकें जिससे भूमि की लागत (कीमत) कम हो जाएगी।

(ii) जनता के लिए अधिक से अधिक मकान उपलब्ध करने के लिए लोक निर्माण विभाग/नई दिल्ली नगरपालिका/दिल्ली नगर निगम का मकान बनाने का प्रस्ताव है।

(iii) ग्रुप हाउसिंग की गतिविधियों को उत्साहित करने का प्रस्ताव है। दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रतिवर्ष 10 हजार मकान बनाने का लक्ष्य है जिसका भूमि की कीमतों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

शोध छात्रों पर व्यय

*569. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि कुछ संस्थाओं में उन शोध छात्रों पर लाखों रुपये व्यय किये जा रहे हैं जिन्होंने कोई भी शोध कार्य प्रस्तुत नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं; ऐसे छात्रों की संख्या क्या है और उन पर कितना धन व्यर्थ में व्यय किया गया; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला ने अपनी स्थापना के बाद 152 विजिटिंग अधिछात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। इनमें से 75 ने, जिन्होंने अपनी अवधि पूरा कर ली थी और संस्थान छोड़कर चले गये थे, कोई कार्य प्रस्तुत नहीं किया है। उनको भुगतान की गई राशि लगभग 23.00 लाख रुपये से अधिक है।

(ग) सरकार ने संस्थान के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही मिलने की आशा है।

दिल्ली में यमुना नदी पर उपरि पुल

*570. **श्री किशोर लाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए "मास्टर प्लान" में दिल्ली में शान्तिवन के निकट यमुना नदी पर एक उपरि पुल बनाने का प्रस्ताव शामिल था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है और यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 29 मार्च, 1975 की अधिसूचना द्वारा दिल्ली की वृहत योजना को संशोधित किया गया था और उसमें यह उल्लेख किया गया था कि शान्तिवन के समीप यमुना पर सड़क पुल बनाने को समाप्त किया जाए।

FOUR-YEAR HINDI COURSE IN REGIONAL EDUCATIONAL, COLLEGE, BHOPAL

†*571. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the efforts being made by Government to introduce a four-year Hindi course in the Regional Education College, Bhopal, which is in the Hindi speaking area; and

(b) whether it is a fact that the 4-year Hindi course has been neglected in the college so far?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER(: (a) There is no proposal to introduce a 4-year Hindi course in the Regional College of Eudcation, Bhopal. However, there is a one year B.Ed. course in Hindi.

(b) Does not arise.

भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता

*572. **डा० बापू कालदाते**
श्री आरसें के० महालगी } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम को कुल कितनी राजसहायता दी गई है;

(ख) इस अवधि के दौरान राजसहायता के उपयोग संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को अयुक्तिसंगत प्रयोजन पर राजसहायता के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम को 1977–78 में (1) भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों की इकानामिक लागत और सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य के बीच अन्तर और (2) बफर स्टाक को रखने की लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में कुल 478.775 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नलकूपों वाले किसानों पर कम लेवी के बारे में केन्द्रीय निदेश।

573. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ नये निदेश दिये हैं कि सार्वजनिक सिंचाई प्रणाली पर निर्भर रहने वाले किसानों की अपेक्षा अपने स्वयं के नलकूपों वाले किसानों से कम लेवी ली जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली में किराया नियन्त्रण सम्बन्धी मुकदमों का निपटान

5214. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की निचली (लोअर) अदालतों में निर्णयाधीन पड़े मुकदमों के शीघ्र निपटाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) किराया नियन्त्रण के मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए, दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 में संशोधन करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है ताकि अतिरिक्त किराया नियन्त्रण ट्रिब्यूनल का नियुक्ति की जा सके ।

SUBSIDY TO SMALL FARMER

5215. SHRI RAJ KESHAR SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to ensure irrigation facilties through subsidy or under other schemes to small farmers in areas in the plains and hills during the first year of sixth Five Year Plan;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the targets fixed under these schemes?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) : Yes Sir; a proposal to make subsidy available under the Centrally Sponsored Scheme to Small and marginal farmers for providing minor irrigation works outside the areas covered under Central Sector Projects such as Small Farmers Development Agency (SFDA), Drought Prone Area Programme (DPAP), Integrated Tribal Development Programme (ITDP) and Command Area Development (CAD) programme are under consideration during the 6th Five Year Plan.

(b) & (c) : The details and the targets etc. are under consideration.

दक्षिणी राज्यों में हिन्दी का प्रयोग

5216. **श्री पी० राजगोपालन नायडु** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी राज्यों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये है ; और

(ख) वर्ष 1977-78 में इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) इस मंत्रालय द्वारा, दक्षिणी राज्यों सहित, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी की प्रोन्नति के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में चल रहे कुछेक मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित है :—

(i) अहिन्दी भाषी राज्यों के लिए हिन्दी शिक्षकों की व्यवस्था ?

(ii) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों का प्रशिक्षण ;

(iii) हिन्दी के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्ताय सहायता ;

(iv) अंग्रेजी तथा तमिल के माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी का शिक्षण मलयालम के माध्यम से भी शिक्षण शुरु किया जा रहा है ; और

(v) उत्तर मैट्रिक स्तर पर हिन्दी लेने के लिए छात्रवृत्ति ।

(ख) 1977-78 के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रम के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी प्रोन्नति पर किए गए कुल व्यय में से, दक्षिणी राज्यों के लिए किए गए बिल्कुल सही व्यय भाग का बताना संभव नहीं है ।

चीनी खांडसारी तथा गुड़ का उत्पादन

5217. **श्री पवित्र मोहन, प्रधान :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1976-77 के दौरान चीनी, खांडसारी तथा गुड़ का पृथक-पृथक कितना-कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) देश में आन्तरिक खपत के लिये कुल कितनी मात्रा आरक्षित की गई और कितनी मात्रा के निर्यात की अनुमति दी गई ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) :(क) चीनी वर्ष 1976-77 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी का उत्पादन 48.43 लाख मीटरी टन और गुड़ तथा खंडसारी का उत्पादन 88.49 लाख मीटरी टन हुआ था ।

(ख) चीनी वर्ष 1976-77 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी की आन्तरिक खपत और निर्यात क्रमशः 37.53 लाख मीटरी टन और 3.12 लाख मीटरी टन था । गुड़ का निर्यात नाम मात्र था, उक्त वर्ष के दौरान गुड़ और खांडसारी के लगभग सारे उत्पादन की खपत देश में हुई थी ।

गोआ विश्वविद्यालय की स्थापना

5218. **श्री अमृत कासर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया है और छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए व्यय सम्मिलित नहीं किया गया है? और

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को छोड़ने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

DILAPIDATED CONDITION OF RANTHAAMBHAVGARH FORT IN SAWAI MADHOPUR

5219. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Ranthaambhavgarh Fort in Sawai Madhopur (Rajasthan) is in a dilapidated condition;

(b) whether Government have improved the condition of many old Forts in the country by carrying out repairs to them and preserved their ancient character and if so, whether Government would take action to repair and preserve Ranthaambhavgarh Fort;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) No, Sir.

(b) & (c) The Government have improved the condition of many Centrally protected forts in the country. Ranathambhore Fort, being a Centrally protected monument, is also receiving regular attention by way of structural repairs and general maintenance.

(d) Does not arise.

केन्द्रीय मन्त्रियों के बंगलों के रख-रखाव पर व्यय

5220. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री केन्द्रीय मन्त्रियों के निवास स्थानों के रख-रखाव पर हुए व्यय के बारे में 6 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1866 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 में केन्द्रीय मन्त्रियों के निवास स्थानों के रख-रखाव पर व्यय के लिये 6.13 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो मन्त्रि-मण्डाल स्तर के मन्त्रियों तथा राज्य-मन्त्रियों के बंगलों पर पृथक-पृथक, कितनी-कितनी राशि व्यय होगी; और

(ख) क्या गत लोक सभा चुनाव में दिये गये इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई गई है कि मन्त्री बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करेंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) वर्ष 1978-79 के दौरान 6.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था सभी रिहायशी भवनों के बारे में करने के लिए कहा गया है और न कि केवल मन्त्रियों के मकानों के लिये।

(ख) मन्त्रियों के लिये 3000 वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्र के बंगले निर्माण करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है, इसमें कार्यालय, ब्लाक, गैराज और सर्वेन्ट क्वार्टर शामिल नहीं हैं।

आपात काल के दौरान अध्यापकों के साथ की गई ज्यादतियां

5221. श्री धर्मवीर सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात काल के दौरान अध्यापकों के लिए बनाई गई आचार संहिता सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में समाप्त कर दी गई है; यदि नहीं, तो किस राज्य में और किन कारणों से; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन अध्यापकों के प्रति की गई ज्यादतियों अथवा उनकी स्थितियों में की गई विकृतियों को दूर करने और फिर से वही पुरानी स्थिति लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली शिक्षा निदेशालय में सहायक निदेशक/शिक्षा अधिकारियों के रिक्त स्थान

5222. **श्री पायस टिर्की :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय में एक वर्ष से भी अधिक से सहायक निदेशक/शिक्षा अधिकारियों तथा अन्य ऐसे ही 12 समान पद रिक्त पड़े हुये हैं और योग्य प्रत्याशियों की पदोन्नति करके ये पद भरे नहीं गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन पदों को भरने में कितना समय लगेगा और इन पदों पर चयन करने के लिए क्या मापदंड अपनाया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस समय सहायक निदेशकों/शिक्षा अधिकारियों के 7 पद खाली हैं। निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार, इनमें 6 पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं और एक पदोन्नति द्वारा। इन पदों को भरने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

RICE, WHEAT AND BAJRA DAMAGED IN F.C.I. GODOWNS, GUJARAT

5223. SHRI DHARAMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the quantity and value of rice, wheat and bajra damaged in godowns of the Food Corporation of India in Rajkot, Jamnagar, Junagadh, Bhavnagar, Surendranagar, Amreli, Kutch and other districts of Saurashtra region in Gujarat till 31st March, 1978;

(b) the causes thereof; and

(c) how the damaged stock of rice, wheat and bajra has been utilised or is proposed to be utilised and when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) A quantity of 0·5 tonnes of wheat valued at Rs. 655/- and a quantity of 3·9 tonnes of wheat valued at Rs. 4964·75 was damaged only in the godwons at Surendranagar and Navlakhi respectively.

(b) The stocks were damaged due to seepage and heavy rains.

(c) The wheat damaged at Surendranagar has been disposed of as Catlle Poultry feed to State Government agencies and the wheat damged at Navalakhi is being disposed of in the same manner.

मिजोरम में पयेजल की सप्लाई की समस्या

5224. डा० आर० रोथुअम: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार इस कटु तथ्य से अवगत है कि केन्द्र में भूतपूर्व कांग्रेस शासन के 30 वर्षों के दौरान मिजोरम में लगभग 800 गांवों में से केवल 4 गांवों को पाइप द्वारा पानी की सप्लाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई जनता सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर सम्पूर्ण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पानी की सप्लाई की गम्भीर समस्या है, पेयजल की सप्लाई की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देगी; और

(ग) नई जनता सरकार ने विशेषकर मिजोरम में इस गम्भीर समस्या से निपटने के लिए क्या केन्द्रीय सहायता दी है अथवा देने का विचार है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) संघ राज्य क्षेत्र की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च, 1977 के अन्त तक गत 30 वर्षों में 10 गांवों और एक नगर में नलों द्वारा जलपूर्ति सुविधाएं प्रदान की गईं। अन्य 15 शहरों में 15 जलपूर्ति योजनाओं और एक गांव में एक संवर्द्धन योजना आरम्भ की गई किन्तु उक्त अवधि के दौरान उनका कार्यान्वियन नहीं हो पाया।

(ख) देश के समस्याग्रस्त गांवों में शुद्ध पीने का पानी मुहैय्या करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने जून, 1977 के बाद विशेष ध्यान दिया है। भारत सरकार ने इस प्रयोजन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को (मिजोरम सहित) शत प्रतिशत सहायता अनुदान देने के लिए 1977–78 में एक त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम चलाया है।

उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और नागालैण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल पूर्ति योजनाओं के लिए अलग से विनिर्दिष्ट सहायता निर्धारित की गई।

(ग) इस कार्यक्रम के अधीन समस्या ग्रस्त गांवों की जलपूर्ति की अनुमोदित योजनाओं के निष्पादन/पूर्ण करने के लिए 1977–78 के दौरान मिजोरम सरकार को शत प्रतिशत अनुदान के रूप में 15 लाख रु० की राशि दी गई। राज्य क्षेत्र में मिजोरम की ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के लिए दिये गये 65 लाख रु० के अलावा मिजोरम को केन्द्रीय सहायता भी दी गई।

बेहतर किस्म के बीजों का उत्पादन तथा वितरण।

5225. श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समयवद्ध और समुचित वितरण व्यवस्था के साथ देश में बेहतर किस्म के बीजों का उत्पादन करने का कोई निश्चित कार्यक्रम/योजना बनाई है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए बेहतर किस्म के बीजों का उत्पादन करने हेतु कुछ राज्यों में मिट्टी का परीक्षण किया गया है; और

(ग) क्या पंजाब में भी बीजों का उत्पादन करने की व्यवस्था की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम तैयार किया है।

(ख) मृदा परीक्षण कृषि का एक ऐसा अभिन्न उपाय है जिसका राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। तथापि बीज उत्पादन के मामले में अन्य क्षेत्रों में प्राप्त कुल लाभों को ध्यान में रखते हुए ही राज्यों में क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है।

(ग) जी हां।

पलानी में विश्वविद्यालय

5226. **श्री के० ए० राजू** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि तिरुपति श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के मामले में किया गया था श्री धनाडायुथापानी स्वामी देवस्थानम, पलानी की धनाराशि से मदुरै जिले के पलानी में एक पृथक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें पता है कि विश्वविद्यालय बनाने तथा इस प्रकार मदुरै विश्वविद्यालय का वर्तमान बड़ा अधिकार क्षेत्र कम करने के विचार से पलानी में चार कालिज हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) : ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन नहीं है।

असलतपुर गांव, जनकपुरी, नई दिल्ली के नगरीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम

5227. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना के अधीन नगरीकृत गांवों के विकास के बारे में 25 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4620 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, नई दिल्ली में असलतपुर गांव के नगरीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत वहां सीवर लाइनें डालना और उसके आसपास की भूमि का विकास करना उसका एक आवश्यक भाग है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस कार्य को अब तक आरम्भ नहीं किया है जिससे इस गांव और इसके आसपास का क्षेत्र गन्दी बस्ती में बदल गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) असलतपुर गांव का विकास कार्य जिसमें सीवर लाइन डालना भी शामिल है यह कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण के नगरीकरण कार्यक्रम का एक अंग है ।

(ख) मौजूदा कुछ नालियों के अलावा ईंट खड़ंजा वाली सड़कों के अतिरिक्त एक शौचालय ब्लाक भी बनाया गया है ।

(ग) निधियों की कमी के कारण और गांव के विस्तार और अन्य अतिक्रमणों के कारण मूल विकास लक्ष्य में अनिवार्यतः संशोधन करने के कारण भी आगे विकास कार्य नहीं किया जा सका । जैसे निधियां उपलब्ध हो जाएंगी विकास कार्य शुरू कर दिया जाएगा ।

CENTRAL SANSKRIT INSTITUTES

†5228. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the number of Central Sanskrit Institutes in the country at present where Sanskrit teaching, study and research is being carried on;

(b) whether Government have any proposal to open such Central Institutes in the States which do not have them; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SMT. RENUKA DEVI BARAKATAKI) : (a) and (b) : There are five Kendriya Sanskrit Vidyapeethas which are constituent Institutions of the Rashtriya Sanskrit Sansthan, an autonomous body set up by the Ministry of Education and Social Welfare. These Vidyapeethas are located at Jammu, Delhi, Allahabad, Puri and Tirupati. Recently, the Ministry has also decided to take over the Guruvayoor Sahitya Deepika Sanskrit Vidyapeetha in Kerala as the Kendriya Sanskrit Vidyapeetha under the Sansthan. No other proposal is under consideration.

(c) : It is felt that the Sansthan should presently aim at the consolidation of the existing Institutions.

गुड़ और खंडसारी की वसूली

5229. **श्री अधन सिंह ठाकुर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को अपने उत्पाद के लाभप्रद मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए राज्य एजेन्सियों के अलावा केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा भी गुड़ और खण्डसारी की वसूली की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां केन्द्रीय एजेन्सियों ने गुड़ और खण्डसारी की वसूली प्रारम्भ कर दी है और कितनी कीमत पर वसूली प्रारम्भ की है और अब तक कितनी कीमत की वसूली की जा चुकी है; और

(ग) ऐसी वसूली कब तक जारी रहने की सम्भावना है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा केवल गुड़ की खरीदारी की जा रही है।

(ख) गुड़ संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा खण्डसारी की कोई खरीदारी नहीं की जा रही है। तथापि, यह ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से चुनींदा केन्द्रों पर खण्डसारी की खरीदारी कर रही है।

(ग) आशा है कि अप्रैल, 1978 के अन्त तक समर्थन मूल्य पर खरीदारी जारी रहेगी।

बीमारी से गेहूं और बीज के बचाव के लिए कीटनाशी औषधियां

5230. **श्री वेदब्रत बरुआ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कंडवे की बीमारी से गेहूं के बीज के बचाव के लिए मन्त्रालय ने कुछ कीटनाशी औषधियों की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उन कीटनाशी औषधियों के नाम क्या हैं और क्या ये कीटनाशी औषधियां "सीड डेसर," के रूप में उपयोग किये जाने के लिए कीटनाशी औषधि अधिनियम के अधीन पंजीकृत हैं; और

(ग) क्या मानव शरीर के लिए सुरक्षित वस्तु होने का मानदण्ड ऐसी कीटनाशी औषधियों के लिए ध्यान में रखा गया है अथवा नहीं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) कंडवे का रोग बीज में ही छिपा रहता है और पौधों में बाल निकलने की अवस्था में दिखाई पड़ता है। जब प्रभावित बीजों को बोया जाता है तो पौधे के अन्दर फूल निकलने के समय तक फफूंद का बढ़ना जारी रहता है और तब बालें सामान्य शीर्ष बनने की बजाए काले

बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाती है। अतः इस बीमारी की समस्या के हल के लिए बीजोपचार को आवश्यक समझा जाता है। वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय ने गेहूं के कड़वे के रोग के खिलाफ एक संभावित रोग नियंत्रण उपाय के तौर पर बीज उपचार के लिए दो फफूंदनाशियों अर्थात, कारबोक्सिन और बेनोमिल का पता लगाया है। तथापि, अब तक उपलब्ध पिछले आंकड़ों के आधार पर, कारबोक्सिन को बीमारी के नियन्त्रण के लिए सीड ड्रेसिंग एजेंट के तौर पर कीटनाशी औषधि अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु अनुमति दे दी गई है।

(ग) जी हां। 1968 के कीटनाशी औषधि अधिनियम (1968 का 46) के अन्तर्गत गठित पंजीयन समिति किसी भी रसायन के पंजीयन के लिए अनुमति देने से पूर्व मानव शरीर के लिए उसके सुरक्षित होने के मानदण्डों का ध्यान रखती है। इसके अतिरिक्त, रसायन उपचारित बीज, किसी भी हालत में, मानवीय उपभोग के लिए नहीं होते।

बागबानी प्रयोग केन्द्र

5231. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न क्षेत्रों/आदिवासी क्षेत्रों की सेवा के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अब तक किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय बागवानी प्रयोग केन्द्र स्थापित किये हैं;

(ख) निकट भविष्य में किन-किन स्थानों पर ऐसे केन्द्र खोले जायेंगे; और

(ग) क्या उनका मंत्रालय कृपया पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आसाम राज्य में ऐसा केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार करेगा/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को आदेश देगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने देश के विभिन्न क्षेत्रों/आदिवासी क्षेत्रों की सेवा के लिए निम्नलिखित तीन बागबानी परीक्षण केन्द्रों सहित कर्नाटक के हैसरघाटा (बंगलौर) में एक भारतीय बागबानी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है।

1. रोमक (साईट्रस) परीक्षण अनुसंधान केन्द्र, कोनीकोप्पल कुर्ग (कर्नाटक)।
2. बागबानी परीक्षण केन्द्र, चेताली, कुर्ग (कर्नाटक)।
3. केन्द्रीय आम अनुसंधान केन्द्र, रेहमान हेरा, लखनऊ (उ० प्र०)।

चावल, टेपिओका, अनन्नास तथा अन्य फसलों पर काम करने के लिए उड़ीसा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक के अधीन कोरापुट में एक कृषि अनुसंधान केन्द्र की भी स्थापना की गयी है।

(ख) गुजरात और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने पहले ही उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक अनुसंधान समूह (काम्पलैक्स) की स्थापना की है जिसका प्रमुख केन्द्र शिलांग (मेघालय) में है तथा निम्नलिखित क्षेत्रों में केन्द्र/उपकेन्द्र हैं :—

केन्द्र :—

1. अरुणाचल प्रदेश
2. नागालैण्ड
3. मिजोरम
4. मणिपुर
5. त्रिपुरा
6. सिक्किम
7. उत्तरी काचर तथा मिकिर पहाड़ियां (असम)।

उपकेन्द्र :—

1. नया बंगला (मेघालय)।
2. दीमापुर (नागालैण्ड)।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अनुसंधान समूह बागबानी फसलों सहित विभिन्न फसलों पर, पशु विज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंधान कार्य चला रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा स्थापित अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार प्रायोजना के अधीन असम कृषि विश्वविद्यालय में रोमको अनन्नास पर एक केन्द्र की स्थापना की गई है।

ट्यूबर क्राप्स रिसर्च सेंटर, त्रिवेन्द्रम के निदेशक के विरुद्ध जांच

5260. **श्री वयालार रवि**
श्री वी० एम० सुधीरन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री ट्यूबर क्राप्स रिसर्च सेंटर, त्रिवेन्द्रम के निदेशक के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में 21 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1008 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्यूबर क्राप्स रिसर्च सेंटर के निदेशक के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विभागीय जांच, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के आयुक्त के अनुसार पांच आरोपों में से सिर्फ एक आरोप सिद्ध हुआ है और शेष चार आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली की सलाह पर, केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम के निदेशक डा० हृशी को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।

INSTITUTIONS CONDUCTING SANSKRIT CORRESPONDENCE COURSE

†5232. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the number of Sanskrit correspondence course conducting Institutions in Andhra Pradesh which have made application for Central Grants for the current year;

(b) the action being taken in regard to those applications; and

(c) whether Government will take action to provide grants soon to all these institutions with a view to encouraging Sanskrit Language?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SMT. RENUKA DEVI BARAKATAKI) : (a) Only one application of Viswa Hindu Parishad, Vijayawada, which runs postal Sanskrit Courses, has been received in the Ministry from the Government of Andhra Pradesh.

(b) and (c) A grant of Rs. 5,400/- has already been sanctioned to this Institution.

दिल्ली में अध्यापकों की समस्याओं को हल करने के लिए समिति

5233. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के स्कूलों में अध्यापकों की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक संयुक्त सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे और उसके कृत्य क्या होंगे।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

DISTRICTS COVERED UNDER WORLD BANK AID FOR AGRICULTURAL EXTENSION PROGRAMME

5234. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to refer to the reply given to US 1723 on 6th March, 1978 regarding world Bank aid for agricultural extension training scheme and state :

(a) whether the World Bank has offered India further assistance of Rs. 23 crores under agricultural extension programme;

(b) if so, the districts, State-wise, whether the above assistance is proposed to be utilised; and

(c) whether special staff will be provided for this purpose, the expenditure which will be borne by Government of India and the strength of staff to be engaged and other details in this regard?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) No sir, however project proposal of the states of Haryana, Gujarat, Karnataka and Maharashtra for strengthening of Extension and Research are under consideration of the World Bank.

(b) Does not arise.

(c) With a view to assisting the State Governments in building a modern professionally competent Agricultural Extension Service, Government of India have approved a Centrally Sponsored Scheme for "Re-organisation and strengthening of Agricultural Extension Administration in the States".

Under the scheme 75% Central assistance will be available for additional staff namely village Level Workers, Agricultural Extension Officers and Subject Matter Specialists.

Under the scheme it is proposed to utilise the existing personnel and other facilities to the extent available, and payment of additional staff would be worked out after taking into account the staff already available.

ग्रटर कलाश पार्ट II, नई दिल्ली में पानी की टंकी (ओवर हेड वाटर रिजर्वायर)

5235. **श्री उग्रसेन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रेटर कैलाश, पार्ट-II, नई दिल्ली में एक बहुत बड़ी पानी की टंकी कुछ वर्षों से बनकर तैयार पड़ी है किन्तु इसे चालू नहीं किया गया हालांकि गर्मी के मौसम में इस पूरे इलाके को पानी की कमी से भारी कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो इस पानी की टंकी का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया था तथा यह कब पूरी हुई और यह टंकी कितने क्षेत्र की आवश्यकता पूरा कर सकती है ; और

(ग) इस टंकी के अब तक चालू न किये जाने के क्या कारण हैं तथा इसे किस तिथि को चालू किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। निर्माण कार्य अब भी प्रगति पर है ।

(ख) उपरि टंकी का निर्माण कार्य 21-7-75 को आरम्भ किया गया था और इसे 20-7-76 को पूर्ण हो जाना चाहिए था किन्तु विभिन्न कठिनाईयों के कारण यह कार्य पूरा नहीं हो सका। इस उपरि टंकी के बन जाने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी दिया जाएगा :

(i) ग्रेटर कैलाश-II

(ii) चित्तरंजन पार्क

(iii) ई० पी० रेलवे कालोनी

(iv) मस्जिद मोठ ब्लाक एफ० और जी०

(v) चिराग दिल्ली के पीछे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकासाधीन अन्य क्षेत्र

(ग) उपरि टंकी अभी चालू नहीं है क्योंकि इसका निर्माण कार्य अभी अधूरा ही है। 70 मिलीमीटर अर्धव्यास के पी० एस० सी० मुख्य नलों का कार्य भी प्रगति पर है जिस के द्वारा इस उपरि टंकी में पानी पहुंचाया जाएगा। इन निर्माण कार्यों का सितम्बर, 1978 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में गर्मियों में पेय जल की सप्लाई

5236. **श्री जेना बैरागी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने क कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर कैलाश पार्ट-II नई दिल्ली के एस० ब्लाक में गर्मी के महीनों के दौरान जल सप्लाई इतनी, अधिक अनियमित हो जाती है कि अनेक बार कई दिनों तक लगातार जल सप्लाई बन्द रहती है जैसा कि वर्ष 1977 में हुआ था ;

(ख) क्या अनियमित जल सप्लाई के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या एस० ब्लाक के एक भाग को ही जल सप्लाई करने के बारे में जांच की जायेगी और उस बारे में जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी और गर्मी के महीनों के दौरान जल की उचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। ग्रेटर कैलाश,-II के एस० ब्लाक में गर्मियों में पानी की कुछ कठिनाई महसूस होती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जब कभी इस बारे में शिकायता आती है, उन्हें दूर किया जाता है। जल विभाग का स्टाफ सदैव सतर्क रहता है और सैल्यूस बाल्व के नियमन के द्वारा यथासंभव समान रूप से पानी वितरण किया जाता है और इस प्रकार नियमन के द्वारा इस क्षेत्र से शिकायतों की की संख्या में काफी कमी हो गई है।

भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों के लिए वर्गीकरण समिति

5237. **श्री चित्त बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों के लिए एक वर्गीकरण समिति गठित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अब तक कोई सिफारिशें की हैं : और

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार मुद्रणालय कर्मचारियों की वर्गीकरण समिति द्वारा की गई सिफारिशों और उस पर की गई कार्यवाही का एक विवरण संलग्न है ।

सिफारिशें	की गई कार्यवाही
वर्गीकरण के सिद्धान्त	
1. औद्योगिक कर्मचारियों के वर्गीकरण के अर्थात् अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल अत्यधिक कुशल तथा पर्यवेक्षी वर्गीकरणों की मौजूदा प्रणाली को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है ।	स्वीकार कर ली गई ।
कम्पोजिंग शाखा	
2. लाइनों और मोनों आपरेटरों के अत्यधिक कुशल वर्गीकरण को बनाए रखा जाना चाहिये । 425-640 रुपये के वेतनमान में पदों के 20 प्र० श० के लिए सेलेक्शन ग्रेड होना चाहिये ।	विचाराधीन है ।
3. कम उत्पादन के लिए लाइनो और मोनो आपरेटरों के वेतन से कटौती क्रमश: 7.50 रुपये और 15.00 रुपये की मौजूदा दर की बजाए 20 रुपये और 40 रुपये होनी चाहिये ।	स्वीकार कर ली गई है
4. मोनोकास्टर आपरेटरों का कुशल कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण बना रहना चाहिये । पद का वेतनमान कुशल वर्ग के लिए 260-400 रु० के लम्बे वेतनमान के रूप में होना चाहिये ।	विचाराधीन है ।
5. मौजूदा 2 ग्रेडों की बजाए कम्पोजीटर का एक वर्ग होना चाहिये । पद को कुशल कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये और उसे 260-480 रुपये का विशेष वेतन दिया जाए ।	विचाराधीन है ।
6. सिलेंडरप्रूफ प्रेसमैन को कुशल कर्मचारी के रूप में और गैली प्रूफ प्रेसमैन को अर्ध कुशल कर्मचारी के रूप के वर्गीकरण को बनाए रखा जाना चाहिये ।	स्वीकार कर लिया गया ।
7. मैटल मेल्टर के पद को कुशल कर्मचारी के रूप में किए गए वर्गीकरण को बनाए रखा जाना चाहिये ।	स्वीकार कर लिया गया ।
8. बारमैन का पद बनाए रखा जाना चाहिये और वह अर्ध कुशल होना चाहिये ।	विचाराधीन है ।

9. करेक्शन चेकर के पद को पुन: बनाया जाना चाहिये और उसे "टाइम चेकर" से पद नामित किया जाए। यह सेक्शन होल्डर के बराबर और परस्पर बदली योग्य होना चाहिये । और इसे पर्य-वेक्षी के रूप में वर्गीकृत किया जाए । प्रत्येक पारी में प्रत्येक 50 कम्पोजीटरों के लिए एक पद होना चाहिये ।	विचाराधीन है ।
10. डिस्ट्रीब्यूटर के पद को पुन: बनाया जाना चाहिये । यह कुशल वर्ग में होना चाहिये और इसका वेतनमान 260-350 रुपये होना चाहिये ।	विचाराधीन है ।
11. एक सहायक सेक्शन होल्डर 16 डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ टाईप स्टोर सेक्शन का इंचार्ज होना चाहिये । जहां डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या ज्यादा है वहां सेक्शन होल्डर को इंचार्ज बनाया जाना चाहिये ।	विचाराधीन है।
12. स्थायी फार्म सेक्शन सहायक सेक्शन होल्डर के चार्ज में होना चाहिये ।	विचाराधीन है ।
13. कम्पोजिंग ब्रांच के प्रत्येक सेक्शन में लगभग 30 कम्पोजीटर होने चाहिये और उनका पर्यवेक्षण एक सेक्शन होल्डर और एक सहायक सेक्शन होल्डर द्वारा किया जाना चाहिये । फोरमैन के पर्यवेक्षण का स्पन 8 सेक्शनों की बजाए 4 सेक्शन कर दिया जाना चाहिये ।	विचाराधीन है ।
रीडिंग ब्रांच	
14. कापीहोल्डर का पद कुशल वर्ग के रूप में, रिवाइजर आडिटर और कापीहोल्डर अत्यधिक कुशल वर्ग और हैड रीडर और रीडर इंचार्ज पर्यवेक्षी वर्ग में बनाया रखा जाना चाहिये ।	सिवाए आडिटर वर्ग के स्वीकार कर ली गई ।
15. कनिष्ठ रीडर और वरिष्ठ के पदों को रीडर के अत्यधिक कुशल वर्ग में मिला दिया जाना चाहिये और उसे 330-560 रुपये का वेतनमान दिया जाए । 425-640 रुपये के वेतनमान में पदों के 20 प्रतिशत का सेलेक्शन ग्रेड होना चाहिये ।	विचाराधीन है ।
16. मशीनमैन ग्रेड-1 और 2 के पदों को मशीन मैन के अत्यधिक कुशल वर्ग में मिला दिया जाना चाहिये और उसका 330-560 रुपये का लम्बा वेतनमान होना चाहिये । मशीनमैन ग्रेड-3 के पद को कुशल वर्ग के रूप में जारी रखा जाना चाहिये उसका नाम मशीन सहायक रखा जाना चाहिये ।	विचाराधीन है ।

17. मशीन इंकर/प्रैस इंकर रोटरीमैन के पदों को मशीन एटेन्डेन्ट का नाम दिया जाए। पद अर्ध कुशल वर्ग में होना चाहिये। — स्वीकार कर लिया गया।

18. लैटर प्रैस प्रिंटिंग मशीन को चलाने वाला क्रू निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिये :—

क्रम सं०	कागज के आकार की मशीन	क्रू
1.	आर० ए० ओ०	मशीनमैन-1 मशीन सहायक-1 मशीन एटेन्डेन्ट-1
2.	आर० ए० ओ० से कम तथा आर० ए० आई० तक (आर० ए० आई० समेत)	मशीनमैन-1 मशीन सहायक-1
3.	आर० ए० आई० से कम और आर० ए० 3 से ऊपर	मशीनमैन-1 मशीन एटेन्डेन्ट-1
4.	आर० ए० 3 और उससे नीचे	मशीमैन-1

जहां तक लैटरप्रैस वैबफेड रोटरी मशीन का सम्बन्ध है क्रू वही होना चाहिये जो इस समय है अर्थात एक मशीनमैन, एक मशीन सहायक और एक मशीन एटेन्डेन्ट। — विचाराधीन है।

19. आऊट्टर्न चेकर के पद को पुन: बनाया जाना चाहिये और उसे टाइम चेकर का नाम दिया जाए। यह सेक्शन होल्डर के बराबर और प्रस्पर बदली योग्य होना चाहिये। प्रत्येक पारी के लिए एक पद होना चाहिए। — विचाराधीन है।

20. हैण्ड प्रैस, फ्लैट बैड और रोटरी मशीनों के लिए अलग सेक्शन नहीं होना चाहिये। — स्वीकार कर लिया गया है।

जिल्दसाजी ब्रांच

21. जिल्दसाजी का केवल एक वर्ग होना चाहिये और पद कुशल वर्ग में होना चाहिये और उसका वेतनमान 260–350 रुपये हो। 320–400 रु० के वेतनमान में पदों के 20 प्र० श० के लिए सेलेक्शन ग्रेड होना चाहिए। — विचाराधीन है।

22. वेयर हाऊसमैन का पद अर्ध कुशल वर्ग में बना रहना चाहिये और उसे बाईन्डरी सहायक का नाम दिया जाना चाहिये। — स्वीकार कर लिया गया।

23. गोल्डफिनिशर के पद को अत्यधिक कुशल वर्ग के रूप में बनाए रखा जाना चाहिये। — स्वीकार कर लिया गया।

24. सेक्शन होल्डर की सहायता के लिए मौजूदा पर्यवेक्षण एकक को एक सहायक सेक्शन होल्डर द्वारा वृद्धि कर दी जानी चाहिए। — विचाराधीन है।

25. आऊटटर्न चेकर का पद पुनः बना दिया जाना चाहिए और उसका नाम टाइम चेकर रखा जाना चाहिये। यह पद सेक्शन होल्डर के बराबर और परस्पर बदली योग्य होना चाहिये। प्रत्येक पारी के लिए एक पद होना चाहिए। — विचाराधीन है।

मेकेनिकल ब्रांच

26. सहायक मैकेनिक (लाइनो)/(मोनो)/(मेकेनिकल) और मेकेनिक (लाइनों)/(मोनो)/(मेकेनिकल) के पद क्रमशः कुशल और अत्यधिक कुशल वर्गों में बने रहने चाहियें। — स्वीकार कर लिया गया।

27. हैड मेकेनिक (लाइनो)/(मोनो)/(मेकेनिकल) और पर्यवेक्षक (मेकेनिकल) के पदों को पर्यवेक्षक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये। — विचाराधीन है।

28. रोलर मोल्डर के पद को अर्ध कुशल वर्ग में बनाए रखा जाना चाहिये। — स्वीकार कर लिया गया

29. स्टीरियो टाइपर के पद को बनाए रखा जाना चाहिये और उसे कुशल पद के रूप में वर्गीकृत किया जाए लेकिन उसका वेतन-मान 260–400 रु० होना चाहिए। — विचाराधीन है।
फोटोलिथो विंग

फोटोलिथो विंग

30. फीडर के पद को मशीन सहायक (आफसेट) का नाम दिया जाना चाहिये और उसका वेतनमान 260–350 रुपये होना चाहिये। — स्वीकार कर लिया गया।

31. मशीन आपरेटर श्रेणी-2 (फोटोसैटर) के पद को मशीन सहायक (फोटोसैटर) का नाम दिया जाना चाहिये और 320–400 रुपये के वेतनमान के साथ उसे कुशल पद वर्गीकृत किया जाना चाहिये। — विचाराधीनं है।

32. वर्कशाप मशीन मैन के पद को मेकेनिक (आफसेट) का नाम दिया जाना चाहिये और इसे अत्यधिक कुशल वर्ग में ही बनाए रखा जाना चाहिये। — स्वीकार कर लिया गया।

33. सहायक मशीन ग्रापरेटर (जीरोक्स) का पद 320-400 रुपये के वेतनमान के साथ कुशल पद के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये।	विचाराधीन है।
34. एटेन्डेन्ट ग्रौर ट्रिमर के पदों को ग्रर्ध कुशल पदों के रूप में ग्रौर डार्क रूप सहायक ग्रौर ग्रेनिंग ग्रापरेटर के पदों को कुशल पदों के रूप में वर्गीकृत किए जाने को बनाया रखा जाना चाहिये।	स्वीकार कर लिया गया।
35. हेलियो ग्रापरेटर, मशीन ग्रापरेटर (जीरोक्स), मशीन ग्रापरेटर श्रेणी-2 (फोटो स्टेट), ग्राफ सेट मशीनमैन ग्रेड-1 ग्रौर ग्रेड-2 ग्रार्टिस्ट रीटचर, सहायक ग्रार्टिस्ट रीटचर, कैमरा मैन, कनिष्ठ ग्रार्टिस्ट, कनिष्ठ ग्रार्टिस्ट (कैलीग्राफी, मशीन ग्रापरेटर ग्रेड-1 (स्टेप ग्रौर रिपीट), मशीन ग्रापरेटर श्रेणी-1 (फोटो सैटर), प्रवर, वरिष्ठ ग्रार्टिस्ट, वरिष्ठ ग्रार्टिस्ट इंचार्ज ग्रौर तकनीकी सहायक वैरीटाइपर टाइपिस्ट (वैरीटाइप) के पदों को ग्रत्यधिक कुशल पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये।	स्वीकार कर लिया गया।

प्रोसेस सेक्शन

36. डवेलपर के पद को डार्करूम के सहयक के पद के साथ मिला दिया जाना चाहिय।	विचाराधीन है।
37. ग्रत्यधिक कुशल वर्ग में एचर का एक ही वर्ग होना चाहिये (मौजूदा दो वर्गों के बजाए) ग्रौर वह 330-560 रुपये के लम्बे वेतनमान में हो। पदों का 20 प्रतिशत 425-640 रुपये के सेलेक्शन ग्रेड में होना चाहिये।	विचाराधीन है।
38. प्रिन्टिर के पद की एचर के वर्ग में मिला दिया जाना चाहिये।	विचाराधीन है।
39. मोल्डर ग्रौर फिनिशर के पद को ग्रत्यधिक कुशल पद के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये ग्रौर उसका वेतनमान 330-480 रु० होना चाहिये।	विचाराधीन है।
40. प्लेट माउंटर ग्रौर फिनिशर का पद कुशल वर्ग के रूप में बना रहना चाहिये।	स्वीकार कर लिया गया।

सामान्य वर्ग

41. फोरमैन के पद को पर्यवेक्षी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये ग्रौर इसका वेतनमान 455-700 रुपये होना चाहिये।	विचाराधीन है।
42. सेक्शन होल्डर के पद को पर्यवेक्षी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये ग्रौर उसका वेतनमान 425-640 रुपये होना चाहिये।	विचाराधीन है।
43. सहायक सेक्शन होल्डर के पद को पुनः बनाया जाना चाहिये ग्रौर उसे 380-530 रुपये के वेतनमान में पर्यवेक्षी वर्ग में रखा जाना चाहिये।	विचाराधीन है।

44. लारी ड्राईवर/वैन ड्राईवर का पद कुशल वर्ग में और क्लीनर ड्राइवर और आटो ट्रक ड्राइवर अर्ध कुशल वर्ग में बना रहना चाहिये।	स्वीकार कर लिया गया।
45. श्रम पर्यवेक्षी के पद का वेतनमान 210-290 रुपये होना चाहिये।	स्वीकार कर लिया गया।
46. श्रमिक का पद अकुशल पद के रूप में बनाए रखा जाना चाहिये।	स्वीकार कर लिया गया।

UNAUTHORISED CONSTRUCTION ON D.D.A. LAND

5238. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the DDA and the Ministry of Works and Housing have got written intimation that a house has been constructed in an unauthorised manner on the D.D.A. and No. 8694A, Basti-Arakhan, D.B. Gupta Road, Delhi in the month of October, 1977;

(b) if so, whether some officials of the D.D.A. are helping the house builder in a wrong and illegal way by telling that the said land does not belong to the D.D.A.; and

(c) whether Government propose to take proper action by scrutinising the whole matter in an impartial manner?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a), (b) & (c) Delhi Development Authority have reported that they received intimation through telegrams. Delhi Development Authority have further reported that no official of D.D.A. is helping the house builder and that proper legal action has already been initiated by them. Question of Government taking action in the matter does not arise.

खाद्य उत्पादन के आंकड़ों में असंगति

5239. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताये गये खाद्य उत्पादन के आंकड़ों और संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा में दिए गये आंकड़ों में असंगति है ;

(ख) चार दिनों की अवधि में ही खाद्य उत्पादन में यकायक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) खाद्य उत्पादन के सही और वास्तविक आंकड़े उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) राष्ट्रपति ने संसद के समक्ष अपने अभिभाषण में कहा है कि "पिछले वर्ष कृषि में हुए नुकसान को पूरा कर लिया गया है तथा खाद्यान्न का उत्पादन 1180 लाख मीटरी टन से ऊपर होने की संभावना है ।" आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार "खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1975-76 के 1210 लाख मीटरी टन के बराबर ही होने की संभावना है जबकि गत वर्ष 1110 लाख मीटरी टन ही हुआ था ।" इस संबंध में यह बताना उचित है कि खाद्यान्नों के अंतिम अनुमान राज्य सरकारों से अभी देय नहीं हुए है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में जोर दिया गया है कि 1977-78 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य, जो 1180 लाख मीटरी टन का है, को न केवल प्राप्त कर लिया जाएगा बल्कि उससे भी अधिक हो जाएगा । आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 710-730 लाख मीटरी टन के बीच हुआ है । इसने यह स्वीकार किया है कि रबी मौसम के बारे में अभी कुछ कहना कठिन है फिर भी कुल उत्पादन उतना ही होने की संभावना है जितना 1975-76 में अर्थात 1210 लाख मीटरी टन हुआ था । अतः दोनों वक्तव्यों में कोई असंगति नहीं है। जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में 1180 लाख मीटरी टन से अधिक उत्पादन की संभावना का उल्लेख है, आर्थिक सर्वेक्षण में इसे 1210 लाख मीटरी टन के लगभग बताया गया है । वास्तव में इस समय भी उत्पादन के स्तर के बारे में ठीक ठीक बताना कठिन है क्योंकि उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में रबी-फसलों की कटाई अभी शुरू होनी है ।

(ग) पूर्ण गणना/नमूना सर्वेक्षणों तथा यादृच्छिक नमूना तकनीक द्वारा फसल की कटाई के परीक्षणों के आधार पर फसल के प्रति हैक्टार उपज के जरिये क्षेत्रों के बारे में विश्वसनीय अनुमान प्राप्त करने के तरीके पहले से ही मौजूद हैं । हाल ही में अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त खाद्यान्नों के उत्पादन का 92.8 प्रतिशत फसल की कटाई के परीक्षणों से प्राप्त परिणामों पर ही आधारित है ।

CONTINUATION OF SERVICE OF DIRECTOR NATIONAL CENTRE FOR BLIND, DEHRA DUN

5240. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that former Director of National Centre for the Blind, Dehra Dun, was allowed to continue to hold the post of Director for a period of six years and three months despite his rejection by U.P.S.C. on two occasions;

(b) if so, the reasons therefor and the name of the officer responsible for keeping him there; and

(c) whether it is a fact that during the tenure of this officer, 337 quintals of wood was stollen from Women's Centre for the Blind, Dehra Dun; and

(d) If so, the action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN) : (a) and (b) From May 1971 to the beginning of June 1977 Manager, Central Braille Press, who was then the senior-most gazetted officer, looked after the current duties of the post of Director, National Centre for the Blind, Dehra Dun in addition to his own duties. The time taken in filling the post on regular basis was mainly due to the fact during this period the U.P.S.C. advertised the post twice, but did not consider any of the applicants including the officers of the Centre suitable.

(c) and (d) A shortage of 136·63 quintals of firewood was detected only after the death of the Storekeeper on 4-8-1977 after the new Director had taken over. The Director has taken suitable steps in this matter, following detection of the shortage.

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली की प्रबन्ध कारिणी समिति का अधिलंघन

5241. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीयक, सहकारी समिति, दिल्ली ने दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली की प्रबन्धकारिणी समिति के अधिलंघन का आदेश दिया था, जिसने आपात स्थिति के दौरान 17 अगस्त, 1975 को छलपूर्ण तरीके से चुनाव करा लिए थे और यदि हां, तो ये आदेश किस तारीख को दिए गए थे और उनका ब्यौरा क्या है। तथा प्रबन्धकारिणी समिति के विरुद्ध आरोपों का ब्यौरा क्या है ।

(ख) क्या पंजीयक को बाद में अपने आदेश वापस लेने के लिए बाध्य किया गया था और दिल्ली प्रशासन से स्थानान्तरण कर दिया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त सोसायटी के चुनावों के बारे में पंजीयक द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध वर्ष 1975 में दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष उक्त सोसायटी के कुछ सदस्यों ने कुल कितनी अपील दायर की थीं ;

(घ) दो वर्ष से भी अधिक समय तक उन अपीलों पर विचार किये बिना उन्हें अनिर्णीत रखने का क्या कारण है ; और

(ङ) उन अपीलों के माध्यम से उठाये गये मामलों का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 128

(घ) तथा (ङ) ये अपीलें साईक्लोस्टाइल पिटीशन के रूप में थीं तथा दिल्ली सहकारी समितियां नियमावली 1973 (दिल्ली कोआपरेटिव सोसाइटीज रुल्स 1973) के नियम

(रूल) 150 के अन्तर्गत उचित रूप से प्रस्तुत नहीं की गई थी । अपीलकर्त्ताओं को निदेश दिया गया था कि वे प्रतिवादित आदेश के मूल अथवा सत्यावादित प्रतिलिपि को साथ में लगाकर तथा अपील के आधारों पर और अन्य संलग्न कागजातों पर आवश्यक कोर्ट फीस के टिकट लगाकर आवश्यक औपचारितायें पूरी करें । जब यह कर लिया गया तो इन अपीलों को उप राज्यपाल के समक्ष सुनवाई के लिए 3-2-78 को सूचीबद्ध कर दिया गया । उप राज्यपाल ने पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद इन मुकदमों को 12-5-78 के लिए और आगे की सुनवाई के हेतु स्थगित कर दिया ।

त्रि-भाषा फार्मूला

5243. श्री आर० कोलनथाईवेलू
श्री पी० कानन
श्री के० मायातेवर
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम
श्री सी० एम० विश्वनाथन
श्री रागावलू मोहनरंगम : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने, जो अपने अपने राज्य में हिन्दी का राज भाषा के रूप में उपयोग कर रहे हैं, त्रि-भाषा फार्मूले को अपनाया है अथवा नहीं ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अगर उन्होंने त्रि-भाषा फार्मूले को अपनाया है, तो वे कौन-कौन सी भाषाएं हैं; और

(घ) क्या किसी राज्य ने दक्षिण की भाषाओं को भी अपनाया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), (ख), (ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्य	ली गई भाषाएं	क्या त्रि-भाषा सूत्र कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)
बिहार	(i) मातृभाषा (ii) संस्कृत (हिन्दी भाषियों के लिए) अथवा अहिन्दी भाषियों के लिए) (iii) अंग्रेजी	जी, हां, संशोधनों सहित

1	2	3
हरियाणा	(i) हिन्दी (ii) अंग्रेजी (iii) संस्कृत अथवा उर्दू अथवा पंजाबी अथवा तेलुगू	जी, हां ।
हिमाचल प्रदेश	(i) हिन्दी (ii) अंग्रेजी (iii) उर्दू	जी, हां ।
मध्य प्रदेश	(i) मातृभाषा (ii) (क) हिन्दी (अहिन्दी भाषी) (ख) संस्कृत (हिन्दी भाषी) (iii) अंग्रेजी	जी, हां, संशोधनों सहित
राजस्थान	(i) हिन्दी (ii) अंग्रेजी (iii) संस्कृत अथवा उर्दू अथवा सिंधी अथवा गुजराती अथवा पंजाबी, अथवा मलयालम अथवा तमिल अथवा बंगला	जी, हां
उत्तर प्रदेश	(i) हिन्दी (ii) संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई पन्द्रह भाषाओं में से एक (iii) अंग्रेजी	जी, हां, संशोधनों सहित

NUMBER OF BEGGARS IN THE COUNTRY

5244. SHRI DAULAT RAM SARAN : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have the information about the number of beggars in the country and if so, their Statewise, break-up and the number of children, men and women among them;

(b) whether beggary is considered to be improper and disrespectful and if so, measures taken to put an end to it; and

(c) the time by which beggary will be banned completely and whether Government have any time-bound programme in this respect?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN) : (a) There has been no national survey of beggars. However, according to the figures of the 1971 Census made available, the total number of persons in the category "beggars, vagrants, etc." in the country is estimated at 10·11 lakhs (approximately). A statement showing the Statewise particulars is attached.

(b) and (c) : The problem of beggary is being tackled in the short-term through anti-beggary laws in various States, which *inter alia* provide for setting up of institutional services for training of the able-bodied beggars to promote their eventual rehabilitation. The various socio-economic programmes under implementation are expected to have long term impact on eradicating beggary.

Number of beggars in the country

(Census figures 1971)

S. No. Name of the State	Total Population of beggars		Children between 0-14 years amongst beggars	
	Male	Female	Male	Female
1. Andhra Pradesh	66,675	49,151	10,347	8,400
2. Assam (Including Mizoram)	12,432	14,162	1,115	1,100
3. Bihar	30,181	16,562	4,680	1,225
4. Gujarat	30,119	7,035	1,730	745
5. Haryana	6,535	830	295	40
6. Himachal Pradesh	1,843	699	84	72
7. Jammu & Kashmir	5,751	1,378	868	315
8. Kerala	6,729	5,630	705	605
9. Madhya Pradesh	55,024	28,009	3,505	1,995
10. Maharashtra	57,553	34,978	7,135	5,415
11. Manipur	233	142	49	20
12. Meghalaya	146	34	17	1
13. Karnataka	32,361	20,292	4,910	3,730
14. Nagaland	95	58	20	13
15. Orissa	25,387	21,240	4,385	4,030
16. Punjab	10,028	1,475	520	145
17. Rajasthan	37,227	10,063	3,085	2,025
18. Sikkim	242	154	41	18
19. Tamil Nadu	13,281	9,869	1730	1,620
20. Tripura	1,291	2,326	34	39
21. Uttar Pradesh	92,757	1,08,441	15,775	17,161
22. West Bengal	1,03,584	86,424	23,430	14,600

S. No.	Male	Female	Male	Female
Union Territory				
1. Andaman & Nicobar Islands	21	8	1	—
2. Arunachal Pradesh .	14	16	—	—
3. Chandigarh . .	47	10	3	—
4. Dadra & Nagar Haveli .	4	13	—	—
5. Delhi	1,352	269	61	30
6. Goa, Daman & Diu . .	317	745	17	17
7. Laccadive, Minicoy & Aminidive Islands.	1	1	—	—
8. Pondicherry	271	164	36	24
Total	5,91,501	4,20,178	84,578	63,385

Source : Table B VIII 1971 Census.

बल्लभ भाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट के शैक्षिक कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान

5245. **श्री बलदेव सिंह जसरोटिया :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के शैक्षिक कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश की है और जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बल्लभ भाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के नियंत्रण में है और शिक्षा मंत्रालय का अंग है, उसके शैक्षिक कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान मिल रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि 87 प्रतिशत कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के वेतनमान मिल रहे हैं;

(घ) बल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट के शैक्षिक कर्मचारियों को क्यों त्यागपत्र देना पड़ा और सरकार ने रोगियों और पी० एच० डी० के विद्यार्थियों को संरक्षण देने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) बल्लभ भाई पटेल चैस्ट इन्स्टीट्यूट दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सम्पोषित एक संस्थान है लेकिन इस का वित्तपोषण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह शिक्षा मंत्रालय का अंग नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) यद्यपि विश्वद्यिालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को उनके लिए लागू करने में विलम्ब के विरोध में शैक्षिक स्टाफ के कुछ सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक त्यागपत्र नोटिस, जिसे सितम्बर, 1977 से प्रभावी होना था, दिया गया था, संस्थान के

शैक्षिक स्टाफ के किसी भी सदस्य ने वास्तव में त्यागपत्र नहीं दिया था। जैसा कि उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर में संकेत किया गया है, अब अधिकांश कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित कर दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में पेय जल की सप्लाई

5246. **श्री लालजी भाई :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के गांवों में पेय जल की सप्लाई में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) क्या कोई विदेशी सरकार अथवा एजेन्सी इन प्रयासों में केन्द्र की सहायता कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) राजस्थान में गांवों को पीने का पानी सप्लाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई निधियों की व्यवस्था के अलावा, राजस्थान के मरुस्थल तथा अन्य क्षेत्रों में समस्याग्रस्त गांवों को शुद्ध पीने का पानी मुहैय्या करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति के अन्तर्गत भारत सरकार ने 1977–78 के दौरान शत प्रतिशत अनुदान के रूप में 250 लाख रु० दिये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण

5247. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण देने हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है और स्वीकृत राशि का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उपरोक्त कर्मचारियों ने संबंधित सरकारी कार्यालयों को अपने मकानों के निर्माण पूरा होने की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि नहीं, तो कितने कर्मचारियों ने उक्त रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर)
(क) निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृत राशि (रुपये लाखों में)
1976—77	2272
1977—78	*3350

*श्रेणीवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है क्योंकि जहां अग्रिम अनुमेय है वहां सभी मामलों में स्वीकृतियां दी जाती हैं।

(ख) मकानों के पूर्णरूपेण बन जाने की रिपोर्टों पर निगरानी रखना और विशेष परिस्थिति में समय बढ़ाने की मंजूरी देना उन मंत्रालयों/विभागाध्यक्षों का है, जिनके माध्यम से गृह निर्माण अग्रिम राशि दी जाती है। यह सूचना निर्माण और आवास मंत्रालय में एकत्र नहीं की जाती है।

मंजूरी के लिए विचाराधीन केरल की सिंचाई परियोजनायें

5248. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल द्वारा भेजी गई कितनी सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी के लिए विचाराधीन हैं; और

(ख) उन्हें कब मंजूरी दी जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केरल सरकार ने 6 नई बृहद स्कीमें (केरलभवानी, ईदमलायार, कक्कादावू, मुअत्तुपुझा, चिमोनी तथा कुटियाडी विस्तार स्कीम) तथा तीन नई मध्यम स्कीमें (करापुझा अट्टापाडी और वामनपुरम) स्वीकृति के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजी थीं। चार बृहद् (कक्कादावू, मुअत्तुपुझा, चिमोनी तथा कुटियाडी विस्तार स्कीम) और एक मध्यम (वामनपुरम) स्कीमों पर आयोग की टिप्पणियों के उत्तरों की तथा दो बृहद् स्कीमों (केरलभवानी और ईदमलायार) स्कीमों के बारे में संशोधित रिपोर्टों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है। अन्य दो मध्यम स्कीमों (करापुझा और अट्टा घाडी) पर योजना आयोग को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा नवम्बर 1977 में विचार किया गया था, इनमें से एक नामशः करापुझा को स्वीकार्य पाया गया था। दूसरी परियोजना नामशः अट्टापाडी पर प्रेक्षणों की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

(ख) राज्य सरकार से टिप्पणियों/प्रेक्षणों के उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात् इन स्कीमों को स्वीकृति के लिए आगे कार्रवाई की जायेगी। करापुझा परियोजना को स्वीकृति देने के लए योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

5—179 LSS/78

D.E.S.U. PERSONS TRAINED BY N.I.S. PATIALA

†5249. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi Electric Supply Undertaking had sent some persons to the National Institute of Sports, Patiala for training in hockey and football;

(b) whether these arrnagements were made with the objective of acquiring efficiently. in games; and

(c) if so, whether efficiency has been acquired by them so far, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN) (a), (b) & (c) According to the information furnished by Delhi Electric Supply Undertaking answers to parts (a), (b) and (c) are in the affirmative.

एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज

5250. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसोसिएशन आफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज की स्थापना कब हुई थी;

(ख) इस एसोसिएशन को आज तक उद्देश्यवार कितना अनुदान दिया गया;

(ग) एसोसिएशन के उद्देश्य क्या हैं;

(घ) इस एसोसिएशन का मुख्य पदाधिकारी कौन है तथा क्या वह पूर्णकालिक कर्मचारी है;

(ङ) क्या उन्हें व्यय के मामले में अनियमितताओं की रिपोर्ट मिली है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड—जिस का नाम बदल कर बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ रखा गया था, 1925 में बनाया गया था।

(ख) संघ विशिष्ट अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने, प्रशिक्षण, अन्तर विश्वविद्यालीय प्रतियोगिताओं, छात्रवृत्तियों के प्रदान आदि के माध्यम से खेलकूदों की प्रोन्नति तथा अपने अनुरक्षण व्यय हेतु, सांकेतिक अंशदान के रूप में भी सरकार से अनुदान प्राप्त करता है। संघ को पिछले पांच वर्षों के दौरान दिए गए अनुदान इस प्रकार हैं:—

वर्ष	अनुरक्षण अनुदान	अनुसंधान सैल के लिए विकास अनुदान	खेलकूद के कार्यकलापों के लिए अनुदान
1973–74 . .	55,000	60,000	5,06,000.00
1974–75 . .	58,000	60,000	3,81,000.00
1975–76 . .	70,000	83,000	2,88,525.56
1976–77 .	80,000	2,20,000	5,20,428.82
1977–78 . .	90,000	2,95,000	3,97,976·00

(ग) संस्थाज्ञापन पत्र के अनुसार संघ के लक्ष्य हैं :—एक अन्तर-विश्वविद्यालय संगठन के रूप में कार्य करना, एक सूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करना, तथा विश्वविद्यालयों के बीच सूचना, समन्वय तथा पारस्परिक परामर्श को सुकर बनाना, ऐसे कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना अथवा शुरू करना जो शिक्षा, परीक्षा, अनुसंधान, पाठ्यपुस्तकों, विद्वतापूर्ण प्रकाशनों पुस्तकालय संगठन तथा ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के स्तर सुधारने में सहायक हो सकते हैं, विश्वविद्यालयों को, भारत और विदेशों के अन्य विश्वविद्यालयों से उनकी डिग्रियों डिप्लोमाओं तथा परीक्षाओं के लिए मान्यता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना; सदस्य-विश्वविद्यालयों के बीच खेल-कूद को बढ़ावा देने हेतु एक खेल संगठन स्थापित करना और उसे बनाए रखना आदि हैं।

(घ) संघ अपनी वार्षिक बैठक में अगले वर्ष 1 अप्रैल से अनुवर्ती 31 मार्च तक की एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष का चयन करता है। संघ का अध्यक्ष इसकी स्थायी समिति का अध्यक्ष और संघ का कार्यकारी अधिकारी भी होता है। वह अवैतनिक रूप से कार्य करता है। इस समय डा० एल० एस० नेगी, कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष हैं।

(ङ) और (च) संघ के व्यय में किसी भी अनियमितता के बारे में सरकार को. कोई निश्चित शिकायत नहीं मिली है।

देश के विभिन्न भागों में माडल हाई स्कूलों का खोला जाना

5251. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में माडल हाई स्कूलों को खोलने के बारे में कोई योजना गत दो वर्षों से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(ग) निर्माण कार्यों पर और उनके सुचारू संचालन के लिए अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) वर्ष 1978–79 के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) (ग) और (घ) : केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने माडल स्कूलों की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। तथापि, इस परियोजना को योजना (प्लान) में शामिल नहीं किया गया है।

FINANCIAL ASSISTANCE FOR IRRIGATION FACILITIES AND FLOOD CONTROL IN BIHAR

†5252. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Bihar have sought adequate financial assistance from the Central Government for irrigation facilities and flood control operations in the States;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) to (c) Irrigation and Flood Control are state subjects and providing funds therefor is to responsibility of the State Government. The Central assistance is given in the form of block loans and grants for the state plan as a whole and is not related to any sector of development or individual project. Advanec Plan Assistance of Rs. 7·2 crores has, however, been released to the Government of Bihar during 1977-78 for accelerating the progress of certain selected major and medium irrigation projects.

Outlays approved by the Planning Commission for minor irrigation, major and medium irrigation and flood control in respect of Bihar for 1978-79 are Rs. 21·0 crores, Rs. 101·00 crores and Rs. 19·0 crores respectively.

हरियाणा में ओले पड़ने से हुई हानि

5253. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 और 2 मार्च, 1978 को हरियाणा राज्य में भारी ओलावृष्टि हुई थी जिससे बहुत तबाही हुई है;

(ख) ओले पड़ने से गेहूँ और चने की फसलों की कितनी हानि का अनुमान है; और

(ग) क्या हरियाणा सरकार ने राज्य में ओलावृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है और यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि ओलवृष्टि से गेहूं, चना और तिलहन की खड़ी फसलों को भारी क्षति पहुंची है, जिससे छह जिलों के लगभग 400 ग्रामों का 1.13 लाख हैक्टार क्षेत्र प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार के प्राथमिक अनुमान के अनुसार यह प्रतीत होता है कि 30 करोड़ रुपये के मूल्य की फसलों की क्षति हुई है।

(ग) केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा गया था। दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

यमुना में गंदगी

5254. श्री दलपत सिंह परस्ते
श्री डी० जी० गवई : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मुयना में वजीराबाद (उत्तर दिल्ली) और ओखला बांध (दक्षिण दिल्ली) के बीच पानी से अधिक कीचड़ है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) यह सत्य नहीं है कि यमुना में वजीराबाद और ओखला बांध के बीच पानी से अधिक कीचड़ है।

दिल्ली जल प्रदाय तथा जल मल संस्थान ने इस मामले में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है।

दिल्ली में जल की सप्लाई

5255. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 16 प्रतिशत जल सप्लाई का कहीं लेखा-जोखा नहीं रखा जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां, । दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में 16 प्रतिशत जल सप्लाई का कहीं लेखा जोखा नहीं है।

(ख) इसका कारण सार्वजनिक नल के, आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया गया पानी, आग बुझाने के लिए पानी के हाइड्रेन्ट को टेस्ट करना, सार्वजनिक शौचालयों, पेशाबघरों में प्रयोग किए जा रहे पानी, अनधिकृत पानी के कनेक्शन, पानी के नलों से पानी की लीकेज और बिना मीटर के कनेक्शन आदि का होना है।

बिना मीटर के पानी के कनेक्शनों पर मीटर लगाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, लीकेज देखने के लिए एक सर्वेक्षण सैल की स्थापना की जा रही है और अनधिकृत कनेक्शनों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

खुले में रखने से खाद्यान्नों को क्षति

5256. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977-78 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान खराब मौसम के कारण खुले में पड़ा खाद्यान्न का स्टाक क्षतिग्रस्त हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो हानि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1977 को खुले में 54 लाख मीटरी टन की मात्रा रखी हुई थी जिसे पोलीथीन कवरों से (कैप स्टोरेंज) में ढका हुआ था, इसमें से 2.02 लाख मीटरी टन की मात्रा भारी वर्षा, बाढ़ और तूफानों से प्रभावित हुई थी । प्रभावित स्टाक को साफ करने का कार्य अभी भी चल रहा है और 31-12-1977 तक क्षतिग्रस्त और मानव उपभोग के अयोग्य 14588 मीटरी टन की मात्रा अलग निकाली गई थी ।

दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को बेहतर नौकरी तथा विदेशों में नौकरी पाने हेतु सुविधाएं

5257. **डा० बसन्त कुमार पण्डित :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बेहतर अध्यापकों को नौकरियां तथा विदेशों में नौकरियां पाने के लिए ग्रहणाधिकार (लियन) तथा बिना वेतन छुट्टी की सामान्य सुविधाएं दी जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में विभाग अनुदेश जारी किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई विभागीय अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को भारत में बेहतर नौकरियां तथा विदेशों में काम पाने की अनुमति दी जाती है और पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) की सुविधा उसी मानदण्ड के आधार पर दी जाती है जैसा कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है । इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले अनुदेशों की प्रतियां सहायता प्राप्त स्कूलों के ध्यान में लाई जाती हैं। मोटे तौर पर भारत में प्रतिनियुक्ति पर अनुपस्थिति के दौरान सहायता प्राप्त स्कूलों के स्थायी शिक्षकों को पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) दो वर्षों की सामान्य अवधि के लिए रखा जाता है और स्थायीवत शिक्षकों को दो वर्षों की समाप्ति पर अपनी नौकरियों पर वापस आने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि उनके द्वारा धारित पद उनके अपने-अपने स्कूलों में बने रहे हों जहां तक विदेशों में नौकरियां प्राप्त करने पर प्रतिनियुक्ति के दौरान पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) बनाए रखने का सम्बन्ध है, प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन स्थायी शिक्षकों को सरकारी माध्यमों से प्राप्त नौकरियों के मामले में अपना पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) बनाए रखने की अनुमति दी जाती है ।

खेल कूद सम्मेलन

5258. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के खेलकूद मंत्रियों और अखिल भारतीय खेलकूद परिषद तथा राज्य की खेलकूद परिषदों के प्रेजिडेन्टों और सदस्यों का हाल ही में सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें क्या थीं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में हरिजनों और पिछड़े वर्गों का पुनर्वास

5259. **श्री रामविलास पासवान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हरिजनों और निर्धन व्यक्तियों को अब तक कितने स्थानों में बसाया गया है और उनको कितने स्थानों में बसाने का विचार है; और

(ख) जिन स्थानों में निर्धन व्यक्तियों को बसाया गया है वहां दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ऐसी 36 झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास कालोनियां हैं जिनमें झुग्गी झोंपड़ियों के समूह से हटा कर लोगों को बसाया गया है । ये लोग गरीब तबके के हैं और इनमें से अधिकांश हरिजन हैं। विभिन्न बस्तियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित फ्लैटों में भी अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण हैं ।

(ख) पुनर्वास बस्तियों में सभी मूलभूत सुविधायें जैसे सामुदायिक शौचालय, हाथ के पम्पों, तथा ट्यूब वैलों के द्वारा पानी की सप्लाई, सड़कें, सड़क की बस्तियां, जल मल निकास की नालियां, बगीचें आदि, की व्यवस्था कर दी गयी है। इन सुविधाओं के अतिरिक्त, स्कूल, साक्षरता केन्द्र, टी० वी० केन्द्र, बालवाडियां सामुदायिक सदन, मिल्क बूथ, डिसपैन्सरियां, डाक्टरों का फोरम, सुपर बाजार, उचित दर की दुकानें, स्पोर्टस पवैलियम आदि जैसी सुविधाओं की भी व्यवस्था कर दी गयी है।

ट्यूबर क्राप्स रिसर्च सेंटर, त्रिवेन्द्रम के निदेशक के विरुद्ध जांच

5260. **श्री वयालार रवि**
श्री वी० एम० सुधीरन } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री ट्यूबर क्राप्स रिसर्च सेंटर; त्रिवेन्द्रम के निदेशक के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में 21 नवम्बर,

1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1008 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्यूबर क्राप्स रिसर्च सेंटर के निदेशक के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विभागीय जांच, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के आयुक्त के अनुसार पांच आरोपों में से सिर्फ एक आरोप सिद्ध हुआ है और शेष चार आरोप सिद्ध नही हुए हैं।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली की सलाह पर केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम के निदेशक डा० हूशी को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।

दिल्ली ग्रंथालय संबंधी सुविधाएं

5261. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दिल्ली में उपलब्ध ग्रंथालय संबंधी सुविधायें आम जनता की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए अपर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान ग्रंथालयों के नाम और अन्य ब्यौरा क्या है और वे किस सीमा तक आम जनता की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं ;

(ग) क्या आम जनता के लाभ के लिए चालू वर्ष के दौरान और ग्रंथालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) क्या ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं से कोई सहायता दी जाती है जो इस प्रकार के ग्रंथालय स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, और यदि हां तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) पुस्तकालय संबंधी सुविधाएं दिल्ली के विकास की असाधारण दर के बराबर नहीं बढ़ सकी हैं तथा इन्हें सतत रूप से सुदृढ़ करने की जरूरत है।

(ख) दिल्ली के लोगों को पुस्तकालय सुविधाएं, सार्वजनिक पुस्तकालयों, शैक्षिक संस्थाओं के पुस्तकालयों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित पुस्तकालयों के माध्यम से उपलब्ध हैं। आम जनता के लिए पुस्तकालय सुविधाओं की आवश्यकता इस समय, मुख्य रूप से दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा, जो भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, पूरी की जाती है। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय का दिल्ली में पुस्तकालय सेवा एककों का एक जाल बिछा हुआ है, जिसमें केन्द्रीय पुस्तकालय के अलावा 4 शाखा पुस्तकालय, 17 उप शाखा पुस्तकालय, 14 निक्षेप केन्द्र, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में 61 स्थानों की सेवा कर रही 5 गश्ती पुस्तकालय गाड़ियां और अन्धों के लिए एक सुदृढ़ ब्रल विभाग शामिल है।

(ग) दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय का अगले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली में और अधिक शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, सार्वजनिक पुस्तकालयों पांडुलिपि पुस्तकालयों का संचालन कर रहे उन स्वैच्छिक संगठनों को पुस्तकें फर्नीचर इत्यादि खरीदने के लिए सहायता दी जाती है, जो सोसायटियों के रूप में पंजीकृत हैं और जो तीन वर्षों से अधिक समय से कार्य करते आ रहे हैं।

नवगांव बांध पर निर्माण कार्य

5262. **श्री डी० डी० दसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य को नर्मदा पर नवगांव बांध की ऊंचाई के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा फैसला दिए जाने तक उस पर निर्माण कार्य आरम्भ करने की अनुमति देने का है ;

(ख) क्या इससे समय की बचत होगी तथा बांध का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा हो सकेगा चाहे बांध की ऊंचाई के बारे में अन्तिम निर्णय कुछ भी हो ; और

(ग) क्या इस मामले में सम्बद्ध राज्यों की प्रतिक्रिया मालूम की जाएगी क्योंकि नर्मदा जल के उपयोग का मामला राष्ट्रीय महत्व का मामला है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण द्वारा जिन महत्वपूर्ण मामलों का न्यायनिर्णयन किया जा रहा है उनमें नवगाम बांध की ऊंचाई का मामला भी है। न्यायाधिकरण का निर्णय इस वर्ष के दौरान प्राप्त होने की संभावना है; इस परियोजना को राज्य की विकास योजना में शामिल करने पर तब ही विचार किया जा सकता है जब इसके अन्तर्राज्यीय पहलुओं को हल कर दिया जाए और इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाए।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अध्यापक

5263. **श्री राम कंवर बेरवा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक स्कूल में कुल कितने अध्यापक हैं ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों की संख्या कितनी है तथा क्या यह संख्या उनके लिए आरक्षित कोटे के अनुरूप है ; और

(ग) यदि नहीं, तो आरक्षित कोटे को पूरा न करने के क्या कारण हैं, तथा सभी स्कूलों में आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) (क) उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 11,846

(ख) अनुसूचित जातियों के—448

अनुसूचित जनजातियों के—10।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अध्यापकों की वर्तमान संख्या निर्धारित आरक्षित कोटे से कम है।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न विषयों के अध्यापन के लिए निर्धारित योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध नहीं थे। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अध्यापकों की भर्ती के लिए 1975 और 1976 में विशेष विज्ञापन निकाले गए थे, जिनके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों के 160 और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित 80 अध्यापकों को भर्ती के लिए सूचीबद्ध किया गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों के लिए 50% रिक्तियां निर्धारित करने का भी निर्णय किया गया है।

INTER-STATE IRRIGATION SCHEMES TO BE UNDERTAKEN IN 1978-79

†5264. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the percentage of irrigated land in Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra at present and the average percentage of irrigated land in the country;

(b) the amount of assistance provided by the Central Government for bringing more land under irrigation in the above mentioned States during 1978-79; and

(c) the number of Inter-State irrigation schemes which will be undertaken in 1978-79 for bringing more land under irrigation and for which the Central Government have given assistance?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) The precentage of gross irrigated area to gross sown area during 1974-75 in respect of Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra was 8·3, 20·0, 17·5 and 9·9 as against the all-India average of 25·5.

(b) Central assistance to States' Annual Plans is provided in the form of block loans and grants and is not related to any specific scheme, sub-sector or head of development. No amounts out of the normal Central assistance are, therefore, allocated specifically for irrigation schemes in the States. However, with a view to accelerate the work on certain selected on-going irrigation projects and new starts included in the Annual Plan 1977-78 of some of the States, advance

Plan assistance was provided to meet the additional Plan outlays. No such provision has so far been made for 1978-79.

(c) 16 inter-State major and medium irrigation schemes will be under execution during 1978-79.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा सस्ते सूर्य ऊर्जा कुकर का विकास

5265. **श्री जी० एस० रेड्डी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन काम कर रहे अनुसंधान संस्थानों में से किसी ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ते सूर्य ऊर्जा कुकर (खाने पकाने वाले यंत्र) का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसका वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान केन्द्रीय मरूभूमि अनुसंधान संस्थान (भा० कृ० अ० प०) जोधपुर, ने पांच भिन्न-भिन्न प्रकार के सौर कुकरों का डिजाइन तैयार किया है और उनका निर्माण तथा परीक्षण किया है।

(ख) पांच सौर कुकर में से दो गरम बाक्स किस्म के हैं। दो परावर्तित किस्म के हैं और एक में फ्लैट प्लेट कलेक्टर का सिद्धांत काम करता है। इन कुकरों के परीक्षण से यह सिद्ध हुआ है कि हाट बॉक्स किस्म का कुकर और सौर चूल्हा काम में अपनी कार्यकुशलता के कारण और स्थानीय दस्तकारी और सामग्री से निर्मित होने से बनाने में आसानी होने के कारण सबसे अधिक आशाजनक है । हाट बॉक्स टाईप कुकर और सौर चूल्हे का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

(ग) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम से पूछताछ की जा रही है।

विवरण

हाट बॉक्स टाईप

केन्द्रीय मरूभूमि अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, द्वारा विकसित किये गये कुकर में एक दोहरी भित्ति वाला बाक्स (आधार का क्षेत्रफल 45 × 45 सें० मी०) होता है जिसकी बाहरी भित्ति सागौन की लकड़ी की बनी होती है (जिसकी मोटाई 1.25 और अन्दर की भित्ति काली जस्ता की कलई की हुई 20 गेज लोहे के चादर की बनी हुई होती है और बीच में ऊष्मा रोधी के रूप में 3.75 सें० मी० रेशेदार कांच होता है (इस किस्म के बक्से में दो क्लीयर विन्डो ग्लास (प्रत्येक 3 मि० मी० मोटा) 16 × 55 सें० मी० के होते हैं जिनके बीच में 5.0 सें० मी० का अन्तर होता है और जो एक हवा बन्द लकड़ी के ढांचे में एक तरफ कब्जे से लगे हुए होते हैं। परावर्तक (रिफ्लेक्टर) का कोण और स्थान सूर्य की दिशा के अनुसार जब कभी आवश्यकता हो बदला जा सकता है।

2. सौर चूल्हा

केन्द्रीय मरुभूमि अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में तैयार किये गये सौर चूल्हों में आठ परावर्तक (रिफ्लेक्टर) इस्तेमाल किये गये हैं। इस सौर चूल्हे में अल्यूमिनियम की चादर और लकड़ी की बनी हुई एक इन्स्यूलेटिड अर्ध बेलनाकार आकृति होती है । इसमें दो खोल (शैल) बनाये जाते हैं जिन के बीच में 7.5 सें० मी० का अन्तर होता है जिसे ऊष्मा रोधी रेशेदार कांच से भर दिया जाता है । इस खोल के अन्दरूनी हिस्से को काले रंग से पोत दिया जाता है । इसी ऊष्मा रोधी सामग्री से बने हुए इस चूल्हे में एक दरवाजा बनाया जाता है जिसमें खाना रखा और निकाला जाता है । इस चूल्हे की खिड़की (40×40 सें० मी०) में दो पारदर्शी कांच की चादरें (3 मि० मी० मोटी) लगी होती हैं और उनके बीच 2.0 सें० मी० का अन्तर होता है इसमें सिल्वर्ड कांच के शीशे से बने हुए 8 परावर्तक इस्तेमाल किये जाते हैं जिनमें से चार वर्गाकार आकृति के और चार त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं । पकाने के लिए चूल्हे में झूलेदार प्लेटफार्म होता है जो कि उस बर्तन को जिसमें कि खाना रखा जाता है सीधे रखने में मदद देता है भले ही चूल्हे का झुकाव किसी तरफ हो जाय । इस प्लेटफार्म पर खाने के दो बर्तन एक साथ रखे जा सकते हैं।

प्याज और आलू का उत्पादन

5266. **श्री अमर सिंह बी० राठवा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और अन्य राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान प्याज और आलू की फसल का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) गुजरात और अन्य राज्यों में आलू और प्याज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) वर्ष 1978 और 1979 के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों में उनके उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) (1) **प्याज** : देश में प्याज के उत्पादन के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(2) **आलू :** गुजरात और अन्य राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान आलू की फसल का कुल उत्पादन निम्नलिखित है :—

उत्पादन (000 मीटरी टनों में)

राज्य	1974-75	1975-76	1976-77
गुजरात	110.4	105.2	206.6
उत्तर प्रदेश	2138.8	2505.9	2454.7
पंजाब	448.4	497.0	580.0
हरियाणा	277.3	211.5	187.4
बिहार	948.6	1414.1	1341.2
पश्चिम बंगाल	1354.9	1615.5	1657.2
मध्य प्रदेश	260.6	217.0	173.2
हिमाचल प्रदेश	71.6	76.1	84.4
अखिल भारत	6225.4	7306.0	7287.0

(ख) (1) **प्याज :** इस समय प्याज से सम्बन्धित कोई भी केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, प्याज उगाने वाले कुछ राज्यों में कृषि बागवानी विभाग अपनी सामान्य विस्तार एजेंसियों के जरिए अच्छे किस्म के बीज वितरित करते हैं तथा फसल की खेती की तकनीकों के सम्बन्ध में किसानों को परामर्श देते हैं।

(2) **आलू :** रोगयुक्त आलू के बीजों की आपूर्ति करना उत्पादन में वृद्धि करने का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। गुजरात सहित समस्त आलू उत्पादक राज्यों का बीच उत्पादन कार्यक्रम व आवश्यकताओं का प्रतिवर्ष दो बार उपयुक्त प्रबोधन किया जाता है। देश के विभिन्न संगटनों और राज्यों द्वारा प्रजनक, आधार चरण-1 आधार चरण-2 एवं प्रमाणीकृत बीजों के किस्मवार उत्पादन कार्यक्रम को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है। इस प्रकार संबंधित बीच उत्पादकों को वितरित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को इन उपायों के जरिए आलू का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहानात्मक अभियान शुरू करने का परामर्श दिया गया है :—

(1) अधिक क्षेत्र में सम्पूर्ण पैकेज प्रणालियों को अपनाना।

(2) आलू की सुधरी हुई किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना, और

(3) फसल के अन्तर्गत क्षेत में वृद्धि करना।

(ग) (1) **प्याज :** 1978-79 के दौरान न तो गुजरात के लिए और न ही अन्य राज्यों के लिए प्याज के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(2) **आलू :** आलू के क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि के लिए केन्द्र गुजरात सहित सभी राज्यों पर जोर देता रहा है। तथापि, वर्ष 1978-79 के दौरान केन्द्र ने गुजरात सहित किसी भी राज्य में आलू के उत्पादन हेतु कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। 1977-1978 के दौरान आलू के उत्पादन के अनुमान चालू कृषि वर्ष के समाप्त होने पर अर्थात् जून, 1978 के मध्य में किसी समय उपलब्ध होंगे।

विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालय

5267. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक या अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं विशेष रूप से चीनी, स्पेनिश, फ्रांसीसी और अरबी भाषाओं का पाठ्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1975-1976 और 1977 में अलग-अलग विश्वविद्यालयवार प्रत्येक ऐसी भाषा के कितने-कितने छात्र थे;

(घ) क्या सरकार का विचार शिक्षण के इस कार्यक्रम को बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब, कैसे और कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता से यह किया जाएगा।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली तथा अन्य स्थानों के विकास पर व्यय की गई धनराशि

5268. **श्री समर गुह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-77 के दौरान दिल्ली के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ख) वर्ष 1977-78 में इसी उद्देश्य पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई और वर्ष 1978-79 में कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) चण्डीगढ़, बम्बई, बंगलौर, जयपुर, मद्रास, त्रिवेन्द्रम, भोपाल, भुवनेश्वर, शिलांग, गोहाटी, कलकत्ता, पटना तथा लखनऊ के विकास पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1977-78 में कितनी राशि खच की गई और वर्ष 1978-79 में कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) संभवत: इस प्रश्न का संदर्भ महानगरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों के एकीकृत नगर विकास योजना से दी गई केन्द्रीय सहायता से है । यह योजना पांचवीं योजना अवधि के दौरान शुरू की गई हैं । दिल्ली के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत कोई सहायता नहीं दी गई है । इस समय यह बताना संभव नहीं है कि दिल्ली के लिए 1978-79 में कोई सहायता दी जाएगी या नहीं ।

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1. चण्डीगढ़ . . .	कुछ नहीं
2. बम्बई	4.84
3. बंगलौर	1.70
4. जयपुर	कुछ नहीं
5. मद्रास	2.84
6. त्रिवेन्द्रम	कुछ नहीं
7. भोपाल .	कुछ नहीं
8. भुवनेश्वर	कुछ नहीं
9. शिलांग	कुछ नहीं
10. गोहाटी .	कुछ नहीं
11. कलकत्ता	10.50
12. पटना	कुछ नहीं
13. लखनऊ	0.51

चूंकि यह सहायता निधियों की उपलब्धता और प्रगति के मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत की जाती है तथा दी जाती है इसलिए 1978-79 में दी जाने वाली सहायता की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया गया है।

शिक्षा योजनाओं के लिए उड़ीसा को दिया गया धन

5269. **श्री के० प्रधानी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा राज्य को विभिन्न शिक्षा योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस पूरे धन का उपयोग कर लिया गया है और यदि नहीं, तो कितना धन किस-किस कार्य पर खर्च किया गया ;

(ग) उपयोग न की गई राशि का ब्यौरा क्या है और वह राशि किस-किस प्रयोजन के लिए थी ; और

(घ) यह राशि उपयोग में न लाये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य को पांचवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित शैक्षिक योजनाओं के लिए 3.21 करोड़ रुपये की राशि के अनुदान/ऋण मंजूर किए थे । योजनावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । जहां तक राज्य योजनाओं का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सहायता सम्पूर्ण योजना के लिए दी जाती है न कि विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए।

(ख), (ग) और (घ) अनुदान केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कुछ मानदण्डों के आधार पर दिये जाते हैं। अनुदान आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा व्यय की प्रगति रिपोर्ट देने के पश्चात् किश्तों में दिए जाते हैं।

विवरण

सरकार को दिया गया अनुदान/ऋण

(आंकड़े लाख रुपयों में)

क्रमांक	योजना का नाम	पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान संस्वीकृत राशि
1	2	3
1.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी कक्षों के लिए सहायता अनुदान .	7.23
2.	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण	1.83
3.	विज्ञान शिक्षकों के लिए ग्रीष्म संस्थान . .	1.76
4.	राज्य शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर को अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए सहायता	0.09
5.	जिला/राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन .	0.25
6.	तृतीय अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण . .	1.86

1	2	3
7.	किसान कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम . . .	8.44
8.	अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (15-25 आयु वर्ग) .	4.81
9.	नव-साक्षरों के लिए साहित्य निर्माण .	1.43
10.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	12.29
11.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना . . .	86.94
12.	प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	0.25
13.	प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां	11.23
14.	खेलों और शारीरिक शिक्षा विकास के लिए राज्य खेल परिषद्/सरकार को अनुदान	2.15
15.	राष्ट्रीय सेवा योजना	24.45
16.	योजना मंच .	0.37
17.	हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति	122.00
18.	संस्कृत शिक्षा का विकास	4.67
19.	राज्य पुस्तक निर्माण बोर्डों एवं ग्रन्थ अकादमियों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का निर्माण	42.00
20.	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज राउरकेला . .	2.12
21.	पालिटेकनिकों एवं इंजीनियरी कालेजों का सुधार . .	6.30
	कुल जोड़ . .	321.33

अपर कृष्णा परियोजना के बारे में विश्व बैंक का मूल्यांकन प्रतिवेदन

5270. **श्री राजशेखर कोलूर : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक स्थित अपर कृष्णा परियोजना के बारे में विश्व बैंक का मूल्यांकन प्रतिवेदन भारत सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(ख), यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विश्व बैंक की प्रारम्भिक मूल्यांकन रिपोर्ट फरवरी, 1978 में प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर मार्च, 1978 में बातचीत हुई थी। परन्तु, अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) मार्च, 1978 में हुई बातचीत के अनुसार, बैंक ने परियोजना की लागत 252 मिलियन डालर होने का अनुमान लगाया है और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (आई० डी०

ए०) 126 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की व्यवस्था करेगी। परियोजना के पहले चरण में, जिसके लिए सहायता की व्यवस्था की गई है, इस निर्माण-कार्यों को पूरा करना निहित है :—

(1) नारायणपुर बांध का पूरी ऊंचाई तक और अलमत्ती बांध का चरण-एक की ऊंचाई तक निर्माण ;

(2) नारायणपुरा वाम तट नहर और शाहपुर ब्रांच ;

(3) 127,000 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए सिंचाई वितरण प्रणाली और 80,000 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए व्यक्तिगत फार्मों के लिए फील्ड चैनलें ;

(4) भूमि की समतल करना और 25,000 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए फील्ड ड्रेनेज चैनलें; और

(5) इसमें मालाप्रभा और घटाप्रभा सिंचाई परियोजनाओं से क्रमशः 26,000 और 5,000 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए इन परियोजनाओं में फील्ड चैनलों का निर्माण और भूमि को समतल बनाने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। परियोजना के इस चरण के पांच वर्ष (1978-79 से 1982-83 तक) की अवधि में पूरा होने की उम्मीद है।

OPENING OF SCHOOLS IN RURAL AREAS

5271. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Government propose to open new schools in rural areas in order to remove illiteracy from amongst weaker sections and Harijans in the country; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) Yes, Sir.

(b) Attainment of universal literacy in the country, according to a time-bound programme, is the declared policy of the Government. Universalising elementary education for children of the age-group 6-14 and making illiterate adults of the age-group 15-35 literate under the National Adult Education Programme, are two components of this policy. The hard core of non-enrolled children consists of weaker sections of the community like scheduled castes/scheduled tribes and landless agricultural labourers and a sizeable portion of adult illiterates also belong to these sections of the community.

In reaching the goal of universalising elementary education for an estimated 4·52 crore of additional non-enrolled children in another 5-7 years' time and covering an estimated adult population of 10 crore in about the same period, it is

6—179 LSS/78

essential that all school-less habitations should be provided with schools within reasonable walking distance from the homes of children and opening literacy centres for adult education. The State Governments have been requested to prepare their plans accordingly. Most of such schools will be in rural and backward areas.

No. F. H. 11016/14/78-Schools TI

RATE OF PURCHASE OF MAIDA BY FOOD CORPORATION OF INDIA

5272. SHRI RAM LAL RAHI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the quality of flour/maida for export to Vietnam has been procured from mills at different rates, and if so, the detials of rates; and

(b) whether the rates at which F.C.I. has purchased flour/maida from mills are much higher than the rates at which it supplies wheat to mills for grinding and if so, the factual position in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) On the basis of the tender inquiries floated by the Food Corporation of India, offers were received for the supply of Maida to Vietnam from mills in different parts of the country. Taking into account the competitiveness of the quotations, the quality specifications and the delivery offered, contracts have been entered into with various mills for the supply of an aggregate quantity of 67,000 M. Tons of maida at rates ranging from Rs. 1580 per M. Ton to Rs. 1640 per M. Ton.

(b) The wheat is being supplied to the Roller Flour Mills at the central issue price of Rs. 1250 per M. Ton for supply of Maida to Vietnam. The price of wheat flour (Maida) is necessarily to be higher than the rate of wheat because in conversion of wheat into Maida, only a certain percentage of Maida can be extracted. The price of Maida is arrived at having regard to the cost of milling a reasonbale milling margin and the realisations that are expected from other by-products.

दिल्ली में वक्फ सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा

5273. **श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ वक्फ सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा है ;

(ख) क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद वक्फ की सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा और कुप्रबन्ध बराबर चल रहा है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि वक्फ की सम्पत्ति को अनधिकृत कब्जे से मुक्त कर दिया जाये जिससे बोर्ड इसका विकास कर सके ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली वक्फ बोर्ड के अनुसार दिल्ली में कुछ संपत्ति अनधिकृत दखल ये हैं ।

(ख) तथा (ग) ::दिल्ली संघ क्षेत्र के लिए वक्फ बोर्ड एक स्वायत निकाय है तथा यह वक्फ एक्ट 1954 के परन्तुकों के अधीन स्थापित किया गया और कार्य करता है । दलख की वसूली के लिए बोर्ड को कानून और समय सीमा अवधि के अधीन कार्रवाई करनी पड़ती है। इस प्रकार की वसूली के लिए समय सीमा को समय समय पर संसदीय कानून के द्वारा बढ़ाया गया है । चालू सत्र में, दिल्ली संघ क्षेत्र के संबंध में समय सीमा अवधि को 31 दिसम्बर 1980 तक और आगे बढ़ाने का कानून संसद में लिया गया । जहां तक इस प्रकार से प्रबंध करने का संबंध है इन पर दिल्ली प्रशासन के द्वारा विचार किया जाता है और कार्यवाई की जाती है।

जम्मू तथा काश्मीर को अपमिश्रित फुंगी-साइड डाइथीन की सप्लाई ।

5274. **श्री अब्दुल अहमद वकील** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर को 1976 और 1977 में सप्लाई की गई फुंगी-साइड डाइथीन एम० 45, अपमिश्रित थी और यदि हां, तो सम्बद्ध कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ख) क्या सरकार फुंगी-साइड की खरीद तथा उसका वितरण सरकारी एजेंसी के माध्यम से करेगी जिससे गैर-सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त किया जा सके, यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जम्मू और काश्मीर की राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 1977 के दौरान फल उत्पादकों को सप्लाई की गई फुंगी—साइड डाइथीन एम० 45 के अपमिश्रण की शिकायतें मिली हैं। राज्य सरकार द्वारा की गई जांच से पता चला कि फल उत्पादकों को सप्लाई किए गए कीटनाशी ठीक तथा आवश्यक प्रभावी मानक के अनुसार थे। राज्य सरकार ने ये शिकायतें निराधार पायीं । अतः राज्य सरकार ने रसायन सप्लाई करने वाली कम्पनी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करना उचित नहीं समझा । तथापि, वर्ष 1976 के दौरान राज्य सरकार के पास सप्लाई के विषय में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) राज्य सरकार सीधे उत्पादकों से फुंगी—साइड खरीदती है तथा इसे राज्य बागवानी विभाग द्वारा उनके अपने डिपुओं के माध्यम से बेचा जाता है।

UNIT OF LAND FOR USE OF FERTILISER SEEDS AND INSECTICIDES

5275. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether in the 'Kheti Ki Baat' programme broadcast from A.I.R. one 'hectare' is treated as a unit for purposes of using fertilisers, sowing seeds or spraying insecticides;

(b) if so, how far it is proper in view of the fact that a large number of farmers in India have a land measuring only one to two hectares in their possession which they divide into small holdings for sowing different types of crops; and

(c) whether Government propose to reduce this unit to one acre or one big or the local unit of the land so that small and illiterate farmers may also benefit thereby?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) to (c) : Advice regarding application of inputs is generally given by Research Institutions, Agriculture Departments and Extension Agenecies in terms of hectares. The hectare is the unit of area measurement in the mertric system of weights and measures which came into vogue with the enforcement of the Standards of Weights and Measures Act, 1956. The metric system being the officially accepted system use of any other standard will not be possible. Local measures also vary from area to area. However, AIR broadcasts often use locally popular terms of land measurement. In view of the use of local terms in AIR broadcasts, farmers are not likely to experience much difficulty.

LAND ALLOTTED TO REFUGEES IN NICOBAR ISLANDS

5276. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of Bangladesh refugee families rehabilitated in Nicobar, Great Nicobar, Hutbay etc. Islands or Port Blair;

(b) the area of land allotted to them to enable them to earn their living; and

(c) the arrangements made by Government for the sale of grains produced in that land?

THE MINISTER OF STATE FOR WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR): (a) 805 families.

(b) 5 acres per agriculturist family and 2 acre sper small trade family for cultivation.

(c) The grains produced surplus to the requirement of each family is being produced by the Supply Department of Andaman and Nicobar Administration.

छोटे किसान विकास अभिकरण के अधीन समन्वित परियोजनायें

5277. श्री सरत कार
श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे किसान विकास प्राधिकरण (स्माल फार्मर्स डेवेलपमेंट एजेन्सी) के अधीन कितनी समन्वित योजनाएं क्रियान्विति हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) उड़ीसा में ऐसी कितनी परियोजनाएं पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित की गई अथवा छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं से कितने छोटे किसानों को लाभ होने की आशा है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) व (ग) पांचवीं योजना के दौरान उड़ीसा में सात लघु किसान विकास एजेंसी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया था। ये परियोजनायें 1978-79 अर्थात् छटी योजना के पहले वर्ष के दौरान जारी रहेंगी। छठी योजना में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि छठी योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। 1978-79 में समाप्त होने वाली इस परियोजना अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना से यह आशा की जाती है कि वे पांचवीं योजना के आरंभ से लगभग 50,000 लघु/सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को लाभ पहुंचाएं। दिसम्बर, 1977 के अंत तक, उड़ीसा में परियोजनाओं ने 2,73,757 लाभभोगियों की सहायता की है।

CANAL COLONY UNDER RAJASTHAN CANAL PROJECTS

†5278. SHRI BEGA RAM CHAUHAN : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to issue order to the State Government to the effect that each settlement of landless persons in the Canal Colony under Rajasthan Canal Project should consist of two "chaks"; and and

(b) if so, the time by which these orders are proposed to be issued and whether these will be placed on the Table of the House?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) & (b) The Rajasthan Government have informed that they are presently providing one chak Abadi for four 'Chaks' in the Rajasthan Canal area. However, with a view to give due consideration to the rural trends and wishes of people the Rajasthan Government have consituted a Committee to consider a proposal for providing a chak Abadi for every two 'Chaks'.

अपने मकान वाले कर्मचारियों को पुनः सरकारी आवास देने के लिए प्राथमिकता की तारीख

5279. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्य के स्थान वाले नगर में अपने स्वयं के मकान वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, जिन्होंने 9 सितम्बर, 1975 के सरकारी आदेशों के अनुसार सरकारी आवास खाली कर दिया था और जिन्हें सरकारी आवास के लिए 15 अगस्त, 1977 तक नये आवेदन पत्र देने को कहा गया था, पुनः सरकारी आवास आबंटित करने के लिए प्राथमिकता तारीख 1 जून, 1977 नियत की गई है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार ऐसे आवेदकों की संख्या क्या है ; और

(ग) क्या वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे कर्मचारियों को, विशेषकर जो श्रेणी चार तक के आवास के हकदार हैं, उनकी सेवा निवृत्ति से पूर्व सरकारी आवास मिलने की कोई सम्भावना नहीं है और यदि हां, तो क्या सरकार सामान्य आवास पूल से आबंटन के लिए उन्हें उनकी मूल प्राथमिकता तिथि देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख)

टाइप	आवेदन पत्रों की संख्या
I	160
II	909
III	829
IV	930
V	60
VI	16
VII	3
VIII	1
कुल	2908

(ग) अधिकारियों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी । उन्हें उनकी मूल तारीख से अग्रता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ली गई अधिक राशि की वापसी

5280. श्री एस० बी० पाटिल : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के राजौरी गार्डन स्थित फ्लैटों (मध्यम आय वर्ग) के आबंटियों से उनका मूल्य 10,000 रुपये से 22,000 रुपये तक अधिक मनमाने ढंग से लिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस प्रकार से फालतू वसूल की गई राशि का व्यक्तिगत आबंटियों को कब तक वापस लौटाने का सरकार का विचार है ; और

(ग) फालतू वसूल की गई राशि पर सरकार किस दर से ब्याज का भुगतान करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जनता/निम्न आय वर्ग की श्रेणी के आवंटियों को राहत देने के लिए कीमतों में वृद्धि की गई थी । जो अधिक राशि ली गई वह 8,300 से लेकर 14,200 रुपये के मध्य थी ।

(ख) इस राशि को वापस करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली नगर निगम में सेलेक्शन ग्रेड प्रधानाध्यापक और अध्यापक

5281. **श्री भगत राम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) 5 सितम्बर, 1971 से 1 जनवरी, 1973 के बीच दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के सेलेक्शन ग्रेड के कितने पद बनाये गये और भरे गये;

(ख) सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के सेलेक्शन ग्रेड के कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रखे गये; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के किन उम्मीदवारों को सेलेक्शन ग्रेड के पद दये गये और शेष पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : दिल्ली नगर निगम ने निम्नलिखित सूचना दी है :

(क) (1) **निर्मित पद**		**भरे गए पद**
प्रधानाध्यापक	251	178
सहायक अध्यापक	1876	1578

(ख)	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जन जाति**
प्रधानाध्यापक	38	19
सहायक अध्यापक	282	141

(ग) 1-3-1978 की स्थिति इस प्रकार है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
प्रधानाध्यापक	3	—
सहायक अध्यापक	74	—

निगम ने सम्बन्धित पात्र प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड देने हेतु पहले की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पांचवीं योजना के दौरान सोयाबीन का उत्पादन

5283. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सोयाबीन के उत्पादन का लक्ष्य क्या है और इसके उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) भारत में सोयाबीन की खेती के विकास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या इस बारे में विश्व बैंक से सहायता मांगी गयी है ; और

(घ) खाद्य तेलों की निरन्तर कमी की समस्या के समाधान के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में सोयाबीन के उत्पादन के प्राक्कलन इस समय उपलब्ध नहीं हैं और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तगत सोयाबीन के उत्पादन का अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ख) भारत में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सोयाबीन के उत्पादन के विकास हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं :—

(1) वर्ष 1977-78 के दौरान, मुख्यतया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में सोयाबीन की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार, जो अनुमानतः 1.91 लाख हेक्टार था।

(2) उन्नत बीजों तथा अन्य उन्नत पैकेज प्रणालियों का प्रयोग

(3) मिनिकिटों का निःशुल्क वितरण । प्रत्येक मिनिकिट में आधे हेक्टार के लिये पर्याप्त, नई किस्म के बीज शामिल हैं।

(4) खेती की नई वैज्ञानिक पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिये कृषकों के खेतों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन ।

उपर्युक्त प्रयासों के अतिरिक्त किसानों द्वारा सोयाबीन के विपणन की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से सरकार ने वर्ष 1977-78 के मौसम के लिये अच्छी औसत किस्म की सोयाबीन के लिये 145 रुपये प्रति क्विंटल से साहायय् मूल्य की घोषणा की है जिसमें प्रोत्साहन के रुपमें 10 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम भी शामिल है । साहायय मूल्य सम्बन्धी कार्य राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) को सौंप दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) एक दीर्घकालीन उपाय के तौर पर राष्ट्रीय खाद्य तेल नीति तैयार की गई है। खाद्य तेल नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(क) तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि करने तथा अच्छी किस्म के नए तिलहनों के विकास के लिये उपाय करना ;

(ख) अधिक तेल निकालने के लिये तैयार की गई नई तकनीकी पद्धतियां ;

(ग) विपणन तथा परसंस्करण के लिये आवश्यक अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का विकास करना ताकि नए तिलहनों की खेती उत्पादकों के लिये लाभदायी हो सके।

(घ) मूल्य समर्थन हेतु राज्य के हस्तक्षेप के जरिए मूल्यों में स्थिरता लाना ;

(ङ) बफर स्टाक प्रचालन की योजना शुरू करना।

(च) आयात और निर्यात की किस्म और टनभार तथा उनकी समय सूचियों को नियमित करने के लिये उपयुक्त मशीनरी अपनाना।

(छ) उपभोक्ताओं को, विशेषतया समाज के कमजोर वर्गों को उचित तथा स्थिर मूल्यों पर उपयुक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्य तेल की सप्लाई करने के उपायों को बढ़ाना।

PENDING IRRIGATION SCHEMES OF BIHAR

†5283. SHRI BIRENDRA PRASAD: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state the number of irrigation schemes of Bihar pending with Central Government and the action being taken by Government for their implementation?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : At present, 17 major and 25 medium irrigation schemes of Bihar are in various stages of technical examination by the Central Water Commission. Of these, comments of the Central Water Commission in respect of 11 major and 20 medium schemes have already been communicated to the State Government and their replies are awaited. The State Government have also submitted revised estimates in respect of 6 on-going major projects. Comments of the Central Water Commission on 3 of these projects have been sent to the State Government and their replies are awaited.

GOVERNMENT EMPLOYEES WITHOUT GOVERNMENT ACCOMMODATION

5284. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state the number of employees who have not been provided Government accommodation even after rendering a service of more than 10 years and the time by which this facility would be provided to them?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) Applications for allotment of accommodation from the general pool in Delhi/New Delhi are invited on a restricted basis keeping in view the number of units likely to become available in a particular type during the allottment year. As such, no statistical information is available about the number of officers who have put in more than 10 years service but have not been allotted accommodation from the general pool. Although it is proposed to augment the stock of general pool resideneces substantially to

reduce the waiting period, it is not possible to indicate the time by which these officers would be provided accommodation.

खेल कूद का विकास

5285. **श्री बसन्त साठे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खेल-कूद का विकास, विशेषकर गांवों के खेल-कूद के विकास पर जोर देने के उद्देश्य से एक समकित नीति बनाने हेतु खल कूद में सुधार करने और भारतीय खेल-कूद के प्रचार करने के लिये विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय संगठनों से विचार विमर्श कर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79 के लिये चालू और प्रस्तावित/विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि देश में सेन्ट्रल स्कूलों के लिये खेल-कूद हेतु किया गया प्रावधान अपर्याप्त है और वर्ष 1978-79 में देश में खेल-कूद के विकास हेतु सेन्ट्रल स्कूलों के लिये प्रावधान की राशि बढ़ाने तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क), (ख) और (ग)। विवरण संलग्न है।

(क) जी, हां। शारीरिक शिक्षा एवं खेल-कूद की एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के संबंध में एक आम सहमति विकसित करने के उद्देश्य से राज्यों के खेल मंत्रियों, राज्य खेल परिषदों के अध्याक्षों और अखिल भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों इत्यादि का एक सम्मेलन केन्द्रीय सरकार द्वारा नवम्बर, 1974 में आयोजित किया गया था। शारीरिक शिक्षा और खेल-कूदों की प्रोन्नति के लिए सरकार का वर्तमान कार्यक्रम मोटे तौर पर उक्त सम्मेलन में हुई आम सहमति पर आधारित है।

शारीरिक शिक्षा और खेलों की विद्यमान नीतियों और कार्यक्रमों पर पुनः विचार करने, एक नई राष्ट्रीय खेल नीति विकसित करने और देश में शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद की प्रोन्नति के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए राज्यों के खेल मंत्रियों और राज्य खेल परिषदों के प्रतिनिधियों इत्यादि की एक और बैठक वर्ष के दौरान आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(ख) निम्नलिखित योजनाएं वर्ष 1978-79 के दौरान कार्यान्वित होती रहेंगी —

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित दो राष्ट्रीय संस्थानों अर्थात् नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (पटियाला) और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा

कालेज (ग्वालियर) के माध्यम से शारीरिक शिक्षा और खेलों में उच्च कोटि के नेतृत्व का प्रशिक्षण ;

(ii) राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत देश भर के चुने हुए केन्द्रों में स्थापित क्षेत्रीय खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्रों की श्रंखला के माध्यम से युवकों के लिए विभिन्न खेल-कूद विषयों में विशेषज्ञता प्रशिक्षण सुविधायें।

(iii) राष्ट्रीय खेल-कूद संघों को वित्तीय सहायता ;

(iv) (क) वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों (ख) ग्रामीण खेल-कूद केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण (ग) अव्ययनीय प्रकार के खेल-कूद उपस्कर की खरीद (घ) क्रीडा स्थलों के विकास (ङ) शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में भौतिक सुविधाओं का सुधार (च) स्टेडियमों, तरण तालों के निर्माण और क्रीड़ा स्थलों के पुंज प्रकाश और (छ) खेल कूद परिसर के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/ राज्य खेल-कूद परिषदों को वित्तीय सहायता।

(v) प्रशिक्षण व प्रतियोगिता शिविरों के लिए कालेजों/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता, खेल-कूद प्रतिभा छात्रवृत्तियां और व्यायामशाला, क्रीडा स्थलों, स्टेडियम आदि जैसी खेल-कूद सुविधाओं का विकास।

(vi) पिछसू वर्षों में दी गई छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त खेल कूद में निपुण स्कूली छात्रों को प्रतिवर्ष खेल-कूद प्रतिभा खोज की 400 राष्ट्रीय स्तरीय और 800 राज्यस्तरीय छात्रवृत्तियां प्रदान करना।

(vii) ग्रामीण युवकों के लिए खण्ड से राष्ट्रीय स्तर तक की वार्षिक ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं।

(viii) वार्षिक महिला खेल समारोह ;

(ix) सारे देश में निश्चित अवधि के दौरान शारीरिक स्वस्थता की धारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थ्यता क्षमता अभियान के अन्तर्गत जांच तालिकाओं (टेस्ट बैटरीज) में यथा निर्धारित शारीरिक स्वस्थता जांच।

(x) अनुसंधान और/अथवा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रोन्नति के लिए राष्ट्रीय स्तर की योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता।

(xi) नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल परिसर का विकास।

(xii) शारीरिक शिक्षा और खेलों पर प्रकाशित साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

(xiii) विभिन्न खेलों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले उत्कृष्ट पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार।

(ग) जी नहीं, केन्द्रीय विद्यालयों में खेलों और सम्बद्ध क्रियाकलापों की प्रोन्नति के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रयोजन के लिए 1977-78 में उपलब्ध कराए गए 3.00 लाख रुपये के मुकाबले में 1978-79 के लिए 5.92 लाख रुपये का बजट विनिधान है। इन क्रिया कलापों की प्रोन्नति की देख भाल के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एक खेल नियंत्रण बोर्ड भी स्थापित किया गया है।

पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन के विकास लिए विश्व बैंक से सहायता

5286. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में, विशेषकर कटवा, पण्डुआ और बालागढ़ में मत्स्य पालन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार विश्व बैंक सहायता निधि में से कुछ राशि मंजूर करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या बर्दवान से मिदनापुर तक बड़े पैमाने पर दामोदर घाटी की खुदाई करने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकार किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) पश्चिम बंगाल को अनुमानत: किस तारीख तक धनराशि उपलब्ध कर दी जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली में गांवों का लाल डोरा बढ़ाया जाना

5287. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के गांवों का लाल डोरा बढ़ाये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) लम्बे अर्से से चली आ रही इस शिकायत को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन मामले पर विचार कर रहा है।

भूमिहीनों को मकान के लिए जमीन

5288. **श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूमिहीन परिवारों को मकानों के लिए जमीन देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार भूमिहीन परिवारों की कुल संख्या क्या है तथा 1977 में कुल कितने परिवारों को मकानों के लिए जमीन दी गई ; और

(ग) वर्ष 1978 और 1979 के दौरान मकानों के लिए जमीन देने का आगे क्या कार्यक्रम है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अन्तर्गत

आवास-स्थलों के आवंटन के लिए पात्र भूमिहीन परिवारों की राज्यवार संख्या का एक विवरण अनुलग्नक में दिया गया हैं । राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, 31-12-1976 तक और 30-11-1977 तक जिन भूमिहीन परिवारों को आवास-स्थलों का आवंटन किया गया था उनकी संख्या क्रमश 70,94,663 और 73,36,010 थी । आवास स्थल प्रावधान योजना के अन्तर्गत आवंटित आवास स्थलों के आलावा, कुछ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा किराये पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक़ूक देने के लिए कार्रवाई की गई है।

(ग) आवास स्थलों के आवंटन की योजना राष्ट्रीय न्यूनत आवश्यकताओं के कार्यक्रम में शामिल हैं । इसे 1978 में जारी रखा जा रहा है । इसे 1979 में भी जारी रखने का प्रस्ताव है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पात्र परिवारों की कुल संख्या ।
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16,00,000
2.	असम	2,29,000
3.	बिहार	19,58,000
4.	गुजरात	3,90,647
5.	हरियाणा	2,14,158
6.	हिमाचल प्रदेश	4,499
7.	जम्मू और काशमीर	18,000
8.	कर्नाटक	8,46,000
9.	केरल	3,00,000
10.	मध्य प्रदेश	9,13,037
11.	महाराष्ट्र	3,65,000
12.	उड़ीसा	4,19,000
13.	पंजाब	2,95,352
14.	राजस्थान	8,54,025
15.	तमिल नाडु	14,96,000
16.	त्रिपुरा	42,650
17.	उत्तर प्रदेश	12,12,014
18.	पश्चिम बंगाल	2,97,929

1	2	3
संघ राज्य क्षेत्र :		
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	6,302
2.	चण्डीगढ़	51
3.	दादर तथा नगर हवेली	715
4.	दिल्ली . .	14,200
5.	गोश्रा, दमन तथा दियु	16,000
6.	पाण्डिचेरी	10,960
	कुल	1,15,04,537

हरसुद में शिव मन्दिर

5289. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम से कम एक हजार वर्ष पुराने शिव मंदिर के अवशेष मध्य प्रदेश में तहसील हरसुद के खलवा गांव के निकट एक खेत में पड़े हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि मंदिर के अवशेषों को गांव वाले ले जा रहे हैं और इस प्रकार एक मूल्यवान पुरातत्वीय प्रमाण को प्रायः प्रतिदिन नष्ट किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) जी हां, किन्तु कथित मन्दिर केन्द्र द्वारा संरक्षित नहीं है।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार मन्दिर की किसी मूर्ति अथवा उसके वास्तुशिल्प सम्बन्धी भागों को गांव वाले नहीं ले जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्यनिषेध

5290. **डा० सुशीला नायर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण देश में, राज्य-वार, चार वर्षों के भीतर मद्य निषेध आरम्भ करने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है।

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों में वर्ष 1978-79 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार इस बारे में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी सहायता देगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) मद्यनिषेध क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई निदेशक बातें राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को भेज दी गई हैं। उनको स्वीकार करना और कार्यान्वित करना राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों का काम है। असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के संघ शासित प्रदेश द्वारा इस बारे में उठाए गए कदमों का विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय **में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--2003/78]**

(ख) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से सिफारिशें की गई हैं कि सार्वजनिक स्थानों में शराब पीने को तुरन्त रोकने, शराब के विज्ञापन बन्द करने, लाइसेंसों का नवीकरण न करने, नए लाइसेंस न जारी करने, गरीब इलाकों के निकट स्थित शराब की दुकानों के लाइसेंस वापस लेने, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1977 को सख्ती से लागू करने तथा सरकारी कर्मचारियों को शराब पीने से रोकने आदि के अलावा 1978-79 में "शराब बन्दी के दिनों" की विधि अपनाई जाए।

(ग) राज्यों को 1978-79 से प्रति वर्ष होने वाली आबकारी राजस्व की हानि के 50 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए 1977-78 में प्राप्त वास्तविक आबकारी राजस्व को आधार माना जाएगा। आबकारी राजस्व, मद्यनिषेध लागू करने पर होने वाले व्यय आदि में सम्भावित वृद्धि के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

चिरंजन पार्क, नई दिल्ली में दुकानों के लिए स्थान

5291. **श्री दिलीप चक्रवर्ती :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास विभाग ने चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में दुकानों के स्थानों की नीलामी द्वारा बेचने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बिक्री से प्राप्त हुई आय को कालोनी के आबंटियों पर प्रीमियम के भार को कम करने के लिए उपयोग में लाया जायगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) चितरंजन पार्क कालोनी के सभी चार दुकान स्थानों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का निर्णय पहले ही ले लिया गया था ताकि प्राधिकरण द्वारा इन दुकानों के स्थानों को अपने नियमों के अनुसार नीलामी द्वारा बेचा जा सके। फिर भी, चितरंजन पार्क (ई० पी० डी० पी०) व्यापार कल्याण संघ के अभ्यावेदन पर वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर आरक्षित मूल्य का भुगतान करने तथा कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, तो दुकान स्थानों को संघ को देने का नियम किया गया है।

(ख) और (ग) 'बिना लाभ—बिना हानि' के आधार के सिद्धान्त के अधीन चितरंजन पार्क में पात्र विस्थापित व्यक्तियों को प्लाट आबंटित किए गए हैं, भूमि अर्जन और विकास पर होने वाला कुल खर्च, सामूहिक आवास के लिए निश्चित किए गए स्थानों सहित, रिहायशी प्लाटों के आलाटियों से ही वसूल किया जाना है।

जनेवा में हुआ गेहूं उत्पादक देशों का सम्मेलन

5292. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 के अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार की समीक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों का हाल ही में जनेवा में सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : 1971 अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के स्थान पर नए अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं व्यापार प्रबन्ध पर चर्चा करने और उसे अन्तिम रूप देने और नई खाद्य सहायता कन्वेंशन तैयार करने के लिए भी गेहूं निर्यातक तथा आयातक देशों का अंकटाड के तत्वधान में एक सम्मेलन 13 फरवरी और 23 मार्च, 1978 के बीच जनेवा में हुआ था। कुछ क्षेत्रों में भाग लेने वाले राष्ट्रों के बीच भारी मतभेद होने के कारण, नये गेहूं, करार तथा नई खाद्य सहायता कन्वेशन के बारे में किसी निर्णय पर पहुंचना सम्भव नहीं हुआ है। तथापि, मतभेद को दूर करने की दिशा में कार्य करते रहने के लिए 12 राष्ट्रों की एक अन्तरिम समिति स्थापित की जा रही है ताकि करार पर बातचीत की जा सके और सम्भवतया सितम्बर, 1978 में किसी समय होने वाली बातचीत के दूसरे दौर में उसे अन्तिम रूप दिया जा सके।

राजस्थान में बाघ परियोजना पर व्यय।

5293. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बांध परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितने बाघों का संरक्षण किया गया है ;

(ख) क्या सवाई माधोपुर जिले के लोगों को इस परियोजना के कारण असुविधा हुर है ; और

(ग) यदि हां, तो उन की असुविधा दूर करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सवाई माधोपुर जिले में रणथम्भौर बांध आश्रय स्थल में योजना को कार्यान्वित करने के लिए बांध परियोजना स्कीम के अंतर्गत राजस्थान सरकार को 29.41 लाख रु० की रकम दी जा चुकी है। राज्य सरकार ने इसमें से जनवरी, 1978 तक 22.91 लाख रु० की रकम खर्च की है। मई, 1977 में की गई संगणना के अनुसार इस आश्रय-स्थल में बांधों की संख्या 22 थी।

(ख) तथा (ग) आश्रय-स्थल के भीतरी क्षेत्र से 9 गांव हटा दिय गए हैं जिसके फलस्वरूप आश्रय-स्थल के भीतरी भाग आदि में पशुओं की चराई पर प्रतिबन्ध लगा देने से सम्भवतः लोगों को कुछ असुविधा हुई है। किन्तु 9 गांवों से हटाए गए व्यक्तियों की विधिवत क्षतिपूर्ति कर दी गई है और मकान, स्कूल, कुंयें, मन्दिर आदि की सुविधायें मुहैय्या करके तथा भूमि के लिए मुआवजा देकर उन्हें बेहतर स्थानों पर फिर से बसा दिया गया है। बफर क्षेत्र में चराई की भी अनुमति दी गई है।

गत वर्ष जंगली सुअरों द्वारा फसलों को, और विशेषरूप से मूंगफली की फसल को क्षति पहुंचाने के कारण जनता ने विरोध प्रकट किया था। इसके फलस्वरूप राजस्थान सरकार ने कुछ महीनों के लिए कृषि क्षेत्रों में सुअरों को गोली मार देने की अनुमति दे दी। इसके फलस्वरूप जनता का रोष समाप्त हो गया है। अब जंगली सुअरों को गोली मारने की अनुमति भी वापिस ले ली गई है।

CONSTRUCTION OF BANSAGAR DAM

†5294. SHRI Y.P. SHASTRI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether an agreement between the Governments of Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh was reached in September, 1977 for commencing the major irrigation and hydro-electric project of the Bansagar dam in Madhya Pradesh but the construction work of this project has not yet been undertaken;

(b) whether the Madhya Pradesh Government approved the construction of Bansagar dam on 23rd November, 1977 and a separate Chief Engineer has also been appointed for the purpose;

(c) if so, the reasons why the construction has not been started so far and the time by which it will commence and the number of years likely to be taken in its completion and the expenditure to be incurred thereon; and

(d) the total acreage of land likely to be irrigated from it and magawatts of electricity proposed to be generated from the chachai waterfall of the dam?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) The Bansagar Control Board at its first meeting held in September 1977 decided for early implementation of the Bansagar project. The pre-construction works of the project have been taken up.

(b) The Govt. of Madhya Pradesh have informed that the Progress Reviewing Committee of Control Board for Major projects had, in its meeting held on 2nd and 3rd November, 1977, approved the pre-construction works of the project. A separate Chief Engineer has also been appointed for construction of the Bansagar Project by the State Government.

(c) Preliminary works of the project have been taken up and the main construction will commence after the project is cleared by the Planning Commission. The Bansagar Project prepared by the Govt. of Madhya Pradesh is

7—179LSS/78

estimated to cost Rs. 322·30 crores and is envisaged to be completed in about 10 years including period for pre-construction.

(d) The Bansagar Project provides for annual irrigation of 2·49 lakh hectares in Madhya Pradesh and will produce power of 244 MW in the initial stage and 147 MW when full irrigation is developed. The Bansagar reservoir would also provide storage of one million acre feet each for Bihar and Uttar Pradesh and provide irrigation to areas in these States.

PROTECTION FOR ARCHAEOLOGICAL WEALTH OF SIKKIM

†5295. SHRI LAXMINARAIN NAYAK : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the arrangements made for the protection of archaeological wealth of the Sikkim State;

(b) the arrangements made so far for the protection and survey there of; and

(c) if no arrangements have been made so far, the time by which the same will be made for the purpose?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a), (b) & (c) A preliminary survey conducted somtime back by the Archaeological Survey of India in Sikkim revealed the existence of mostly living monasteries which have been extensively renovated by the local committees managing the religious affairs and are therefore not considered to be of national importance. However, for the protection and survey of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains, the Government of Sikkim has since set up its Department of Archaeology.

महेन्द्र एन्क्लेव, जी० टी० रोड़, दिल्ली में मकान गिराना

5296 **श्री पी० के० कोडियन :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 मार्च, 1978 को महेन्द्र एन्क्लेव, जी० टी० रोड, दिल्ली में लगभग 30 पक्के मकान गिराये गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही के कुछ महीनों में दिल्ली के कुछ भागों में भी मकान गिराने का कार्य चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत छः महीनों में कितनी बार मकान गिराने की कार्यवाही की गई और उनमें कितने मकान गिराये गए ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं । तथापि 25 फरवरी, 1978 को जी० टी० रोड पर महेन्द्र एन्कलेव में 23 आधे पक्के बने हुए मकान गिराये गए थे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 364 मकान गिराये गए जिनमें से 341 मकान दिल्ली नगर निगम द्वारा और 23 मकान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गिराये गए।

(घ) सरकार ने यह निर्णय लिया था कि दिल्ली में विभिन्न अनधिकृत कालोनियों को 16-2-1977 के पत्र (प्रतिलिपि संलग्न है) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नियमित कर दिया जाए । (ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2004/78) पत्र के पैरा 4 के अनुसार आगे और अनधिकृत निर्माणों की अनुमति नहीं दी जाती है।

AMOUNT GIVEN TO BIHAR FOR KOSI PROJECT

†5297. SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the amount given so far by Central Government to the Government of Bihar for Kosi project and the original estimates therefor and the revised estimates thereof and the area of land being irrigated so far and the time by which construction of western irrigation canal would be completed; and

(b) whether Government propose to give such directives to the Government of Bihar that the funds provided by Central Government should be utilised for the construction of the canal and not for the construction of residential buildings, etc; and not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHR SURJIT SINGH BARNALA) : (a) The Kosi project which was originally conceived as irrigation-cum-flood control project was sanctioned in 1958 fo Rs.44·76 crores. Power benefits from this project were envisaged later on at an estimated cost of Rs. 2·79 crores. The revised estimates of the project as submitted by Bihar in 1976 for irrigation and flood control is Rs. 191·68 crores. As against the ultimate irrigation potential of 4·34 lakh ha., the potential likely to be created by the end of 77-78 is 3·29 lakhs ha., the corresponding irrigation being 1·74 ha. The construction of Western Kosi canal is expected to be completed by June, 1980. A loan of Rs. 14·80 crores and grant-in-aid of Rs. 1·54 crores have been given to the Government of Bihar upto March 1978 for the Nepal benefit works of the Western Kosi Canal.

(b) As against Rs. 550 lakhs proposed to be given by the Government of India as loan and grant-in-aid to the Government of Bihar during 1978-79 for the construction of Western Kosi canal the proposed expenditure on buildings is only Rs. 6 lakhs. As the amount proposed to be spent on building is only about 1% of the total provision it is not considered necessary to give any directive to the State Government in this regard.

PRODUCTION OF OILSEEDS

5298. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the total production of oilseeds including groundnut during 1977-78;

(b) how far this is adequate to meet the edible oil demand; and

(c) efforts being made to make up the shortage and to control prices?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Final estimate of production of oilseeds during 1977-78 would become available after the close of the agricultural year, i.e., sometime in July-August 1978. According to available reports, the production of oilseeds during 1977-78 is expected to show a considerable improvement over that in 1976-77.

(b) The estimated supply is likely to be sort of the projected demand by 9·5 lakh tonnes.

(c) The following are the important steps taken by the Government to make up the shortage and contain the prices :

(*i*) import of necessary quantities of oils to meet the deficit;

(*ii*) sale through public distribution of the repeseed oil refined from imported oil at a price not exceeding Rs. 7.50 a kg;

(*iii*) supply of imported oils to the vanaspati industry upto 75% of their oil requirements;

(*iv*) continuation of ban on exports of HPS groundnuts.

(*v*) free inter-State movement and sale of edible oils and oilseeds;

(*vi*) imposition of stock limits on dealers and commission agents in edible oils and oilseeds.

(*vii*) a restrictive monetary and credit policy.

बागान श्रमिक अधिनियम में संशोधन करने के लिए केरल सरकार का अनुरोध

5299. **श्री के० ए० राजन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान श्रमिक अधिनियम में समुचित संशोधन करने के लिए केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ताकि वे बागान श्रमिक अपने मकान बना सकें जिन्हें बागान में अथवा उनके निकट जमीन मिली हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। यद्यपि बागान कर्मचारियों जिन्हें बागान में या उसके निकट भूमि दे दी गई है, को मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव मिला था। राज्य सरकार को सलाह दी गई कि ऐसे कर्मचारियों को आवास सहकारी समितियां बनाने और बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत अपने मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ उठाने की अनुमति दी जाए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

SCHEME FOR CONSTRUCTION OF ROADS TO LINK THE VILLAGES IN GUJARAT

5300. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the Gujarat Government have submitted a Rs. 6-7 crores scheme to the Central Government for construction of roads to link the villages having more than 1500 population;

(b) whether the Central Government have allocated only Rs. 65 lakhs out of it to the Gujarat Government for the purpose;

(c) whether the Chief Minister of Gujarat has written to the Central Government to grant Rs. 2 crores for the purpose by 31-3-78 and the action taken or proposed to be taken by the Central Government in this regard; and

(d) whether an amount of Rs. 50 to 60 crores will be needed to link roads for the villages with a population of more than 1500 as per Central scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir. An additional sum of Rs. 10·00 lakhs only could be provided and released to the Government of Gujarat for 1977-78.

(d) This estimate in respect of the State of Gujarat is not available with the Government of India. However, from 1978-79 the scheme for construction of rural link roads has been transferred to the State Plan Sector with enhanced allocations.

सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्यों को अग्रिम योजना सहायता

5301. **श्री चित्त बसु : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977-78 के केन्द्रीय बजट में सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्यों को अग्रिम योजना सहायता के रूप में देने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था ; और

(ख) इस बारे में राज्य सरकारों की कार्य-निष्पत्ति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए 1977-78 के दौरान राज्य सरकारों को वास्तव में 102.37 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम योजना सहायता के रूप में दी गई है।

राज्य वार व्यौरा संलग्न है।

विवरण

1977-78 के दौरान बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए दी गई अग्रिम योजना सहायता को दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	4.00
2.	बिहार	7.20
3.	गुजरात	18.25
4.	हरियाणा	6.00
5.	कर्नाटक	6.14
6.	केरल	5.00
7.	मध्य प्रदेश	11.00
8.	महाराष्ट्र	20.75
9.	उड़ीसा	5.00
10.	पंजाब	8.00
11.	राजस्थान	5.00
12.	उत्तर प्रदेश	1.03
13.	पश्चिमी बंगाल	5.00
	जोड़	102.37

PRESERVATION OF RARE BOOKS IN LIBRARIES

†5302. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the action proposed to be taken by Government for the preservation of rare books in the libraries in the country;

(b) whether Government propose to give conferring special grants to the universities for conferring "Degree in preservation of books";

(c) whether some special measures are proposed to be taken by Government for the preservation of ancient books in Khuda Baksh Khan Library in Bihar; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) Government has under

consideration a scheme to provide assistance to Libraries for preservation and publication of manuscripts.

(b) No, Sir.

(c) & (d) Khuda Baksh Oriental Public Library, Patna is an Institution of national importance under the 'Khuda Baksh Oriental Public Library Act, 1969'. The Central Government is giving substantial grants-in-aid for its maintenance and development which includes preservation of it collection.

भारतीय मत्स्य अधिनियम, 1897 में संशोधन

5304. **श्री अमृत कासर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमन और दीव ने केन्द्रीय सरकार से भारतीय मत्स्य अधिनियम, 1897 में कुछ संशोधन करने का अनुरोध किया है ताकि मत्स्य नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लगाये जाने वाले जुर्माने की राशि को बढ़ाया जा सके ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि संघ राज्य क्षेत्र में पारम्परिक मछुए उन यंत्रीकृत नौकाओं से प्रभावित हुए हैं जिनका प्रयोग देश से बाहर निर्यात करने हेतु प्रोन मछली पकड़ने के लिए किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने मत्स्य अधिनियम में संशोधन करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । इस सम्बन्ध में एक अनुरोध किया गया था । चूंकि गोआ, दमन और दीव की सरकार इस विषय पर पुनर्विचार कर रही है, अतः भारत सरकार उनसे आगे उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है।

(ख) और (ग) परम्परागत मछुवाओं की शिकायत यह है कि उनको मछली पकड़ने से वंचित किया जाता है, क्योंकि यंत्रीकृत नावें गोआ सरकार के उन नियमों का उल्लंघन कर रही हैं जिनके अनुसार यंत्रीकृत नावों को पांच फैदम तक की गहराई के अन्दर मछली पकड़ना निषिद्ध है । नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए तेज़ रफतार वाली दो नावों वाले एक गश्ती दस्ते के गठन के सम्बन्ध में गोवा सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है । कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए गोवा सरकार अन्य आवश्यक उपायों पर भी विचार कर रही है । भारत सरकार ने पारम्परिक मछुवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए मत्स्यन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के निमित समुद्र तटीय राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों के लिए सामान्य मार्ग निर्देशन भी जारी कर दिये हैं।

MAINTENANCE OF TEMPLE OF GUPTA PERIOD

†5305. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of EDUCATION. SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether any arrangements are being made by the Archaeological Department of the Central Government for the maintenance of temples of Gupta period

and other historical monuments in Madhya Pradesh and if so, the amount spent on them separately during 1975-76, 1976-77 and 1977-78;

(b) the total amount spent during the last three years separately on Bale shwar temple, Dhar, Hoshangabad, Mandsaur, Shahdol, Sarguja and Vidsha Districts as well as on seven Guhasamuh (7 group of caves) of Madhya Pradesh and the amount contributed by the Central Government in regard thereto; and

(c) whether the amount made available has not been fully utilised and if so, the amount that lapsed in different years?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) The temples of Gupta period and other historical monuments are being maintained by carrying out periodical structural repairs.

The break-up of the year-wise expenditure is as follows :

	1975-76 Rs.	1976-77 Rs.	1977-78 (upto Feb.) Rs.
Gupta period temples .	1,34,080 ·88	1,38,906 ·73	48,503 ·34
Other Historical monuments . . .	8,96,871 ·98	11,74,369 ·25	8,36,496 ·66

(b) The Baleshwar temple is not under Central protection. The break-up of the year-wise expenditure in respect of centrally-protected monuments in the Districts is as follows :

District	1975-76 Rs.	1976-77 Rs.	1977-78 (upto Feb.) Rs.
Dhar	1,94,869 ·39	1,66,169 ·68	91,703 ·06
Hoshangabad . . .	2,263 ·65	4,187 ·70	5,023 ·45
Mandsaur . . .	31,204 ·30	27,983 ·64	8,342 ·70
Shahdol . . .	1,146 ·40	4,029 ·25	1,560 ·40
Sarguja . . .	Nil	Nil	Nil
Vidisha . . .	41,713 ·95	84,811 ·57	41,318 ·83
Guhasamuh (7 group of caves) Bagh Caves) .	1,09,249 ·89	97,855 ·63	18,706 ·40

The entire amount was spent by the Central Government.

(c) Excepting Bagh caves, the amount allocated for the monuments lying in the above-mentioned Districts was fully utilized. The break-up of the amount that lapsed in the years is given below :

1975-76	Rs. 3,412 ·00
1976-77	Rs. 16,802 ·00
1977-78	Rs. 1,00,000 ·00

WHEAT, RICE AND SUGAR TO SIKKIM

5307. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the quantity of wheat, rice and sugar allotted to the Government of Sikkim during 1976-77, 1977-78 and 1978-79 as also the quantity thereof asked for by the State Government; and

(b) the reasons for not supplying these commodities to the State Government in adequate quantity during the aforesaid years and whether it is a fact that there is discontentment among the people of Sikkim State due to non-availability of foodgrains in adequate quantity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) (b) The Position regarding demand and allotment of wheat and rice in respect of the Government of Sikkim is as under :—

(In '000 tonnes)

Year	DEMAND		ALLOTMENT	
	Rice	Wheat	Rice	wheat
1976-77 . . .	16·2	5·64	16·2	5·64
1977-78 . . .	21·8	6·18	21·8	6·18
1978-79 (April, 1978 only) . . .	1·6	0·55	1·6	0·55

It will be seen that the demands of the State Government for wheat and rice have been met in full. No report has been received by the Government of India about discontentment among the people of Sikkim State due to non-availability of foodgrains in adequate quantity.

The quantity of levy sugar allotted to the Government of Sikkim is as under :—

1976-77 .	1206·0 tonnes
1977-78 .	1284·5 tonnes (including 24·00 tonnes for festivals)
1978-79 (April 1978 only)	107·5 tonnes

Allotment of sugar has been made from January, 1978 onwards at the monthly quota fixed on the basis of projected population of 2·53 lakhs as on 1-4-1978. Government of Sikkim represented for revision of quota on the basis of projected population of 3·25 lakhs as on 1-4-1978. The State Government have been informed that the figure of 253 lakhs of projected population as on 1-4-1978 has been given by the Registrar General of India and that monthly quota has been fixed on that basis.

सिक्किम में सिंचाई के लिए नियत की गई धनराशि

5308. **श्री हुक्म चन्द कछवाय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 में सिंचाई के लिए कितनी धनराशि नियत की गई और सिक्किम सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की है ;

(ख) क्या सरकार ने सिक्किम के पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में पृथक-पृथक सिंचाई के अन्तर्गत आने वाली भूमि के बारे में निश्चित जानकारी करने के लिए सिक्किम राज्य का कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ग) क्या सिंचाई के अन्तर्गत और अधिक भूमि लाने के लिये कोई योजना पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का विचार है ; और यदि हां, तो कब तक ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के लिए ग्रेडिंग व्यवस्था

5309. **श्री के० मालन्ना** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करना शैक्षिक श्रेष्ठता का निश्चित सूचक नहीं है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के लिए ग्रेडिंग व्यवस्था की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) परीक्षा सुधारों की प्रगति की चर्चा करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट में अंक प्रणाली में पाई जाने वाली मानमानी और फिर भी सार्वजनिक परीक्षाओं में इस पर विश्वास का हवाला दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) ग्रेड प्रणाली को अपनाने का निर्णय स्वयं विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाना है न कि सरकार द्वारा।

दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग कोआपरेटिव योजना

5310. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग कोआपरेटिव योजना किस वर्ष बनाई थी !

(ख) दिल्ली के लिए मास्टर प्लान किस वर्ष तैयार किया गया और उसे कब कार्यरूप दिया गया ;

(ग) मास्टर प्लान में ग्रुप हाउसिंग कोआपरेटिव योजना किस वर्ष सम्मिलित की गई ; और।

(घ) क्या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के बारे में मास्टर प्लान की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकार ने ग्रुप हाउसिंग के आधार पर नए सहकारी गृह निर्माण सोसाइटियों के पंजीकरण की अनुमति 5 फरवरी, 1970 को दी थी।

(ख) दिल्ली की बृहत्त योजना 1 सितम्बर, 1962 से लागू हुई।

(ग) इस बृहत्त योजना में ग्रुप हाउसिंग सहकारी योजना पर कोई सिफारिश नहीं की गई है। किन्तु इसमें ग्रुप हाउसिंग के विकास का प्रावधान है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1981 से 2001 तक के लिए बृहत्त योजना तैयार / संशोधन करने का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। यह ग्रुप हाउसिंग के साथ-साथ दिल्ली के विकास से सबंधित सभी मामलों का पुनरीक्षण करेगा।

दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपलों के वेतन में वृद्धि

5311. **श्री पायस टिर्की :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कलों में कार्य कर रहे प्रिंसिपलों के वेतन में वृधि करने के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) मामले पर अंतिम निर्णय करने में सरकार द्वारा अनावश्यक रूप में इतना लंबा समय लिये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) 73।

(ख) 73 अनिर्णीत पड़े मामलों में वेतन बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र अप्रैल, 1977 में प्राप्त हुए थे। लेखों के विभागीकरण के परिणामस्वरूप वेतन निर्धारण आदि का कार्य महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व से दिल्ली प्रशासन को स्थानान्तरित हो जाने के कारण इन मामलों को निपटाने में कुछ विलंब हुआ है। अनिर्णीत पड़े मामलों को अंतिम रूप देने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं।

DEVELOPMENT FROGRAMMES OF COLLEGES IN GUJARAT

†5312. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the number of colleges in Gujarat whose development programmes have been approved;

(b) the names of those colleges and the funds earmarked for each college;

(c) in case approval has not been accorded the reasons therefor together with the names of colleges in respect of which approval has not been given; and

(d) when this approval is likely to be accorded?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a), (b), (c) and (d) According to the information furnished by the University Grants Commission, during the Fifth Five year plan, 37 colleges in Gujarat have been sanctioned development assistance by the Commission. Proposals received from 12 colleges have not been accepted. The names of all those colleges indicating the grants sanctioned and the reasons for not accepting the proposals are given in the attached *statement*.

[Placed in the Library. See No. L.T.-2005/78].

The proposals of the colleges which have not been accepted can be considered as and when they fulfil the minimum prescribed conditions.

समुद्री तूफान से होने वाले विनाश को रोकने के लिये समुद्र पटीय क्षेत्रों में बांध बनाना

5313. **श्री के० ए० राजू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री तूफान से हाल में हुये विनाश जैसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिये तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के निचले क्षेत्रों में उंचे-उंचे बांध बनाने का भारत सरकार का कोई विचार है ; और

(ख) यद हां, तो बांधों के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) समुद्री तूफानों के दौरान ज्वार-भाटा की लहरों के कारण आने वाली बाढ़ से बचने के लिए तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में उंचे-ऊंचे बांध बनाने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि आंध्र प्रदेश के अनरोध पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे द्वारा कोना खण्ड तथा दीवी द्वीप समूह में तटीय बांधों के लिए ऊपरी स्तर निर्धारण तथा सुरक्षात्मक निर्माण कार्यों के आदर्श परीक्षण शुरू किए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

खेलकूद छात्रावासों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता

5314. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खलकूद छात्रारासों का निर्णाण करने के लिए वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या इस संबंध में अब निर्णय ले लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो वह क्या है; और

(ङ) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए शारीरिक शिक्षा तथा खेलों की केन्द्रीय योजनाओं को तैयार करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित कार्य दल ने हाल ही में अन्य बातों के साथ-साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों के चुने हुए केन्द्रीय विद्यालयों में तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अन्य चुने हुए केन्द्रों में कुछ खेल छात्रावासों को स्थापना की एक नई योजना की सिफारिश की है। कार्यदल की सिफारिशों पर छठी योजना में शारीरिक शिक्षा तथा खेलों की नई केन्द्रीय योजनाओं के लिए उपलब्ध की जाने वाली राशि के संदर्भ में सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पुनर्वास उद्योग निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

5315. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड में (श्रेणी I, II, III और VI में) श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या क्या है :

(ग) क्या इस उपक्रम में भर्ती और पदोन्नति के मामले में पदों के आरक्षण सम्बन्धी भारत सरकार के आदेशों का पालन किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

पदो का वर्गीकरण	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
श्रेणी I	8	—	—
श्रेणी II	17	—	—
श्रेणी III	616	28	—
श्रेणी IV	418	79	3
योग	1059	107	3

(ग) जी, हां।

(घज) प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण और आवास मंत्रालय के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी

5316. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत निम्नलिखित में से प्रत्येक उपक्रम में श्रेणीवार (प्रथम द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ) कुल कितने-कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

1. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड

2. हाउसिंग एण्ड अरबन डैवलपमैन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

3. नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड;

(ख) प्रत्येक उपक्रम में प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या क्या है ;

(ग) क्या इन उपक्रमों में भर्त्ती तथा पदोन्नति के मामलों में पदों के आरक्षण के बारे में भारत सरकार के आदेशों का पालन किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

निर्माण और आवास मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की संख्या

उपक्रम का नाम	श्रेणी	कुल	कर्मचारियों की संख्या	
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
1	2	3	4	5
आवास तथा नगर	I	31	0	शून्य
विकास निगम लि०	II	14	1	शून्य
	III	48	8	4
	IV	19	*4	1
			*(एक स्वीपर सहित)	
हिन्दुस्तान प्रिफैल लि०	I	23	शन्य	शून्य
(पहिले हिन्दुस्तान	II	32	शन्य	शून्य
हाउसिंग फैक्ट्री के नाम	III	662	152	शून्य
से जानी जाती थी)	IV	717	*232	1
			*(17 स्वीपरों सहित)	
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०	I	220	18	1
	II	88	2	1
	III	523	55	5
	IV	68	8	शून्य

दिल्ली तथा अन्य राज्यों में साक्षरता केन्द्र

5317. **श्री पायस टिर्की :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में 1000 साक्षरता केन्द्र खोल रही है और जैसा कि दिनांक 25 फरवरी, 1978 के 'इन्डियन एक्सप्रेस' समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या राज्यों में ऐसे केन्द्र खोलने की सरकार की योजना है जहां शिक्षा की अत्यधिक आवश्य कता है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यों में यह केन्द्र कब तक खोले जायेंगे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1978-79 के दौरान इस केन्द्र शासित क्षेत्र में 1000 प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र खोलने की योजना है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों तथा अन्य केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा काफी प्रौढ साक्षरता केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

सरकारी आवासों की संख्या

5318. **श्री राज केशर सिंह :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा टाइप-I II, III और IV के कितने क्वाटरों का निर्माण किया गया और सम्पदा कार्यालय और विभिन्न पूलों को सौंपे गए ;

(ख) मार्च 1978 तक सम्पदा निदेशालय और प्रत्येक पूल द्वारा श्रेणीवार कितने क्वार्टरों का आवंटन किया गया ;

(ग) सम्पदा कार्यालय और प्रत्येक पूल में अब तक श्रेणीवार कितने प्रतिशत मांग पूरी हो गई है ; और

(घ) बाकी गैर आवंटित लोगों को कब तक आवास आवंटित कर दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :

(क)	टाइप I	152
	टाइप II	314
	टाइप III	30
	टाइप IV	84
	कुल	580

(ख) तथा (ग) मार्च, 1978 तक आबंटित सामान्य पूल के क्वार्टरों की संख्या 41,629 है जिसमें उपयुक्त क्वार्टरों की संख्या भी शामिल है। श्रेणीवार ब्यौरा एवं परितुष्टि की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

टाइप	आबंटित क्वार्टरों की संख्या	परितुष्टि की प्रतिशतता
टाइप I	12,972	50
टाइप II	15,515	43.5
टाइप III	5,528	31.3
टाइप IV	5,167	39.5
टाइप V	1,837	27.8
टाइप VI	478	50.1
टाइप VII	117	33.6
टाइप VIII	15	47.1

अन्य पूलों के बारे में इसी प्रकार के आंकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते।

(घ) सामान्य पूल के रिहायशी मकानों की संख्या में भरपूर वृद्धि करने का प्रस्ताव है। किन्तु शेष लोगों को कब तक मकान दे दिए जायेंगे, यह बताना संभव नहीं है।

भारत में तिब्बती शरणार्थियों की संख्या

5319. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 और 1976 को भारत में तिब्बती शरणार्थियों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या तिब्बत से शरणार्थियों के अभी हाल में और आने की सूचना मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) भारत में तिब्बती शरणार्थियों की कुल संख्या अनुमानतः इस प्रकार रही है :—

वर्ष	तिब्बती शरणार्थियों की संख्या
1970	58,700
1971	59,300
1972	59,900
1973	60,400
1974	61,100
1975	61,800
1976	62,000

(प्रत्यक्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि है)

8—179LSS/78

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

DESIGN WORK IN C.P.W.D. THROUGH PRIVATE ENGINEERS

5320. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether design work in the C.P.W.D. is assigned to private engineers;

(b) if so, whether due to discontinuance to do design work by Graduate Junior Engineers the work is being got done from outside by private engineers;

(c) the amount so far disbursed to private engineers on this account and the further amount likely to be disbursed; and

(d) if the reply to part (b) is in the affirmative, what are the reasons for stopping to do design work by Graduate Junior Engineers and the steps being taken to have negotiations with them to resolve the problem?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) No Sir, not yet.

(b) No Sir.

(c) & (d) : Do not arise.

PRICE OF PADDY BELOW PRODUCTION COST IN CERTAIN STATES

5321. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the nature of assistance given by Government to farmers for their agriculture produce indicating the names of each agriculture produce;

(b) the nature of assistance given during the current year to the paddy growers;

(c) whether in some States, particularly in Chattisgarh area in Madhya Pradesh, prices of paddy have been low to the extent that farmers could not realise even production cost thereof as a result of which there is great discontentment among them; and

(d) the action proposed to be taken to solve the problem arising out of the prices of paddy?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) (b) The Government of India have reduced the retail price of urea by Rs. 100/- per tonne w.e.f. 12-10-1977. Besides, the procurement price of wheat has been increased (from Rs. 105/- to Rs. 110/- per quintal), for rice (from Rs. 74/- to Rs. 77/- per quintal) and for gram (Rs. 95/- to Rs. 125/- per quintal) to motivate farmers to increase production.

Under the Centrally Sponsored Scheme, financial assistance is provided for increasing the production of pulses through demonstrations (@Rs. 275/- per hectare) to motivate farmers to adopt improved practices; multiply breeders seed (@ Rs. 350/- per hectare) and foundation seed (@Rs. 150/- per hectare); subsidy on supply of certified seed of short duration/improved varieties of pulses @(Rs. 1/- per kg.); use of Rhizobium culture; 25% subsidy on cost of plant protection chemicals (Rs. 5/- to Rs. 15/- per hectare depending upon the chemical used); 50% subsidy on cost of plant protection equipment. In addition, a new Central Sector Scheme on Pulses has been started from 1977-78 for production of quality seed of pulses and training of extension workers. The following subsidies are provided under this scheme :—

	Item	Subsidy
I.	*Breeders Seed Production*	
	moong, urd & cowpea	Rs. 500/- per quintal
	Lentil	Rs. 350/- ,,
	Gram and Arhar	Rs. 300/- ,,
	Peas :	Rs. 200/- ,,
II.	*Foundation Seed Multiplication*	Rs. 150/- ,,
III.	*Certified Seed Multiplication*	Rs. 150/- ,,
IV.	*Training of Extension Workers*	Rs. 50,000/- @ Rs. 6,000 per training course.

In the case of other foodgrains, the programmes being implemented are of the nature of demonstrations, which help farmers to increase production. These include; (i) Minkit Programme of rice, wheat, maize, jowar, bajra and ragi, which help farmers select suitable varieties for different situations; (ii) Community Nurseries Programme of Rice at a total cost of Rs. 93·25 lakhs during 1977-78 to help farmers to advance the sowing time and thus increase the productivity; (iii) Demonstrations with improved agricultural implements to encourage line sowing of paddy in direct seeded areas of Assam, Bihar, West Bengal, Orissa, Madhya Pradesh and eastern U.P. at a total cost of Rs. 15·26 lakhs during 1977-78; (iv) Replacement of local rust subceptible wheat varieties in the hill areas (seed is supplied free of cost to the farmers); (v) Community Nurseries Programme of Bajra in Haryana State at a total cost of Rs. 2·00 lakhs during 1977-78 for popularising transplanting technique. In addition, undr the Centrally Sponsored Endemic Areas Scheme, incentive in the from of subsidising operational cost @ Rs. 3/- per acre for ground spraying and Rs. 7/- per acre for aerial spraying is being given. Under a sub-scheme for the control and eradication of special pests of agricultural importance, subsidy to the extent of 50% on cost of pesticides is also available, in addition to operational subsidy as mentioned above.

Insofar as Oilseeds are concerned, the Govt. of India have announced the price policy for oilseeds for the year 1977-78 under which support prices have been fixed for groundnut, sunflower and soyabean and the National Agricultural

Cooperative Marketing Federation (NAFED) has been entrusted with the purchase operations at these prices. The support price fixed are :—

(i) Rs. 160/- per quintal for the fail average quality of groundnut in-shell for the 1977-78 season as against a support price of Rs. 140/- per quintal for the 1976-77 season.

(ii) Rs. 145/- per quintal and Rs. 165/- per quintal, inclusive of promotional premium of Rs. 10/- per quintal in each case, in respect of soyabean and sunflower seed respecitively of fair aeverage quality for 1977-78 season. The support price for sunflower seed for 1977-78 season represents an increase of Rs. 15/- per quintal over the support price for the previous year.

For increasing the production of cotton, the assistance given to the farmers under the Intensive Cotton Development Project includes (i) subsidy on certified seed @Rs. 150/- per quintal; (ii) 25% subsidy subject to a maimum of Rs. 200/- per unit on plant porotection equipment; (iii) subsidy on aerial spraying ranging from Rs. 17·50 per hectare to Rs. 25·00 per hectare in the case of different categories of farmers i.e. large, medium and small farmers and (iv) 100% grant on cost of inputs for demonstrations on farmers' fields ranging from Rs. 200/- per hectare to Rs. 800/- per hectare.

Jute farmers are also assisted for increasing production under the Intensive Jute Development Project and they are given (i) a subsidy of Rs. 200/- per quintal on certified jute and mesta seeds; (ii) 50% subsidy on weedicides subject to a maximum of Rs. 89/- per hectare; and (iii) 100% grant on cost of inputs for demonstrations @ Rs. 150/- per demonstration in mesta and Rs. 300/- to Rs. 325/- per demonstration in jute.

In order to increase the production of exportable types of Tobacco, farmers are given (i) 20% subsidy for the construction of barns subject to a ceiling of Rs. 1500/- per barn; (ii) subsidy on seedlings @ Rs. 50/- per hectare; (iii) subsidy on production of nematode-free seedlings @ Rs. 375/- per hectare; and (iv) subsidy on demonstrations @ Rs. 250/- per hectare for a unit of 3 hectare plot.

(c) The reports received in this Ministry indicate that the whole sale prices of paddy in all the reporting markets of the country including Chattisgarh region of Madhya Pradesh have been above the procurement price of Rs. 77/- per quintal fixed for the current season of 1977-78. The latest prices of paddy are generally ruling at Rs. 82/- to Rs. 150/- per quintal and in Chattisgarh region of Madhya Pradesh, they are at the level of Rs. 92/- to Rs. 96/- per quintal.

(d) Does not arise.

DEVELOPMENTAL LOANS TO BIHAR

5322. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the funds allocated to Bihar Government by the Central Government for urban development projects during the last three years (1974-75, 1975-76, 1976-77);

(b) the amount, out of it, spent so far by the Bihar Government during 1977-78;

(c) whether any request from the State Government has been received for funds for rural development of the State in 1978-79; and

(d) if so, the detalis thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) No fund under the scheme for Integrated Urban Development in Metropolitan cities and areas of national importance has been allocated to Bihar Government.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

HOUSING LOANS AID TO BIHAR

5323. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the funds given by the Central Government to the Bihar Government for the construction of houses during the last three years (1974-75, 1975-76 and 1976-77) and the amount spent by the State Government in this regard; and

(b) the number of houses constructed by the State Government in the year 1977-78?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) The Central financial assistance for all state Sector programmes including housing is released to the State Governments in the shape of 'block loans' and 'block grants' without their being tied to any particular scheme or head of development. The State Governments are free to earmark funds for various State Sector programmes according to their requirements and priorities. During the last three years (1974-75, 1975-76 and 1976-77), the total plan outlay on housing for the Government of Bihar was Rs. 955 lakhs.

In addition to this, the Ministry of Works and Housing allocated a sum of Rs. 284 lakhs as LIC loan to the Government of Bihar during this period for implementation of the various social housing schemes.

The Housing and Urban Development Corporation sanctioned loans aggregating Rs. 820·78 lakhs to the various housing agencies in the State of Bihar during the same period. Against this amount, the HUDCO released Rs. 180·75 lakhs during this period.

(b) On the basis of reports received from the State Government, 617 houses were constructed under the various social housing schemes during the year 1977-78. Besides, 316 dwelling units were constructed with HUDCO finance during the same period. Apart from this, the Cooperative Housing Societies also constructed houses during this period.

WORLD BANK ASSISTANCE FOR IRRIGATION PROJECTS DURING LAST THREE YEARS

5324. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the number of irrigation projects for which India received World Bank assistance during the last three years (1974-75, 1975-76 and 1976-77) and the amount of assistance received, year-wise;

(b) the names of States in which the said assistance was utilised; and

(c) the amount utilized to Bihar and at what places?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) During the last three years the following three Irrigation Projects received actual disbursement from credit assistance agreed to by World Bank, as per details given below :

S. No.	Name of Project	Year	Amount of credit disbursement in million dollars
1.	Godavari Barrage Irrigation Project	1974-75	Nil
		1975-76	2·153
		1976-77	7·785
2.	Kadana Irrigation Project	1974-75	6·724
		1975-76	4·889
		1976-77	0·318
3.	Pochampad Irrigation Project	1974-75	10·685
		1975-76	4·952
		1976-77	1·679

(b) Gujarat and Andhra Pradesh.

(c) No Irrigation Project in Bihar received World Bank assistance during the last three years.

WORK ON BHIM SAGAR PROJECT

†5325. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state ; (a) Weather Central Government and the Government of Rajasthan have sent a delegation to Bhim Sagar, Khanpur, district Jhalawar, Rajasthan for inspection and if so, the purpose there of and when approval on Bhim Sagar project was first accorded and the time taken so far in the construction and the expenditure incurred thereon; and

(b) the total expenditure incurred so far on staff and whether work on this small project is at a stand still at present and the reasons therefor and whether work thereon would start again and if so, when it would start and when it would be completed and whether details thereof would be laid on the Table of the House ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) The Govt. of Rajasthan has constituted a Committee with a representative of the Central Water Commission as Member to investigate the causes leading to increased cost on the Bhim Sagar project since its commencement. The Committee has not so far visited the project site.

The Bhim Sagar Irrigation project was sanctioned by the Rajasthan Government for Rs. 18·18 lakhs in 1958 to benefit 6,000 ha. of culturable area. The latest estimated cost of the scheme as per discussions on Annual Plan (1978-79) is Rs. 5·60 crores against which an expenditure of Rs. 0·67 crores has been incurred so far, as intimated by the Government of Rajasthan.

(b) The Advisory Committee of the Planning Commission, while considering the revised project for Bhim Sagar Dam in April 1977 had, inter-alia, observed that no expenditure on this project be incurred by the State till the revised project was approved by the Planning Commission. As such, the work on this project had been stopped by the State Government. The likely expenditure on this project, however, during 1977-78 was of the order of Rs. 10·00 lakhs and the State Government have envisaged an outlay of Rs. 1·50 crores during 1978-79. The project is scheduled to be completed in 1980-81.

The Rajasthan Government have informed that the expenditure incurred on staff so far is Rs. 1·23 lakhs.

SPIRITUAL STUDY CENTRE

†5326. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have any interest in the Spiritual Study Centres and if so, the names of such Centres operating at present indicating the locations thereof and the number of persons studying therein and the number of foreigners among them;

(b) whether Government propose to open more such Centres this year and if so, the number thereof and where these will be opened and the number of trainees who are likely to join; and

(c) the details in this regard?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) No Sir. The Government has not established or assisted financially any spiritual study centres. However the Government gave grant to the Ramakrishna Vidyashala, Mysore for setting up of an institute for imparting moral and spiritual education.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता

5327. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार देश के विभिन्न भागों की पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता देती है और उन्हें राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से पुस्तकें भी देती है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977-78 के दौरान देश की और विशेष रूप से महाराष्ट्र को कितनी पुस्तकालयों को कितनी सहायता दी है और उपरोक्त फाउंडेशन के माध्यम से कितनी राशि की कितनी पुस्तकें दी गई हैं और वर्ष 1978-79 में इस प्रयोजनार्थ कितनी दी जाएंगी ; और

(ग) पुस्तकालय को वित्तीय सहायता और पुस्तकें सप्लाई करने के लिए मानदंड क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डॉ० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) ऐसे पुस्तकालय, जो सोसायटियों के रूप में पंजीकृत हैं तथा तीन वर्षों से अधिक समय से विद्यमान हैं और जो 50,000 या इससे अधिक लोगों की जनसंख्या को लाभ पहुंचाते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालयों/पाण्डुलिपि पुस्तकालयों का आयोजन करने वाले स्वैच्छिक शैक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता की है। भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत, वित्तीय सहायता के पात्र है। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान मुख्यतया संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को राज्य पुस्तकालय योजना समितियों की सिफारिशों तथा कुछ मामलों में प्रतिष्ठान को प्रशासकीय समिति की सिफारिश के आधार पर विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकों की सहायता देता है। यह प्रतिष्ठान 25 वर्ष और इससे अधिक पुराने सुस्थापित पुस्तकालयों को प्रक्रियाओं के संचालन, जिल्दसाजी तथा दुर्लभ पुस्तकों और पांडुलिपियों के परिरक्षण के लिए भी वित्तीय सहायता देता है।

भारतीय डेरी निगम

5328. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय डेरी निगम की स्थापना 1970 में एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में की गई थी,

(ख) दुग्ध उत्पादन सहित डेरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गत सात वर्षों के दौरान उक्त निगम ने कितनी धनराशि दी है और किन-किन राज्य सरकारों को दी है ;

(ग) उक्त निगम द्वारा, वित्तीय सहायता के उपयोग के बारे में राज्य सरकारों को क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं ;

(घ) क्या राज्य सरकारों का विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार का कार्य निष्पादन दी गई राशि की तुलना में संतोषजनक है ;

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ; और

(च) वर्ष 1978-79 के दौरान उक्त निगम से महाराष्ट्र सरकार को कितनी धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त होने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) से (च) तक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की कर्मचारी यूनियन का ज्ञापन

5329. **श्री चित्त बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय कर्मचारी यूनियन, नई दिल्ली ने अभी हाल में सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो मांगपत्र में उल्लिखित कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कोई बातचीत शुरु की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) तथा (घ) संघ (यूनियन) ने मंत्री से भेंट की थी ; और उसी की अनुवर्ती कार्यवाही के तौर पर मांगों पर आगे विचार किया जा रहा है ।

EFFECT OF USE OF CHEMICAL FERTILIZERS ON FERTILITY OF LAND

5330. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that excessive use of chemical fertilizers reduces land fertility; and

(b) if so, steps being taken by Government to ensure that land does not lose fertility or its fertility is increased?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) & (b) There is no evidence to show that in India the excessive use of chemical fertilizers has reduced land fertility. We have not yet reached the stage of excessive use of fertilizers. In general, in India, the fertilizer use is much below the level of recommended rate of application.

संसद सदस्यों के स्टाफ क्वार्टरों के लिए छत के पंखे

5331. श्री चर्तुर्भुज : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्थ एवेन्यू में संसद सदस्यों के स्टाफ क्वार्टरों में छत के पंखों के लिए रौड लगा दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संसद सदस्यों के स्टाफ क्वार्टरों में बिजली का कनेक्शन और तारों की फिटिंग आदि का काम भी हो चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो छत के पंखों की व्यवस्था न किए जाने के क्या कारण हैं तथा छत के पंखे किस तारीख तक उपलब्ध कराये जायेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) खास मकान में कुछ छत के पंखों की व्यवस्था कर दी जाती है। इस प्रकार से सर्वेन्ट क्वार्टरों में कोई पंखा नहीं लगाया जाता। किन्तु अतिरिक्त पंखों के इच्छुक सदस्यगण हाउस कमेटी द्वारा निर्धारित स्केल के अनुसार किराये पर पंखों की मांग कर सकते हैं।

विकलांगों के बारे में सर्वेक्षण

5332. श्री गणनाथ प्रधान : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विकलांग लोगों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके व्यस्क तथा अल्पसंख्यकों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) देश में असहाय लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है और उन्हें सरकार ने अब तक कितनी सहायता दी है ; और

(घ) क्या विकलांगों तथा असहायों को उनकी जीविका उपार्जन में सहायता देने के लिए कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) सरकार ने इस देश में विकलांग व्यक्तियों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तो भी, कच्चे अनुमानों से पता चलता है कि उनकी संख्या लगभग 4 करोड़ होगी। सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरु किए हैं। इनमें शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी संस्थाओं की स्थापना करना, स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देना, विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय स्थापित करना शामिल है ।

(ग) निराश्रित व्यक्तियों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता 1971 की जनगणना में दिया गया है कि भिखारियों, आवाराओं इत्यादि की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 लाख से अधिक है। निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण यद्यपि राज्य विषय है, तो भी निराश्रित स्त्रियों और बच्चों की सहायता करने के लिए भारत सरकार की अनेक योजनाएं हैं।

(घ) छठी योजना में अत्यन्त विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार देने के लिए शेल्टर्ड वर्कशाप शुरु करने का प्रस्ताव है। निराश्रित स्त्रियों और बच्चों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को उचित रूप से विस्तृत और मजबूत किया जा रहा है। परन्तु निराश्रित समस्या का अन्तिम हल तभी होगा जब साधारण लोगों के सामाजिक–आर्थिक स्तर में काफी सुधार हो जाएगा।

बासमती चावल का उत्पादन और निर्यात

5333. श्री कचरुलाल हेमराज जैन : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एक वर्ष में कितना बासमती चावल पैदा होता है ;

(ख) गत पांच वर्षों में वर्षवार कितने बासमती चावल का निर्यात किया गया ;

(ग) शेष बासमती चावल की बिक्री किस प्रकार की जाती है ;

(घ) दिल्ली में राशन कार्ड पर उचित दर की दुकानों से उपभोक्ताओं को कब से बासमती चावल सप्लाई नहीं किया गया ; और

(ङ) इसके क्या विशिष्ट कारण हैं और क्या दिल्ली की जनता को बासमती चावल बिल्कुल सप्लाई नहीं करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) राज्य सरकारों द्वारा चावल के उत्पादन के किस्मवार अनुमान नहीं भेजे जाते हैं। बासमती चावल का उत्पादन मुख्यतया हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में होता है। मोटे अनमानों के अनुसार देश में बासमती चावल का वार्षिक उत्पादन लगभग 2.5 लाख मीटरी टन होने का अनमान है।

(ख):—

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन)
1973-74	17,400
1974-75	45,020
1975-76 .	30,261
1976-77	20,215
1977-78	10,602

(ग) कुछेक मात्राएं सरकारी एजेंसियों द्वारा लेवी के रूप में वसूली की जाती है और उत्पादन का शेष खुले बाजार में बेचा जाता है। निर्यात की जरूरतें पूरी करने के बाद केन्द्रीय पूल में बचा स्टाक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा जाता है।

(घ) और (ङ.) बासमती किस्म का चावल पिछली बार दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से दिसम्बर, 1974 में जारी किया गया था। क्योंकि केन्द्रीय पूल में बासमती चावल उपलब्ध नहीं है, इसलिए दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से वितरण के लिए सुलभ करना सम्भव नहीं है। तथापि, यह भी उल्लेख किया जाता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली वास्तव में जनसंख्या के गरीब वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है और इस तथ्य की दृष्टि में बासमती चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई करने के लिए इसे अत्यावश्यक मद नहीं समझा जा सकता है।

IMPROVEMENT OF ARCHAEOLOGICAL AND TOURISM MONUMENTS

†5334. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme for the improvement of archaeological and tourism monuments;

(b) if so, the number of such old monuments in Rajasthan at present for which assistance is being provided by the Central Government; and

(c) the amount sanctioned for this purpose during the current year and whether the Government of Rajasthan have requested the Central Government to take over some new monuments also ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) & (b) In accordance with the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958, monuments of national importance are maintained by the Central Government. There are 148 Centrally Protected monuments in Rajasthan.

(c) An amount of Rs. 8,50,780 was sanctioned for repairs to these monuments during the current financial year. The request made by the Government of Rajasthan for the protection of monuments in Paliwal villages, District Jaisalmer is under consideration.

जयपुर, राजस्थान में पानी की लाइनों को बदलना

5335. **श्री चतुर्भुज** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्दे नाले के पानी और पीने के पानी के मिल जाने के कारण जयपुर में पीलिया महामारी के रूप में फैल गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग मंत्री श्री महबूब अली द्वारा दिए गए वक्तव्य (हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक 1 फरवरी, 1978) की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि शहरी क्षेत्र में पीने के पानी की लाइनों की अवधि पूरी हो चुकी है और उन्हें तुरन्त बदलने की आवश्यकता है लेकिन इस कार्य को बड़े पैमाने पर आरम्भ करने में धन की कठिनाई बाधा डाल रही है ; और

(ग) समस्या की गम्भीरता तथा उसकी व्यापकता को देखते हुए सरकार की इस सबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

चीनी मिलों में निधियों का कुप्रबन्ध

5337. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बेलापुर शुगर एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड और श्री चंगदेव शुगर मिल ने अपने कारखानों की निधियों का कुप्रबन्ध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गन्ना उत्पादकों के धन की हानि हो जाने के खतरे से उसे बचाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारियों के विरुद्ध बेलापुर शुगर तथा एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबन्ध के रवैये के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और यह भी आशंका व्यक्त की गई थी कि श्री चंगदेव चीनी मिल का मौजूदा प्रबन्ध वित्तीय कठिनाइयों के कारण पिराई का कार्य शुरु नहीं करेगा और इसलिए उसका प्रबन्ध सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इस बाद की मिल ने

अब पिराई कार्य प्रारम्भ कर दिया है। पहले की मिल के मामले में पीड़ित यूनियन को अपनी शिकायतों को हल कराने के लिए श्रम आयुक्त महाराष्ट्र के पास जाने की सलाह दी गई है।

गन्ना उत्पादकों के बकायों की वसूली सामान्यतया गन्ने की खरीद और सप्लाई के बारे मे राज्य कानूनों के अन्तर्गत आती है जिनमें गन्ने के मूल्य की बकाया राशि को भू-राजस्व के बकायों की तरह वसूल करने की व्यवस्था है।

मंजूरी के लिये विचाराधीन महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाएं

5338. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिये महाराष्ट्र राज्य की मध्यम दर्जे की और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और किन-किन को मंजूरी दे दी गई है और किन-किन को मंजूरी दी जानी है और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान महाराष्ट्र सरकार से 7 बृहद् और 6 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थीं। इनमें से 1 बृहद् परियोजना नामशः भटगर बांध का सुदृढ़ीकरण और 4 मध्यम परियोजनाएं नामशः बासप्प-अवाड़ी, कालीसरार, मन्डोहल और पंधारी नाला की योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

शेष रही परियोजनाओं में से तीन बृहद् परियोजनाओं नामशः नान्दुर माघमेश्वर, लोअर गोदावरी लिफ्ट और सिना और 2 मध्यम परियोजनाएं नामशः कालीमाटीटोला और बेडीवाले परियोजनाओं पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं और उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

केवल तीन बृहद् परियोजनाएं नामशः वरना, तिल्लारी सिंचाई और लोअर तिरना परियोजनाएं आयोग में तकनीकी संवीक्षाधीन हैं।

वर्ष 1974 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के पास कोयले के स्टाक के आंकड़े में भिन्नता

5339. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 मई, 1974 को दिल्ली दुग्ध योजना के पास पत्थर के कोयले का स्टाक कम पड़ गया था और इस बात के बावजूद कि उस दिन उसके खाते में 3526, 488 मीट्रिक टन कोयला दिखाया गया था उसने अपना स्टीम बायलर चलाने के लिए रेलवे से 112 मीट्रिक टन कोयला लिया,

(ख) यदि हां, तो 18 मई, 1974 को पत्थर के कोयले के बहीखाते और वास्तविक स्टाक में उक्त भिन्नता होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना में लाये गये पत्थर के कोयले का भार ट्रकों की अधिकतम ले जाने की शक्ति से बहुत अधिक दिखाया गया था।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) तथा (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध तथा दूध से बने पदार्थों की सप्लाई के लिए प्राइवेट पार्टियों पर बकाया राशि :

5340. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्राइवेट पार्टियों को दूध तथा दूध से बने पदार्थों की उधार सप्लाई करने के कारण उन पर वर्ष 1961 में बहुत बड़ी राशि बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस हानि के लिए कौन जिम्मेदार है तथा राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 31-12-1977 को दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किए गए दूध के मूल्य के रूप में 1,08,507.50 रुपए की धनराशि विभिन्न प्राइवेट पार्टियों द्वारा भुगतान के लिए बकाया थी। 30-6-67 तक दिल्ली दुग्ध योजना प्राइवेट पार्टियों को उधार के आधार पर दूध की भारी सप्लाई कर रही थी। प्राइवेट पार्टियों को उधार के आधार पर कभी भी दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति नहीं की गई है।

(ख) अभी तक किसी भी बकाया राशि को अप्राप्य घोषित नहीं किया गया है। अतः किसी ऐसी हानि का या ऐसी हानि के लिए उत्तरदायित्व निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं होता। 1-7-67 से, दिल्ली दुग्ध योजना ने प्राइवेट पार्टियों को अनिवार्यतः अग्रिम भुगतान के आधार पर दूध की सप्लाई शुरु कर दी है। प्राइवेट पार्टियों से बकाया धनराशि की प्राप्ति-समाधान के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

मध्य प्रदेश में चीनी के कारखानों की स्थापना के लिये जारी किये गये लाइसेंस

5341. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में नये चीनी कारखानों की स्थापना के लिये गत तीन वर्षों में कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ; और

(ख) कितने कारखानों में निर्माण-कार्य पूरा हो गया है और निर्माण-कार्य की लागत का ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान परियोजना की, कारखानेवार, कुल अनुमानित लागत क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में कोई नया चीनी यूनिट स्थापित नहीं किया गया था।

EXPENDITURE ON FLOOD CONTROL AND CANALS FOR IRRIGATION UNDER KOSI PROJECT

†5342. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) original estimates of expenditure on flood control, canals for irrigation and power generation, separately under Kosi Project and under river valley projects and the expenditure incurred so far i.e. upto the end of 1977: and

(b) the target of the area of and to be irrigated by the canals and hydel power, in Kilowatt, to be generated under the said project and the area of and irrigated and the power generated so far i.e. upto the end of 1977?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) the Kosi Project, which was originally conceived as Irrigation-cum-flood control Project, was sanctioned in 1958 for Rs. 44·76 crores. Power benefits from this project were envisaged later on at the cost of Rs. 2·79 crores. The expenditure incurred on these three components upto 1976-77 is about Rs. 77·47 crores, Rs. 26·23 crores and Rs. 6·09 crores respectively.

(b) The ultimate irrigation potential of Kosi project is 4·34 lakh ha., the potentia likely to be created by end of 77-78 is 3·29 lakh ha., the corresponding irrigation being 1·74 lakh ha. The installed capacity of the Kosi Power House is 20 M.W. Power generation was started in 1971 and upto October, 1977 40·50 million KW of power have been generated.

कनाडा से पोटाश के आयात के लिये स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब

5343. **श्री विनायक प्रसाद यादव : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने नौवहन और परिवहन मंत्रालय के माध्यम से कनाडा से भारत को 31,000 टन पोटाश की भारी मात्रा का आयात करने के लिये "फ्लैग शिप" नामक जहाज बुक किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जहाज में माल उतारने संबंधी अत्याधुनिक उपकरण लगे होने के कारण इससे प्रतिदिन 10,000 टन की दर पर सामान उतारा जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने माल को तेजी से उतारने के लिये क्या उपाय किये हैं जिससे कि सरकार अनुसूचित समय से पूर्व माल उतार लेने के आधार पर जहाज कम्पनी से प्रतिदिन विदेशी मुद्रा में 1250 डालर की दर से "स्पीड राशि" प्राप्त कर सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

कर्नाटक में केन्द्रीय विद्यालय

5344. **श्री जनार्दन पुजारी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में केन्द्रीय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) वर्ष 1978 में कितने नये विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है और वे किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :
(क) बारह ।

(ख) यह विचाराधीन है ।

भारत–जर्मन जनवादी गणतंत्र सांस्कृतिक समझौता

5345. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–जर्मन जनवादी गणतंत्र सांस्कृतिक समझौते पर मार्च, 1978 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत और जर्मन जनवादी गणराज्य के बीच, दोनों देशों के सरकारी शिष्ट मण्डलों के बीच विचार विमर्श के बाद नई दिल्ली में 3 मार्च, 1978 को एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए । इस कार्यक्रम में विज्ञान और शिक्षा, जन स्वास्थ्य, कला और संस्कृति, फिल्म, टेलीविजन, रेडियो और प्रेस, खेल इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था के लिये 84 विषय शामिल किए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

I. विज्ञान-शिक्षा

इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में दोनों देशों की चुनी हुई उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच सहयोग परस्पर तय किए गए क्षेत्रों में लेक्चर तथा अध्ययन दौरों और एक दूसरे के देश में आयोजित किए जाने वाले सेमिनारों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिये शिक्षा शास्त्रियों का विनिमय. शिक्षा विदों के दलों का विनिमय, हिन्दी-जर्मन/जर्मन-हिन्दी शब्दकोष का सहनिर्माण, जर्मन जनवादी गणतंत्र में 1979 में आयोजित होने वाले विश्व संस्कृति सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेने, भारतीय विद्या अथवा भारतीय अध्ययन के लिये जर्मन जनवादी गणतंत्र को एक प्रोफेसर भेजना, भारत के विश्वविद्यालय में लेक्चर देने के लिये जर्मन के भाषाशास्त्री का स्वागत करना, एक दूसरे के देश में छात्रों के लिये छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, जर्मन जनवादी गणतंत्र की शैक्षणिक विज्ञान अकादमी तथा भारत के राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा

प्रशिक्षण परिषद् के बीच सूचना का विनिमय, पाठ्यविवरण पाठ्य-पुस्तकों, शैक्षणिक पत्रिकाएं, सूचना तथा प्रकाशनों का विनिमय, शैक्षणिक क्षेत्रों में अनुभव की प्रोन्नति तथा विनिमय की व्यवस्था है।

II. जन-स्वास्थ्य

इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के विनिमय की व्यवस्था है। जर्मन जनवादी गणतंत्र (क) क्षय रोग नियंत्रण और उष्णकटिबंधी चिकित्सा, विषय में लेक्चर और (ख) जर्मन जनवादी गणतंत्र औषध संघ, औषध मानक और कोटि नियंत्रण का अध्ययन करने के लिये भारतीय विशेषज्ञों का स्वागत करेगा। जर्मन जनवादी गणतंत्र शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं और कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत करेगा। भारत कलकत्ता के उष्णकटिबंधी चिकित्सा स्कूल में उष्ण कटिबंधी चिकित्सा का अध्ययन करने के लिये जर्मन जनवादी गणतंत्र के एक वैज्ञानिक का स्वागत करेगा और अनुसंधान संस्थान, कसौली में मरक विज्ञान (एपिडीमिआलाजी) का अध्ययन करने के लिये जर्मन जनवादी गणतंत्र के दो वैज्ञानिकों का स्वागत करेगा।

III. कला और संस्कृति

इस कार्यक्रम में नृत्य तथा संगीत मण्डलियों, कठपुतली थिएटर और एकल वादकों के विनिमय, एक दूसरे के देश में समकालीन नाटक के निर्माण में सहयोग, कला प्रदर्शनियों के विनिमय की व्यवस्था है। भारत, जर्मन जनवादी गणतंत्र में नाटक "वसन्तसेना" के निर्माण के लिए जर्मन जनवादी गणतंत्र की सहायता करेगा। दोनों पक्ष अध्ययन और लेक्चर दौरों के लिए मुद्रा विज्ञान, कला, इतिहास, संग्रहालय विज्ञान इत्यादि जैसे क्षेत्रों के लेखकों, विद्वानों का विनिमय भी करेंगे। दोनों देशों के पुस्तकालयों और संग्रहालयों के बीच प्रकाशनों का विनिमय भी होगा। जर्मन जनवादी गणतंत्र महाकवि सूरदास की 500वीं जयन्ती के अवसर पर प्रकाशित होने वाले स्मारक ग्रन्थ में शामिल करने के लिये सूरदास की कृतियों के चुनाव हेतु एक दो सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल भेजेगा।

IV. फिल्म, दूरदर्शन, रेडियो तथा प्रेस

इस कार्यक्रम में एक दूसरे के देश के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेना भी शामिल है और भारत, जर्मन जनवादी गणतंत्र में भारतीय फिल्मों का एक समारोह आयोजित करेगा। जर्मन जनवादी गणराज्य द्वारा भारत में एक डी० ई० एफ० ए० पाश्यदर्शन (रेट्रोस्पेक्टिव) आयोजित किया जाएगा, जबकि जर्मन जनवादी गणराज्य भारतीय फिल्मों का एक पाश्यदर्शन (रेट्रोस्पेक्टिव) जर्मन जनवादी गणराज्य में आयोजित करेगा। इन अवसरों पर दोनों पक्ष फिल्म प्रतिनिधि मण्डलों का विनिमय करेंगे। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और जर्मन जनवादी गणतंत्र की ध्वनि प्रसारण स्थायी समिति के बीच हस्ताक्षरित प्रोटोकोल के अनुसार एक दूसरे के देश के आपसी रुचि के रेडियो कार्यक्रमों का भी साथ विनिमय किया जाएगा।

V. खेल

कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि दोनों पक्ष शारीरिक संवर्धन तथा खेलों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तथा इसमें सहायता देने के लिये सहमत हैं। आपसी सहमति से विवरण तय किए जाएंगे।

गुजरात में पोलिटेकनिक संस्थान

5346. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कितने पोलीटैकनिक संस्थान चल रहे हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) इन संस्थानों में पढ़ाये जा रहे व्यवसायों के नाम क्या हैं ;

(ग) प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ; और

(घ) प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार देने संबंधी योजना क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०–2006/78]।

(घ) पोलिटेक्निकों से डिप्लोमा प्राप्त करने वालों को रोजगार दिलाने की ऐसी कोई निश्चित योजना नहीं है। तथापि, शिक्षु (अप्रेन्टिस) अधिनियम, 1961 (1973 में यथा संशोधित) के अंतर्गत उन्हें उद्योगों में एक वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे उनकी नियोजन क्षमता में वृद्धि होती है।

कार्बेट पार्क, नैनीताल, उत्तर प्रदेश में वन्य प्राणियों का समाप्त होना

5347. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के जिला नैनीताल में कार्बेट पार्क में वन्य प्राणियों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ वन्य प्राणियों की नस्लों के समाप्त हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और वन्य प्राणियों को समाप्त होने से बचाने के लिए और उस शरणस्थल में वन्य प्राणियों की नई नस्लों को लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) उक्त (क) और (ख) को दष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता। तथापि, पार्क में नयी नस्लों को रखने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। पार्क में वन्य प्राणियों की संख्या और उनका घनत्व पर्याप्त है।

लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि करने से पश्चिम बंगाल द्वारा चिन्ता प्रकट किया जाना

5348. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल ने लेवी चीनी का फुटकर मूल्य 2 रुपये 15 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम करने के केन्द्र के निर्णय पर चिन्ता प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को एक पत्र लिखा है ; और

(ग) उस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां।

(ग) पहली मार्च, 1978 से लेवी चीनी का समान खुदरा मूल्य 2.15 रुपये से बढ़ाकर 2.30 रुपये प्रति किलो करने का निर्णय उत्पादन की लागत में समूची वृद्धि होने और मुख्यतया खुली बिक्री की चीनी की बिक्री से काफी कम प्राप्ति होने के कारण चीनी फैक्ट्रियों को गन्ने का मल्य मौजूदा स्तर पर देते रहने के योग्य बनाए रखने की दृष्टि से लिया गया था। 5 वर्ष से भी अधिक अवधि के बाद प्रति किलो 15 पैसे (लगभग 7 प्रतिशत) की वृद्धि को अनुचित नहीं समझा जाता है जबकि इस अवधि के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में लगभग 52 प्रतिशत की समूची वृद्धि हुई है।

"राई-व्हीट हाईब्रिड इज रस्ट रेसिस्टेंट"

5349. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 फरवरी, 1978 के हिन्दुस्तान टाइम्स 'साइंटिस्ट क्लेम राई व्हीट हाईब्रिड इज रस्ट रेसिस्टेंट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है ;

(ग) क्या उक्त कार्य विश्व में अपनी तरह का पहला ही है ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप अब तक खराब होने वाला गेहूं कहां तक बचाया जा सकेगा और राष्ट्र के लिये यह प्रयोग कहां तक सहायक होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान् । सरकार को उन भारतीय वैज्ञानिकों के कार्य की जानकारी है जिन्होंने राई और गेहूं की रतुआ रोधी संकर नस्ल विकसित की है जिसे आम तौर पर "ट्रिटीकल्स" के नाम से जाना जाता है।

(ख) इन विज्ञानियों में राई और गेहूं की नस्ल पुनर्गठित की है जिससे राई से गेहूं में अपेक्षित गुणों का अन्तरण हो गया है जिनमें रतुआ रोधिता भी सम्मिलित हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । भारत के अतिरिक्त अनेक देश जैसे कि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, मैक्सिको, हंगरी, स्वीडन, इंग्लैंड आदि भी ट्रिटीकल्स के उत्पादन पर कार्य कर रहे हैं।

(घ) भारत तथा विदेशों में उत्पन्न ट्रिटीकल्स का परीक्षण गत चार वर्षों से अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार प्रायोजना में किया जा रहा है। यद्यपि अनेक ट्रिटीकल्स रतुआ-रोधी हैं किन्तु उनमें भारत के मैदानों में गेहूं से अधिक उत्पादन लाभ दिखायी नहीं दिया है तथापि, कुछ ट्रिटीकल्स उत्तरी पहाड़ियों में आशाजनक दिखायी दिये हैं। वे अब परीक्षण की अन्तिम स्थिति में हैं। यदि सफलता मिल गयी तो ये ट्रिटीकल्स इन पहाड़ियों में रोग के कारण हुई क्षति को कम करने में सहायता करेंगे।

विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए आचार संहिता

5350. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक आचार संहिता बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या उक्त संहिता बनाने से पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों से परामर्श किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय परिसरों में शान्ति बनाए रखने तथा शिक्षा संस्थाओं को सभी प्रकार के उपद्रवों से मुक्त रखने के संदर्भ में एक सुझाव दिया गया था कि शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और राजनीतिक दलों के लिए भी एक आचार संहिता होनी चाहिए । सरकार सहमत है कि एक ऐसी आचार संहिता का होना वांछनीय होगा। तथापि, कोई ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन की योजना के एक भाग के रूप में, यह सुझाव भी दिया गया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने शिक्षकों के लिए एक आचार संहिता तैयार करनी चाहिए।

पाठ्य पुस्तकों के लिए सफद छपाई-कागज दिया जाना

5351. **श्री प्रसन्नाभाई मेहता : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय काल्याण महासंघ ने यह चेतावनी दी है कि यदि कागज मिलें सहयोग नहीं देती और सफेद छपाई कागज का आवश्यक पूरा कोटा शीघ्र नहीं देतीं तो आगामी शिक्षा वर्ष में पाठ्य पुस्तकों के मूल्य बहुत अधिक होंगे अथवा वे उपलब्ध नहीं होंगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भारतीय प्रकाशक संघ ने अभ्यावेदन किया था कि वे रियायती कागज और उचित दरों पर गैर-रियायती कागज प्राप्त करने में कठिनाईयां अनुभव कर रहे हैं।

(ख) सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कागज की बढ़ती हुई अन्तर्वाह को सुनिशिचत करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं। कागज (उत्पादन का नियमन) आदेश, 1978, 8 मार्च, 1978 को जारी कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबंध किया गया है कि 25 टन प्रतिदिन अथवा अधिक अधिष्ठापित क्षमता की मिलों को कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत सफेद मुद्रण कागज तथा कुल उत्पादन का कम से कम 33 प्रतिशत 5 अन्य प्रकार के लेखन तथा मुद्रण कागज (क्रीम लेड अथवा वोव कागज, रंगीन मुद्रण कागज, अनुलिपि कागज, ओफसेट अथवा लिथो कागज तथा टंकण कागज) का उत्पादन करना है, जिसमें से क्रीम लेड अथवा वोव कागज 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा। शैक्षिक क्षेत्र के लिए रियायती कागज की सप्लाई की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। कागज मिलों को रियायती कागज शीघ्र सप्लाई करने का अनुरोध किया गया है।

नई दिल्ली में आयोजित इतिहासकारों और विद्वानों का सम्मेलन

5352. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याग्र और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत महीने नई दिल्ली में आयोजित इतिहास कारों और विद्वानों के सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकले तथा सिफारिशें की गई ; और

(ख) उन सिफारिशों के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भारतीय इतिहास और संस्कृति सोसायटी नामक संगठन, जिसका उद्देश्य इतिहासकारों को उनकी शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध करना है, ने अपना उद्घाटन अधिवेशन 4–6 मार्च, 1978 को दिल्ली में किया। उपलब्ध सूचना के अनुसार, सोसायटी ने और अधिक संगोष्ठियों के आयोजन, अपनी पत्रिकाएं और संगोष्ठी की कार्रवाई प्रकाशित करने, सदस्यता बढ़ाने इत्यादि का निर्णय किया है।

(ख) सम्मेलन के आयोजकों से सरकार द्वारा कार्रवाई के लिए कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

शिक्षा के लिये वैकल्पिक ज्ञान के अध्ययन की संभाव्यता

5353. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलोनिया, राजस्थान और कानपुर के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में शिक्षा के लिये वैकल्पिक ज्ञान के अध्ययन की संभाव्यता के बारे में कब कार्य आरंभ किया जायेगा ;

(ख) तिलोनिया और कानपुर में पूरे किये गए दो अध्ययनों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त मुख्य बातों की क्रियान्विति कब तक की जाएगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तिलोनिया (राजस्थान) और कानपुर के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में शिक्षा प्राप्ति की वैकल्पिक पद्धतियों के सम्भाव्यता अध्ययनों का संचालन छठी पंच बर्षीय योजना के दौरान किए जाने की संभावना है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि कानपुर और तिलोनिया में सम्भाव्यता अध्ययनों के दो चरण थे, पहला चरण कार्य प्रारम्भिक सर्वेक्षण का और दूसरा चरण काय संचालन का। कानपुर अध्ययन पहले चरण से आगे नहीं गया। जहां तक तिलोनिया अध्ययन का संबंध है, दूसरा चरण जून, 1978 में पूरा होगा। दूसरा चरण पूरा होने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित होने और राज्यों को समुचित आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किए जाने की आशा है।

(ख) और (ग) एक अध्ययन, अर्थात् तिलोनिया जो पूर्ण होने वाला है, की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है

(ii) अन्य स्कूलों के बच्चों की तुलना में छात्रों की उपलब्धि अच्छी थी।

(iii) आवर्ती खर्चे की यूनिट लागत कम थी क्योंकि उपस्थिति में वृद्धि हुई है।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा चिकित्सा विज्ञान की स्टैण्डर्ड पुस्तकों का अनुवाद/मूल लेखन

5354. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय) चिकित्सा विज्ञान की स्टैण्डर्ड पुस्तकों का (जिसमें होम्योपैथी भी शामिल है) हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद/मूल लेखन कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो होम्योपैथी की कितनी पुस्तकों का हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद/मूल लेखन किया गया ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी): (क), (ख) तथा (ग) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग 5 हिन्दी भाषी राज्यों की हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों की सहायता से चिकित्सा विषयों की मानक पुस्तकों के हिन्दी में अनुवाद तथा मूल लेखन के कार्य में लगा हुआ है। इस कार्यक्रम में होम्योपैथी की पुस्तकें शामिल नहीं हैं। हिन्दी को छोड़कर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में चिकित्सा विषयों की पुस्तकें राज्य सरकारों द्वारा स्थापित उनके अपने-अपने विभिन्न पुस्तक उत्पादन बोर्डों द्वारा प्रकाशित की जा रही हैं। उपरोक्त कार्यक्रम के अंतगत अभी तक होम्योपैथी की कोई पुस्तक हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित नहीं की गई है। होम्योपैथी की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा अभी तक ऐसी पुस्तकों के हिन्दी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में निर्माण के लिए कोई अनरोध नहीं किया गया है।

हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में वैज्ञानिक और चिकित्सा (मेडीकल) शब्दावली तैयार किया जाना।

5355. **श्री कंवर लाल गुप्त : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय) इस समय वैज्ञानिक तथा मेडिकल (होम्योपैथी सहित) शब्दावली हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करने में लगा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो होम्योपैथी की शब्दावली तैयार करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चिकित्सा विज्ञान की एक समेकित शब्दावली, जिसमें चिकित्सा विज्ञान के 36000 और औषध-निर्माण-विज्ञान के 9500 शब्द शामिल हैं, पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है। होम्योपैथी एवं आधुनिक चिकित्सा विज्ञानों में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली उन औषधियों के नामों को छोड़कर जो अंतर्राष्ट्रीय हैं और जिनका लिप्यन्तरण सभी विज्ञानों में किया जाना है ---व्यावहारिक रूप से वही है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई किया गया खाद्यान्न

5356. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, प्रत्येक राज्य को प्रत्येक किस्म के खाद्यान्नों की कितनी मात्रा भेजी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०–2007/78]।

GRANTS TO DISTRICT CENTRES OF NEHRU YOUTH CENTRES

†5357. SHRI SUBASH AHUJA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to lay a statement showing :

(a) the annual amount, given to each district centre of the Nehru Youth Centre for implementing its programmes; and

(b) the number of officers and employees appointed in each centre and the number of days in a month on which the village or block level employees are made available to the centres for the implementation of their programmes ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) An amount of Rs. 30,000/- is sanctioned by the Ministry of Education to each Nehru Yuvak Kendra for programmes during one year.

(b) The sanctioned strength of staff for each Nehru Yuvak Kendra is one Youth Coordinator, one Accounts Clerk-cum-Typist and two class IV staff on daily wages. Besides themselves organising various programmes and activities for non-student youth, the Nehru Yuvak Kendras also coordinate with various official and non-official agencies in the district in the implementation of youth programmes, assistance of block/village level employees is taken whenever necessary.

पश्चिम बंगाल में बंगलादेश के शरणार्थी

5358. **डा० बापू कालदाते**
श्री आर० के० महालगी } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिम बंगाल में बंगलादेश के कितने शरणार्थी हैं ;

(ख) ये शरणार्थी कब से भारत में हैं ; और

(ग) उनको बंगलादेश वापस भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क), (ख) और (ग) 25 मार्च, 1971 तक भारत में आए 98.99 लाख शरणार्थियों में से 72.36 लाख पश्चिम बंगाल में ही रह गए थे, इनमें से 48.50 लाख शिविरों में और 23.86 लाख अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों के पास ठहर गये थे। बंगलादेश के स्वतंत्र होने के पश्चात् लगभग सभी शरणार्थी मार्च, 1972 के अंत तक या तो अपने देश वापिस चले गए थे अथवा भेज दिए गए थे। ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो भारत में ही रह रहे हों, पता चलने पर विदेशी

अधिनियम, 1946 के अधीन राज्य रकार द्वारा कार्यवाही की जाती है।

गोदावरी नदी का जल कृष्णा और कावेरी नदियों में मिलना

5359. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ज्ञात है कि गोदावरी के जल को कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में कृष्णा और कावेरी नदियों के साथ में मिलना तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में इन नदियों का पानी वितरित करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है अथवा उसने इस मामले में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों को परामर्श दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) गोदावरी बेसिन से आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य सम्बद्ध हैं और गोदावरी के जल के उपयोग और विकास से संबंधित विवाद इस समय अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित गोदावरी जल-विवाद न्ययाधिकरण के समक्ष न्याय निर्णयनाधीन है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा गोदावरी के जल के कृष्णा में डालने की संभाव्यता के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण 1960 से आरम्भ होने वाली दशाब्दी के शुरु में किए गए थे। तथापि, जब तक न्यायाधिकरण अपना अन्तिम निर्णय नहीं दे देता अथवा बेसिन राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक किसी ऐसी स्कीम पर विचार नहीं किया जा सकता।

अक्तूबर, 1977 में हुए समझौते के अनुसार, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य कृष्णा जल के अपने हिस्से में से मद्रास शहर को पीने के जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक 5 हजार मिलियन घन फुट (टी० एम० सी०) पानी देने के लिए सहमत हो गए थे।

इस समय अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आयोजना, तथा विकास विंग, भारत सरकार

5360. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **निर्माण और आवस तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक कार्यालय की आयोजना तथा विकास और केन्द्रीय सरकार के लिए विकास काम्प्लेक्स पर विचार करने हेतु एक कर्मी दल की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो किन विभागों से कर्मचारियों को लिया गया है ; और

(ग) इस दल ने क्या कार्य किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 1976 में, सरकार ने दिल्ली स्थित शाहदरा दक्षिण क्षेत्र में कार्यालय और आवासीय तथा वाणिज्यिक काम्प्लेक्स के निर्माण की योजना पर विचार करने के लिए एक कर्मी दल का गठन किया था ।

(ख) कर्मी दल के लिए निम्नलिखित विभागों से अधिकारियों को लिया गया:—

(i) निर्माण और आवास मन्त्रालय तथा इसके संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालय;

(ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण,

(iii) दिल्ली नगर निगम ;

(iv) आवास तथा नगर विकास निगम लि० ;

(v) सार्वजनिक उद्यम कार्यालय ; और

(vi) दिल्ली प्रशासन ।

(ग) इस कर्मी दल ने अपना काम पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

शिक्षा के लिये राज्यों को सहायता

5362. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र विभिन्न राज्य सरकारों को शिक्षा के लिये कितनी सहायता दे रहा है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्यों में शिक्षा पर होने वाला पूरा व्यय वहन नहीं करना चाहिये ; और

(ग) सब को निःशुल्क शिक्षा देने के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या योजनाएं और रुख है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) केन्द्र निम्नलिखित प्रकार से शिक्षा के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता दे रहा है :—

(i) सहायक अनुदान (पंचवर्षीय वित्त आयोगों के माध्यम से प्रतिबद्ध खर्च के कारण राज्य सरकारों को किए गए राजस्व स्थानान्तरण सहित) ;

(ii) योजना आयोग के माध्यम से सम्पूर्ण योजना के लिए दिए गए विकास खर्चे के लिए सहायक अनुदान ; और

(iii) केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय से अनुदान ।

(ख) राज्य के अन्दर शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करना संवैधानिक रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ।

(ग) संवैधानिक निर्देश यह है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए ।

केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से सीमित संसाधनों के अन्दर इस निर्देश के कार्यान्वयन के लिए प्रयास कर रही है। देश के सभी भागों के सरकारी स्कूलों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में 1 से 5 कक्षा तक शिक्षा पहले ही निःशुल्क है। सभी राज्यों में सिवाय उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल के जहां लड़कों के लिए ऐसा नहीं है, कक्षा 6–8 में भी शिक्षा निःशुल्क है। इन राज्यों ने 8वीं कक्षा तक लड़कों के लिए भी निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव किया है बशर्ते कि उनको आवश्यक निधियां उपलब्ध हो सकें।

केन्द्रीय सहायता प्राप्त केरल की आवास परियोजनाएं

5363. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ऐसी आवास परियोजनाएं कौन कौन सी हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त हो रही है ; और

(ख) केन्द्रीय सहायता के बारे में केरल सरकार की कितनी और परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार से अभी भी स्वीकृति प्राप्त होनी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना, जो केन्द्रीय क्षेत्र में है, के सिवाय, इस मन्त्रालय द्वारा बनाए गए सभी अन्य सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। आवास सहित समस्त राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को उनके किसी विशेष योजना अथवा विकास शीर्ष से संबद्ध हुए बिना 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार, आवास सहित विभिन्न राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए निधियों का निर्धारण करने में स्वतन्त्र हैं। बागान कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत, वर्ष 1975-76 से 1977-78 तक के लिए केरल सरकार को 61.50 लाख रु० की राशि (कुछ अंश ऋण के रूप में और कुछ अंश सहायता के रूप में) दी गई है। इसके अलावा, निर्माण और आवास मन्त्रालय ने विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केरल सरकार को 1977-78 तक 1172.70 लाख रु० की राशि जीवन बीमा निगम के ऋण के रूप में आवंटित की ।

राज्य सरकार द्वारा 1956 के बाद पुलिस आवास योजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त ऋण सहायता लगभग 345.00 लाख रु० है।

इसके अतिरिक्त, आवास तथा नगर विकास निगम ने केरल में 3 एजेंसियों को 24 योजनाओं के लिए 9.71 करोड़ रु० का ऋण मंजूर किया है। लगभग 11.97 करोड़ रु० की लागत की एक परियोजना सहित केरल की छः और योजनाएं आवास तथा नगर विकास निगम के पास उनकी मंजूरी के लिए विचाराधीन हैं।

उर्वरक और कृमिनाशक औषधि की सप्लाई में राज सहायता दिया जाना

5364. **श्री जार्ज मैथ्यू : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों तथा विशेषकर छोटे उत्पादकों को उर्वरक तथा कृमिनाशक औषधि की सप्लाई में कितनी राज सहायता दी जाती है ; और

(ख) क्या सरकार 2 हेक्टेयर तथा इससे कम की जमीन वाले किसानों को उर्वरक तथा कृमिनाशक औषधि की सप्लाई निःशुल्क करने पर विचार करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत उर्वरकों तथा कीटनाशी दवाओं के लिये राज सहायता दी जा रही है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) लघु कृषक विकास एजेंसी परियोजनाओं के अन्तर्गत फासफेट युक्त तथा पोटाश युक्त उर्वरकों के लिये छोटे किसानों को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की दर से अधिक से अधिक 100 रुपये प्रति मौसम अथवा एक या दो वर्षों में फैले हुए दो मौसमों के लिए 200 रुपये के हिसाब से राज सहायता दी जाती है।

(2) समस्त ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे तथा सीमांत किसानों को पोटाश युक्त तथा फासफेट युक्त रासायनिक उर्वरकों के लिये 25–33 प्रतिशत तक राज सहायता देने की अनुमति दी गई है।

(3) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत फासफेट युक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों के उपयोग के लिये छोटे तथा सीमांत कृषकों को क्रमशः 25 प्रतिशत और 33.3 प्रतिशत राज सहायता दी जाती है।

(4) सरकार प्रत्येक देशी उत्पादित पी2 ओ5 पर 1250 रुपये की राजसहायता दे रही है। इस राज सहायता का लाभांश उर्वरकों के मूल्यों में तदनुरूपी कमी करने के माध्यम से किसानों को प्राप्त होता है।

(5) दालों के विकास के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत वनस्पति रक्षण रासायनिकों की लागत पर 25 प्रतिशत तक राज सहायता दी जा रही है। उपयोग में लाये गये रासायनिकों के अनुसार (5 से 15 रु० प्रति हैक्टार तक) है। मटर की चूर्णित फफूंदी के नियन्त्रण हेतु यह सीमा 25 रुपये प्रति हेक्टार तक बढ़ा दी गई है।

(6) केन्द्रीय प्रायोजित महामारी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत कीट नाशी दवाओं की लागत पर 50 प्रतिशत की दर से राज सहायता दी जाती है।

(7) अभिज्ञात क्षेत्रों और खरपतवारों के लिये खरपतवार नियन्त्रण परियोजना के अन्तर्गत खरपतवार नाशी दवाओं की लागत पर 25 प्रतिशत की दर से राजसहायता प्रदान की जाती है।

(8) गहन तिलहन विकास कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 40,000 हेक्टार के यूनिट क्षेत्र हेतु बिजली तथा हाथ से चलने वाले वनस्पति रक्षण उपस्कर (75,000 रु०) तथा वनस्पति रक्षण रासायनिकों के क्रय विक्रय में होने वाले नुकसानों (25,000 रु०) के लिये एक लाख रु० की व्यवस्था कर दी गई है। तोरिया तथा सरसों के मामले में वनस्पति

रक्षण रासायनिकों की 25 प्रतिशत लागत ग्रौर 50 प्रतिशत संचालन लागत को पूरा करने के लिये राज्यों द्वारा 1 लाख रुपए का बारी-बारी से उपयोग किया जा सकता है।

(9) समेकित शुष्क भूमि विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, जो 12 राज्यों के 24 जिलों में 24 परियोजनाग्रों में चल रही है, के ग्रन्तर्गत भाग लेने वाले किसानों को उर्वरकों तथा कीटनाशी दवाग्रों की मखरीद के लिये निम्नलिखित दरों से राजसहायता दी जाती है :—

(1) प्रति वर्ष प्रति परियोजना 800 हेक्टार के क्षेत्र के लिये उर्वरकों (नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को छोड़कर) की खरीद के लिये 50 प्रतिशत की राजसहायता।

(2) ग्रावश्यकता पड़ने पर भाग लेने वाले किसानों को प्रति परियोजना प्रति वर्ष ग्रधिक से ग्रधिक 800 हेक्टार क्षेत्र के लिये कीटनाशी दवाग्रों की खरीद के लिये 50 प्रतिशत की राज सहायता।

(10) ग्रादिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत ग्रादिवासी विकास एजेंसी उन्नत कृषि कार्यक्रम ग्रारम्भ करने वाले ग्रादिवासी किसानों को कृषि ग्रादानों ग्रर्थात् उन्नत बीजों, कीटनाशी दवाग्रों तथा उर्वरकों (जिनमें परिवहन की लागत शामिल है) पर 50 प्रतिशत की राजसहायता दे सकती है जो ग्रधिक से ग्रधिक 200 रु० प्रति परिवार प्रति मौसम के हिसाब से हो सकती है तथा जो तीन कृषि मौसमों से ग्रधिक के लिये नहीं दी जाएगी। यह राजसहायता वस्तु के रूप में ग्रथवा मूल्यों में कमी करके दी जाती है।

(11) पहाड़ी क्षेत्र विकास परियोजना के कृषि प्रदर्शन कार्यक्रमों के ग्रन्तर्गत ग्राने वाले किसानों को कृषि ग्रादानों ग्रर्थात् बीजों-उर्वरकों, कीटनाशी दवाग्रों ग्रादि की निःशुल्क सप्लाई की जाती है।

(12) सरकार ग्रायातित उर्वरकों के वितरण के उद्देश्य से रेल शीर्ष के रूप में विनिर्दिष्ट सड़क केन्द्रों तक परिवहन की लागत को पूरा करके कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में उर्वरकों के परिवहन की लागत में राजसहायता दे रही है।

(ख) जी नहीं। यह व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है।

'काम के बदले भोजन' योजना

5365. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वास्तविक तथा वित्तीय रूप में 'काम के बदले भोजन' (फूड फार वर्क) योजना के ग्रब तक राज्यवार क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) इस योजना की क्रियान्विति के माध्यम से प्रत्येक राज्य में रोजगार के कितने ग्रवसर पैदा हुए ; ग्रौर

(ग) क्या उक्त योजना वित्त वर्ष 1978-79 में भी क्रियान्वित होती रहेगी ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान ग्रसम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश,

पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को 25.70 करोड़ रुपये के 204580 मीटरी टन गेहूं तथा 1850 मीटर टन माइलो आबंटित किए गए थे। विभिन्न राज्यों को आबंटित की गई गेहूं तथा माइलो की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है :—

राज्य	आवंटित की गई मात्रा (मीटरी टन)		मूल्य (लाख रु० में)
	गेहूं	माइलो	
1. असम	7,500	—	93.75
2. बिहार	30,000	—	375.00
3. कर्नाटक .	1,000	1,000	19.50
4. महाराष्ट्र	11,940	450	152.40
5. केरल	6,000	—	75.00
6. मध्य प्रदेश .	10,000	—	125.00
7. हिमाचल प्रदेश	940	—	11.75
8. उड़ीसा	30,000	—	375.00
9. उत्तर प्रदेश .	42,000	400	527.80
10. पश्चिम बंगाल .	51,200	—	640.00
11. राजस्थान	6,000	—	75.00
12. पंजाब	8,000	—	100.00
योग	2,04,580	1,850	2570.20

(ख) रोजगार के सृजन के बारे में अद्यतन ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं। विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार योजना के अन्तर्गत फरवरी, 1978 तक 318.23 लाख श्रम दिनों का रोजगार सृजित किया गया था।

(ग) जी हां। योजना वर्ष 1978-79 के दौरान जारी रहेगी तथा राज्य सरकारों को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

पुनर्वास उद्योग निगम

5366. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उपक्रम पुनर्वास उद्योग निगम की बहुत हानि हो रही है और वह बन्द होने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्यकरण का सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पुनर्वास उद्योग निगम श्रमिक एवं कर्मचारी संघ, 2-ए० फ्री स्कूल स्ट्रीट, कलकत्ता-16 ने इस उपक्रम के कार्यक्रम में सुधार करने के लिये ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां। पुनर्वास उद्योग निगम हानि पर चल रहा है और निगम को व्यवहार्य बनाने सम्बन्धी उपायों पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) निगम के वर्तमान क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :--

(i) पश्चिम बंगाल में लघु क्षेत्र में 15 औद्योगिक एकक सीधे निगम द्वारा चलाए जा रहे हैं।

(ii) 5 औद्योगिक सम्पदाओं का प्रबन्ध निगम द्वारा किया जा रहा है, जहां कि औद्योगिक शैडों का निर्माण किया गया है और निजी उद्योगपत्तियों को किराये पर दिए गए हैं।

(iii) पुनर्वास उद्योग निगम ने निर्माण कार्य आदि के लिए इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटिड से ठेके लिए हैं।

इन क्रियाकलापों के माध्यम से, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए लगभग 5000 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ) संभवत: माननीय सदस्य, ने पुनर्वास उद्योग निगम के श्रमिक और कर्मचारी संघ के महासचिव द्वारा दिए गए 5 सितम्बर, 1977 के ज्ञापन का हवाला दिया है।

निगम के विभिन्न एककों का तकनीकी आर्थिक अध्ययन करने की दृष्टि से सरकारी उद्यम ब्यूरो के माध्यम से हाल ही में अध्ययन दलों का गठन किया गया है। ज्ञापन में उठाए गए मुद्दे, जो कि अध्ययन दलों के विचारार्थ विषयों में आते हैं, दलों द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

डाक व तार विभाग में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियर

5367. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1963 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनेक सहायक इंजीनियर डाक व तार विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए थे ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने डाक व तार विभाग को इन अधिकारियों को अपने यहां खपा लेने अथवा वापिस केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भेज देने की अनुमति देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के अनेक पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं ;

(घ) यदि उपरोक्त (ग) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) डाक व तार विभाग में भेजे गए सहायक इजीनियरों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के पदों पर पदोन्नत न करने के क्या कारण हैं ;

(च) डाक व तार विभाग में उसी संवर्ग के अधिकारियों की तुलना में इन सहायक इंजीनियरों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(छ) क्या सरकार इन सहायक इंजीनियरों को कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता दे रही है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) उन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वापिस भेजने का निर्णय है, किन्तु चूंकि वे डाक व तार विभाग में ही खपाने के लिये न्यायालय की शरण में गये हैं, इसलिये इस निर्णय को कार्यान्यिवित नहीं किया गया है।

(ग) कुछ रिक्तियां हैं किन्तु ये लम्बे अर्से से नहीं हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) एक सहायक इंजीनियर जो इस समय डाक व तार विभाग में प्रतिनियुस्ति पर है, कार्यपालक इंजीनियर के पद पर प्रोन्नति के हकदार हो गये हैं। किन्तु उन्हें प्रोन्नत नहीं किया गया है क्योंकि वे डाक व तार विभाग में ही तैनाती के लिए और खपाने के लिये न्यायालय की शरण में चले गये और यह मामला न्यायाधीन है। आगे की जाने वाली प्रोन्नति तदर्थ है न कि नियमित।

(च) सम्बन्धित इंजीनियरों का लियन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में रखा गया है, भविष्य में उनकी नियमित प्रोन्नति पर विचार किया जाना है।

(छ) इन इंजीनियरों को कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जा रहा है क्योंकि 1963 में डाक व तार के एक पृथक सिविल विंग के बनाने पर उनको काम सहित डाक व तार विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया था।

चीनी का उत्पादन, खपत तथा निर्यात

5368. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 से 1977-78 तक चीनी के कुल उत्पादन, देश में ही इसकी खपत, निर्यात तथा अगले वर्ष में जोड़े गये उसके स्टाक संबंधी आंकड़े क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1978-79 में चीनी का कितना उत्पादन, देश में ही उसकी कितनी खपत और विदेशों को कितनी निर्यात होने का अनुमान है ; और

(ग) वर्ष 1974-75 से 1977-78 तक उद्योग को प्रतिवर्ष कुल कितनी निर्यात सहायता दी गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के चीनी वर्षों (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी का वास्तव में पिछला बचा स्टाक, उत्पादन, घरेलू खपत और निर्यात के आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

(लाख मीटरी टन)

	1974–75	1975–76	1976–77
1. पिछला बचा स्टाक .	8.78	12.94	8.46
2. उत्पादन .	47.97	42.64	48.43
3. घरेलू खपत	34.57	36.91	37.53
4. निर्यात .	9.24	10.21	3.12

पहली अक्तूबर, 1977 को चीनी का पिछला बचा स्टाक 16.24 लाख मीटरी टन था। चीनी वर्ष 1977-78 के दौरान चीनी का उत्पादन लगभग 52.54 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है और इस वर्ष के दौरान आन्तरिक खपत लगभग 46 लाख मीटरी टन हो सकती है। जहां तक निर्यात का संबंध है, पंचांग वर्ष 1978 के दौरान 6.5 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) चीनी वर्ष 1978-79 के लिए चीनी के उत्पादन, घरेलू खपत और निर्यात के बारे में कोई विश्वसनीय अनुमान बताना जल्दबाजी होगी क्योंकि यह वर्ष अक्तूबर, 1978 से शुरु होना है।

(ग) 10 अप्रैल, 1974 से चीनी का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया गया है। 1974-75 और 1975-76 के वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम ने क्रमशः 155.90 करोड़ रुपये और 150.56 करोड़ रुपये का रुपया अधिशेष कमाया था और अगले दो वित्तीय वर्षों अर्थात 1976-77 और 1977-78 में क्रमशः 27.30 करोड़ रुपये और 6.20 करोड़ रुपये (अनुमानित) का नुक्सान हुआ है।

ARRANGEMENTS FOR STUDY OF FOREIGN LANGUAGES IN INDIAN UNIVERSITIES

†5369. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the names of the Universities in the country as a whole in which there are arrangements for study of foreign languages;

(b) whether it is a fact that Nehru University has no lecturers of Asian languages for the last five years;

(c) if so, the reasons for he non-availability thereof;

(d) whether it is also a fact that only the Western languages are given importance and the students are facing difficulties on account of non-availability of

the lecturers of the languages of Eastern countries (especially Asian languages); and

(e) if so, the time by which Government would make arrangements therefor?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) A statement is attached. (Placed in the Library. *See* No. L.T.-2008/78).

(b), (c), (d) and (e) According to the information furnished by the Jawaharlal Nehru University, there are a number of teachers in the Centre for African and Asian Languages. However, there are some difficulties in getting competent teachers in certain languages, particularly, Chinese and Japanese, as suitably qualified teachers are not available within the country. The University is making efforts in such cases to secure the services of teachers from abroad under the Cultural Exchange Programmes, etc. The Centre for African and Asian Languages was started simultaneously with the Centre for Western Languages and the 5-year integrated courses leading to M.A. in Japanese. Chinese. Persian and Arabic were introduced alongwith similar courses in French, Russian and German Languages.

KRISHNA WATER DISPUTE

†5370. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the Krishna River water dispute among the Andhra Pradesh, Tamilnadu and Karnataka States has since been resolved; and

(b) if so, the cusecs of water which will be available to each State under the said agreement?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) The Krishna Water Disputes Tribunal gave its final decision on the dispute amongst Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra in May, 1976. Tamil Nadu was not a party to this dispute.

(b) According to the final decision of the Krishna Water Disputes Tribunal published in the Gazette of India on 31st May, 1976, 75% dependable flow of the Krishna at Vijayawada has been assessed at 2060 Thousand Million Cubic feet (TMC). Maharashtra can use in any water year quantity not exceeding 560 TMC, Karnataka can use not more than 700 TMC and the balance can be utilised by Andhra Pradesh but it shall not acquire rights to use more than 800 TMC. The States have also been allowed to use the return flows in the manner laid down by the Tribunal.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना

5371. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना को समाप्त करने का निर्णय किया था ;

(ख) क्या यह परियोजना हमारे तेजी से बढ़ते हुए महानगरों में जनसंख्या के दबाव को कम करने के उद्देश्य में पूरी तरह असफल रही थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : : (क) अभी नहीं।

(ख) ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

SCHOOLS FOR BLIND, DEAF AND DUMB PERSONS

5372. SHRI ISHWAR CHAUDHARY : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the number of schools for the blind, deaf and dumb persons in the various places throughout the country;

(b) whether Government propose to open new schools for these handicapped persons in the near future; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSAN) : (a) Two lists, compiled from the information available with the Department of Social Welfare, of schools for the blind and Deaf & Dumb, are enclosed. (Placed in the Library. *See* No. L.T.-2009/78).

(b) and (c) School Education is primarily the responsibility of the States. However, this Department encourages voluntry organisations to start schools/institutions for the education and training of the handicapped persons by giving financial assistance.

WORK ON BAGMATI RIVER PROJECT, BIHAR

†5373. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the names of Central river valley projects in various states and the expenditure incurred thereon during the last three years as also the income earned thereby;

(b) whether it is a fact that the work on Batmati river project in north Bihar has been suspended; and

(c) whether Central Government propose to give any special grant for the completion of this project?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) No major or medium irrigation scheme is undertaken by the Central Government.

However, Farakka Barrage Project has been constructed by the Central Government with the main objective of preservation and maintenance of Calcutta Port and the regime and navigability of the Bhagirathi-Hooghly river. An expenditure of Rs. 17·21 crores has been incurred on this project during the last three years.

Name of five hydro-electric projects undertaken by the Central Government and the expenditure incurred thereon during the last three years are given below:

Name of Project	Expenditure (Rs. crores)
1. Salal Hydro Electric Project	35·72
2. Baira Siul Hydro Electric Project . .	42·32
3. Loktak Hydro Electric Project . .	17·38
4. Lower Lagyap Hydro Electric Project	5·92
5. Kopili Hydro Electric Project	10·70

Of the above, the Kopili Hydro Electric Project is now being executed by the North Eastern Electric Power Corporation Limited which was registered on the 2nd April 1976. No income has been earned from these projects so far as thes: are still under construction.

(b) & (c) Irrigation is a State subject and irrigation projects are financed by the State Governments. Central assistance to States is in the form of block loans/ grants which is not related to any sector of development or specific project. The Government of Bihar have envisaged an outlay of Rs. 1·50 crores and Rs. 3·00 crores for Bagmati Irrigation Scheme and Rs. 0·85 crores and Rs. 1·50 crores for Bagmati Flood Control Scheme in their Annual Plans for 1977-78 and 1978-79 respectively. The works on the project are at present confined to flood embankments for the protection of the command area. As regards Bagmati Barrage decision about its alignment is yet to be taken.

वयस्क शिक्षा कार्यक्रम में आल इंडिया किसान सभा का सहयोग

5374. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया किसान सभा ने मंत्री महोदय को एक पत्र लिखकर 'वयस्क शिक्षा कार्यक्रम' में पूरा सहयोग देने की बात कही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त योजना में उनका सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रतिनिधि के साथ बातचीत करने हेतु कोई कार्यवाही की है; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री **(डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र)** : (क) और (ख) अखिल भारतीय किसान सभा ने हाल ही में एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में उन्हें पूरी तरह से सहयोजित करने की इच्छा व्यक्त की है। सरकार ने सभा के इस निर्णय का स्वागत किया है और पूछा है कि सरकार किस प्रकार से उनकी सहायता कर सकती है।

कावेरी जल विवाद

5375. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कावेरी नदी जल विवाद को शीघ्र हल करने के लिये सम्बद्ध राज्य सरकारें कुछ बातों पर सहमत हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) जी, हां। 25-26 अगस्त, 1976 को हुई अन्तर्राज्यीय बैठक में कावेरी के जल के इस्तेमाल और विकास के संबंध में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच निम्नलिखित सहमति हुई थी :—

(1) कावेरी के जल का मौजूदा समुपयोजन 671 टी० एम० सी० है जिसमें 489 टी० एम० सी० जल का समुपयोजन तमिलनाडु द्वारा, 177 टी० एम० सी० जल का समुपयोजन कर्नाटक द्वारा और 5 टी० एम० सी० जल का समुपयोजन केरल द्वारा किया जाता है।

(2) मौजूदा आयाकटों को नुकसान पहुंचाये बिना मौजूदा समुपयोजन में किफायत करने की गुंजाइश है।

(3) जल के इष्टतम उपयोग और न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कावेरी बेसिन में जलाशयों के एकीकृत प्रचालन और जल सप्लाई को विनियमित करने की आवश्यकता है।

(4) किसी सामान्य वर्ष में मौजूदा सिंचित क्षेत्र की पूरी सुरक्षा की जाएगी।

(5) कमी वाले वर्षों में उपलब्ध जल के बंटवारे का तरीका निर्धारित करने के लिए और फालतू जल की, जो इस समय इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो सकता है, मात्रा का पता लगाने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक समिति तत्काल गठित की जाएगी।

(6) कावेरी घाटी प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित कावेरी घाटी प्राधिकरण के कार्यों और कार्य संचालन के नियमों की रूप-रेखा तीनों राज्यों के सचिवों की एक समिति द्वारा तैयार की जाएगी।

(7) मुख्य मंत्रियों की अगली बैठक में उक्त दोनों समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया जाएगा।

तदनुसार, दो समितियों की स्थापना की गई। इन समितियों की कई बैठकें हुई हैं जिसमें राज्यों के प्रतिनिधियों ने कुछ विषयों पर भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए। मौजूदा मतभेद दूर करने के लिए निकट भविष्य में अब मंत्री स्तर पर एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुनाफाखोरी

5376. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि और प्लाट बेचकर बहुत धनराशि कमा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह सलाह देगी कि भूमि के बहुत अधिक मूल्यों में कमी की जाए क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण एक सरकारी संस्था है तथा जनता के लिए रहने की अच्छी स्थिति उपलब्ध कराने वाला एक नागरिक निकाय है न कि मुनाफा कमाने वाली एजेन्सी ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास फ्लैटों को लाटरी व्यवस्था द्वारा बेचता है, यदि हां, तो आवास प्लाट क्यों नहीं बेचे जाते जिससे आम जनता प्लाट प्राप्त कर सके तथा अपने मकान बना सके ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) निम्न तथा मध्यम आय वर्ग को पूर्वनिर्धारित दर पर 200 वर्ग गज तक के प्लाटों का आबंटन किया जाता है। जिनका आकार इससे अधिक होता है उन्हें सरकार की नीति के अनुसार सार्वजनिक नीलामी द्वारा दिया जाता है।

(ख) निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के प्लाटों के आबंटन में कोई मुनाफादारी नहीं है।

(ग) निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाटों का आबंटन लाटरी के द्वारा किया जाता है। फ्लैटों का आबंटन पंजीकरण में वरीयता के आधार पर किया जा रहा है।

सूखे से प्रभावित राज्यों के लिये मांगी गई वित्तीय सहायता

5377. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों ने अपने क्षेत्रों में सूखे की स्थिति से उत्पन्न संकट पर काबू पाने के लिये दिसम्बर, 1977 तक कितनी मात्रा में खाद्यान्नों तथा धनराशि की सहायता मांगी और सरकार द्वारा, राज्यवार, उनकी मांगें किस हद तक पूरी की गई ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की नई नीति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1977 के दौरान सूखे से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए केवल कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सरकारों ने ही केन्द्रीय सहायता की मांग की है। सूखे से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए कर्नाटक

सरकार को 9.62 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता का आबंटन किया गया था तथा उत्तर प्रदेश को सूखे/बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए 10.00 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता आबंटित की गयी थी। निःशुल्क राहत के रूप में वितरण के लिए अनुदान स्वरूप कर्नाटक को 2,000 मीटरी टन गेहूं तथा उत्तर प्रदेश को 10,000 मीटरी टन गेहूं का भी आबंटन किया गया था।

(ख) छठे वित्त आयोग की सिफारिशों पर 1-4-1974 से राज्य सरकारों को प्राकृतिक विपदाओं के कारण होने वाला राहत संबंधी व्यय स्वयं अपने संसाधनों से तथा केन्द्र द्वारा प्रदत्त 50.71 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई वार्षिक मार्जिन धनराशि से वहन करना पड़ता है। उस तारीख से राज्यों को प्राकृतिक विपदाओं पर होने वाले राहत-व्यय को पूरा करने के लिए गैर-योजना सम्बन्धी केन्द्रीय सहायता सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती है। तथापि परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए, स्थिति के निरीक्षण के पश्चात्, योजना के अन्तर्गत अग्रिम योजना सहायता दी जाती है जिससे प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार तथा आय में वृद्धि होती है। वर्धित वार्षिक मार्जिन धनराशि का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	वार्षिक प्रावधान (रुपए करोड़ों में)
1. आंध्र प्रदेश	4.31
2. असम	1.25
3. बिहार	4.61
4. गुजरात	4.55
5. हरियाणा	1.24
6. हिमाचल प्रदेश	0.03
7. जम्मू और काश्मीर	0.35
8. कर्नाटक	1.91
9. केरल	0.30
10. मध्य प्रदेश	3.41
11. महाराष्ट्र	4.17
12. मणिपुर	0.04
13. मेघालय	0.04
14. नागालैण्ड	0.02
15. उड़ीसा	3.58
16. पंजाब	0.33
17. राजस्थान	10.19
18. तमिलनाडु	1.52
19. त्रिपुरा	0.07
20. उत्तर प्रदेश	2.18
21. पश्चिम बंगाल	6.61
योग	50.71

FIXATION OF PAY OF TEACHERS OF CENTRAL SCHOOLS POSTED AT KOTAH

†5378. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pay scales of all the teachers of the Central School, Kotah, Rajasthan have not so far been fixed in accordance with the recommendations of Third Pay Commission, while their colleagues have even been paid arrears arising out of the fixation of their pay scales;

(b) if so, the number of such teachers as have not been given revised pay scales; and

(c) when they are likely to be given new pay scales?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SMT. RENUKA DEVI BARAKATAKI) : (a), (b) and (c) The pay scales of all the teachers of the Kendriya Vidyalaya (Central School), Kotah, have since been revised in the light of the recommendations of the Third Pay Commission. However, two teachers (one craft and one Music) have not been paid arrears so far. The same would be paid to them shortly.

PEOPLE FACING STARVATION

5379. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state whether lakhs of people are facing starvation semi-starvation despite buffer stock of one crore seventy lakh tonnes of food-grains in the country and if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : In the present situation of adequate availability of food grains in the country, there are no reports of starvation. There is, of course, need for improving the dietary and nutritional standards of the people. Such improvement is essentially a function of economic development and increase in the purchasing power of the people, particularly the poorer sections. Continuous efforts are being made to generate employment and to improve the income levels of the people. In this connection, one important scheme initiated recently is the Food for Work scheme, under which the Government of India makes foodgrains available free of cost to the State Governments to be used for increasing the employment and for supplying grains to the workers at lower prices.

भारतीय खाद्य निगम में घाटा और भ्रष्टाचार के बारे में समिति

5380. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम को घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना घाटा हुआ है और किन मदों पर तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम में घाटे और भ्रष्टाचार की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की है, यदि हां, तो समिति ने क्या रिपोर्ट दी है तथा रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) खाद्य निगम अधिकांश कार्य केन्द्रीय सरकार की ओर से करता है। भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों की इकनामिक लागत और सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य के बीच अन्तर और भारतीय खाद्य निगम द्वारा बफर स्टाक रखने की लागत की भी निगम को प्रतिपूर्ति की जाती है। इसी प्रकार राज्य सरकारों की ओर से कार्यों पर वास्तविक लागत के आधार पर हैण्डलिंग प्रभार राज्य सरकारों से वसूल किया जाता है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने वाणिज्यिक कार्यों पर मामूली लाभ हुआ था।

(ग) क्योंकि इस पर हानि होने की कोई समस्या नहीं है, इसलिये सरकार द्वारा कोई जांच आयोग स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । भारतीय खाद्य निगम में भी भ्रष्टाचार की समस्या का अध्ययन करने के लिये कोई जांच समिति स्थापित नहीं की गई है ।

दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभ

5381. डा० बसन्त कुमार पंडित क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों को जो 2 सितम्बर, 1972 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए थे, कब तक सेवानिवृत्ति के लाभ दिये गये हैं हालांकि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खण्ड (एक) में उन्हें 'विद्यमान कर्मचारी' (एग्जिस्टिंग एम्पलाइज) घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) कानूनी सलाह के अनुसार दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 10(1) में अनुबद्ध पेंशन के लाभ सहायता प्राप्त स्कूलों में केवल ऐसे कर्मचारियों को उपलब्ध हैं, जो उक्त अधिनियम को लागू होने की तारीख अर्थात् 31 दिसम्बर, 1973 को ऐसे स्कूलों में कार्य कर रहे थे । जब तक दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 को उपयुक्त ढंग से संशोधित नहीं किया जाता, सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारी जो 2 सितम्बर, 1972 के बाद परन्तु 31 दिसम्बर, 73 से पहले सेवा निवृत्त हो गये थे, वे केवल उन सेवा निवृत्त लाभों के हकदार हैं, जो उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व लागू थे और वे लाभ संबंधित कर्मचारियों को अंतरिम रूप से स्वीकृत कर दिये गये थे।

BOOKS AND JOURNALS ETC. IN ENGLISH AND HINDI IN THE LIBRARY OF THE MINISTRY

5382. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the total number of books in the Library of the Ministry/Department and the number thereof language-wise;

(b) the expenditure incurred on the purchase of English and Hindi books in the aforesaid library during the last two years, separately;

(c) the names of the newspapers and journals purchased in the library at present and the names of Hindi newspapers and journals, out of them; and

(d) whether any scheme has been formulated for increasing the number of Hindi books and newspapers and journals in this library and if so, the details thereof?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha shortly.

HINDI TYPISTS AND STENOGRAPHERS IN THE MINISTRY

5383. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the total number of trained Hindi Typists and Hindi Stenographers in his Ministry Department at present;

(b) the number of Typists and Stenographers out of them whose services are fully utilised for Hindi work;

(c) the reasons for not utilising the services of the remaining Hindi Typists and Hindi Stenographers; and

(d) whether any scheme has been formulated for utilising their services and if so, the details thereof ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) At present, the total number of trained Hindi Typists and Hindi Stenographers in the Ministry is 88 and 75 respectively.

(b) As and when required, the services of these employees are utilised for Hindi work.

(c) Does not arise.

(d) Their services will be increasingly utilised with gradual extension of the use of Hindi in official work.

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEE

†5384. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN :Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether an Official Language Implementation Committee has been constituted in his Ministry/Department;

(b) if so, the dates on which its meetings were held in 1977 and the decisions taken therein;

(c) the number of such decisions out of them as were fully implemented and

(d) the reasons for delay in implementation of the remaining decisions ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) Yes, Sir.

(b), (c) & (d) A combined meeting for the Departments of Education and Culture was held on the 6th August, 1977. The Official Language Implementation Committee set up in the Department of Social Welfare met on 4-11-1977.

These Committees take a review of the implementation of the official language from time to time and make recommendations for improvement in such implementation.

In the Departments of Education and Culture, it was recommended to make available Hindi-English and English-Hindi dictionary and other help literature to all officers/sections, prepare uptodate lists of trained Hindi stenographers/typists so as to be able to utilise them better, prepare check points for assessing the extent of use of Hindi as official language, and collect information regarding circulation in Hindi of agenda papers/minutes of all committees and conferences in the preceding six months so as to make good the gap in future. All these recommendations have been acted upon. Besides, it was recommended that instructions be issued to all sections to draw up well in advance rosters for deputing staff for Hindi Teaching Scheme so as to better utilise the facilities available, check up periodically whether all contracts and agreements are being translated into Hindi, make all-out efforts to ensure that all correspondence and agenda/minutes of conferences and committees are done in Hindi as prescribed under the Official Language Act, and have periodic meetings not only of the Implementation Committee but also of officers and their staff to create more awareness about use of Hindi. These are continuing activities and are being carried out.

In the Social Welfare Department, the Implementation Committee recommended utilisation of services of L.D.Cs in Hindi Section for typing by rotation, posting of Hindi stenographers with Hindi-knowing officers, extension of Prize Scheme for encouaraging use of Hindi in noting and drafting to subordinate offices. These recommendations have been acted upon. The Committee had also recommended increase in staff in Hindi Section and creation of posts of Language Officer. It has not been possible to implement them because of ban on creation of posts.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE ACT, 1963

†5385. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) Whether his Ministry/Department has drawn the attention of their attached and subordinate offices to the provisions of the Official Language Act, 1963 and the rules made thereunder in June, 1976 for their implementation;

(b) if so, whether his Ministry Department have ensured that the above provisions and rules are being implemented fully; and

(c) if not, the reasons therefor and steps being taken to ensure full implementation thereof ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) Yes, Sir.

(b) According to Rule 12(1) of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the administrative head of each Central Govt. office is responsibile for compliance of the provision of the rules. However, offices under the Ministry are occasionally inspected by the officers of the Ministry also to ensure full implementation of the provisions of the Act, 1963 and the rules made thereunder in June,1976.

(c) Does not arise.

अध्यापकों के चयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्त लागू करना

5386. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जो विश्वविद्यालय के अध्यापकों के चयन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन नहीं कर रही है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दोषी राज्यों के अनुदान बन्द कर देने की धमकी दी है और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके अनुदान बन्द कर दिये गये हैं; और

(ग) जिनका चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया था, उनका चयन समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षकों के चयन हेतु आयोग द्वारा कोई मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित नहीं की गई हैं। तथापि, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहा-

यता का प्रस्ताव करते समय केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर यह सुझाव दिया था कि भविष्य में भर्ती के लिये न्यूनतम अर्हताएं वही होनी चाहिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्धारित की है और सभी श्रेणियों के शिक्षकों की भर्ती अखिल भारतीय विज्ञापन एवं चयन द्वारा योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। ये शर्तें उन सभी राज्य सरकारों ने स्वीकार कर ली हैं जिन्होंने केन्द्रीय सहायता का लाभ उठाया है। अभी तक किसी ऐसी राज्य सरकार का उदाहरण जो इन शर्तों का पालन न कर रही हो सामने नहीं आया है और इस कारण किसी राज्य की केन्द्रीय सहायता बन्द करने का प्रश्न नहीं उठा है।

कृषि आंकड़े सम्बन्धी व्यवस्था में सुधार

5387. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि आंकड़ों की वर्तमान व्यवस्था में वैज्ञानिक ढंग से सुधार करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) कृषि आंकडों की प्रणाली में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है, अतः हाल के वर्षों में अनेक सुधार पहले ही किये जा चुके हैं। किए गए सुधारों में मुख्यतया विभिन्न राज्यों में अपनायी गई विचार धाराओं, परिभाषाओं तथा पद्धतियों में एकरूपता लाना, फसल क्षेत्रों को बढ़ाना, उपज की दरों का अनुमान लगाने के लिये उद्देश्यात्मक पद्धतियों की शुरुआत करना तथा फसल के पूर्वानुमानों के कार्यक्षेत्र में वृद्धि करना शामिल है। विश्वसनीयता को बढ़ाने तथा सामयिकता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्राथमिक रिपोर्टिंग तथा सुपरवाइजरी स्टाफ को मजबूत बनाने के लिये हाल ही में योजनाएं आरम्भ की गई हैं। लघु सिंचाई के आंकड़ों, काजू जैसी नई फसलों में फसल कटाई के परीक्षणों का विस्तार करना, पूर्वानुमान योजना आदि के अन्तर्गत आनेवाली फसलों में वृद्धि करने के संबंध में अधिक विकास करने पर विचार किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

खुला विश्वविद्यालय

5388. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में एक खुला विश्वविद्यालय स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें तथा उद्देश्य क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पर कुछ समय पहले विचार किया था किन्तु फिलहाल इस पर कार्रवाई न करने का निर्णय किया है।

चक्रवात और वर्षा के कारण अभावग्रस्त गांव

5389. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में ग्रामों को, देश के विभिन्न भागों में हाल की बाढ़ों, वर्षा और चक्रवात के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया था; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ख) उन ग्रामों में जनता को राहत देने के लिये सम्बद्ध राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी तथा किस प्रकार की सहायता दी जा रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1-4-1974 से प्राकृतिक विपत्तियों के लिये केन्द्रीय सहायता की प्रक्रिया में परिवर्तन हो गया है। प्राकृतिक विपत्तियों से ग्रस्त जनसंख्या के लिये राहत प्रदान करने का मुख्य उत्तरदायित्व अब राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। प्राकृतिक विपत्तियों के कारण से होने वाले राहत व्यय के लिये पूंजी की व्यवस्था उन्हें अपने ही संसाधनों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त बढ़ी हुई वार्षीक मार्जिन धनराशि से ही पूरी करनी होती है। किसी भी ग्राम/क्षेत्र को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की ही है। 1-4-1974 से प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये राज्यों को साधारणतया गैर योजना वाली कोई भी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं है। तथापि परियोजना संबंधी कार्य को आगे बढ़ाने के लिये, स्थिति की जानकारी के पश्चात् ही, योजना के अंतर्गत अग्रिम सहायता प्रदान की जाती है और इस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों में आय और रोजगार के साधन पैदा किये जाते हैं।

1977-78 के दौरान (1) बाढ़, (2) समुद्री तूफान, (3) ओलावृष्टि से हुई हानि के संबंध में, जैसा कि प्रभावित राज्य सरकारों ने सूचित किया है, एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एक0 टी0-2010/78]

(ख) निःशुल्क राहत के रूप में विवरण हेतु सरकार ने अनुदान स्वरूप अग्रिम योजना सहायता और खाद्यान्नों का आवंटन किया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

राज्य	अग्रिम योजना आवंटन (करोड़ रु० में)	आवंटित खाद्यान्न ('000 मी० टन)	
		चावल	गेहूं
1	2	3	
1. आन्ध्र प्रदेश	56.52	45,000	45,000*
2. असम	3.23	—	10,000
3. गुजरात	10.43	—	—

1	2	3	
4. हरियाणा	11.00	—	—
5. हिमाचल प्रदेश	2.70	—	5,000
6. केरल	3.64	1,250	1,250
7. उड़ीसा	8.52	—	—
8. राजस्थान	7.97	—	10,000
9. तमिलनाडु	29.31	10,000	10,000
10. उत्तर प्रदेश †	10.00	—	10,000
11. पश्चिम बंगाल	4.41	—	56,000**

*16,777 मीटरी चावल और 11,000 मीटरी टन गेहूं वास्तविक तौर पर निर्मुक्त की जा चकी हैं।

**30,000 मीटरी टन गेहूं वास्तविक तौर पर निर्मुक्त किया गया।

†सूखा और बाढ़।

दिल्ली दुग्ध योजना का मदर डेरी के साथ विलय

5390. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की आम जनता की आवश्यकताओं को कारगर ढंग से पूरा करने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना का मदर डेरी के साथ विलय करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और

(ख) क्या वर्तमान दो डेरियों के दूध तथा अन्य उत्पादों के मूल्यों में समानता लाने का भी विचार है और यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस समय दिल्ली दुग्ध योजना को मदर डेवरी के साथ मिला देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दोनों डेरियों की गतिविधियों का समन्वय सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(ख) चूंकि दोनों डेरियां अलग-अलग श्रेणियों के दूध की व्यवस्था करती हैं और दुग्ध वितरण तथा पैकेजिंग की पूर्णरूपेण भिन्न-भिन्न प्रणालियां अपना रही हैं, अतः इन दोनों डेरियों द्वारा बेचे गए दूध के मूल्यों में समानता लाने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली दुग्ध योजना तरल दुग्ध सप्लाई के अपने मुख्य कार्य के उपोत्पादों के रूप में सीमित मात्रा में दुग्ध-उत्पाद तैयार करती है। मदर डेरी को केवल तरल दुग्ध प्लांट के रूप में बनाए जाने के कारण यह कोई उत्पाद तैयार नहीं कर रही है, अतः दोनों डेरियों के दुग्ध उत्पादों के लिये समान मूल्यों का प्रश्न नहीं होता।

बेनोर प्रणाली की परियोजना

5391. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के दल ने 14 करोड़ रुपयों की लागत की बेनोर प्रणाली की परियोजना का मूल्यांकन करने के लिये हिसार का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट में क्या लिखा है; और

(घ) क्या 'एक्सटेंशन' श्रमिकों के प्रशिक्षण की बेनोर प्रणाली सरकार की अपनी रिपोर्टों के अनुसार उपयोगी सिद्ध हुई है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) जी हां।

पानी के व्यर्थ जाने को रोकने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नई प्रणाली

5392. **श्री डी० डी० देसाई:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पाया है कि नहरों के तट न बन्धे होने के कारण अथवा पूरी तरह न बन्धे होने के कारण 40 प्रतिशत तक सिंचाई जल व्यर्थ जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तट बांधने की अच्छी तथा सस्ती सामग्री और प्रणाली की खोज की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा स्वयं, पलस्तर न होने के कारण अथवा पूरी तरह पलस्तर न होने के कारण सिंचाई का जल व्यर्थ जाने से संबंधित, किसी फील्ड सर्वेक्षण का आयोजन नहीं किया गया। फिर भी, इस संस्थान के जल प्रौद्योगिकी केन्द्र के विज्ञानियों द्वारा इस विषय में प्राप्त सूचना का अध्ययन किया गया जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि सिन्धु-गंगा के मैदानों में पलस्तर न की गई नहरों की प्रणाली के कारण सिंचाई के पानी की हानि लगभग 45 प्रतिशत तक हो सकती है।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नहरों में पलस्तर लगाने की विभिन्न सामग्रियों जैसे सीमेंट, ईंटों की एक तह जिसे कि सीमेन्ट के मसाले से जोड़ा जाता है, यह पहले तैयार किये गये सीमेंट की सिलों की जांच की है। पानी ले जाने और उसे नियंत्रित करने में इन सामग्रियों और निर्माण के प्रयोग के प्रदर्शन के लिये एक प्रदर्शन-केन्द्र की स्थापना की गई है।

11—179 LSS/78

DEVELOPMENT OF SANCHI AS CENTRE OF BUDDHIST STUDIES

†5393. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Government propose to develop 'Sanchi' as a Centre of Buddhist studies;

(b) if so, the steps taken by Government in this direction;

(c) whether 'Sanchi' has been an important place of Buddhism and there is much scope of its development; and

(d) if so, the action being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN) : (a) No such proposal is under consideration.

(b) Does not arise.

(c) & (d) There are well preserved stupas and other Buddhist structures in Sanchi which give the history of Buddhist art and architecture from the 3rd century B.C. to about 11th century A.D. The Archaeological Survey of India is already maintaining a site museum which exhibits relics recovered from the ancient site.

TAKING OVER OF ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL PLACES IN M.P. AND RAJASTHAN

†5394. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether there are a number of places in Madhya Pradesh and Rajasthan which are of archaeological and historical importance but have not been declared as protected places or have not been taken over by the Central Government;

(b) if so, the policy of Government in this regard; and

(c) whether Government propose to take over the places of historic and cultural importance in both these States ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a), (b) & (c) In accordance with the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, monuments of national importance alone are declared as protected and taken over by the Central Government for preservation. Accordingly, such of the ancient and historical monuments and archaeological sites and remains as, on detailed examination, are found to be of national importance would be taken under central protection.

DEMOLITION OF DOUBLE STOREYED FLATS IN DELHI

5395. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to construct four-storeyed flats in place of double storeyed flats in many areas in New Delhi by demolishing the double storeyed flats; and

(b) if so, whether Government would make such arrangements that instead of demolishing all the double storeyed flats together in an area, some flats are constructed and double storeyed flats are demolished after shifting the people to new flats ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) Govrnment proposes to construct mostly double-storeyed quarters by demolishing old houses in some localities such as D.I.Z. area, Aram Bagh, Dev Nagar, etc. Most of the old houses to be demolished are single-storeyed, barring a couple of chummery blocks in the Gole Market area, which aıe double-storeyed.

(b) As mentioned above, only a few double storeyed quarters are proposed to be demolished. These are type II quarters and sufficient number of type II quarters are already under construction in the same locality and these would be allotted as alternative accommodation to the occupants of the double-storeyed quarters which are to be got vacated.

ओला वृष्टि से रबी की फसल को हुई हानि

5396. **श्री जी० एस० रेड्डी**
श्री रामानन्द तिवारी
श्री राम लाल राही
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय
श्री हरि विष्णु कामथ
श्री राधव जी
श्री शरद यादव
: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओला वृष्टि, असामयिक वर्षा या वर्षा की कमी से रबी की फसल को कोई हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) जिन किसानों को इनसे हानि हुई है क्या उन्हें कोई सहायता दी गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जारही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यावरण सुधार कार्यक्रम

5397. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1974 से 1978 की अवधि के दौरान देश की विभिन्न शहरी आबादी क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों में पर्यावरण सुधार कार्यक्रम प्रारम्भ किया था और/अथवा उसमें सहायता की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम में लगे हुए स्थानीय अधिकारियों और राज्य सरकारों को कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के लिये तत्संबंधी पूर्ण ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या अहमदाबाद नगर निगम ने उक्त कार्य प्रारम्भ किया था और यदि हां, तो क्या सहायता की उसकी सभी मांगों को पूरा कर दिया गया था और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) : ऐसी गन्दी बस्ती क्षेत्रों में जिन्हें कम से कम 10 वर्ष के अन्दर उन्मूलन करने का प्रस्ताव नहीं है, उनके पर्यावरण सुधार की योजना, जिसमें आधारभूत सुविधाएं एवं सुधार कार्य करना उद्दिष्ट है, को 1-4-1974 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले सभी शहरों और ऐसे राज्यों में जहां इतनी आबादी का कोई शहर नहीं है, में कम से कम एक शहर में लागू होगी। चूंकि यह योजना राज्य क्षेत्र में है, इसलिये इस योजना के लिये केन्द्रीय सरकार कोई सीधी वित्तीय सहायता नहीं दे रही है।

संग्रहालयों का विकास

5398. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संग्रालयों के विकास के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कैसे और किस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) : कला तथा संस्कृति संबंधी एक कार्यदल स्थापित किया गया है, जो अन्य

बातों के साथ-साथ, सांस्कृतिक दाय से संबंधित सामग्री के संग्रह तथा परिरक्षण और उनके माध्यम से ज्ञान के व्यापक प्रसार पर बल देते हुए, संग्रहालयों के समेकित विकास के लिये नीति तैयार करने पर ध्यान देता आ रहा है।

सोशल फारेस्ट्री प्रोजेक्ट्स

5399. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1975, 1976 तथा 1977 में समस्त देश में एक अथवा एक से अधिक सोशल फारेस्ट्री परियोजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी परियोजनाओं को बढ़ावा देने का और यदि हां, तो किस प्रकार; और

(घ) इस दिशा में वर्ष 1978, 1979 तथा 1980 के लिये उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने 'सामाजिक वानिकी' के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं:—

(1) परती भूमि और पंचायती भमि आदि पर मिश्रित रोपण करना, और

(2) उजड़ें हुए वनों में पुनःरोपण करना तथा रक्षा पट्टियां लगाना। पांचवीं योजना में प्रत्येक योजना के लिये केन्द्रीय अनुदान के रूप में स्वीकृति परिव्यय 500 लाख रुपये था। केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति पद्धति इस प्रकार थी:—

(क) 'परती भूमि आदि पर मिश्रित रोपण' के लिये 75 प्रतिशत। इसका हिसाब 1000 रुपये प्रति हेक्टार के अधिकतम व्यय पर लगाया गया है।

(ख) 'उजड़े हुए वनों में पुनःरोपण तथा रक्षा पट्टियां लगाने' के लिये 50 प्रतिशत। इसका हिसाब भी उपर्युक्त हिसाब की भांति लगाया गया है।

इन योजनाओं के अन्तर्गत ईधन की लकड़ी, चारे, फल तथा छोटी इमारती लकड़ी की किस्मों के पौध लगाए जाते हैं। मिश्रित रोपण की योजना के अन्तर्गत राज्य वन विभाग भी व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अपनी भूमि पर स्वयं रोपण करने के लियें वितरण करने तथा विस्तार संबंधी सहायता देने के लिये नए पौध लगा रहे हैं। 'उजड़े हुए वनों में पुनः-रोपण' करने की योजना के अन्तर्गत वन क्षेत्रों के खाली स्थानों पर तथा झाड़ियां आदि हटा-कर पुनःरोपण किया जाता है।

योजनाओं में वर्षानुवर्ष प्रगति हो रही है। वर्ष 1975–76 के दौरान जबकि 30.11 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई थी, वर्ष 1976–77 के दौरान दोनों योजनाओं के अन्तर्गत 163.28 लाख रुपये की राशि का अनुदान दिया गया। वर्ष 1977–78 के दौरान

राज्य वन विभागों को 738 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। वर्ष 1977–78 के दौरान, विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी की अदायगी संबंधी कानून के लागू हो जाने के कारण पौध लगाने की बढ़ती हुई लागत को पूरा करने के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता की पद्धति में परिवर्तन किया गया।

(ग) वर्ष 1977–78 के दौरान इन योजनाओं को बढ़ाया जा रहा है तथा आने वाले पांच वर्षों की अवधि के दौरान उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। वर्ष 1978–79 के दौरान 'परती भूमि आदि पर मिश्रित रोपण' योजना हेतु 490 लाख रुपये तथा 'उजड़े हुए वनों में पुनः रोपण करने तथा रक्षा पट्टियां लगाने' के लिये 1100 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों तथा गैर जन-जातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिये की गई व्यवस्था भी शामिल है। वर्ष 1978–79 तथा बाद के वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु के राज्यों में तटवर्ती रक्षा पट्टियां बनाने के विस्तृत कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। उड़ीसा से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और अन्य राज्यों को अपने प्रस्ताव शीघ्र भेजने के लिये कहा गया है। इसके अतिरिक्त परती भूमि, उजड़े हुए वनों आदि के विस्तृत क्षेत्रों को वृक्ष मूल्य दाना-चारा पौधों के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि इस क्षेत्र में पशु पालन विकास के साथ-साथ दाने-चारे का उत्पादन भी किया जा सके।

(घ) गांव के लोगों की प्रबल आवश्यकताओं, विशेषकर इमारती लकड़ी से संबंधित उनकी सामाजिक आवश्यकताओं, जैसे कि खाना पकाने के लिये ईंधन की लकड़ी, कृषि संबंधी आवश्यकताओं तथा घर की पुआल के लिये छोटी इमारती लकड़ी आदि को पूरा करने के लिये इन योजनाओं को पांचवीं योजना में शामिल किया गया है। इन योजनाओं को, इन लक्ष्यों तथा ऊपर (ग) में बताए गए लक्ष्यों के साथ आगामी वर्षों के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। पौध रोपण तथा बाद के देखभाल संबंधी कार्यों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने पर भी बल दिया गया है।

वर्ष 1978–79 के लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिये राज्य वन विभागों से प्रस्ताव माँगे गए है। अनन्तिम तौर पर वर्ष 1977–78 की तुलना में वर्ष 1978–79 के कुल वास्तविक लक्ष्य निम्नलिखित हैं:—

(हेक्टार में)

योजना	1977–78		1978–79	
	पौध रोपण	अग्रिम कार्य	पौध रोपण	अग्रिम कार्य
1. परती भूमि आदि पर मिश्रित रोपण	17,600	24,500	36,000	50,000
2. उजड़े हुए वनों में पुनःरोपण तथा रक्षा पट्टियां लगाना	43,500	65,000	69,000	1,00,000
	5,360 आर० के० एम० एस०	1,500 आर० के० एम० एस०	3,700 आर० के० एम० एस०	5,200 आर० के० एम० एस

वर्ष 1979 तथा 1980 के लक्ष्यों को संबंधित वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा।

शैक्षिक गतिविधियों के लिए शिष्टमंडल

5400. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977–78 में शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में विदेशों को भेजे गए शिष्ट मण्डलों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ख) ऐसी विदेश यात्राओं के लिये चयन करने वाला प्राधिकारी कौन है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीज निगमों की स्थापना

5401. **श्री के० प्रधानी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और अधिक बीज निगमों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये किन स्थानों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में किसानों की आवश्यकता पूरी करने में अधिक निगमों से किस हद तक सहायता मिलेगी?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जी हां। भारत सरकार के परामर्श से राज्य सरकारें बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में राज्य बीज निगमों की स्थापना के बारे में कार्यवाही कर रही है।

(ग) आशा है कि ये निगमें तथा वर्तमान उत्पादक फसलों के प्रमाणित बीजों की उपलब्धि को 1981–82 तक 1973–74 के 60,000 मीटरी टन के स्तर को लगभग पांच गुणा बढ़ा सकेंगे।

अपर कृष्णा परियोजना कार्य का नहर सम्बन्धी कार्य

5402. **श्री राजशेखर कोलूर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर कृष्णा परियोजना के दाहिने किनारे की नहर संबंधी कार्य को एक साथ शुरू करने के प्रश्न पर भारत सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। कर्नाटक सरकार से प्राप्त अपर कृष्णा परियोजना चरण-एक की संशोधित रिपोर्ट में दक्षिण तट की नहर की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नारायण विहार, नई दिल्ली में शापिंग सेन्टर बनाना

5403. **श्री महीलाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारायण विहार के ए० और बी० ब्लाकों के निवासियों को बाजार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये वहां शापिंग सेंटर बनाने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नारायण विहार, नई दिल्ली के ए० ब्लाक में 2.3 एकड़ भूमि निर्धारित की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नारायण विहार में 1969 में अलाट किये गये दो मंजिला फ्लैटों के अलाटियों के द्वारा तभी से अपनी एजेन्सी के माध्यम से (दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत) उपयुक्त बाजार के निर्माण की मांग की जाती रही है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा स्थानीय शापिंग सेंटर बनाने में कितना समय लगेगा?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे भूमि अर्जन की प्रक्रिया को प्राथमिकता आधार पर अन्तिम रूप दें। क्योंकि भूमि अर्जन प्रक्रिया के बाद ही पणन केन्द्र का निर्माण किया जाएगा इसलिये इस समय यह बताना संभव नहीं है कि इसका निर्माण कब तक हो जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के सम्बन्ध में विक्रय मूल्य तथा अन्तिम रूप से वसूल किए जाने वाले मूल्य में अन्तर

5404. **श्री महीलाल**
श्री एस० बी० पाटिल } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विक्रय मूल्य तथा अंतिम रूप में वसूल किये जाने वाले मूल्य में अंतर तथा भिन्न भिन्न कालोनियों में इन मूल्यों के अलग अलग होने का क्या औचित्य है;

(ख) क्या मूल्य अंतर की राशि को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के अलाटियों को वापस करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) विक्रय मूल्य तथा अन्तिम रूप से आवंटियों से वसूल की गई राशि एक ही होती है। किन्तु 1974 के दौरान 4 मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के संबंध में विक्रय मूल्य

पर अधिशुल्क जोड़ा गया था। यह इसलिये जोड़ा गया था ताकि जनता/निम्न आय वर्ग की श्रेणियों के फ्लैटों की बिक्री की कीमत में कमी हो।

बिक्री की कीमत, भूमि की लागत, विकास की लागत और निर्माण की लागत पर निर्भर है जोकि भिन्न भिन्न कालोनियों की भिन्न भिन्न होती है।

इन चार आवास योजनाओं में आवंटियों द्वारा दी गई कीमत की राशि का अन्तर वापिस करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पांचवीं योजना में कृषि क्षेत्र को ऋण

5405. **श्री सरत कार** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और इसकी जो राशि भुगतान के लिये देय हो चुकी है, उसकी प्रतिशतता में भी वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल कितना ऋण मंजूर किया गया और इसमें से कितना भुगतान के लिये देय हो गया है और कितने का भुगतान वास्तव में कर दिया गया है; और

(ग) भुगतान के लिये देय हुई ऋण राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) जी हां। कृषि विकास के लिये संस्थागत ऋण के प्रवाह में वृद्धि हुई है जिसे निम्नलिखित आंकड़ों में दर्शाया गया है:—

(1) **सहकारी सोसायटियां**

(करोड़ रुपये में)

दिए गए ऋण	1973–74 (चौथी योजना के अंत तक)	पांचवीं योजना (लक्ष्य)	1974–75 (उपलब्धि)	1975–76 (उपलब्धि)	1976–77 (अनुमान)	1977–78 (प्रत्याशित) उपलब्धि)	1978–79 (लक्ष्य)
अल्पकालीन	689 (स्तर)	1300 (स्तर)	782.60	918	1180	1340	1676
आवधिक ऋण	891 (चौथी योजना के लिये संचयी)	1825 (संचित)	298.98	320	386	386	552

मांग उगाही बकाया

30 जून को	अल्पकालीन (प्राथमिक स्तर) मांग	उगाही	बकाया	मांग में अतिदेयों का प्रतिशत	दीर्घ कालीन (केन्द्रीय स्तर) मांग	उगाही	बकाया	मांग में अति-देयों का प्रतिशत
1974	1105	661	443	40.1	129	88	42	32.0
1975	1257	754	503	40.0	144	89	55	36.5
1976	1454	898	560	38.6	170	106	64	38.0

(2) वाणिज्यिक बैंक

	1973	1974	1975	1976	1977
प्रत्यक्ष वित्त की बकाया राशि	341.75	435.40	563.54	790.32	1031.10
परोक्ष वित्त की बकाया राशि	190.19	211.47	279.57	301.46	349.74
योग	531.94	646.87	843.11	1091.78	1380.84
प्रत्यक्ष वित्त					
कुल मांग	166.25	227.68	323.93	415.59	546.97
कुल वसूली	82.77	115.44	167.26	215.87	274.33
कुल अतिदेय	83.48	112.24	156.67	199.72	272.64
कुल मांग में अतिदेयों का प्रतिशत	50.2	49.3	48.4	48.1	49.9

(ग) सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थाएं स्वयं ही अतिदेयों को उगाही करने के लिये कदम उठाने हेतु मूल रूप से जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारों को अतिदेयों की वसूली में संस्थाओं की सहायता करनी पड़ती है। सहकारी सोसायटियों के मामले में राज्य सरकारों को, दुराग्रही बकायादार के विरुद्ध तथा प्रबन्ध मंडल के विरुद्ध, जो वसूली करने में असफल थे, सहकारी सोसायटी कानूनों के प्रावधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में राज्य सरकारों को तलवार कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विधान बनाने के लिये सलाह दी गई है। अब तक 13 राज्यों ने ऐसा विधान बना लिया है। भारत सरकार तथा भारत रिजर्व बैंक संस्थाओं के वसूली निष्पादन की समय-समय पर पुनरीक्षा कर रहे हैं तथा उन्हें किए जाने वाले उचित उपायों के संबंध में सलाह दे रहे हैं।

नये रोगों के संदर्भ में पादप रक्षा संगरोध उपाय

5406. श्री सरत कार : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पादप रक्षा सलाहकार ने पादप संगरोध उपायों को तेज करने पर बल दिया है;

(ख) क्या अनेक ऐसे रोग सरकार के ध्यान में आये हैं जिनका अभी तक हमारे देश में ज्ञान नहीं था;

(ग) यदि हां, तो ऐसे रोगों के नाम क्या हैं; और

(घ) इन रोगों की रोकथाम के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) नये रोगों के प्रादुर्भाव के संदर्भ में वनस्पति संरक्षण सलाहकार तथा सरकार द्वारा वनस्पति संगरोध सुविधाओं की लगातार समीक्षा करने के फलस्वरूप देश में गत दशाब्दी के दौरान वनस्पति संगरोध संबंधी अवस्थापना को उत्तरोत्तर सुदृढ़ किया गया है। इस समय 3 नये वनस्पति संगरोध तथा धूमन केन्द्रों को स्थापित करने और 21 वनस्पति संगरोध तथा धूमन केन्द्रों को मजबूत करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

गत कुछ वर्षों में सरकार को जिन दो नए महत्वपूर्ण रोगों का पता चला वे मूंगफली किट्ट-और चूर्णी फफूंदी हैं।

इन बीमारियों की रोकथाम।

(i) उपयुक्त रसायनों के प्रयोग और/अथवा

(ii) नवीन प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिये अनुसंधान की ओर ध्यान देना।

दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को स्थायी करना

5407. श्री पायस टिर्की : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली प्रशासन के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में काम कर रहे 150 प्रधानाचार्यों को अभी तक स्थाई नहीं बनाया गया है हालांकि वे 10–15 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन प्रधानाचार्यों को स्थाई करने में सरकार कितना समय लेगी;

(ग) क्या सरकार को पता है कि लगभग उन 80 प्रधानाचार्यों को भी जो शिक्षा निदेशालय में 7 से 10 वर्ष तक तदर्थ आधार पर सेवा कर चुके हैं, नियमित सेवा में नहीं लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें नियमित आधार पर सेवा में कब तक ले लिया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ग) जी, हां ।

(ख) और (घ) उच्चतर माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल के पद के वेतनमान के परिशोधन के फलस्वरूप जिसके कारण पद की श्रेणी II से श्रेणी I में स्तरोन्नति भी हुई, संघ लोक सेवा आयोग ने दिल्ली प्रशासन को, स्तरोन्नत पदों के सभी पदधारियों की नियुक्ति नियमित करने की सलाह दी थी, जिनमें वे भी शामिल हैं जो शुरू में ही आयोग के माध्यम से चुने गए थे और स्थाई किये जा चुके थे। इस पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप आयोग के परामर्श से 270 प्रिंसिपलों की नियुक्ति मार्च, 1977 में नियमित कर दी गई थी और इसके बाद 112 प्रिंसिपलों को भी फरवरी, 1978 में स्थाई कर दिया गया था । शेष मामलों की आयोग के परामर्श से जांच की जा रही है।

छठी योजना में डेरी विकास

5408. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेरी विकास के लिए छठी योजना में बनाये गये कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है;

(ख) पहली पांच योजनाओं के दौरान परिव्यय क्या है; और

(ग) दुग्ध उत्पादन, दुधारु पशुओं की संख्या और स्वास्थ्य वृद्धि, औसत दुग्ध उत्पादन और दुग्ध संयंत्रों द्वारा दिए गये औसत (वार्षिक) दुग्ध-मूल्य के बारे में योजनावार क्या प्रगति हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) छठी योजना में डेरी विकास कार्यक्रम में मुख्य बल ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार के सृजन पर दिया गया है। इसमें लगभग 117.41 करोड़ रुपयों के कुल परिव्यय से कर्नाटक, मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्यों में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त चालू कार्यक्रमों को जारी रखने का व पूर्ण करने का विचार किया गया है। लगभग 20 करोड़ रुपयों के परिव्यय वाले हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, सिक्किम, असम, मेघालय, उड़ीसा और केरल के सात राज्यों के लिये पंचम योजना के दौरान प्रस्तावित डेरी विकास कार्यक्रमों की छठी योजना अवधि के दौरान जारी रखा जाएगा। इन कार्यक्रमों के अलावा, आपरेशन फ्लड 1 की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में आपरेशन फ्लड 2 कही जाने वाली एक बृहद् 8–वर्षीय डेरी विकास परियोजना को शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त जिस सहायता व विश्व बैंक से प्राप्त ऋण सहित लगभग 483 करोड़ रुपए कुल परिव्यय होगा । इनके अतिरिक्त, राज्यों में डेरी विकास परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी।

आपरेशन फ्लड 2 आपरेशन फ्लड 1 द्वारा दुग्ध प्राप्ति क्षेत्रों में तैयार किये गये आधारों का सहारा लेगा और कार्यक्रम को 100 लाख दुग्ध उत्पादक परिवारों को लाभ पहुंचाने के

लिये सक्षम बनाएगा। इस कार्यक्रम में सहकारी संगठनों को सहायता देने, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने, आधुनिकीकृत दुग्ध परिसंस्करण व विपणन करने, राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड का विकास करने, पशु स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करने तथा टीकों की सप्लाई सहित सहकारी संघों के समूहों की अवस्थापनात्मक समर्थन देने की ओर ध्यान दिया जाएगा। परियोजना में राष्ट्रीय दुधारू पशु यूथों की उत्पादकता में सुधार लाने, भैंसों की उत्पादकता संबंधी कार्यक्रम चलाने, कृत्रिम गर्भाधान व्यवस्था के लिये सक्षम सांडों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये यूथों को बढ़ाने, एक वृहत् हिमित वीर्य कार्यक्रम चलाने, सहकारी ग्रामीण विकास के संबंध में प्रबन्ध व परामर्श के लिये केन्द्र की स्थापना करने, विभिन्न समस्याओं के व्यावहारिक हल खोजने के लिये व्यावहारिक अनुसंधान और विकास संबंधी व्यवस्था करने, एक वृहत् प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने इत्यादि, का भी विचार किया गया है।

(ख) पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान परिव्यय इस प्रकार थे :—

प्रथम योजना—7.81 करोड़ रुपये।

द्वितीय योजना—17.44 करोड़ रुपये।

तृतीय योजना—36.00 करोड़ रुपये।

चतुर्थ योजना—138.97 करोड़ रुपये।

पंचम योजना—220.63 करोड़ रुपये।

(ग) योजनावार हुई प्रगति इस प्रकार है :—

1. दूध का उत्पादन

प्रथम योजना (1951)—174.1 लाख मीटरी टन

द्वितीय योजना (1956)—197.2 लाख मीटरी टन

तृतीय योजना (1961)—203.8 लाख मीटरी टन

चतुर्थ योजना (1966)—193.7 लाख मीटरी टन

पंचम योजना (1974)—232.0 लाख मीटरी टन (अनुमानित)

2. दुधारु पशुओं की संख्या

प्रथम योजना (1951)—717.23 लाख

द्वितीय योजना (1956)—722.55 लाख

तृतीय योजना (1961)—792.27 लाख

चतुर्थ योजना (1966)—868.80 लाख

(1972)—863.26 लाख

3. स्वास्थ्य सुविधाएं

	पशु चिकित्सालय/ औषधालय	मोबाइल यूनिटें	पशुप्लेग उन्मूलन
योजना पूर्व	2,000	—	—
प्रथम योजना	656	—	64 लाख खुराकें
द्वितीय व तृतीय योजना	3,267	—	2,205 लाख खुराकें
चतुर्थ योजना	3,572	178	2,067 लाख खुराकें
पंचम योजना	1,700 (लक्ष्य)	283	1,782 लाख खुराकें

इन प्रयासों के फलस्वरूप पशुप्लेग के कारण होने वाली मौतें 2 लाख प्रतिवर्ष से घटकर 1976-77 के दौरान 1600 हो गई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, अन्य गलघोटू, जहरबाद और एन्थ्रेक्स जैसी पशु-महामारियों के खिलाफ रोगनिरोधक उपाय भी अपनाए गए थे। इसके फलस्वरूप मृत्युदर में काफी कमी आई जो 1949—53 के 57,848 से घटकर 1967 में 23,764 रह गई।

4. औसत दुग्ध उत्पादन

औसत वार्षिक दुग्ध उत्पादन प्रति गाय लगभग 160 कि० ग्रा० और प्रति भैंस 500 कि० ग्रा० है।

5. दुग्ध संयंत्रों द्वारा दूध के लिए दी गई कीमत

दुग्ध के तत्वों के आधार पर दूध की कीमतों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा विभिन्न मौसमों में 1.20 रु० प्रति कि० ग्रा० से 2.66 रु० प्रति कि० ग्रा० तक का अन्तर रहता है।

वर्ष 1977-78 के दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन

5409. **श्री बी० पी० मण्डल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977—78 में चावल और गेहूं का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में इनकी कुल मांग कितनी है; और

(ग) उपर्युक्त खाद्यान्न कुल कितनी मात्रा में फालतू है अथवा कम है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) तथा (ग) वर्ष 1977–78 में चावल तथा गेहूं के उत्पादन के अंतिम अनुमान कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1978 में उपलब्ध होने की संभावना है।

चावल तथा गेहूं की मांग विभिन्न खाद्यान्नों तथा अन्य वैकल्पिक खाद्यों, फलों व सब्जियों, दुध व दुग्ध उत्पादों, मांस, मछली, अंडे, आदि उनके तुलनात्मक मूल्यों, आय के स्तर, आबादी में होने वाली वृद्धि, शहरीकरण के स्तर इत्यादि अनेक कारणों से प्रभावित होती है। इन सब को देखते हुए देश में चावल तथा गेहूं की कुल मांग का अनुमान लगाना कठिन है।

उत्पादन तथा मांग के ठीक अनुमान उपलब्ध न होने के कारण देश में वर्ष 1977–78 के दौरान चावल तथा गेहूं के फालतू होने या कमी रहने के विषय में कुछ कहना संभव नहीं है। तथापि वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि वर्ष 1977–78 के दौरान चावल तथा गेहूं की आन्तरिक सप्लाई से मांग पूरी हो सकेगी।

भारत में शरणार्थी

5410. **श्री बी० पी० मंडल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय रह रहे शरणार्थियों की देशवार अद्यतन संख्या क्या है; और

(ख) उन्हें यहां रखने अथवा उनके देश वापस भेजने, जैसा भी मामला हो, के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : **(क) से आए शरणार्थी** :

(1) पश्चिमी पाकिस्तान	47.40 लाख
(2) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश)	
(i) पुराने प्रवासी, अर्थात् वे जो 1946 से 15–3–78 के बीच आए	41.47 लाख
(ii) नये प्रवासी, अर्थात् वे जो 1–1–64 से 25–3–71 के बीच आए	11.14 लाख
(3) जम्मू और काश्मीर के छम्ब क्षेत्र से आए विस्थापित व्यक्ति (भारत पाक संघर्ष 1971 के फलस्वरूप विस्थापित)	00.17 लाख
(4) पाकिस्तान-सिन्ध से आए विस्थापित व्यक्ति (भारत-पाक संघर्ष 1971 के फलस्वरूप विस्थापित)	00.58 लाख
(5) तिब्बती शरणार्थी	00.56 लाख
से आए प्रत्यावासी।	
श्रीलंका	2.81 लाख
बर्मा	2.08 लाख
मोजाम्बिक/युगांडा/जैरे और वियतनाम	0.14 लाख

(ख) इन शरणार्थियों/प्रत्यावासियों को निर्धारित पैमानों/पद्धतियों के अनुसार राहत और पुनर्वास सहायता दी जाती है। जहां तक संभव होता है उनकी योग्यता के अनुकूल उन्हें कृषि, लघ व्यवसाय, व्यापार आदि संबंधी विभिन्न योजनाओं में बसाया जाता है।

साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा

5411. श्री एस० एस० सोमानी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी द्वारा निकट भविष्य में किन किन भाषाओं को मान्यता दिये जाने की संभावना है; और

(ख) भारतीय भाषाओं को मान्यता देने के लिये अकादमी किन आधारों को अपनाती है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चंद्र) : (क) मान्यता हेतु खासी का दावा साहित्य अकादमी के विचाराधीन है।

(ख) साहित्य अकादमी द्वारा भाषाओं को मान्यता देने के लिये निर्धारित मानदण्ड निम्नलिखित हैं:—

(1) क्या संरचना के लिहाज से भाषा एक स्वतंत्र भाषा है अथवा उल्लिखित किसी भाषा तंत्र का एक भाग है।

(2) क्या इसकी कोई सतत साहित्यिक परम्परा और इतिहास रहा है।

(3) क्या आज भी पर्याप्त संख्या में लोग इसका प्रयोग साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में करते हैं।

(4) क्या संबंधित राज्य सरकार और/अथवा कुछ विश्वविद्यालयों ने इसे शिक्षा के एक माध्यम के रूप में और/अथवा अध्ययन के एक पृथक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की है।

(5) बोलचाल में इसका प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या और इसमें कथा, निबन्ध, अन्य साहित्य, पत्रिकाएं आदि रचित वर्तमान साहित्य।

राजस्थान और पंजाब के बीच जल तथा विद्युत सम्बन्धी विवाद

5412. श्री एस० एस० सोमानी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और पंजाब के बीच जल तथा विद्युत् संबंधी जो विवाद है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) जोनल सम्मेलन में किन मामलों पर विचार किया गया था और प्रत्येक में क्या प्रगति हुई?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राजस्थान और पंजाब के बीच जल तथा विद्युत् संबंधी जो मुख्य विवाद है वे राजस्थान में घग्गर व्यपवर्तन चैनल पर आई लागत के बंटवारे और आनन्दपुर साहिब जल-परियोजना, मुकेरियां जल-विद्युत् परियोजना और थीन बांध परियोजना से प्राप्त विद्युत् के बंटवारे से संबंधित हैं।

(ख) आनन्दपुर साहिब जल-विद्युत् परियोजना, रावी-ब्यास शीर्ष-कार्यों और अन्तर्राज्यीय कान्टेक्ट केन्द्रों के केन्द्रीय नियमन और राजस्थान में घग्गर व्यपवर्तन चैनल की लागत के बंटवारे से संबंधित विवादों पर उत्तर क्षेत्रीय परिषद् द्वारा विचार किया गया था।

प्रत्येक मामले में की गई प्रगति निम्न प्रकार है:—

आनन्दपुर साहिब जल-विद्युत् परियोजना: संबंधित राज्यों के बीच लागत और लाभ को बांटने का निर्णय करने के लिए एक निर्णायक (रेफ्री) की नियुक्ति करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

अन्य मदों नामशः रावी-ब्यास शीर्ष-कार्यों और अन्तर्राज्यीय कान्टैक्ट केन्द्रों के केन्द्रीय नियमन और राजस्थान में घग्गर व्यपवर्तन चैनल की लागत की अदायगी पर उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में विचार-विमर्श हुआ है और इन पर आगे विचार करने के लिये इन्हें उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है।

कृषि अनुसन्धान सेवा के लिये चयन

5413. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसंधान सेवा के लिये उम्मीदवारों के चयन में बोर्ड द्वारा की गई असंगतियों और कदाचारों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इनमें से कितनी शिकायतों पर गौर किया गया था और उसके क्या परिणाम रहे?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान। कृषि अनुसंधान सेवा के लिये उम्मीदवारों के चयन तथा कृषि अनुसंधान सेवा के नियमों के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) नियमों में जिन अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया गया था उनकी जांच की गई और उनको यथा संभव ठीक कर लिया गया है। जहां तक चयन संबंधी शिकायतों का संबंध है, कृषि अनुसंधान सेवा के विभिन्न ग्रेडों के लिये भर्ती, कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल की सिफारिश पर की जाती है जो संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर परिषद् के लिये एक स्वतंत्र भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--जारी
PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

1978-79 के लिये पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKER) : I beg to lay on the table a copy of the detailed demands for grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Supply and Rehabilitation for 1978-79.

[Placed in the Library see No. LT. 1982/78]

विधेयकों पर अनुमति
ASSENTS TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) विधेयक, 1978

(2) लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1978

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दंडकारण्य और बंगलादेश से पश्चिम बंगाल में भारी संख्या में शरणार्थियों के आने का समाचार

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"दंडकारण्य और बंगलादेश से पश्चिम बंगाल में भारी संख्या में शरणार्थियों के आने का समाचार और इससे उत्पन्न समस्याएं"

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : प्राप्त हुई आखिरी रिपोर्ट के अनुसार 8,953 परिवार (6,242 बसाए गए और 2,711 परिवार कर्मी शिविरों में राहत स्तर पर) दण्डकारण्य परियोजना छोड़ कर चले गए हैं। ये परिवार कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा किए गए इस प्रचार के कारण स्थानों को छोड़कर चले गए हैं कि पश्चिमी बंगाल के सुन्दरवन तथा अन्य क्षेत्रों में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की काफी गुंजाइश है। नवम्बर, 77 से इन तत्वों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों

में इस प्रकार के प्रचार को और प्रचण्ड कर दिया गया। पश्चिमी बंगाल सरकार ने जनवरी, 1978 में सूचित किया कि दण्डकारण्य से आए शरणार्थियों को बसाने के लिये पश्चिमी बंगाल के किसी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं है और न ही उन्हें सुन्दरवन में बसाए जाने की कोई गुंजाइश है। इसके बावजूद भी, विस्थापित व्यक्ति, जो या तो बस चुके थे और/अथवा कर्मी शिविरों में पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे, कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा किये गये झूठे वायदों के बहकावे में आकर, कि वे सुन्दरवन/पश्चिमी बंगाल में बसाए जा सकते हैं, अपने पुनर्वास स्थलों/कर्मी शिविरों को छोड़कर चले गए।

2. दण्डकारण्य के अलावा अन्य पुनर्वास स्थलों/कर्मी शिविरों को भी परिवार छोड़कर चले गए हैं जिसका ब्योरा इस प्रकार है :—

(i)	तांवा कार्यस्थल शिविर (मध्य प्रदेश)	527 परिवार
(ii)	ईसागांव मार्गस्थ शिविर (आंध्र प्रदेश)	237 परिवार
(iii)	ईसागांव पुनर्वास परियोजना (आंध्र प्रदेश)	405 परिवार
	योग	1,166 परिवार

3. विस्थापितों द्वारा स्थलों को छोड़कर चले जाने के फलस्वरूप, पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री 6 मार्च, 1978 को केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री से दिल्ली में मिले थे। दण्डकारण्य की वास्तविक स्थिति और उस क्षेत्र में भावी सिंचाई संभावनाओं से उन्हें अवगत करा दिया गया था। विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने 10 मार्च, 1978 को एक अपील जारी की और शरणार्थियों को दण्डकारण्य में ही बसने का सुझाव दिया क्योंकि सुन्दरवन अथवा पश्चिमी बगाल के किसी क्षेत्र में उन्हें बसाने की कोई संभावना नहीं है। अधिकारियों का एक दल, जिसमें इस विभाग के पुनर्वास महानिदेशक और पश्चिमी बंगाल के पुनर्वास आयुक्त शामिल थे, दण्डकारण्य परियोजना में 13 से 18 मार्च, 1978 तक विस्थापित व्यक्तियों को मिलने के लिये भेजा गया था। इस दल के अधिकारियों ने छपी हुई अपील परियोजना क्षेत्र में बांटी थी। इन्होंने विस्थापित व्यक्तियों को वहां रहने की सलाह दी परन्तु उन्हें केवल सीमित सफलता ही मिली।

4. इसके पश्चात्, पश्चिमी बंगाल सरकार के 2 मंत्री (पुनर्वास मंत्री सहित), 6 विधान सभा सदस्य तथा पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए दो गैर सरकारी व्यक्तियों के प्रतिनिधिमण्डल ने 21 से 25 मार्च, 1978 तक दण्डकारण्य परियोजना का दौरा किया था। प्रतिनिधिमण्डल के साथ दण्डकारण्य परियोजना के अध्यक्ष तथा मुख्य प्रशासक, पुनर्वास विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी, उड़ीसा के पुनर्वासमंत्री और स्थानीय अधिकारी भी दौरे के पहले चरण में शामिल हुए थे। प्रतिनिधिमण्डल ने विस्थापित व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि पश्चिमी बंगाल में उनके पुनर्वास की कोई भी गुंजाइश नहीं है और दण्डकारण्य में बसे रहना उनके अपने हित में है। उन्हें विश्वास दिलाया गया कि पोटेरु और सतीगुडा से सिंचाई उपलब्ध होने पर भूमियां अधिक से अधिक उपजाऊ हो जाएंगी और अधिक फसलें प्राप्त की जा सकेंगी।

5. उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से भी इस उद्देश्य से सम्पर्क किया गया जिससे कि पश्चिमी बंगाल में बड़ी संख्या में जाने वाले शरणार्थियों को रोका जाए। इसके साथ ही, पश्चिमी बंगाल सरकार ने इन परिवारों को वापिस भेजने का निर्णय किया और यह सहमति हुई कि उन्हें फिर से उनके गावों/कर्मी शिविरों में वापिस ले लिया जाए। इस संबंध में 6–3–1978 को इस सदन में दिये गये अपने वक्तव्य का हवाला देना चाहूंगा।

6. छोड़कर जाने वालों में से, मार्च, 1978 के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी बंगाल सरकार ने 20 परिवार वापस भेजे थे। छोड़कर जाने वालों को उड़ीसा में उनके गन्तव्य स्थानों में वापिस भेजने के लिये 27, 29 और 30 मार्च, 1978 को दक्षिण-पूर्वी रेल प्राधिकारियों ने तीन विशेष गाड़ियों का प्रबन्ध किया था। उड़ीसा में उन्हें पुनर्वास स्थलों/कर्मी शिविरों में, जिन्हें वे छोड़कर चले गए थे, वापस ले जाने के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये गये हैं।

7. यह आशा की जाती है कि विस्थापित व्यक्ति इस दलील पर ध्यान देंगे और उकसाने वाले स्वार्थी लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे और ये अपने हित को ध्यान में रखते हुए अपने गांवों/कर्मी शिविरों में वापिस चले जाएंगे और कार्य शुरू कर देंगे/अथवा आवंटित की गई भूमि की काश्त शुरु कर देंगे। यद्यपि सरकार की सामान्य नीति के अनुसार, स्थानों को छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं लिया जाता, फिर भी वर्तमान मामलों में यह निर्णय लिया गया है कि, एक विशेष मामले के रूप में, इन छोड़कर जाने वाले परिवारों को अपने गांवों/कर्मी शिविरों में वापिस जाने की अनुमति दे दी जाए।

8. हाल ही में भारी संख्या में बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों के बारे में पुनर्वास विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वक्तव्य बहुत ही निराशाजनक है यह समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का ही संक्षिप्त रूप है। इसमें ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि ये लोग इधर क्यों आये। इस समस्या के प्रति केन्द्रीय सरकार जागरुक नहीं है। यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास इनके पुनर्वास के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं। इन्हें सुंदर-वन ले जाना भी संभव नहीं है क्योंकि यहां की आबादी पहले ही घनी है। उनके लिये वहां ठहरने का कोई स्थान नहीं है। सरकार अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें राहत देने का प्रयास कर रही है। सरकार को यह बात स्पष्ट करनी चाहिये कि इन लोगों को पश्चिम बंगाल में बसाना संभव नहीं है। मुझे खेद है कि केन्द्रीय सरकार समस्या के प्रति जागरूक नहीं है। विभिन्न श्रेणी के शरणार्थियों के साथ मतभेद हो रहा है। मैं सभा से अपील करता हूं कि इसे एक राष्ट्रीय समस्या समझा जाए, पश्चिमी बंगाल की समस्या नहीं। शरणार्थियों के आगमन के कारणों का पता नहीं लगाया गया है। इसका पता लगया जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार को दण्डकारण्य की स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए। लोगों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण की एक बैठक में मांग की गई है कि सूखा स्थिति के कारण वहां के लोगों को तुरंत सहायता दी जाये। उन्हें केवल जमीन देने से काम नहीं चलेगा।

उन्हें कृषि के लिये आवश्यक सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। लेकिन इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री यहां आये थे जिन्होंने इस बारे प्रधान मंत्री से भी बातचीत की थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार यह बात स्पष्ट करेगी कि यहां बसने वाले शरणार्थियों को हर प्रकार की सुविधाएं दी जायेंगी और उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत करने का मौका नहीं दिया जाएगा। पुनर्वास ही नहीं बल्कि रख रखाव के लिये भी अनुदान का दिया जाना जरूरी है।

क्या शरणार्थियों को अंडमान निकोबार में बसाने पर विचार करेगी जिसकी प्रधान मंत्री ने भी चर्चा की थी। केन्द्र को इसे पश्चिमी बंगाल की ही समस्या नहीं समझना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय समस्या है।

श्री सिकन्दर बख्त : सरकार निर्धारित मात्रा में राहत देने के लिये बचनबद्ध है। इन्हें सुविधाएं देने के लिये कुछ प्रशासनिक कदम उठाने पड़ेंगे।

पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को राहत देने तथा उनका पुनर्वास करने के लिये सरकार अपने सभी वचनों को पूरा करेगी। जो कुछ भी सरकार ने उन्हें दिया, यदि वे उसे बेच दें तो सरकार क्या कर सकती है।

जहां तक भेदभाव का प्रश्न है, यह आरोप ठीक नहीं है। सभी लोगों को समान सुविधाएं दी जा रही हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : रख-रखाव अनुदान का दिया जाना जरूरी है।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं कह चुका हूं कि सभी वचनों को पूरा किया जाएगा।

श्री मुकुंद मंडल* (मथुरापुर) : कांग्रेस ने इस समस्या का 30 वर्षों तक कोई भी समाधान नहीं किया है। खेद की बात है कि जनता सरकार भी इस समस्या के प्रति उदासीन दृष्टिकोण अपना रही है और कुछ नहीं किया जिससे यह समस्या हल हो सके। वहां एक षड़यंत्र चल रहा है जिसके अनुसार नौकरशाह शरणार्थियों को हर प्रकार की सहायता देना बंद कर रहे हैं, उनसे रिश्वत मांगी जाती है। उन्हें वहां से भगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह कहना गलत है कि अब वहां शरणार्थी नहीं आ रहे हैं क्योंकि जैसे कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा है प्रति दिन 300 शरणार्थी वहां आ रहे हैं। लोगों को सुंदरवन ले जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस सारी समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या समझा जाना चाहिए। कलकत्ता में भी चारों ओर से नित्यप्रति शरणार्थी आ रहे हैं। क्या केन्द्रीय सरकार इस संबंध में एक स्पष्ट नीति की घोषणा करेगी?

श्री सिकन्दर बख्त : पुनर्वास विभाग को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बंगलादेश से और शरणार्थी आ रहे हैं। जहां तक सुंदरवन का संबंध है इस समस्या को पश्चिम

*बंगला में पूछे गये प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

*Summarised Hindi version based on English translation of the question asked in Bengali.

बंगाल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार एक दूसरे के सहयोग से हल करने का प्रयास कर रही है।

श्री राज कृष्ण डान* (बर्दवान) : यह समस्या पिछले 31 वर्षों से चलती आ रही है। मुझे खेद है कि केन्द्रीय सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। नौकरशाह सरकार के पास गुमराह करने वाले आंकड़े प्रस्तुत करती है।

शरणार्थियों की समस्या केवल दण्डकारण्य में ही नहीं है। बंगाल और पंजाब के विभाजन के कारण आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और इन क्षेत्रों के लोगों ने सहर्ष देश का विभाजन स्वीकार किया था क्योंकि कुछ कारण ही ऐसे थे। उस समय सभी राष्ट्रीय नेताओं ने उन लोगों को आश्वासन दिया था कि उनका पूरी तरह पुनर्वास किया जाएगा। किन्तु मैं अब आपके सामने कुछ वास्तविक तथ्य पेश करूंगा। पश्चिम बंगाल से आने वाले गैरबंगाली भाषी शरणार्थियों को पूरी तरह बसाया गया है और आज उनकी सभी समस्याएं हल हो गई हैं। आज उनका जीवन उस समय से बहुत बेहतर है, जब वे शरणार्थियों के रूप में यहां आये थे। प्राक्कलन समिति के 96वें प्रतिवेदन के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों के लिये राहत कार्य 1959–60 में आरम्भ किये थे। तत्कालीन पुनर्वास मंत्री, श्री मेहरचन्द खन्ना ने सरकार की पुनर्वास नीति के बारे में एक वक्तव्य दिया था, किन्तु एक वर्ष के अन्दर पुनर्वास विभाग समाप्त कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि पूर्वी बंगाल से आए 90 लाख शरणार्थियों को कैसे बसाया जा सकता था।

शरणार्थियों पर होने वाले व्यय के बारे में मंत्री जी ने सही आंकड़े नहीं दिये हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों पर 300 करोड़ रुपये व्यय किये हैं जबकि पश्चिम बंगाल से आये शरणार्थियों पर केवल 200 करोड़ रुपये व्यथ किये गए। माननीय मंत्री को पता है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को इसके अतिरिक्त 7 लाख एकड़ जमीन भी दी गई थी। मुसलमानों द्वारा छोड़े गए कई घर भी उन्हें दिये गये।

पश्चिम बंगाल में स्थिति गंभीर है। मुसलमानों द्वारा छोड़े गये 3 लाख घर पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को दिये गये। इसके अतिरिक्त सरकार ने 9.1 करोड़ रुपये की लागत से 2,21,101 दुकानें बनाई लेकिन पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों को एक भी दूकान नहीं दी। सभी दूकानें पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दे दी गई।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक सीमित प्रश्न होता है। आप समूची शरणार्थी समस्या को लेकर बैठ गए हैं।

श्री राज कृष्ण डान : दण्डकारण्य में क्या हो रहा है। बृहत् योजना के अनुसार वहां शरणार्थियों के 35,000 परिवारों को बसाना था किन्तु नौकरशाही के षडयत्र के फलस्वरूप वहां केवल 7,000 परिवारों को बसाया गया। नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों को पहाड़ों के ऊपर कृषि के लिये जमीन दी गई।

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

*Summarised Hindi version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

बंगला भाषी शरणार्थियों को अनावश्यक रूप से बदनाम किया जाता है। कलकत्ता में पहले ही जनाधिक्य है, और वहां अधिक शरणार्थियों के आने से समस्या और अधिक गंभीर हो गई है। मंत्री जी के वक्तव्य में कहा गया है कि शरणार्थी षडयंत्र के शिकार हैं। क्या पूर्वी बंगाल के शरणार्थी किसी के षडयंत्र के कारण भूख से मरे? केन्द्रीय सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए···(**व्यवधान**) मंत्री जी को सभी शरणार्थियों का ध्यान रखना चाहिए। वे सर्वत्र सड़कों पर तथा रेलवे स्टेशनों पर घूम रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह वाद-विवाद नहीं है (**व्यवधान**) प्रश्न पर बोलिए।

श्री राज कृष्ण डान : वे लोग टाईफायड, हैजा आदि से पीड़ित हैं और मंत्री जी कहते हैं कि यह सब राजनीतिक षडयंत्र के कारण है। क्या यह काम राजनीतिज्ञों का है? हमें उनका पता लगाना चाहिए जो कि इस तरह का षडयंत्र रचते हैं···(**व्यवधान**)

इन शरणार्थियों के लिये एक बृहत योजना बनाने का विचार है। क्या योजना तैयार कर ली गई है? प्रश्न यह है कि ये शरणार्थी कहां जायेंगे?

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इन शरणार्थियों को अंडमान निकोबार भेजा जाएगा या नहीं और क्या बृहत योजना के अनुसार उन्हें रोजगार आदि दिया जायेगा? क्या सच्चाई का पता लगाने के लिये एक संसदीय समिति गठित की जायेगी। क्या विभिन्न भाषी शरणार्थियों पर समान रूप से पैसा व्यय किया जाएगा?

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कौन से प्रश्न का जवाब दूं।

अध्यक्ष महोदय : पहला प्रश्न यह है कि क्या पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को अंडमान भेजा जाएगा अथवा नहीं?

श्री सिकन्दर बख्त : अंडमान के बारे में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। यह कभी स्वीकार नहीं किया गया है कि पूर्वी बंगाल के सभी शरणार्थियों को अंडमान निकोबार में बसाया जाएगा। वहां केवल 2,500 परिवारों को बसाया जा सकता है। जिनमें से 800 परिवारों को बसाया जा चुका है और 1700 शरणार्थियों के परिवारों को अभी वहां बसाना है। पूर्वी बंगाल के सभी शरणार्थियों को वहां नहीं बसाया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी ने कहा है कि पूर्वी बंगाल के और शरणार्थियों को अब अंडमान में नहीं बसाया जाएगा। प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री ने मुझसे जो कुछ कहा है, वह इसके विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य गलत हो सकता है। गलत वक्तव्य व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

SHRI RAM SEWAK HAZARI ((Rosera) : Government has not furnished all the facts regarding refugees in Dandakaranya. Attempts are being made to remove their from there. They have been given uneconomic land. That land is not fertile. The people from outside are purchasing their belongings including their cattle at throw away price. These all facts have not been furnished in the House. There is no place for refugees in West Bengal and

Sunderbans. Steps should be taken to see that these refugees do not cross the border. There should be some effective machinery at various points on our border to check exodus of refugees. Government should ensure their safely.

The scheme regarding resettling of refugees in Andamans should be implemented expeditiously. Their all problems should be solved.

SHRI SIKANDAR BAKHT : It is not correct to say that the Law and Order situation is deteriorating there. Madhya Pradesh and Orissa Government assured us that there is not any such problem. I have already explained the position regarding Andamans.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सीमा के बारे में भी प्रश्न पूछा है कि आप सीमा पर उन्हें क्यों नहीं रोकते। उनका दूसरा प्रश्न यह है कि आप उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं जो इन लोगों का शोषण कर रहे हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : षडयंत्रकारियों से पहले राज्य सरकारों को निपटना चाहिए। हमने इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार, उड़ीसा सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार से बात की है। हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। जब हम उन्हें पश्चिम बंगाल से वापस लाते हैं तो वे गाड़ी से उतरकर कहीं और चले जाते हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें इस स्थान पर रहना चाहिए और पश्चिम बंगाल वापस नहीं जाना चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) **:** सरकार को इस समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में लेना चाहिए। यह केवल पश्चिम बंगाल सरकार का ही मामला नहीं है। यह तो समूचे देश की समस्या है?

दंडकारण्य परियोजना एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास करना है। पता चला है कि अब तक वहां लगभग 2,100 है परिवारों को बसाया जा चुका है, जिनमें से 20,000 कृषक हैं तथा 1,000 और गैर कृषक हैं। यह कृषि परियोजना है किन्तु दण्डकारण्य प्राधिकारियों के दस्तावेज के अनुसार वहां सिंचित भूमि 5 प्रतिशत से भी कम है। इस परियोजना का कार्यन्वयन संतोषजनक ढंग से नहीं हुआ है, क्योंकि इसके परिणाम निराशाजनक हैं। वहां धन का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया है। विकास योजनाएं भली भांति कार्यान्वित नहीं की जाती। यह स्थल शरणार्थियों के लिये आकर्षित नहीं है। मंत्री जी को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 60 लाख परिवारों का 16 राज्यों में पुनर्वास किया गया है।

क्या भारत सरकार राज्य राहत तथा पुनर्वास मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने पर विचार कर रही है ताकि शरणार्थियों संबंधी समस्याओं पर विचार करके उन्हें हल किया जा सके।

मंत्री जी ने अंडमान के बारे में गलत वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि वहां अब एक भी शरणार्थी नहीं बसाया जा सकता। जबकि प्रधानमंत्री ने इसके विपरीत कहा है। **(व्यवधान)**।

क्या उनका मंत्रालय भी इसे एक खुला प्रश्न समझता है? दंडकारण्य में अब अधिक लोगों को बसाने की गुंजाइश नहीं है लेकिन प्रधान मंत्री के कथन को ध्यान में रखते हुए क्या अंडमान में अधिक शरणार्थी बसाए जायेंगे?

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे प्रधान मंत्री से अभी तक कोई नया निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे मंत्रालय का यह विचार है कि अब पूर्वी पाकिस्तान से आये एक भी शरणार्थी को वहां नहीं बसाया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसका क्या कारण है?

श्री सिकन्दर बख्त : कारण कई बार बताए जा चुके हैं। यह निर्णय हमारी सरकार के सत्ता में आने से कई समय पहले लिया जा चुका था। कारण जलवायु संबंधी है। मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि फिलहाल हम अंडमान में एक भी शरणार्थी नहीं बसाना चाहते।

जहां तक दंडकारण्य परियोजना का संबंध है, हम इस बार करोड़ों रुपये व्यय कर चुके हैं। चार वर्ष में हम 135.82 करोड़ तथा 19.61 करोड़ रुपये व्यय करने की योजना बना रहे हैं। मैं सदस्यों को विश्वास दिला दूं कि दण्डकारण्य में शरणार्थियों को जमीन दी गई है, वह बहुत उपजाऊ होने जा रही है।

श्री चित्त बसु : आपने अब तक कौन-कौन से वायदे किये हैं?

श्री सिकन्दर बख्त : हमने अब तक इस तरह की सहायता देने का वायदा किया है:– आवास के लिये 3,075 रुपये, जिनमें से 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगी। कृषि साधनों के लिये 1,725 रुपये आदि। इसके अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों को तीन सीजनों के लिये निर्धारित दरों पर अनुरक्षण अनुदान भी दिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त तीन प्रकार की जमीन बांटी गई है। 5 एकड़ गैर सिंचित जमीन, 4 एकड़ आंशिक रूप से सिंचित जमीन तथा 3 एकड़ सिंचित जमीन।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह अनुरक्षण अनुदान उन व्यक्तियों को भी दिया जाएगा जिन्हें वहां वापस लिया जाएगा?

श्री सिकन्दर बख्त : हमने अभी इस पर विचार नहीं किया है?

श्री चित्त बसु : क्या सरकार राज्य पुनर्वास मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने पर विचार कर रही है?

श्री सिकन्दर बख्त : यदि मुझे कठिनाइयां बतायी जायें तो फिर म इस सुझाव पर विचार करूंगा।

लोक लेखा समिति

67वां प्रतिवेदन

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

SIXTY-SEVENTH REPORT

श्री सी० एम० स्टीफन (इदिक्की) : मैं लोक लेखा समिति का 67वां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

पहला प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं लोक उपक्रमों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश पेश करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) कलकत्ता में सरकारी गोदामों में चाय का भारी स्टाक जमा हो जाने का समाचार

SHRI S. K. SARDA (Ajmer) : Sometime back the Minister of Commerce had declared that he is going to make tea cheaper and that cheap tea will be made available to the people. But it is strange that 10 lakh k.g. of tea worth Rs. 15 crores is lying in the Government godowns of Calcutta and nothing is being done for its distribution. Let the Minister state why that tea is lying there and are the people responsible for this negligence punished and if not the reasons therefor.

(दो) नमक के लाने ले जाने के लिए गुजरात में वैगनों की कमी का समाचार

प्रो० आर० के अमीन (सुरेन्द्रनगर) : पिछले वर्ष देश के कई भागों में नमक की कमी अनुभव की गई, जिसके परिणामस्वरूप नमक के निर्यात पर रोक लगा दी गई। वास्तविक कठिनाई नमक की कमी नहीं थी वरन् नमक के लाने ले जाने के लिये गुजरात में माल डिब्बों की कमी थी। सभी प्रकार के नमक के 30 हज़ार बोरे पतरी स्टेशन पर पड़े हैं। खारगुडा से 30 किलोमीटर दूर "सी" श्रेणी का नमक बड़ी मात्रा में पड़ा है और परिवहन सुविधाएं न दिये जाने से वर्षा होने पर सारा नमक बर्बाद हो जायेगा। अतः "सी" श्रेणी के नमक के लिये 60 माल डिब्बे और "ई" श्रेणी के नमक को ढोने के लिए अप्रैल-मई मास के दौरान 10 माल डिब्बे प्रतिदिन सप्लाई करना नितांत आवश्यक है।

श्री मुहम्मद शफी (कुरेशी) (अनन्तनाग) : श्रीमान् दंगा संबंधी मामले का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यह आज की कार्यसूची में नहीं है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : श्रीमान् यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है (. . **व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको यह दोहराना है . . (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है लेकिन आप सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (डागरा) : यह अल्पसंख्यकों की रक्षा का प्रश्न है।

जब जबलपुर और औरंगाबाद में दंगे हुए थे तो उन पर यहां चर्चा हुई थी।

श्री ज्योतिमर्य बसु : हैदराबाद में एक हरिजन तथा एक मुसलमान के मारे जाने के बाद वहां रेल संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। हम ऐसी घटनाओं पर चुपचाप नहीं रह सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर विचार करूंगा (**व्यवधान**)।

श्री बी० राचैया (चमराजनगर) : आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मामले पर न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया है (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : मेरा इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन सी सरकार सत्ता में है। मेरा मतलब केवल कानून और व्यवस्था से है·· (**व्यवधान**)

(तीन) भारतीय भू-सर्वेक्षण के महानिदेशक की पदावनति का कथित समाचार

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं, जिसका संबंध केवल इस्पात मंत्रालय से नहीं बल्कि समूची भारत सरकार से है। मैं सभा का ध्यान इस मंत्रालय के कार्यकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

भारतीय भू सर्वेक्षण देश में सबसे बड़ा वैज्ञानिक संगठन है जो कि देश की खनिज संपत्ति की देखभाल ही नहीं कर रहा बल्कि समुद्र से तथा समुद्र तट से प्राकृतिक संसाधनों की खोज भी करता है। हाल ही में श्री वी० के० एस० वर्धन की भारतीय भू० सर्वेक्षण के महानिदशक के पद से पदावनति की गई है। वह एक वरिष्ठतम वैज्ञानिक अधिकारी थे।

इस घटना की समाचार पत्रों में बहुत आलोचना की गई है।

यह एक अकेला मामला ही नहीं है तथा देश के सभी वैज्ञानिक पिछले एक वर्ष से इसी मंत्रालय के कार्य से ही नहीं वरन अन्य अनेक मंत्रालयों के कार्य करने के ढंग से भी असंतुष्ट हुए। लगता है भारतीय भू-सर्वेक्षण के 14,000 वैज्ञानिकों और केन्द्रीय खान मंत्रालय के नौकरशाहों के बीच सीधी खींचातानी है।

श्री वर्धन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विधि सम्मेलन में भाग लिया था तथा वहां हुई चर्चा में उनके अभूतपूर्व योगदान की सत्र ने प्रशंसा की है। विधि मंत्री ने भी उनके कार्य की सराहना की है और उन्होंने उन्हें सम्मेलन के समाप्त होने तक उस पद पर बने रहने को कहा है। परन्तु इन सबके बावजूद कोई कारण बताए बिना उनकी पदावनति कर दी गई है। इससे समूचे वैज्ञानिक समुदाय को एक धक्का लगा है। भारतीय भू-सर्वेक्षण अधिकारी संघ परिषद् ने 31 जनवरी, 1978 को अपनी बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा आम तौर पर भारतीय भू-सर्वेक्षण और विशेषकर श्री वर्धन के कार्य के महत्व को घटाने की निन्दा की है। परिषद् ने इस सारे मामले की जांच के लिये एक न्यायिक आयोग बनाने के लिये राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है। मंत्री महोदय इसकी जांच करें।

(चार) रेड क्रास सोसाइटी का कार्यकरण

श्री बलदेव सिंह जसटोटिया (जम्मू) : मैं सभा का ध्यान बंगला देश के लिये भारतीय रेडक्रास सोसायटी को बड़ी मात्रा में मिले सामान के काला बाजार में बेचे जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। सामाजिक कार्यकर्ता और उद्योगपति श्री मनुभाई भी मंत्री के अनुसार बंगला देश के लिये 57 लाख रुपये के कपड़े और दूध कलकत्ता में बेच दिये गये हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
(**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*)

इन शिकायतों के आधार पर प्रधान मंत्री ने अध्यक्ष से 30 नवम्बर, 1977 तक त्याग-पत्र देने को कहा था। इसके बजाय रंगनाथन ने प्रबन्ध मण्डल की एक बैटक बुला कर अपने विश्वास का प्रस्ताव पास करा लिया। उन्होंने सुविमल दत्त की अध्यक्षता में रेडक्रास की जांच के लिये एक जांच समिति का भी गठन किया परन्तु श्री दत्त ने त्याग पत्र दे दिया और सहयोग के अभाव में वे जांच न कर सके।

यहां तक कि राज्य बोर्डों का गठन और केन्द्रीय रेडक्रास सोसायटी में उनका प्रतिनिधित्व भी सोसायटी के नियमों और विनियमों के अनुरूप नहीं है। सोसायटी के समारोहों में दी जाने वाली शराब का खर्चा भी रेडक्रास निधि से पूरा किया जाता है। भारतीय दण्ड संहिता में उल्लिखित अपराधों में से अधिकांश अपराध वहां हो रहे हैं।

प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को मिल कर तत्काल इस स्थिति में सुधार करना चाहिए। वे इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लें अन्यथा रेडक्रास सरकार के माथे पर कलंक बन कर रह जाएगा।

(पांच) आसनसोल की तारा कोयला खान में हुई दुर्घटना के कारण 5 खनिकों की मृत्यु का समाचार

SHRI UGRACEN (Deoria) : Mr. Speaker, on March 31, 1978, due to the collapse of the roof of Tara Mine situated at a distance of 15 kilometres from Asansol., 6 mine workers died immeidately while one died later in the hospital and 7 were seriously injured.

The mine workers have informed the authorities earlier that the roof of the mine was weak but they did not pay any attention to it. There should be a judicial enquiry into the incident and adequate measures should be taken for the safety of workers who have to work underground.

अनुदानों की मांगें 1978-79
DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नौवहन और परिवहन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करते हैं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : भारत उन कुछ देशों में से एक है जिनका अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रीय व्यापार में सबसे अधिक हिस्सा है। हमारे पास समुचित आर्डर हैं और आशा है हमें अभी और भी आर्डर मिलेंगे लेकिन समस्या यह है कि क्या विद्यमान नौवहन क्षमता से हम माल की सप्लाई करने में समर्थ होंगे। वर्तमान स्थिति में यह संभव प्रतीत नहीं होता क्योंकि हमारी नौवहन क्षमता वर्तमान अपेक्षित स्तर से बहुत कम है। नौवहन की कुछ मूल समस्याएं, जैसे कि जलयानी, की बर्थ, पावर कट, समायोजन का आभाव, सेवाओं का अनुचित प्रतिनिधित्व, श्रमिक असंतोष इत्यादि अभी भी हमारे नौवहन उद्योग के लिये गंभीर खतरा बनी हुई है।

वर्ष 1977-78 के दौरान नौवहन उद्योग का निष्पादन अच्छा नहीं रहा है । जहां तक आयात का संबंध है हम अपनी विद्यमान नौवहन क्षमता से समूचा नौभार सम्भालने में समर्थ नहीं हैं। राज्य व्यापार निगम ने रूमानिया और पोलैण्ड से सीमेंट मंगाने के लिए कुछ निजी तौर पर व्यवस्था की हैं। इन व्यवस्थाओं ने हमारे विकास में गम्भीर रुकावट पैदा की है ।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है हम मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं हुए हैं वर्ष 1977-78 में 4.6 लाख टन लोहा और इस्पात तथा 9.5 टन दूसरे माल का निर्यात हुआ जबकि वर्ष 1976-77 में यह आंकड़े क्रमशः 7 लाख टन और 11.69 लाख टन थे। अतः हमारे नौवहन उद्योग का भागात्मक और गुणात्मक विकास बहुत जरूरी है।

विशाखापटनम में हिन्दुस्तान शिप बिल्डिंग यार्ड ने मार्च 1977 तक 70 जहाज बना कर दिए श्रमिक असन्तोष और बिजली की कटौती के कारण भी उत्पादन को कुछ धक्का पहुंचा । यदि श्रमिक संघों की मागों पर विचार करके उन्हें उचित रूप से क्रियान्वित किया जाए तो यह समस्याएं दूर की जा सकती हैं।

बड़े पत्तनों की संख्या में वृद्धि हुई हैं । 1974 की 5 बडी पत्तनों की तुलना में देश में आज 10 बड़े पत्तन हैं लेकिन अर्थ-व्यवस्था की विकासोन्मुख जटिलता को दृष्टिगत रखते हुए देश में और बड़े पत्तन बनाने की आवश्यकता है । इस सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से काकीनाडा पत्तन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हाल ही में इसके आर्थिक महत्व के बढ़ जाने के कारण यह पत्तन और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है पत्तन क्षेत्र में एक बड़ा उर्वरक और रासायनिक संयंत्र लगाया गया है साथ ही वहां एक पल्प फैटक्री भी है और मत्सय नौकाओं इत्यादि का काम भी काफी बढ़ा हुआ है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हुं किन्तू इस पत्तन को बड़ा पत्तन घोषित करने के लिए विशेष कार्यवाही करें ताकि इस पत्तन के द्वारा हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप माल हमें प्राप्त हो सके।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की समस्याएं भी बहुत महत्वपूर्ण है । जब कभी कुछ समस्याएं उत्पन्न हों तो उन पर गोदी श्रमिकों, सरकार तथा कर्मचारियों को मिलजुल कर विचार करना चाहिए । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के गोदी कर्मचारियों की कई बार छंटनी की जा चुकी है क्योंकि उनका पत्तन में कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं है।

मंत्री महोदय को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें पत्तन में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो तथा उनके हितों की सुरक्षा की जा सके।

जहां तक परिवहन का संबंध है सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को उचित महत्व नहीं दे रही है । जहांकि हमारी जनसंख्या का दो तिहाई भाग बसता है इस उद्देश्य हेतु प्रारूप योजना में जो आवेदन किया गया है वह बहुत कम है । इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए केवल 4 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जोकि समुचित नहीं है । इस उद्देश्य हेतु अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि आदिवासी क्षेत्रों का विकास जल्दी हो सके ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनातियों के प्रतिनिधित्व में अनियमितताओं को दूर किया जाना चाहिए । सड़क-निर्माण पर व्यय करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के सुझाव के अनुसार रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हों ।

SHRI GOVIND MUNDA (Keonjhar) : During the Congress regime, nothing has been done to provide more transport facilities in the backward area of Keonjhar, populated by poor tribes. National Highway No. 6 running from Calcutta to Bombay *via* Keonjhar through the Adiresi hill area remains neglected. Steps should now be taken for its proper repairs and maintenance. Rs. 128 lakhs has been sanctioned by the Central Government for other Project to be constructed over the river Baitani near Anandpur in Distt Keonjhar. But this project has not been taken up so far. Its implementation should be expedited.

Dredging operations should also be taken up early in the rivers of Orissa, particularly in Mahanadi and Baitani so that they may become navigable in a larger area. Provision of funds should be made to the Budget for the purpose.

During the regime of the Janata Government, there has been some improvement in labour and employment position, as is evident from the Report of the Ministry, for which they deserve our thanks.

Action should be taken to provide and extend inland motor transport facilities also in the tribal areas of Orissa which would help in economic development of these backward areas.

श्री के० मायातेवर : सड़क, जलयान तथा परिवहन राष्ट्रीय एकीकरण और सामाजिक आर्थिक विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । मुझे पता चला है कि कुल व्यय में से सड़क परिवहन पर केवल 0.68 का आवंटन किया गया है जो बहुत कम है । मेरा सुझाव है कि कुल परिव्यय का कम से कम 5.1 इस प्रयोजनार्थ व्यय किया जाये।

रेल, सड़क और जल परिवहन की एकीकृत प्रणाली अपनायी जाये।

आजादी के 30 वर्ष बाद भी हम ग्रामीण सड़कों का विकास नहीं कर पाये हैं। 30.1 से भी कम गावों में सड़कें हैं और शेष 70.1 गावों में संतोषजनक और पर्याप्त जोड़ने वाली सड़कें नहीं हैं। ग्रामीण विकास में शीघ्रता के लिए ग्रामीण सड़कों का विकास जरूरी है।

गंगा-कावेरी नदी योजना पर गम्भीरता से विचार किया जाये जिससे राष्ट्रीय एकता आ सकेगी और कम दूरी के स्थानों के बीच परिवहन, शक्ति और ऊर्जा, पेय जल, बाढ़ और सूखे की समस्याएं भी हल हो सकेंगी।

काश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय सड़क मार्ग भी बनाया जाये उस से भी राष्ट्रीय एकता में सहायता मिलेगी।

समुद्री तूफान में तमिलनाडु में अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और 25 से 30 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इस प्राकृतिक विपदा से हुई हानि की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिये।

यदि हम ग्रामीण अर्थ व्यवस्था विशेषकर कृषि अर्थ व्यवस्था का, जो भारतीय अर्थ व्यवस्था की जान है, विकास करना चाहते हैं तो हमें देश के हर एक भाग में सड़कों का विकास करना होगा।

तमिल नाडु की केवल 40 से 50 तक राष्ट्रीय परमिट दिये गये हैं जो बहुत कम और अपर्याप्त हैं। इन्हें कुछ सौ तक बढ़ाया जाये।

हमारा नौवहन उद्योग संकट से गुजर रहा है। हमने स्वतंत्रता के बाद उसका कुछ विकास नहीं किया है। इस उद्योग को सहायता दी जाये।

नौवहन के मामले में नागापट्नम टूटीकोरन और कुद्दालोर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन आजादी के बाद से उनकी उपेक्षा हुई है। इन के विकास की ओर सरकार ध्यान दे।

अपने जलयानों की मरम्मत के लिए हमारे पास शिपयार्ड नहीं है और उन्हें मरम्मत के लिए सिंगापुर, हांगकांग, जापान तथा अन्य विभिन्न देशों में भेजने पर लगभग 25 करोड़ रुपये व्यय होते हैं। अतः भारत में न केवल जहाज निर्माण के लिए कारखाने लगाये जायें बल्कि उनकी मरम्मत के कार्य हेतु भी कारखाने लगाये जायें। इस प्रकार 25 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचा पायेंगे। पांडिचेरी पत्तन की स्थिति भी ठीक नहीं है। सरकार इस ओर ध्यान देकर आवश्यक कदम उठाये।

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : यह बहुत खेद की बात है कि भारतीय नौवहन निगम को, विशेष रूप में पिछले दो वर्षों से घाटा हो रहा है। सरकार द्वारा सुझाये गये योजना बद्ध सुधारों, नियंत्रणों तथा प्रतिनियंत्रणों के बावजूद भी सम्पूर्ण विश्व में जो भाड़े सम्बन्धी युद्ध चल रहा है, वह भारतीय नौवहन निगम की आगामी कुछ वर्षों के लिए घाटे में जाने के लिए बाध्य कर देगा।

भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक के विदेशी दौरे पर बहुत अधिक खर्चा आया जोकि वर्ष में 270 दिन भारत से बाहर रहे। इतना ही नहीं उनके टेलीफोन, आतिथ्य सरकार तथा प्रकीर्ण व्यय की मदों के अन्तर्गत भी भारी व्यय दिखाया गया है। जब तक अनावश्यक या फजूल या विसाल सामग्री पर खर्च की जाने वाली धनराशि में कटौती नहीं की जाती तो एक दिन स्थिति यह हो जायेगी कि भारतीय नौवहन निगम की आय कम रह जायेगी तथा उसका खर्चा बढ़ जायेगा।

भारतीय नौवहन निगम में भ्रष्टाचार का भी बोल बाला है । निगम द्वारा अनेक बिलों का भुगतान करना बाकी है तथा यदि यह भुगतान नहीं किया जाता तो एक दिन किसी न किसी को इस की परेशानी उठानी पड़ेगी । कलकता की पांच फर्में, पिछले 20 वर्षों से नौवहन के लिए ठेके का कार्य कर रही है, तथा उनका रिकार्ड काफी अच्छा है, उनके वर्ष 1971 से 1975 तक के समय के करोड़ों रुपये निगम की ओर बकाया है । गत वर्ष अक्तूबर, नवम्बर में मैंने इस मामले के बारे में मंत्री महोदय को लिखा था जिन्होंने इसके लिए एक समिति का गठन कर दिया था तथा इन फर्मों की 5 लाख रुपये की तदर्थ धन राशि दे दी थी । गत पांच वर्षों से किसी भी प्रकार का आन्तरिक या बाहय लेखा-परीक्षण नहीं हुआ है । मैं मंत्री महोदय को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सम्पूर्ण ढांचे के पुनर्गठन तथा भारती नौवहन निगम की अन्य त्रुटियों की ओर शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिये । जहाँ तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही नहीं की जाती तब तक सम्पूर्ण संगठन में सुधार नहीं हो सकता ।

श्री बी० रचैया (चामराजनगर) : कर्नाटक में एन० एच-7, एन० एच० 13 तथा एन० एच० 17 नामक कुल 1,968 किलोमीटर लम्बा राष्ट्रीय राजपत्र है । इन की हालत बहुत खराब है तथा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । यह पथ काली कृष्णन तुंगभद्रा तथा पालर नामक प्रमुख नदियों के आर-पार जाते है । इन नदियों से आर-पार जाने के लिए पुल बनाने का सुझाव दिया गया है परन्तु उसके लिए बहुत कम धनराशि की व्यवस्था की गई है । मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो जाये ताकि सड़कों पर यातायात अबाध गति से चलने लग जाये ।

पांचवी तथा छटी योजना में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सड़कों के विकास कार्य के लिए 2,183 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । यह ठीक है कि मंत्री महोदय का मुख्य दायित्व राष्ट्रीय राजपथों के रख-रखाव का है परन्तु इसके साथ ही देश में परिवहन का समन्वय करने का दायित्व भी उन्हीं का है । देश में सड़क परिवहन का समुचित विकास करने के लिए राज्य सरकारों के कार्यों का समन्वय करना तथा उन्हें सहायता देने का दायित्व भी उनके मंत्रालय का ही है ।

जहां तक समुद्री नौवहन का सम्बन्ध है, हमारे पास लगभग 371 जलयान हैं जिनमें से 206 अन्य समुद्रों में भी जा सकते हैं तथा शेष जलयान तटीय सीमा के आस पास ही प्रयोग में लाये जाते है । हमें और अधिक जलयानों की आवश्यकता है तथा उसमें अधिक सुधार किया जाना चाहिये ताकि इन्हें लाभ पर चलाया जा सके ।

कारवां पतन का निर्माण कार्य चौथी योजना के दौरान पूरा किया जाना था परन्तु यह पूरा नहीं हो सका । मुझे आशा है कि आगामी वर्षों में इस कार्य को पूरा किया जायेगा तथा इसका निश्चित विकास हो जायेगा । इसके लिए यहां तक समुद्री अनुसंधान डिजाईन केन्द्र बनाने की व्यवस्था भी है जिसकी संभाव्यता के बारे में नार्वे सरकार ने प्रतिवेदन भी दे दिया है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यह परियोजना कारवां में ही स्थापित की जायें ।

यदि सम्भव हो तो भारतीय नौवहन निगम को मंगलौर में जलयानों का निर्माण कार्य भी आरम्भ करना चाहिये । यह संतोष की बात है कि 1 ड्रैजिंग निगम का कार्य

सराहनीय ढंग से चल रहा है तथा इसने लाभ भी कमाया है । परन्तु ड्रेजर का कार्य और अधिक तीव्र गति से किया जाना चाहिये।

मंत्रालय में अनुसूचितम जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि विशाखापतन, तथा कोचीन स्थित हिन्दुस्तान शिपिंग कम्पनी अपना कार्य पूर्ण निर्धारित क्षमता के अनुसार करेगी ताकि जलयान बनाने की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। जलयानों की मरम्मत आदि को व्यवस्था भी वहीं की जानी चाहिये।

कर्नाटक में यदि अन्तर्देशीय जल मार्गों के ड्रेजर किया जाना है तथा नौकाओं में मशीनें लगा दी जाती हैं तो इस से नौचालन में सहायता मिलेगी।

CHOWDHRY BALBIR SINGH (Hoshiarpur) : Work for construction of Ropar-Tanda road has been started late due to late release of funds. This road is of great strategic importance and will shorten the distance to Kashmir and, therefore, its completion should be expedited. Approval has been given for construction of six bridges on this road, but work on them has not been started so far. Steps should be taken to take up this work also early. By their completion Hoshiarpur will not be cut off from the remaining areas of Punjab during the rainy season.

Development of roads is essential for the development of rural areas. It is observed that the work of repairing roads damaged during rainy season is taken after a lapse of eight-nine months, i.e. a few months before the next rainy season and the result is that they remain in góod condition for two three months only and then again get damaged in the next rainy season. Steps should be taken to ensure that timely repairs are done so that the expenditure incurred on repairs can prove more fruitful. Timely repairs will also reduce expendiure on repairs as the roads will not be cdamaged much and major work will not be required.

A bridge should be provided at Raratalli on Tanda—Miani road. A bridge should also be constructed in this constituency, which will link Nurpur Bedi with Keeratpur.

Amritsar-Rajpura and Rajpura-Delhi roads should be widened to avoid accidents.

National permits should be granted more liberally as they help in quick transportation of goods.

SHRI DURGA CHAND (Kangra) : So far as the question of national highways is concerned, a good deal of work has been done, but it was confined only to plains. Himachal Pradesh is a backward hilly area and good roads are very essential for its development, but the State Government have no sufficient funds with them to construct more roads in the hilly regions.

The funds allocated for the construction of Kiratpur-Manali road are too inadequate. The Border Road Development Organisation has earmarked some

13—179LSS/78

funds for widening Pathankot-Mandi State Highway but it is not being developed according to the norms of a national highway. This highway should be declared as a national highway, and the Central Government should take it over because there is large potential of tourists visiting Kangra, Kulu and Manali. Manali should have been connected with Pathankot and Mandi. Further, a lot of inconvenience is being experienced in the transportation of wood, potatoes and apples due to narrow width of this road.

It is stated that the passenger load on Pathankot-Vaijnath-Mandi road is according to the criteria of a national highway, but it is not being developed as a National Highway. Therefore, all possible steps should be taken to declare this road a national highway. Government should pay more attention to connect the backward and hilly areas and larger allocations should be made for it.

***श्री द्रोणम राजू सत्यनारायण** (विशाखापत्तनम) : संसद में प्रत्येक सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति होनी चाहिए । मुझे इस बात का खेद है कि तेलगू में साथ साथ अनुवाद करने की व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर भी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी मातृभाषा, तेलगू में बोलने का अवसर दिया गया है।

नौवहन तथा पविहन का किसी भी देश के लिए बहुत महत्व होता है । विशाखापत्नम का होने के कारण, मुझे वहां की स्थिति देख कर बहुत दुःख होता है । 1977-78 में इस बात का पता चला था कि विशाखापत्नम शिपयार्ड ने गत 10 वर्षों में तो 77 जहाजों का निर्माण किया, मगर इस वर्ष इसने एक बड़ा जहाज और एक मालवाहक जहाज का निर्माण किया । इसका कारण और कुछ नहीं केवल कुव्यवस्था ही है । श्री राघवन जो कि मनेजिंग डायरैक्टर हैं वर्ष में 250 दिन दिल्ली में गुजारते हैं, और लगभग 100 दिन यात्रा में व्यतीत हो जाते हैं, केवल 50 दिन के लगभग वह विशाखापत्नम में रहते हैं, अतः वह श्रमिकों की समस्याओं को सुलझा नहीं सके । वह इस परियोजना को वह महत्व नहीं दे रहे जो कि एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना को दिया जाना चाहिए । इस परियोजना को केवल स्थानीय न समझ कर राष्ट्रीय महत्व की समझना चाहिए ।

यह प्रसन्नता की बात है कि वहां ड्रैजिंग निगम ने वहां पर मरम्मत का काम आरम्भ किया है, अतः उसे धन इत्यादि की सभी सुविधायें दी जानी चाहिएं।

विशाखापतनम एक प्राकृतिक पत्तन है और उसके विकास की बहुत सम्भावनायें हैं, परन्तु विकास कार्य का ह्रास हो रहा है । इसी शिपयार्ड ने 1975-76 में 547 जहाजों का काम किया, जब कि 1977-78 में यह केवल 253 पर ही काम कर पाया।

छोटी पत्तनों के विकास के लिए '10 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है । इनके विकास की बहुत आवश्यकता है । आंन्ध्र प्रदेश में 2340 किलोमीटर सड़कें स्वतन्त्रा से

*तेलुग में दिये गये भाषण अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रुपान्तर

*Summarised Hindi version on English translation of speech delivered in Telugu.

पूर्व थी । इसमें कोई भी वृद्धि आज तक नहीं हो पाई । विश्व बैंक ने इस कार्य के लिए 2244 करोड़ रुपया दिया है इसके प्रयोग के लिए जनपथ बनाने तथा पुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव रखे गये है । आंध्र प्रदेश के आदिम जाति क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए जनपथों का निर्माण बड़ा ही जरूरी है । इस क्षेत्रों को सड़कों के माध्यम से बड़े-बड़े नगरों से जोड़ा जाना बड़ा ही जरूरी है । मुझे आशा है इस दिशा की ओर समूचित ध्यान देगी।

भारत सरकार ने सड़क विकास के लिए राज्य सरकार को केवल 436.15 लाख रुपया दिया है । इससे कुछ भी प्रगति सम्भव नहीं । आशा करनी चाहिए इस मामलें की ओर सरकार ध्यान देगी और उन क्षेत्रों का भी ध्यान देगी जहाँ अभी हाल में बाढ़ें आई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री श्री मोहन धारिया द्वारा वक्व्तय देने के बाद उत्तर देंगे।

वर्ष 1978-79 के लिये आयात-निर्यात नीती के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE IMPORT-EXPORT POLICY, 1978-79

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं सरकार की वर्ष 1978-79 की आयात निर्यात नीति सभा पटल पर रखता हूं । हमारा मुख्य दृष्टिकोण यह है कि आयात-निर्यात की नई नीति को रोजगार के अवसर पैदा करने, छोटे पैमाने के क्षेत्रों के विकास तथा आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिएं । इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना तथा निर्णय लेने में विकेन्द्रीकरण करना भी है।

हमारी व्यापार नीतियों तथा प्रक्रियाओं में स्थायित्व लाने की आवश्यकता है । आगामी तीन महीनों में सचिव (तकनीकी विकास) की अध्यक्षता में एक समिति सुझाव तथा अभ्यावेदन प्राप्त करेगी और सरकार को अपनी सिफारिशें देगी जिनके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं।

यह नीति सरकार की औद्योगिक नीति के अनुरूप लघु, अति लघु तथा कुटीर क्षेत्रों के हित को पर्याप्त रूप में संरक्षण देती है । अब इन क्षेत्रों के लिये जो मदें आरक्षित की गई हैं उनके आयात पर प्रायः रोक लगा दी जायेगी । इन क्षेत्रों की आयात आवश्यकताएं अब पूर्णतः मुक्त विदेशी मुद्रा पर उपलब्ध होंगी और लाइसेंस कार्यालययों में स्थापित स्थानीय समितियां 10 लाख रुपये तक के पूंजीगत माल के आवेदनपत्रों पर विनिश्चय करेंगी।

लघु क्षेत्र के एकक स्थापित करने वाले सभी उद्यमियों को 3 लाख रुपये तक के आयात लाइसेंस प्राप्त करने का हक होगा । इसी प्रकार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा अथवा तकनीकी दृष्टि से योग्य व्यक्तियों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में जो नये एकक स्थापित किये जायेंगे उन्हें अपने उद्यम आरम्भ करने के लिये 5 लाख रुपये तक के आयात के लाइसेंस मिल सकते हैं।

हमारे तकनीकी दृष्टि से योग्य नवयुवकों को भारत लौटने के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, जब भी वे भारत में कोई नया उद्यम आरम्भ करना चाहें, मैं प्रक्रियाओं और लाइसेंसिंग प्रणाली को सरल बना रहा हूं । उनके आवेदनपत्रों पर अब 45 दिन के भीतर विनिश्चय किर दिया जायेगा ।

नई नीति से, प्रत्येक वास्तविक प्रयोगकर्त्ता (औद्योगिक) को प्रत्येक वर्ष अपनी आवश्यकता का पूरा माल स्वतः मिल जाएगा । लोहे तथा इस्पात की मदों के आयात के लिये अलग से क्लीयरेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी । हमारी नई नीति के अनुसार निर्यात किसी भी अन्तर्विष्ट साधन का आयात कर सकता है जोकि निर्यात उत्पादन के लिये अपेक्षित हो ।

हमारा पूंजीगत माल उद्योग समुचित रूप से स्थापित है । किन्तु, संयंत्र तथा उपस्कर के, मामले म, जिनकी लगभग एक दर्जन प्रकार के उद्योगों को आवश्यकता होती है और उर्वरक बिजली उत्पादन, खनिजों की खोज, पैट्रोलियम तथा पैट्रो-रसायन, औषधि तथा कीटनाशक दवाओं जैसे राष्ट्रीय महत्व के उत्पादों तथा पूरी तरह से निर्यात अभिमुख उद्योगों के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि निवेशकर्त्ता को विश्वव्यापी आधार पर अपने उपस्कर खरीदने की छूट दी जाये । निःसन्देह घरेलू उत्पादकों को प्रतियोगिता के लिये बेहतर अवसर प्रदान किये जाएगें ।

मान्यताप्राप्त अस्पतालों, गवेषण तथा विकास संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के अन्य केन्द्रों को अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार उन तकनीकी मदों का आयात करने की पूरी आजादी दी जाएगी जो कि देश में उपलब्ध न हों। जो व्यक्ति निजी तौर पर वैज्ञानिक तथा गवेषण कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपनी आवश्यकतानुसार 10,000 रु० अथवा उससे अधिक तक का माल आयात करने का अधिकार होगा ताकि इन प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जा सके ।

पैट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों तथा औषधियों के मामले में जिनका आयात अलग-अलग उपभोक्ता मांग की पूर्ति करने की बजाय देश की समग्र मांग को पूरा करने के लिये किया जाता है, सम्बन्धित राज्य अधिकरणों को बल्क लाइसेंस दिये जाएंगे और वे इस सम्बन्ध में सरकार की नीतियों के अनुसार उनका परिचालन करेंगे ।

नई नीति में आयात व निर्यात की मार्गीकृत मदों की सूची निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सावधानी पूर्वक तैयार की गई है ताकि जनता के हितों की रक्षा की जा सके । लघु क्षेत्र के लिये विशेष रुचि की बात यह है कि ए० बी० एस०, नायलन एवं पोलिथिलीन मोल्डिंग पाउडर और साथ ही पी० वी० सी० रेजिन तथा अपरिष्कृत आपथलमिक ब्लैंकों के मार्गीकिरण को समाप्त करने का निर्णय किया गया है।

आयात के प्रयोजन के लिये तीन नई मदों को मार्गीकृत किया गया है, ये हैं: अस्त्रशास्त्र तथा गोला बारूद, मदिरा तथा औप्रोगिक विस्फोटक पदार्थ।

10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के पूंजीगत माल को छोड़कर और कुछ अन्य मामलों को छोड़कर लाइसेंस जारी करने का काम पूरी तरह से विकेन्द्रीकृत कर दिया जाएगा । उद्योग

एवं व्यापार की सहायता करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि इसके पहले कि आवेदनपत्र औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जायें, उस आवेदनपत्र की समीक्षा करने में आवेदन की सहायता करने और उसका मार्गदर्शन करने के लिये प्रत्येक लाइसेंसिंग कार्यालय में जन-सम्पर्क अधिकारी रखे जायें।

तदनुसार अगरतला, चंडीगढ़, कटक, गोहाटी, जयपुर और पटना में नये लाइसेंसिंग कार्यालय खोले जायेंगे। सभी लाइसेंसिंग कार्यालय निर्यात संवार्धन कार्यों को भी देखेंगे। राजकोट, विशिखापत्तनम और पांडिचेरी के वर्तमान लाइसेंसिंग कार्यालय निर्यात संवार्धन का कार्य करेंगे।

जिन औद्योगिक एककों ने 1977-78 में कम से कम अपने आधे उत्पादन का निर्यात किया है, वे अपने आटोमैटिक लाइसैंसों के आधे भाग तक अनुपूरक लाइसेंस प्राप्त करेंगे ताकि वे अपने आगे और निर्यात आदेशों की पूर्ति कर सकें। इसके लिये उन्हें प्रायोजक प्राधिकारी के पास नहीं जाना होगा।

इसी प्रकार अपरिष्कृत हारो, कच्चे रेशम, स्टेनलेस स्टील, अपरिष्कृत ब्लैकों और इलेक्ट्रानिक संघटकों के पंजीकृत निर्यातकों द्वारा सीधे आयात किये जाने की नई नीति में दी गई सुविधाओं से हमारे निर्यातों का जोर विधिधाकरण होगा तथा विशेष रूप से त्रिकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

निर्यात ग्रहों की भूमिका तथा कार्यकरण महत्वपूर्ण रहा है। छोटे पैमाने तथा कुटीर क्षेत्रों में उत्पादित माल के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात गृहों को अधिक अतिरिक्त लाइसेंस दिये जायेंगे। ये लाइसेंस उन्हें उन क्षेत्रों में निर्मित वस्तु के निर्यात के आधार पर दिये जायेंगे।

नई नीति के अन्तर्गत कई प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है। अथक प्रयासों के कारण 1977-78 के दौरान आयात तथा निर्यात संगठन के मुख्य नियंत्रक को प्राप्त 3.5 लाख आवेदन पत्रों को निपटा दिया गया।

नई नीति में आयात लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है। नये ढांचे के कारण आर० ई० पी० लाइसेंसों की संख्या कम से कम होगी।

हमारी नई नीति में एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने की बात भी है। अपनी व्यापार नीतियों में उदारता बरतने तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने के लिए किये गये प्रयासों का ही आज यह परिणाम निकला है। आशा है कि विकसित देशों के हमारे व्यापारी भागीदार विकासशील देशों की इस भावना को मान्यता देंगे और वे अपनी ओर से विकासशील देशों में निर्मित वस्तुओं के लिए अपने बाजारों में भेजने का बेहतर प्रबन्ध करेंगे। विभिन्न स्तरों पर परामर्श करने के बाद ही यह नई नीति बनाई गई है। निश्चय ही इससे हमारे देश का हित होगा। एक बिल्कुल नई प्रणाली तैयार की गई है ताकि हमारे उद्योग, कृषि, वाणिज्य तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक तीव्र गति तथा विश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। केन्द्रीय सरकार के कार्यकरण के विकेन्द्रीकरण में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

अनुदानों की मांगें, 1978-79—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79—Contd.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय—जारी

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : I express my inability to assure each and every suggestions of the hon. members. But this much I can assure them that I have heard and noted them my self and will consider them thoroughly.

डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई

(Dr. Sushila Nayar in the Chair.)

It is said that adequate funds has not been allocated for the development of national highways in this Country. It is true that there is a good deal of scope for the development of national highways and the State Governments has suggested to add 30,000 k.m. roads in the national highways. But since the Janata Government came to power, as we have been laying more stress on linking villages with roads, we have not been able to add even a mile to national highways, and even in this year's budget. There is no provision to add any mileage to the existing national highways, However we have spent additional Rs. 8 crores on their development in the year ending 31st March, 1978 as compared to the previous ,year 1976-77.

Our Coast is about 5500 k.m. and about, 43,00 k.m's. of roads are connected with national highways in one way or the other, and we are trying to help the State Government in the development of those national highways and State highways. We have allocated Rs. 5·6 crores and Rs. 2·05 crores to Gujarat and Tamil Nadu Governments respectively for the development of coastal highways. This shows that we have not neglected coastal highways and we would continue to render assistance to those state Governments which strengthen the Coastal highways.

It is also stated that we have neglected North-East region. It is no doubt a hilly area and a difficult terrain. There is only 8 percent of national highways in that region and still, we have spent 15 percent of the total expenditure on the national highways in that region.

As regards rural roads, we have earmarked much more funds for their development in the present plan than the allocation made in the previous plan. In the previous plan, there was an allocation of Rs. 200 crores whereas in the present plan, it has been raised to Rs. 800 crores. We are also taking measurse to connect each village having a population of 1500 with roads by 1983.

Similarly, we have earmarked in the ensuing plan Rs. 300 crores for the development of Tribal roads. We will also be giving as financial assistance to states about Rs. 59 crores in the new plan for the development of strategic roads of national importance and inter-state roads. Thus it will be evident that as

compared to an allocation of Rs. 1117 crores in the previous plan, we will now be spending Rs. 2183 crores on the development of roads in the next five years.

In the matter of construction and development of national highways or state highways, the executing agency is the PWD department of state Governments. So it has been suggested that contractors should be eliminated and the work should be executed through State Road Corporation. It has been suggested to form watch dog Committees associating non-official members to avoid sub-standard work.

Reference is made to the recruitment in Border Roads Organisation. It is complained that its headquarter has been shifted to Poona. But it is only temporary and they have been given instruction to shift it to tribal area and preference should be given to local tribal people in the matter of recruitment.

It is not possible to make casual labour working there permanent because the work that is done there is not going to continue for all time to come.

Mention is made about certain bridges. The bridge demanded by villagers of Multukulam has been sanctioned. The work of Cochin by pass is in progress and we have already allocated funds for it.

We are also trying to complete the pending schemes of the development of ports as early as possible. We will make all efforts to get the clearance from the Planning Commission for the development of Paradeep Port. The minor Ports came under the Jourisdiction of State Governments but still, we are requesting the Planning Commission to sanction some funds to the State Governments for the development of minor ports.

The development work of Kudremukh Manglore and Marmagao ports is proceeding according to schedule. Concern is expressed that we purchased ships from other countries. But the Janata Government has not decided that they will follow the policy of self-reliance in this regard and would build-up their own ships to fulfil their shipping requirements. We now proposed build up two new shipyards, one at Hazira in Gujarat and other at Paradeep in Orissa. We have also decided to construct a ship repairing yard at Haldia.

The shipping industry, not only in our country but in the whole world, is facing a crisis today due to low freight rates. So, we are tying to help the shipping industry in the private and public sectors through shipping Development fund.

Sufficient funds has already been given for the construction of Swarnrak bridge and Vaitarnia bridge. We are writng to State Governments to complete them as early as possible.

We are also to inking to increase the number of national permits. We also proposed to bring forth Motor Vehicles Amendment Bill so as to give reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in regard to new permits.

We are inquiring into the sinking of the "Lord Willingdon" vessel. So far as the workers are concerned. The Chairman of Port Trust has assured that the workers will be provided employments in other floating vessels.

डा० हेनरी ग्रास्टिन : मैंने कोचीन पतन के मुहाने पर लार्ड विलिंगडन के डूबने का मामला उठाया था । दूसरा मामला कोचीन स्थित सुपर टैंकर का है।

श्री के० लकप्पा : पारादीप पत्तन न्यास में श्रमिक नेताओं को मनोनीत क्यों नहीं किया गया ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कोटापुरम पुल से सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ?

श्री अण्णासाहिब गाटेखिण्डे : मैंने कोंकपार तट पर मुगल लाइन में जहाजों के बढ़ाए जाने की बात कही थी । मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में उसका कोई उल्लेख नहीं किया। दूसरी बात राष्ट्रीय परमिटों के कोटा बढ़ाए जाने की थी।

श्री के० मायाथंवर : जहाजों की मरम्मत करने की व्यवस्था करने के बारे में क्या कुछ किया गया है ?

SHRI UGRA SEN : The Chhilaum Wogah Bridge must be completed at the earliest.

SHRI RAMAPATI SINGH (Motihari) : Hajipur bridge should be completed early, because it is only bridge connecting South Bihar.

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : योगास्लाविया से खरीदे बड़े मालवाही जहाजों में घाटा होते चले जाने के क्या कारण है तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा क्या इन जहाजों को बेच दिया गया है ?

श्री पूर्ण सिन्हा (तेजपुर) : क्या सरकार वाहन पुल पर सिलिघाट तेजपुर पुल का निर्माण करेगी ?

पुल की लागत केवल 7 करोड़ है । मैं मंत्री महोदय से विशिष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इस पर कार्य शुरू किया जाएगा।

SHRI HUKAM DEO NARAYAN YADAV (Madhubani) : Work is going on a littoral Roads project in Bihar under this project a road is being constructed from Delhi to Assam via Lucknow, but the construction work is held up at Darbhanga airport. I request the hon. Minister to get this constructed as early as possible

श्री बसंत साठे (अकोला): हमारे जहाज डूब रहे हैं। एम० बी० चन्द्रगुप्त ठीक रख-रखाव न होने के कारण डूब गया । हाल ही में कितने जहाज़ डूबे हैं।

श्री बी० राचैया (चामराज नगर) : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । मैंने कारवाड़ के संबंध में प्रश्न उठाया था । नार्वे की टीम ने एक समुद्री अभिकल्प अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है और इसे मंत्रालय को भेज दिया गया है मैं चाहता हूं यह केन्द्र काखाड़ में स्थापित किया जाए क्योंकि नार्वे के लोगों ने वह एक मत्सय विकास केन्द्र भी बनाया हुआ है।

श्री चांद राम : यह एक बहुत छोटा सा पत्तन है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं आपकी अनुमति से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

SHRI CHAND RAM : "Lord Willingdon" Vessel was purchased in 1926. It had became quite old. We were thinking of scraping it but before we could do so it sunk.

श्री हेनरी आस्टिन : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। खाली यह कह देने से कि जहाज डूब गया बात नही बनती। किन परिस्थितियों में जहाज डूबा।

सभापति महोदय : आप इस संबन्ध में पृथक चर्चा कर सकते है।

SHRI CHAND RAM : We are enquiring into the sinking of the "Lord Willingdon" Vessel. So far as the workers are concerned, the chairman of Port trust have assured that the workers will be provided employment in other floating vessel.

डा० हेनरी आस्टिन : मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि सुपर टैंकर बर्थ, कोचीन का क्या हुआ।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नही। श्री आस्टिन कृपया आप बीच में बार-बार न टोके।

डा० हेनरी आस्टिन : आप मेरा साथ देने के बजाय मंत्री महोदय का पक्ष ले रही हैं ...... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मुझे बोलने तक नहीं दे रहे। यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप मामले को अलग से उठा सकते है। आप अपनी बात कह रहे हैं और मंत्री महोदय अपनी। श्री चांदराम जी आप भी संक्षेप में उत्तर देकर समाप्त कीजिए।

श्री बसंत साठे : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि प्रश्न टैंकर के बारे में है तो उत्तर भी टैंकर के बारे में होना चाहिए ना कि टैक्सी के बारे में।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

SHRI CHAND RAM : The members are making much a do about Nothing I have taken.

सभापति महोदय : मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह प्रश्नों का उत्तर बहुत संक्षेप में दें।

SHRI CHAND RAM : I have taken note of the permits refered to by the hon. members. It will take me some time.

सभापति महोदय : अब में सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

श्री अन्नासाहिब गोटखिंड़े : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 6 और 7 सभा की अनुमति से वापिस लेना चाहता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 6 और 7 सभा की अनुमति से वापिस लिए गए

The cut motions nos. 6 and 7 were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 3, 5, 8, 9, 16 और 17 सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 3, 5, 8, 9, 16 और 17 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

The cut motions nos. 3, 5, 8, 9, 16 and 7 were put and negative.

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1978-79 की नौवहन परिवहन मंत्रालय के अनदानों की निम्नलिखित सभा में मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

The following demands for grant for the year 1978-79 were put and adopted:—

मांग संख्या

शीर्षक	राशि	
75. नौवहन और परिवहन मंत्रालय Ministry of Shipping and Transport	2,54,17,000	
76. सड़क Roads	85,43,40,000	81,97,07,000
77. पत्तन, दीप स्तम्भ और नौवहन Ports, Lighthouses and Shipping	32,66,57,000	163,07,48,000
78. सड़क और अंतर्देशीय जल परिवहन Roads and Inland Water Transport	60,46,000	8,15,00,000

सभापति महोदय : सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीनगर के दूरदर्शन स्टेशन में लगी आग के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर में अग्निकाण्ड के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : FIRE IN DOORDARSHAN STUDIOS IN SRINAGAR

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी): श्रीनगर टेलिविजन स्टूडियों में आज प्रातः लगभग 1.15 बजे आग लग गई। आग लगभग 4.30 बजे तक रही। मुख्य स्टूडियो आग के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ और निकटवर्ती कंट्रोल रूम और टैक्नीकल क्षेत्रों को भी क्षति पहुंची। श्रीनगर दूरदर्शन का कार्यालय ब्लाक आग से प्रभावित नही हुआ। महानिदेशक और मुख्य इंजीनियर दूरदर्शन श्रीनगर पहुंच गए हैं। कार्यक्रमों को चालू रखने के लिए ट्रांसमीटर पर काम चलाऊ व्यवस्था की जा रही है। आग द्वारा हुई क्षति तथा उसके कारणों का अभी पूरा पता नहीं लगा है।

अनुदानों की मांगें, 1978-79—जारी

DEMANDS FOR GRANTS 1978-79—Contd

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सभापति महोदय : अब हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे ।

श्री के० लकप्पा : (तुमकुर) चर्चा के लिए कुल कितना समय नियत किया गया है।

सभापति महोदय : आपके दल को 30 मिनट का समय मिलेगा । श्री उन्नीकृष्णन आप अपना भाषण शुरू कर सकते हैं।

श्री पूर्ण सिन्हा : मैं मांग संख्या 63 पर अपना कटौती प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : (बडागरा) : अभी भी आकाशवाणी और अन्य प्रचार साधनों का दुरुपयोग हो रहा है तथा समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता में बाधा खड़ी की जा रही है तथा प्रचार माध्यम पर दबाव डाला जा रहा है । मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि जून और अक्तूबर, 1977 के बीच मुख्य समाचार बुलेटिनों में अकालीदल समेत जनता पार्टी को आधे से कम समय दिया गया जबकि विरोधी दलों को 51.6 प्रतिशत समय दिया गया। मंत्री महोदय यह बताएं कि यह हिसाब किस प्रकार लगाया गया। इस सम्बन्ध में अलग-अलग दावे किए गए हैं।

हाल ही में 100 संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री को पोलिएस्टर धागा गोलमाल के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था। दैनिक पत्रों में इसका बड़ा प्रचार हुआ परन्तु आकाशवाणी को यह निदेश दिए गए कि इसे प्रसारित न किया जाए। परन्तु जनता पार्टी के 6 सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री को पार्टी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर को बदलने के लिए लिखे पत्र का समाचार प्रकाशित किया गया।

31 मार्च, 1978 को लोक सभा में अंग्रेजी को एक अतिरिक्त सम्पर्क भाषा बनाए रखने के लिए एक गैर-सरकारी संकल्प पर चर्चा हुई। दो सदस्यों के अलावा सभी सदस्यों ने अंग्रेजी को चालू रखने की बात कही। परन्तु 8.45 के हिन्दी समाचार में इससे उल्टी बात कही गई। इसमें कहा गया कि चर्चा में भाग लेने वाले अधिकतर सदस्यों ने अंग्रेजी को हटाने को कहा। यह सूचना मंत्रालय न होकर गलत-सूचना मंत्रालय बन गया है।

एक अन्य प्रेस आयोग की घोषणा का स्वागत है। परन्तु अधिक महत्व है, पहले आयोग की सिफारिशों के बारे में सरकार के रुख का क्योंकि इस आयोग मे बड़े प्रतिष्ठित लोग थे । उन लोगों ने समाचार पत्रों के स्वामित्व का विस्तार करने की बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। छोटे समाचार पत्रों पर दिवाकार समिति का प्रतिवेदन है। मंत्री महोदय हमें बताएं कि इन समितियों की सिफारिशों के सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं।

कुछ सप्ताह पहले अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस संस्था, दिल्ली में मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य देते हुए कहा था कि भारत में समाचार पत्र सरकार विरोधी न होकर उसके सहयोगी हैं। आपात काल में ऐसा हुआ। वे इसे फिर ऐसा क्यों करना चाहते हैं ?

प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से प्रकाशित एक छोटे से सान्ध्याकालीन हिन्दी दैनिक के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की आलोचना करने पर उसे ऐसे करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।

समाचार को जितनी शीघ्र हो सके उतना शींघ्र बांट दिया जाए। देश में लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है। परन्तु वित्तीय व्यवस्था का किया जाना भी आवश्यक है। यह पी० टी० आई० या यू० एन० आई० के लिए ही आवश्यक नहीं वरन् समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार जैसी एजेन्सियों के लिए भी यह आवश्यक है। परन्तु इस बारे में बड़ा सन्देह है कि सरकार एजेन्सियों और समाचारपत्रों की इस प्रकार सक्षम किए जाने में रुचि रखती है।

वित्त मंत्री द्वारा नए, वित्त विधेयक में खर्च की अनुमति न दिए जाने का जो प्रस्ताव किया है उससे छोटे पत्रों की सक्षमता पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे बहुत से छोटे पत्र बन्द हो जाएंगे।

एक पूंजीपति समाचार पत्र ने आपात काल में 60 लाख की हानि का दावा किया और मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से इसके भुगतान की सिफारिश की है। परन्तु अन्य समाचार पत्रों का क्या हुआ? बहुत से पत्रकारों को आपातकाल में कष्ट हुआ। क्या उन्हें भी कोई मुआवजा मिलेगा?

एकाधिकार समाचार पत्रों तथा इनके मालिकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और दूसरी ओर छोटे समाचार पत्रों की उपेक्षा की जा रही है। यदि अप्रत्यक्ष रूप से छोटे समाचार पत्रों पर कुप्रभाव पड़ता है तो इसका प्रभाव समाचार एजेन्सियों के वित्त पर भी पड़ेगा।

पी० टी० आई० के चेयरमैन ने हिन्तुस्तान समाचार को पी० टी० आई० बिल्डिंग में रखने का निर्णय किया था और उसे पी० टी० आई० की फाइले देने का भी वचन दिया था। हमने इस तरह की बात कभी नहीं सुनी कि कोई समाचार एजेन्सी अपनी फाइलें किसी विरोधी समाचार एजेन्सी को दे। मंत्री जी को हमें बताना चाहिए कि क्या हिन्दुस्तान समाचार पी० टी० आई० के परिसर में ही रहेगा और क्या इस तरह का कोई वचन दिया गया था कि पी० टी० आई० की सभी फाइलें हिन्दुस्तान समाचार को दी जायेंगी। मंत्री जी के कहने पर पी० टी० आई० के चेयरमैन का रवैया समाचार भारती के प्रति अप्रिय है। चेयरमैन को त्यागपत्र देना चाहिए और पी० टी० आई० के बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसमें कर्मचारियों तथा श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

श्रमजीवी पत्रकारो के संघर्ष के प्रति सरकार का रवैया अच्छा नहीं है। तीसरे मंजूरी बोर्ड का काम ठप्प हो गया है और प्रधान मंत्री ने श्रमजीवी पत्रकारों से कहा है कि मैं समाचार पत्रों के मालिकों के विचारों को समझता हूं किन्तु में यह नहीं समझ सका कि श्रमजीवी पत्रकारों को अंतरिम राहत क्यों दी जाये। उन्होंने 31 दिसम्बर, 1977 को इन्हें चेतावनी दी कि वह हड़ताल को समाप्त कर देंगे। यही कथन उनके पूर्वाधिकारी का भी

था। यदि श्रमजीवी पत्रकारों तथा कर्मचारियों के साथ ऐसा ही बर्ताव होता रहा, जिनके वेतनमानों में गत 12 वर्षों से कोई सुधार नहीं हुआ है, तो फिर सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति होगी ?

केन्द्रीय सूचना सेवा के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है क्योंकि मंत्री जी द्वारा वहां बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त करने की कोशिश की गई है। एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी को, जो कि हमारे पड़ोसी देश के राजदूत हैं, इस एजेन्सी का मुखिया बनाने का विचार है जबकि स्वयं एजेन्सी में ही उच्च योग्यता रखने वाले तथा सक्षम लोग हैं। यह उचित नहीं है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

आज अधिनायकवाद की चुनौती कुछ माह पूर्व से अधिक गम्भीर है और यदि ऐसी नीति अपनाई गई तो सत्तारूढ़ दल में अधिनायकवाद की उत्पत्ति हो जायगी । और फिर देशवासियों को एक दूसरे संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा । आशा है मंत्री जी इन बातों पर विचार करेंगे ।

श्री अमृत नहाटा (पाली) : सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक अन्य प्रेस आयोग स्थापित करने के बारे में लिए गए निर्णय का मैं स्वागत करता हूं । इस आयोग का एक मुख्य निदेश यह होना चाहिए कि प्रैस आयोग की स्वतंत्रता की कैसे रक्षा की जाये और इसे कैसे मजबूत बनाया जाये।

मैं श्री उन्नीकृष्णन के इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं कि इससे पहले प्रैस आयोग की कुछ सिफारिशें अब भी वैध और संगत हैं और उन्हें लागू किया जा सकता है, विशेषकर प्रैस का बड़े व्यापार गृहों से सम्बन्ध समाप्त करना और प्रबन्ध व्यवस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को स्वामित्व देना और इसकी प्रबन्ध व्यवस्था में सम्मिलित करने सम्बन्धी सिफारिशें लागू की जानी चाहिएं ।

यद्यपि में व्यक्त किये गये इस मत से सहमत नहीं हूं कि अधिनायकवाद की नई प्रवृत्ति उभर रही है। पत्रकारों तथा अन्य लोगों, दूरदर्शन और रेडियो में काम करने वाले कलाकारों में यह आम भावना पैदा हो गई है कि इन प्रचार माध्यमों पर एक प्रकार का निश्चित दबाव दिया जा रहा है। प्रचार माध्यमों की स्वतन्त्रता के बारे में मंत्री महोदय के वचन या वादे तो बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे पूर्णतः आश्वस्त भी हूं लेकिन सार्वजनिक जीवन में केवल निष्पक्ष होना ही काफी नहीं है, उन्हें देखने में भी निष्पक्ष होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि श्री आडवाणी निष्पक्षता और न्यायसंगतता का प्रतिबिम्ब पैदा करेंगे। जिससे जन प्रचार के माध्यमों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकेगा ।

विज्ञापनों पर किए जाने वाले व्यय को निरुत्साहित करने का प्रयास तो सराहनीय है। विज्ञान किसी समाचारपत्र के लिए प्राथमिक आय या राजस्व के साधन नहीं होने चाहिए। सरकारी विज्ञापनों को भी संरक्षणों के रूप में नहीं मानना चाहिए। वैधानिक दृष्टि से सम्भवतः यह सम्भव नहीं है लेकिन पारस्परिक समझौते से प्रेस को इस बात पर सहमत किया जा सकता है कि विज्ञापनों के लिए 30 प्रतिशत से अधिक स्थान न दें। विज्ञापन दृश्य प्रचार निदेशालय के कार्यकरण और इसके गठन की और अधिक जांच की जानी चाहिए।

मैं बरघीस समिति की सिफारिशों का स्वागत करता हूं। आकाश भारती, एक स्वायत्त-शासी, स्वतंत्र निगम, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों पर ही नियंत्रण रखेगा का गठन करने सम्बन्धी सिफारिश बहुत विलम्ब से की गई है। उन्हें यह कार्य तो बहुत पहले ही करना चाहिए था। मुझे आशा है मंत्री महोदय इस प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा करने हेतु एक अलग संकल्प या वक्तव्य लायेंगे।

जहां तक रेडियो सैटों पर लाइसेंस शुल्क का सम्बन्ध है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके स्थान पर सरकार अधिक बिक्री कर या उत्पादन कर लगा सकती है। जब कोई व्यक्ति रेडियो/या ट्रांजिस्टर लेने जाता है तो उसे कुछ अधिक कीमत देनी चाहिए। इससे सरकार को आवर्ती लाइसेंस शुल्क जमा करने के बजाये अधिक राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि आधा लाइसेंस शुल्क तो कभी वसूल नहीं होता है।

जहां तक फिल्मों का सम्बन्ध है, यह ठीक नहीं है कि फिल्में ही मनोरंजन का माध्यम हैं। फिल्में निःसन्देह अत्यन्त शक्तिशाली सामाजिक शस्त्र है। फिल्मो के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण रचनात्मक क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण करते ही यह भी सरकारी प्रचार का एक क्षेत्र बन जायेगा और सारी रचनात्मकता समाप्त हो जायेगी।

फिल्म वितरक फिल्म उद्योग में सबसे अधिक और सबसे बड़े दोषी हैं। वे ऐसी फिल्में चाहते हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से लाभ कर हो और जिसमें यौन-प्रदर्शन हिंसा, भय आदि अपराध का निर्मम प्रदर्शन हो। सम्पूर्ण फिल्म उद्योग को इस सीमा तक व्यापारिक बना दिया गया है कि साहसी फिल्म निर्माता, जो अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं, उन्हें अच्छी फिल्में बनाने का साहस नहीं होता है। और यदि साहस कर ऐसी अच्छी फिल्में बनाते हैं तो ऐसी फिल्मों को सूर्य का प्रकाश कभी नही लगता है अर्थात् ऐसी फिल्में कभी नहीं दर्शायी जाती हैं क्योंकि इन्हें कोई वितरक लेने के लिए तैयार ही नहीं होता है।

सरकार भारतीय फिल्म परिषद् की स्थापना में तेजी लाए जो कि फिल्म उद्योग को विनियमित करे। इससे फिल्म उत्पादन की प्रत्तिया विनियमित होगी और स्टार सिस्टम पर रोक लगेगी, जिससे जूनियर कलाकारों को उचित मेहनताना मिल सके। इससे फिल्म निर्माण के सम्बन्ध में कोई आचरण संहिता निहत होगी और उसके पूरा होने पर उसके वितरण को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

फिल्म वित्त निगम असफल हो गया है। प्रारम्भ में इसे कुछ नई लहर की फिल्में बनाने का प्रोत्साहन देने में सफलता मिली। परन्तु जहां सूचना फिल्म उद्योग निजी उद्योग के अन्तर्गत है, इसे सफलता नहीं मिली। इसलिए फिल्म वितरण सारा काम सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। सभी फिल्मों वितरण बिना भेदभाव वह अपने हाथ में लेकर उसे प्रदर्शित करे।

सेंसर सम्बन्धी वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्त बड़े अस्पष्ट हैं। यह काम बड़ा कठिन है और रुचि, आचरण और शिक्षा से सम्बन्धित है। परन्तु दो बातें की जा सकती है। सेंसर बोर्ड

का पुनर्गठन किया जाए। बोर्ड के सदस्य अभी भी वे ही हैं जिन्होंने कभी तो पूर्णातः अनुशात्मक रुख अपनाया और अभी अति विशुद्धतावादी। हमें कला इन अतिवादियों से बचाना चाहिए तथा सेंसर बोर्ड में कला पारखी और कला मर्म को रखा जाए।

फिल्म अभिव्यक्ति का एक साधन है और संविधान में निहित सीमाओं के अतिरिक्त उस पर और किसी प्रकार का प्रतिवन्ध न लगाया जाए।

श्री गिरिधर गोमांगो : (कारापूट) : मैं समाचारपत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन करता हूं। परन्तु उन्हें असत्य बातें नहीं लिखनी चाहिएं। उन्हें राष्ट्र को क्या सही है और क्या गलत है यह बताना चाहिए। समाचारपत्रों की स्वतंत्रता हमारे लिए ही नहीं जन साधारण के लिए भी आवश्यक है। परन्तु आज समाचारपत्र स्वतंत्र नहीं हैं।

सरकार की विज्ञापन नीति उन्हीं पत्रों का पोशण करती है जो शहरों के लिए हैं ग्रामीण क्षेत्र में कोई समाचार पत्र नहीं है। राष्ट्रीय पत्र यदि गांवों में जाएं भी तो भोले गांववाले उन्हें पढ़ नहीं सकते। उन भोले लोगों के लिए रेडियो ही एक मात्र साधन है जिससे सुन कर वे देश की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अतः सरकार ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों को जानकारी देने की ओर ध्यान दे क्योंकि वे शहरों से दर हैं और वहां शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। संगीत और नाटक प्रभाव आदिवासी क्षेत्रों में और प्रेक्षक गृह खोलें। रेडियों, टेलीविजन, वृतचित्रों, और नाटकों का विषय राष्ट्र अथवा राजनीति अथवा सामाजिक स्थिति आदि ही न हो कर इसमें आदिवासियों के शोषण और अस्पृष्यता निवारण जैसे विषय भी शामिल किए जाए।

छटी योजना में उड़ीसा में एक नया रेडियो स्टेशन खोला जाए और उसके लिए शीघ्र ही धन दिया जाए। उपग्रह कार्यक्रम भी शुरु किया जाए जिससे ये गांव में भी दिखाए जा सकें तथा दिल्ली और कलकत्ता के बीच इसके लिये स्टेशन बनाए जाए।

सरकार क्षेत्रीय भाषाओं विशेषकर उड़िया फिल्मों को महत्व दे। उड़ीसा सरकार द्वारा स्थापित फिल्म विकास निगम को आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।

आदिवासी भाषाओं में अधिक से अधिक वृत चित्र बनाए जाए क्योंकि फिल्म के माध्यम से ही हम वहां सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकते हैं, आदिवासियों को शिक्षा दे सकते हैं और उनमें जागरूकता पैदा कर सकते हैं।

सरकार इस ओर ध्यान दे कि प्रचार माध्यम का दुरुपयोग न हो सके वह ऐसा कहे ही नहीं वरण उसे कार्य रूप भी दे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar), Sir just now Shri, Unnikrishnan ; has said that ther are complaints of arm-twisting by the Minister. I have known the Minister for the last 30 years. He is in capable of arm-twisting. He can do anything but does not know how to twist arms.

My friend was complaining about interference. I may say that he is twisting facts. Perhaps he has forgotten the black days of emergency when every one was being ignored.

Now Janta Government has given complete freedom to press, Radio and Television. Are we not providing education advertisements to all the newspapers including National Herald and Patriot ? And still you accuse the Government that it is partisan.

But I believe that sycophants of Smt. Indira Gandhi are still sitting in Television Department some days back benefits of emergency were advertised. I have written dozens of letters to the Minister complaining about this but to no effect . The Dordarshan have neither the capacity nor have the desire to do justice to the Members of Parliament. During emergency the mass media was utilised to develop the personality cult of Mrs. Gandhi and her son.

During emergency, the songs of famous play-back singer, Shri Kishore Kumar were not allowed on All India Radio. Similarly a film named 'Aandhi's, screening was also stopped. All this was done in a most dictorial way. During all these years all these mass media were utilized only to slercloh personality cult. Even the speeches of Members of Parliament were ignored. But now the position has changed all together. All are setting good coverage irrespective of their party affiliations.

The Minister deserves congratulations for issuing the new guidelines for liberalisation of censorship rules. But one facts to understand why kissing is now being allowed in films. The minister should rather pay more attention to the elevation of national character and not to the romance.

The Press is now completely free from Government control. But it is still under the control of certain people. My submission is that a commission should be set up to go into the matter as to how the press could be made free from the domination of these people.

In the Vergese Committee report, it has been stated that the Chief Justice of Supreme Court will prepare a panel of the trust. But it cannot be said that only the Chief Justice of the Supreme Court was creditable and other persons cannot do the job. So, I am of the opinion that Government should not make haste in implementing this report. This should be placed before the House and it should also be circulated for eliciting public opinion on it and if necessary, it should be amended because giving too much independence to this body may not produce good results.

The standard of films, specially the Hindi films should be improved.

The policy regarding overseas vices should be reviewed. Then our broadcasting stations should be made stronger by installing more powerful transmitters. Even today, one-tenth part of our country has not been covred by Radio. I will request the Government to pay more attention in this regard.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मंत्रालय को आपातकालीन कुकृत्यों को मिटाने, का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है । ये कुकृत्य जानबूझ कर किये गये । आपातकाल भारत के इतिहास का सबसे अधिक अंधकार का समय था और उस समय लोगों के गुमराह करने

सत्य को कुचलने और असत्य के प्रश्रय देने के प्रयास पूर्वनियोजित थे । यही उस काल के प्रचार साधन का उद्देश्य था । इस मंत्रालय को असत्यत के कुचल कर लोगों के सामने सच्चाई रखने का महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है । यह बात हर्ष की है कि मंत्री महोदय ने जनता पार्टी के बचन को निभाया है । मंत्रालय ने विरोधी दलों को रेडियों का उपयोग करने का अवसर दिया है । प्रेस सेंसरशिप खत्म कर दी गयी है । प्रेस परिषद पुनः बनने जा रही है। प्रेस आयोग भी बनने जा रहा है । आपतिजनक सामग्री अधिनियम को रिपील कर दिए गया है तथा फिरोज गांधी अधिनियम को फिर लागू कर दिया गया है।

देश में नई स्वतंता के बहाल होने के बाद सब से महत्व की बात आकाशवाणी और अन्य जनप्रचार के साधनों की प्रति विश्वास की भावना पुनः स्थापित करना है और मंत्री महोदय इस में सफल हुए हैं । सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई संगठन के काम और आकाशवाणी की समाचार मदों सम्बन्धी शंकाओं पर और से ध्यान दिया जाना चाहिये।

दास समिति ने आपातकाल के दौरान की गई अनेक गलत बातों का पता लगाया है और जनप्रचार साधनों के दुरूपयोग पर श्वेतपत्र में उनका उल्लेख है । मंत्री महोदय हमें बतायें कि दोषी व्यक्तियों से उचित ढंग से किस प्रकार निपटा गया है । उनके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये । मंत्री महोदय हमें बतायें कि ऐसी बातों को भविष्य में न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक समाचार के विघटन का प्रश्न है हमने इसका समर्थन किया है । परन्तु इसके कर्मचारियों की अनेक आशंकाएं हैं। मंत्री महोदय इनका निवारण करायें और कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी हितों की रक्षा करें । समाचरपत्रों के बड़े व्यापार गृहों और एकाधिकार गृहों से सम्बन्ध करने और उनके स्वामित्व के प्रसार के बारे में वार्षिक रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है । यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है । मंत्री महोदय इस बारे में जानता सरकार की नीति स्पष्ट करें ।

जहां तक रेडियों और दूरदर्शन के भविष्य में पुर्नगठन का प्रश्न है यह अच्छी बात है कि एक स्वायत निगम स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है । मंत्री महोदय को इसे मूर्तरूप देना चाहिये और एक स्वायत निगम स्थापित किया जाना चाहिये।

SHRI UGRA SEN (Deoria) : Mr. Chairman Sir ....

इसके पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 4 अप्रैल, 1978/14 चैत्र, 1900 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven o'clock on Tuesday, the 4th April, 1978.